

वार्षिक प्रतिवेदन ANNUAL REPORT 2014 - 2015



यूको बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)



UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)

सम्मान आपके विश्वास का

Honours Your Trust

यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700 001

Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

वार्षिक प्रतिवेदन - 2014-15 Annual Report - 2014-15

विषय-सूची / CONTENTS

मद / Item	पृष्ठ सं. / Page No.	मद / Item	पृष्ठ सं. / Page No.
• सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक Statutory Central Auditors	02	• तुलन-पत्र 2014-15 Balance Sheet 2014-15	59-60
• निदेशक मंडल Board of Directors	03	• लाभ-हानि लेखा Profit & Loss A/c	61-62
• वार्षिक आम बैठक हेतु सूचना एवं कार्यसूची Notice for AGM and Agenda	04-09	• लेखों से संबंधित अनुसूची / Schedule to Accounts	63-116
• वित्तीय विशिष्टताएं Financial Highlights	10	• भारत के राष्ट्रपति को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Auditor's Report to the President of India	117-119
• शाखा नेटवर्क/प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र (तालिका I एवं II) Branch Network/Priority Sector Credit (Table I & II)	11	• नकदी प्रवाह विवरण / Cash Flow Statement	120-121
• निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	12-35	• बासेल-III प्रकटीकरण / Basel-III Disclosures	122-192
• कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट Report on Corporate Governance	36-58	• परोक्षी फार्म / Proxy Form	193-194
		• ईसीएस अधिदेश / ECS Mandate	195
		• उपस्थिति पर्ची / Attendance Slip	196

महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं तारीखें / IMPORTANT PROGRAMME & DATES

कार्यक्रम / Programme	तारीख / Date	कार्यक्रम / Programme	तारीख / Date
• लाभांश एवं वार्षिक आम बैठक 2014-15 हेतु बही-खाता बंद रहने की अवधि Period of Book closure for Dividend and AGM 2014-15	25.06.2015 से/to 29.06.2015	वार्षिक आम बैठक 2014-15 की तारीख, समय एवं बैठक-स्थल Date, time & Venue of Annual General Meeting 2014-15	29.06.2015 प्रातः 11.00 A.M.
• परोक्षी फार्म की प्राप्ति की अंतिम तारीख Last date for receipt of proxy form	24.06.2015	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेल्वेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता-700 027 Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road Alipore, Kolkata 700 027	

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक / STATUTORY CENTRAL AUDITORS

मे. ए. कायेस एंड कं.
सनदी लेखाकार
M/s A. KAYES & CO
Chartered Accountants

मे. गुहा नन्दी एंड कं.
सनदी लेखाकार
M/s GUHA NANDI & CO.
Chartered Accountants

मे. ए. सचदेव एंड कं.
सनदी लेखाकार
M/s A. SACHDEV & CO.
Chartered Accountants

मे. निरुपम एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
M/s NIRUPAM & ASSOCIATES
Chartered Accountants

मे. ओ. पी. गर्ग एंड कं.
सनदी लेखाकार
M/s O.P.GARG & CO.
Chartered Accountants

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट / REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.
इकाई : यूको बैंक
कार्वी सेलेनियम टावर बी,
प्लॉट 31-32, गचीबावली,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरीलिंगमपल्ली
हैदराबाद - 500 032

M/s Karvy Computershare Private Limited
Unit : UCO BANK,
Karvy Selenium Tower B,
Plot 31-32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda Serilingampally,
Hyderabad – 500 032

टेलीफोन सं. : (040) 67161500; फैक्स सं. : (040)23420814
ई.मेल आईडी : einword.ris@karvy.com
वेबसाइट : www.karvycomputershare.com

Telephone No. : (040) 67161500; Fax No. : (040)23420814
E-mail ID : einword.ris@karvy.com
Website : www.karvycomputershare.com

शेयरधारक आवश्यकतानुसार रजिस्ट्रार के निम्नलिखित कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं
The Shareholders may also contact the following offices of the Registrar in case of need.

- मुंबई : महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स लेन, फोर्ट, मुंबई - 400 023
फोन : 022-2286-2425/2427
- At Mumbai : Maharastra Chamber of Commerce Lane, Fort, Mumbai - 400 023
Phone 022-2286-2425 / 2427
- चेन्नै : 22, विजय राघवन रोड, टी. नगर, चेन्नै - 600 017
फोन : 044-2815-1034/3445
- At Chennai : 22, Vijaya Raghavan Rd. T. Nagar, Chennai - 600 017
Phone : 044-2815-1034 / 3445
- नई दिल्ली : 105-108 अरुणाचल भवन, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001
फोन : 011-4350-9200
- At New Delhi : 105-108 Arunachal Building, Connaught Place, New Delhi -110 001
Phone : 011-4350-9200
- कोलकाता : 49, जतीन दास रोड (देशोप्रिय पार्क के पास), कोलकाता - 700 029
फोन : 033-2464-7231/ 32
- At Kolkata : 49, Jatin Das Road (Opp. Deshapriya Park), Kolkata - 700 029
Phone : 033-2464-7231 / 32

निदेशक मंडल /BOARD OF DIRECTORS



श्री अरुण कौल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
SHRI ARUN KAUL
Chairman & Managing Director



श्री जे. के. गर्ग
कार्यपालक निदेशक
SHRI J. K. GARG
Executive Director



श्री चरण सिंह
कार्यपालक निदेशक
SHRI CHARAN SINGH
Executive Director



श्री प्रवीण रावल
निदेशक
SHRI PRAVIN RAWAL
Director



डॉ. अरविंद शर्मा
निदेशक
DR ARVIND SHARMA
Director



श्री एस. के. माहेश्वरी
निदेशक
SHRI S. K. MAHESHWARI
Director



श्री डी. एन. ठाकुर
निदेशक
SHRI D. N. THAKUR
Director



श्री पी. चन्द
निदेशक
SHRI P. CHANDA
Director



मो. सलाहुद्दीन अंसारी
निदेशक
MR. SALAHUDDIN ANSARI
Director

यूको बैंक  UCO BANK

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700 001

Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

सूचना

NOTICE

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि यूको बैंक के शेयरधारकों की 12 वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, दिनांक 29 जून, 2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700027 में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्यवाही की जाएगी:

1. दिनांक 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि लेखे, लेखे की अवधि के लिए बैंक के क्रियाकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन-पत्र एवं लेखे के संबंध में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करने एवं उन्हें अंगीकृत करने हेतु.
2. दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए ईक्विटी शेयरों पर लाभांश अनुमोदित एवं घोषित करने हेतु।

NOTICE is hereby given that the 12th Annual General Meeting of the Shareholders of UCO Bank will be held on Monday, the 29th June, 2015 at 11.00 A.M. at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027 to transact the following business:-

1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet as at 31st March 2015, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To approve and declare dividend on Equity Shares for the year ended 31st March, 2015.

निदेशक मंडल के
आदेश से

By order of the Board
of Directors

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 28.05.2015

अरुण कौल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Place: Kolkata
Date: 28.05.2015

Arun Kaul
Chairman & Managing Director

नोट

परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए हकदार कोई शेयरधारक अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी परोक्षी को नियुक्त करने का भी हकदार है और यह जरूरी नहीं है कि ऐसा परोक्षी बैंक का कोई शेयरधारक ही हो। परोक्षी फार्म को प्रभावी करने के लिए यह जरूरी है कि वह बैंक को उसके शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, 3रा तल, कोलकाता - 700001 में उक्त बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व यानी बुधवार, दिनांक 24 जून, 2015 को बैंक के कार्य-समय की समाप्ति के पूर्व प्राप्त हो जाए। कृपया नोट करें कि बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति बैंक के किसी शेयरधारक निगमित निकाय के सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित होने या मतदान करने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे सम्यक् रूप से नियुक्त करनेवाले संकल्प की एक प्रति, जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति हो, जिसमें संकल्प पारित किया गया था, बैंक के प्रधान कार्यालय के शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, 3रा तल, कोलकाता -700001 में उक्त बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व यानी बुधवार, दिनांक 24 जून, 2015 को बैंक के कार्य-समय की समाप्ति के पूर्व प्राप्त न हो जाए। ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित प्रोक्सी फार्म तभी प्रभावी होगा, जब यह उपयुक्त दस्तावेज के साथ उक्त पते पर बुधवार, दिनांक 24 जून, 2015 के कार्य समय की समाप्ति के पूर्व बैंक को जमा कर दिया जाए।

बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास संलग्न किया जा रहा है। शेयरधारकों/परोक्षीधारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरें और उसमें उपलब्ध कराए गए खाली स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा बैठक-स्थल पर उसे अभ्यर्पित करें। शेयरधारकों के परोक्षी / प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास में यथास्थिति 'परोक्षी' या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' लिखना चाहिए। शेयरधारकों/परोक्षीधारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि कृपया अपने साथ पैन कार्ड, मतदाता पहचानपत्र, पासपोर्ट आदि लाएं। सही पहचान के बाद ही उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

शेयरधारकों के रजिस्टर की बंदी

वार्षिक खाताबंदी एवं बैठक में घोषित लाभांश के भुगतान के प्रयोजनार्थ गुरुवार, दिनांक 25 जून, 2015 से सोमवार, दिनांक 29 जून, 2015 (दोनों दिन सहित) तक शेयरधारकों का रजिस्टर एवं बैंक की अंतरण बही बंद रहेगी।

लाभांश का भुगतान

बोर्ड ने अपनी 12 मई 2015 को आयोजित बैठक में ₹10/- के सांकेतिक मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर हेतु वर्ष 2014-15 के लिए ₹2/- लाभांश की

Notes

APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The proxy form in order to be effective must be received at the Head Office of the Bank at its Share Section, Finance Department, at 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata – 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, 24th June, 2015. Please note that any employee or officer of the Bank cannot be appointed as proxy as per provision of UCO Bank (Shares and Meeting) Regulation 2003.

APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have deposited at the Head Office of the Bank with Share Section, Finance Department, at 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata – 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, 24th June, 2015. The proxy form if any executed by such authorized representative will be effective provided the same is also deposited with the Bank along with the above documents on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, 24th June, 2015 at the above mentioned address.

An employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003.

ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry Pass is annexed to the Annual Report. Shareholders/Proxy holders /Authorised Representative are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of shareholders should state in their Attendance Slip-cum-Entry Pass as 'Proxy or Authorised Representative' as the case may be. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives must carry a valid Photo identity card like PAN Card, Election ID, Passport etc with them and will be allowed entry only after proper identification.

CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders and the Transfer Books of the Bank will remain closed from Thursday, the 25th June, 2015 to Monday, the 29th June, 2015 (both days inclusive) for the purpose of Annual Book Closure and payment of dividend declared at the Meeting.

PAYMENT OF DIVIDEND

The Board in its meeting held on 12th May, 2015 has recommended dividend of ₹2/- for the year 2014-15 per equity

संस्तुति की है। निदेशक मंडल द्वारा यथासंस्तुत तथा 12वीं वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित लाभांश उन शेयरधारकों को दिया जाएगा

- क) जो बुधवार, 24जून, 2015 को कार्य-समय की समाप्ति पर निक्षेपागारों, यानी एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करते हैं, या
- ख) जो बुधवार, 24जून, 2015 को, 29 जून 2015 को बैंक के कार्य समय की समाप्ति के पूर्व शेयरधारकों से प्राप्त वैध अंतरण को प्रभावी करने के बाद शेयरधारकों के रजिस्टर में मूर्त रूप में शेयर धारित करते हैं।

बैंक द्वारा लाभांश की घोषणा की तारीख के 30 दिन के भीतर ऐसे शेयरधारकों को लाभांश वारंट उनके रजिस्ट्रीकृत पते पर रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट यानी मे. कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के जरिए भेजा जाएगा।

अदत्त/अदावाकृत लाभांश

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10ख के अनुसार यदि कोई राशि अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की जाती है और ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त/अदावाकृत रहती है तो उसे "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि" में अंतरित किया जाएगा।

जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2013-14 तक लाभांश का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट मे. कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के पास वैध दावा (वे) प्रस्तुत करें।

डाक पता/बैंक अधिदेश में परिवर्तन

(i) मूर्त रूप में धारित शेयर

मूर्त रूप से शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि डाक पता, बैंक खाता विवरण यथा बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, ईसीएस अधिदेश आदि में परिवर्तन होने की सूचना रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट यानी मेसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., कार्बी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500 032 को दें ताकि वे अपना लाभांश सीधे अपने खाते में प्राप्त कर सकें और इसकी सूचना समय रहते ही दी जा सके। ईसीएस अधिदेश फार्म का प्ररूप वार्षिक प्रतिवेदन में संलग्न है।

(ii) इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों का धारण

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारण करनेवाले हिताधिकारी मालिकों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अपने निक्षेपागार भागीदार के पास पता, बैंक का विवरण यानी बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, ईसीएस अधिदेश आदि अद्यतित हैं ताकि वे अपना लाभांश सीधे अपने खाते में प्राप्त कर सकें, अन्यथा इसकी सूचना समय रहते दी जा सके।

अंतरण दर्ज करना

अंतरण विलेख के साथ शेयर प्रमाण-पत्र बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. हैदराबाद को भेजे जाएं।

शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पत्राचार

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पंजीकृत पते या किसी अन्य प्रकार के विवरण में परिवर्तन, यदि कोई हो, संबंधी सूचना अमूर्तीकृत शेयरों के मामले में अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से एवं मूर्त शेयरों

share of nominal value of ₹10/- each. The dividend as recommended by the Board of Directors and approved at the 12th Annual General Meeting will be paid to those shareholders:-

- a) who hold in electronic form, as per the list furnished by the depositories, i.e., NSDL/CDSL as at the close of business hours on Wednesday, 24th June, 2015 or
- b) who hold in physical form in the Register of Shareholders as on Wednesday, 24th June, 2015 after giving effect to the valid transfer requests from the shareholders received before close of business hours of the Bank on 29th June, 2015.

Dividend warrants to such shareholders would be sent by the Bank through Registrar and Share Transfer Agents viz, M/s Karvy Computershare Private Limited within 30 days from the date of declaration of dividend on their registered addresses.

UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970 any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund".

Shareholders who have not claimed their dividend upto the financial year 2013-14 are requested to lodge valid claim(s) with Registrar and share Transfer Agent M/s Karvy Computershare Private Limited.

CHANGE IN ADDRESS/BANK MANDATE:

(i) Holding of shares in Physical Form

Shareholders holding shares in physical form are requested to inform the Registrar and Share Transfer Agent i.e. M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 008 in respect of change of address, Bank Account details, viz, Name of Bank, Name of Branch, Account Number, ECS Mandate so that they receive dividend directly in their account & communication etc. in time, if not already done. The format for ECS Mandate form is enclosed in Annual Report.

(ii) Holding of shares in Electronic Form

Beneficial owners holding shares in electronic form, are requested to ensure that the address, Bank details i.e. Name of Bank, Name of Branch, Account Number, ECS Mandate etc. are duly updated with their Depository Participant so that they may receive dividend directly in their account & the communications, well in time, if not already done.

Lodgement of Transfers

Share Certificates along with transfer deeds should be forwarded to Bank's Registrar and Share Transfer Agents, M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad.

COMMUNICATION WITH SHARE TRANSFER AGENTS

Shareholders are requested to intimate changes, if any, in their registered address or any other particulars through their Depository Participant in case of DEMAT shares and directly in

के मामले में सीधे बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को इस पते पर दें :

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट : यूको बैंक,
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गचीबावली,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरीलिंगमपल्ली,
हैदराबाद - 500 032
दूरभाष : (040) 67161500; फैक्स : (040)23420814

ऑनलाइन पूछताछ शिकायत दर्ज करने हेतु बैंक के शेयरधारक मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.karvycomputershare.com पर लॉग-इन करें और अपनी पूछताछ/शिकायत, यदि कोई हो, दर्ज करने हेतु निवेशक सेवा पृष्ठ पर क्लिक करें।

अदावाकृत शेयर

बैंक के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के बाद जारी कुछ शेयर प्रमाणपत्र शेयरधारकों के आवेदन पत्र में उल्लिखित अधूरे डाक पते बाद में परिवर्तित पते की वजह से हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास वापस लौट आए। बैंक को ऐसे शेयरों के असली शेयरधारकों/मालिकों से दावा/अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। सूचीबद्ध करार के अनुसार बैंक ऐसे शेयरों को अमूर्तकृत घोषित करेगा जिनका दावा असली शेयरधारकों/मालिकों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

दिनांक 31.03.2015 तक अदावाकृत शेयरों के विवरण निम्नप्रकार है :

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	शेयरधारकों की संख्या No. of shareholders	शामिल शेयरों की संख्या No. of shares involved
i.	दिनांक 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर Shares unclaimed as on 01.04.2014	206	28400
ii.	वर्ष 2014-15 के दौरान दावा किए गए और हिताधिकारी के खाते में अंतरित शेयर/ Shares claimed and transferred to Beneficiary account during the year 2014-15	1	100
iii.	दिनांक 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर Shares unclaimed as on 31.03.2015	205	28300

अदावाकृत शेयरों के मामले में सही मालिक द्वारा दावा नहीं किए जाने तक मताधिकार अवरुद्ध रखे जाएंगे।

तुलन-पत्र/वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियां

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक आम बैठक के स्थल पर वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियां वितरित नहीं की जाएंगी।

शेयरधारकों द्वारा पूछताछ

हमें प्रसन्नता होगी यदि शेयरधारक विचारार्थ कार्यसूची की मदों से संबंधित पूछताछ, यदि कोई हो, बैंक में पर्याप्त समय रहते प्रस्तुत करें, ताकि बैंक को प्रभावी रूप से प्रत्युत्तर देने में सहायता हो।

शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष

शेयरधारकों को शीघ्र एवं बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु बैंक ने अपने प्रधान

case of physical shares to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address :

M/s. Karvy Computershare Private Limited
Unit : UCO BANK,
Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda Serilingampally,
Hyderabad - 500 032
Tel : (040) 67161500; Fax : (040)23420814

For on line queries/grievances, shareholders of the Bank may login on the website of M/s. Karvy Computershare Private Limited i.e., www.karvycomputershare.com and click on Investor Services page to register their queries/grievances, if any.

UNCLAIMED SHARES

Few of the share certificates issued after the Bank's Initial Public Offer returned undelivered to our Registrar & Share Transfer Agents on account of improper address mentioned in the application forms and subsequent change in addresses of the shareholders. Bank is yet to receive claim/request from the bonafide shareholders/owners of such shares. As per the Listing Agreement, the Bank is required to dematerialize the shares which remained unclaimed by the bonafide shareholders/owners of such shares.

Following are details of the shares unclaimed as on 31.03.2015 :

The voting rights in respect of the unclaimed shares will remain frozen till the claim by the rightful owner.

COPIES OF BALANCE SHEET/ANNUAL REPORT

Shareholders are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting.

SHAREHOLDERS QUERIES

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, on the agenda items to be considered at the Meeting sufficiently in advance to facilitate effective response from the Bank.

SHARE SECTION & INVESTORS GRIEVANCE CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders,

कार्यालय, कोलकाता में निवेशक शिकायत कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक एवं निवेशक किसी भी प्रकार की सहायता के लिए इस कक्ष से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं :

श्री एन. पूर्णचंद्र राव, कंपनी सचिव, शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 2 -इंडिया एक्सचेंज प्लेस (3रा तल), कोलकाता - 700001

दूरभाष : 033-44557227, फैक्स : (033) 22485625

बैठक में मतदान

कार्यसूची मद के लिए मतदान ई-वोटिंग के माध्यम से या मतदान द्वारा किया जाएगा, हाथों की गिनती करके नहीं। जिन्होंने ई-मतदान का विकल्प नहीं लिया वे मतदान में भाग लेकर अपना मत देने के हकदार होंगे। यह मतदान वार्षिक आम बैठक के स्थल पर बैठक की तारीख को आयोजित किया जाएगा।

कार्यसूची मद की चर्चा किए जाने के पश्चात, अध्यक्ष महोदय उस कार्यसूची मद के लिए मतदान का आदेश देंगे। इस उद्देश्य से नियुक्त किए गए जांचकर्ताओं द्वारा मतदान का संचालन एवं देखरेख की जाएगी। मतदान की समाप्ति पर अध्यक्ष द्वारा बैठक की समाप्ति की घोषणा की जा सकती है। बैठक में उपस्थित शेयरधारकों/परोक्षी-धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को मतपत्र दिए जाएंगे। मतों की संख्या निर्धारित तिथि यानी 22 जून 2015 को उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या के बराबर होगी। शेयरधारक मतपत्र में कार्यसूची मद के सामने अपने मत के अनुसार “पक्ष” या “विपक्ष” में (v) का निशान लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं तथा इस उद्देश्य से बैठक कक्ष में रखी गई मतदान पेटी में अपना मत डाल सकते हैं।

ई-वोटिंग

कंपनियां (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण समझौते की धारा 35बी के अनुसरण में आपका बैंक ई-मतदान की सुविधा प्रदान करते हुए हर्ष का अनुभव करता है ताकि शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रीति से अपना मत दे सकें। इसके लिए बैंक ने कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को ई-मतदान एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। बैंक ने ई-मतदान प्रक्रिया को स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रकार से चलाने हेतु सुश्री सविता ज्योति, पेशेवर कंपनी सचिव को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। बैंक ने नोटिस में प्रस्तुत कार्यसूची मदों पर मत देने के हकदार शेयरधारक उनको माना है जो बैंक द्वारा नियत निर्धारित तिथि 22 जून 2015 को ईविटी शेयर रखनेवाले शेयरधारक/लाभार्थी अधिकारी हों।

ई-मतदान के दिशानिर्देश:

- ई-वोटिंग के लिए इस यूआरएल का उपयोग किया जाए <https://evoting.karvy.com>।
- आपको प्रदत्त लॉग-इन विवरण, यानी यूजर आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करें।
- सही तरीके से विवरण भरने के पश्चात लॉग-इन पर क्लिक करें।
- अब आप पासवर्ड बदलने वाले पेज पर पहुंच जाएंगे जहां आपको पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना पड़ेगा। नए पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होंगे जिनमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक संख्या (0-9) और एक विशेष चिह्न (@, #, \$ आदि) होगा। सिस्टम द्वारा पासवर्ड बदलने तथा पहली बार लॉग-इन करने पर अपने किसी संपर्क विवरण, जैसे मोबाइल, ई-मेल आदि को बदलने के लिए कहा जाएगा। आप गुप्त प्रश्न में जाकर अपने मन का उत्तर दर्ज कर सकते हैं जिससे यदि आप पासवर्ड

the Bank has set up Investors Grievance Cell at its Head Office, Kolkata, Shareholders and investor may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

Shri N Purna Chandra Rao, Company Secretary, Share Section & Investors Grievance Cell, UCO Bank, Head Office : 2, India Exchange Place (3rd Floor), Kolkata – 700 001

Telephone : 033-44557227, Fax : (033) - 22485625

POLL AT THE MEETING

The voting for the agenda item shall be done by e-voting or by Poll and not on show of hands. Those who have not exercised the option of e-voting shall be entitled to participate and vote at the Poll to be conducted at the venue of the Annual General Meeting on the date of the meeting.

After the agenda item has been discussed, the Chairman will order Poll in respect of agenda item. Poll will be conducted and supervised under Scrutinizers to be appointed for the purpose. After conclusion of the Poll, the Chairman may declare the meeting as closed. The Ballot Paper/s will be issued to the Shareholders / Proxy holders/ Authorized Representatives present at the meeting. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Cut-Off Date i.e. 22nd June, 2015. The Shareholders may exercise their right of vote by tick marking as (v) against “FOR” or “AGAINST” as his/her choice may be, on the Agenda Item in the Ballot paper and drop the same in the Ballot Box(es) kept at the meeting hall for the purpose.

E-VOTING

Pursuant to clause 35B of listing agreement with Stock Exchanges read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, your Bank is pleased to provide e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice for which Bank has appointed Karvy Computershare Private Limited as e-voting agency to provide the e-voting platform. The Bank has appointed Ms. Savita jyothis, Practising Company Secretary as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. The Shareholders/beneficiary owners holding equity shares as on 22nd June, 2015 the Cut-off Date fixed by the Bank to ascertain the shareholders eligible to vote on the agenda items set forth in the notice.

Instructions for E-Voting:

- Use the following URL for e-voting: <https://evoting.karvy.com>
- Enter the login credentials i.e., user id and password provided to you.
- After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character (@, #, \$ etc.). The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly

भूल जाएं तो उसे पुनः प्राप्त कर सकें। आपको सचेत किया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें एवं उसे गोपनीय रखने हेतु पूरी सावधानी बरतें।

- इ. आपको नए विवरण के साथ लॉग-इन करना होगा।
- च. लॉग-इन करने में सफल होने के बाद सिस्टम द्वारा आपको 'इवेंट' यानी 'यूको बैंक' का चयन करने के लिए कहेगा।
- छ. मत देनेवाले पन्ने पर, पक्ष/विपक्ष के अंतर्गत आप निर्धारित तारीख को धारित शेयर संख्या दर्ज करें। दूसरे प्रकार से, आप आंशिक रूप से पक्ष में कुछ संख्या तथा विपक्ष में कुछ संख्या दर्ज कर सकते हैं लेकिन पक्ष/विपक्ष में दर्ज संख्या का कुल योग कुल शेयरधारिता से ज्यादा न हो। आप ABSTAIN विकल्प का चुनाव भी कर सकते हैं।
- ज. विविध फोलियो/डी-मैट खाते रखनेवाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डी-मैट खाते के लिए अलग-अलग मतदान प्रक्रिया का चुनाव करेंगे। परंतु शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंकिंग कंपनी(उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2E) के अनुसार भारत सरकार के अलावा किसी दूसरे शेयरधारक को बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से ज्यादा मतदान करने का अधिकार नहीं है।
- झ. मत देने के बाद SUBMIT पर क्लिक करें। पुष्टि के लिए एक बॉक्स सामने आएगा। पुष्टि के लिए 'OK' पर या संशोधन करने हेतु 'CANCEL' पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद आपको पुनः संशोधन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। मतदान अवधि के दौरान शेयरधारक कितनी भी बार लॉग इन कर सकते हैं, जब तक कि उन्होंने संकल्प पर मत न दे दिया हो।
- ञ. संस्थागत शेयरधारकों (जैसे व्यक्ति, एचयूएफ, अनिवासी भारतीय आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार-पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) जांचकर्ता को ई-मेल: savitajyoti@yahoo.com पर भेजनी होगी जिसके साथ उन्हें मत देने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकता (ओं) के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर भी भेजने होंगे।
- ट. एक बार संकल्प पर अपना मत दे देने पर आपको बाद में उसे पुनः संशोधित करने का मौका नहीं दिया जाएगा।
- ठ. मतदान के लिए पोर्टल गुरुवार, 25 जून, 2015 सुबह 09.00 बजे से रविवार, 28 जून, 2015 शाम 5 बजे तक (दोनों दिन सहित) तक खुला रहेगा।
- ड. इस संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप शेयरधारकों हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न(एफएक्यू) तथा <https://evoting.karvy.com> के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के ई-वोटिंग यूजर मैनुअल की सहायता ले सकते हैं अथवा कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के श्री वरगीस पी ए से 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं।

ई-वोटिंग के नतीजों के साथ समन्वित मतदान का समग्र परिणाम बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।

निदेशक मंडल के
आदेश से

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 28.05.2015

अरुण कौल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

- e. You need to login again with the new credentials.
- f. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e., UCO BANK.
- g. On the Cast Vote page, enter the number of shares as on the cut-off date under FOR/AGAINST or alternately you may enter partially any number in FOR and partially in AGAINST but the total number in FOR/AGAINST taken together should not exceed the total shareholding. You may also choose the option ABSTAIN.
- h. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account. However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.
- i. After casting your vote on the agenda items click on SUBMIT. A confirmation box will be displayed. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolution.
- j. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: savitajyoti@yahoo.com
- k. Once you have cast your vote on a resolution you will not be allowed to modify it subsequently.
- l. The Portal will remain open for voting from 09.00 a.m. on Thursday 25th June, 2015 and upto 5.00 p.m. on Sunday 28th June, 2015. (both days inclusive).
- m. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of <https://evoting.karvy.com> or contact Mr. Varghese P A of Karvy Computershare Pvt Ltd at 1800 345 4001 (toll free).

The Results of the Poll aggregated with the results of e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

By order of the Board
of Directors

Place: Kolkata
Date: 28.05.2015

Arun Kaul
Chairman & Managing Director

दिनांक 31.03.2015 को समाप्त 7 वर्ष की अवधि के महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन संकेतक
KEY PERFORMANCE INDICATORS FOR 7 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2015

(₹ करोड़ में/ ₹ in Crore)

कारबार मानदंड Business Parameters	मार्च 2015 March 2015	मार्च 2014 March 2014	मार्च 2013 March 2013	मार्च 2012 March 2012	मार्च 2011 March 2011	मार्च 2010 March 2010	मार्च 2009 March 2009
कुल जमा/Total Deposits	214337	199534	173431	154003	145278	122416	100222
कुल अग्रिम/Total Advances	151812	153163	131569	117504	100561	83371	69669
कुल कारोबार/Total Business	366149	352697	305000	271507	245839	205787	169891
निवेश/Investment	69231	67846	52515	46185	43124	43700	29512
ब्याज आय/Interest Income	19359	18230	16752	14632	11371	9526	8121
ब्याज व्यय/Interest Expenditure	13797	12171	12170	10730	7526	7202	6477
निवल ब्याज आय/Net Interest Income	5562	6059	4582	3902	3845	2324	1644
परिचालन लाभ/Operating Profit	4910	4940	3357	2811	2695	1706	1202
निवल लाभ/Net Profit	1138	1511	618	1109	907	1012	558
ऋण जमा अनुपात/Credit Deposit Ratio	70.83	76.76	75.86	76.30	69.22	68.10	69.51

दिनांक 31.03.2015 को समाप्त 7 वर्ष की अवधि की वित्तीय विशिष्टताएं
FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR 7 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2015

विवरण / Particulars	मार्च 2015 March 2015	मार्च 2014 March 2014	मार्च 2013 March 2013	मार्च 2012 March 2012	मार्च 2011 March 2011	मार्च 2010 March 2010	मार्च 2009 March 2009
कुल आय के % के रूप में शुद्ध ब्याज आय / Net Interest Income as % to Total Income	26.04	30.99	25.88	25.02	31.27	22.15	17.98
जमा की औसत लागत (%) / Average Cost of Deposits (%)	6.35	6.17	7.12	7.30	5.74	6.44	7.25
अग्रिमों से औसत आय (%) / Average Yield on Advances (%)	9.92	9.91	10.63	11.28	10.00	10.13	10.67
निवल ब्याज मार्जिन (%) / Net Interest Margin (%)	2.35	2.82	2.34	2.77	3.07	2.19	1.97
पूंजी पर्याप्तता (%) / Capital Adequacy (%)							
बासेल- II / BASEL - II	12.91	13.40	14.15	12.35	13.71	13.21	11.93
बासेल- III / BASEL - III	12.17	12.68					
प्रति शाखा कारोबार (करोड़ ₹) / Business per Branch (₹ Crore) /	121.24	121.87	116.95	113.60	111.44	95.63	82.15
प्रति कर्मचारी कारोबार (करोड़ ₹) / Business per Employee (₹ Crore)	15.51	15.28	13.43	12.47	11.36	9.01	7.32
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात (%) / Gross NPA Ratio (%)	6.76	4.32	5.42	3.48	3.13	1.99	2.21
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात (%) / Net NPA Ratio (%)	4.30	2.38	3.17	1.96	1.84	1.17	1.18
आस्तियों पर प्रतिफल (%) / Return on Assets (%)	0.48	0.70	0.33	0.69	0.66	0.87	0.59
प्रति शेयर बही मूल्य / Book Value per Share (in ₹)	111.00	104.85	97.19	94.72	82.00	65.74	50.88
प्रति शेयर अर्जन (₹ में) / Earning per Share (in ₹)*	11.20	*19.44	*6.28	*15.02	*14.29	*18.42	*7.63

* शेयरों की संख्या का भारित औसत / * Weighted average number of Share

तालिका/TABLE — I

शाखा नेटवर्क/Branch Network

क्रम		18.07.1969	31 दिसम्बर,1985	31 मार्च की स्थिति के अनुसार				
संख्या	स्थान / देश	की स्थिति के अनुसार	की स्थिति के अनुसार	31 मार्च की स्थिति के अनुसार				
Sl. No.	Places/Countries	As on 18.07.1969	As on 31st December 1985	2011	2012	2013	2014	2015
1	भारत में (घरेलू) / In India (Domestic)	351	1712	2202	2390	2610	2890	3016
2	विदेशी / Overseas	6	9	4	4	4	4	4
3	यूनाइटेड किंगडम / United Kingdom	1	2	-	-	-	-	-
4	सिंगापुर / Singapore	3	3	2	2	2	2	2
5	हांग कांग / Hong Kong	2	4	2	2	2	2	2
6	शाखाओं की कुल संख्या (वैश्विक)* Total Number of Branches (Global)*	357	1721	2206	2394	2614	2894	3020
7	विस्तार पटलों की संख्या No. of Extension Counters	-	80	4	3	3	2	2

* फरवरी, 2010 से सभी शाखाएं सीबीएस समर्थित हैं।

*All Branches are CBS enabled since February, 2010.

तालिका/TABLE — II

वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 तक के बीच बैंक के प्राथमिकताप्राप्त अग्रिमों की क्षेत्रवार स्थिति

Sector-wise Position of Priority Sector Advances of the Bank for the Years 2010-11 to 2014-15

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

क्रम	संख्या	वित्तपोषण	तारीख को बकाया शेष				
			Balance Outstanding as on				
			मार्च	मार्च	मार्च	मार्च	मार्च
Sl. No.	Financing of	March 2011	March 2012	March 2013	March 2014	March 2015	
1		प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम / Priority Sector Advances	28253	28301	34962	51965	53278
2		प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम/एएनबीसी / Priority Sector Advances/ANBC (%)	39.16	33.56	32.13	42.71	36.38
3		कृषि अग्रिम / Agriculture Advances	11643	9653	12625	16642	19687
4		कृषि अग्रिम / एएनबीसी / Agriculture Advances/ANBC (%)	16.14	11.45	11.60	13.68	13.44
5		कमजोर वर्गों को अग्रिम / Advances to Weaker Sections	7496	7861	10327	14319	15186
6		कमजोर वर्गों को अग्रिम/एएनबीसी / Adv. To Weaker Sections/ANBC (%)*	10.39	9.32	9.49	11.77	10.37
7		एमएसएमई अग्रिम / MSME Advances	14790	17860	20871	30828	29560
8		इनमें से एमएसई अग्रिम / Of Which MSE Advances	11973	13437	16421	26389	25545

निदेशक मंडल की रिपोर्ट : 2014-15

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS : 2014-15

I. प्रबंधन विमर्श तथा विश्लेषण

1. वैश्विक अर्थव्यवस्था

आईएमएफ वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक के अनुसार वैश्विक वृद्धि 2015 एवं 2016 में क्रमशः 3.5% एवं 3.8% तक होनी संभावित है। 2014 की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद(जीडीपी) की वृद्धि 2015 में और अच्छी होने की संभावना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक वृद्धि और अच्छी हुई और 2014 की अंतिम तीन तिमाहियों में उसका असत लगभग 4% वार्षिकृत का रहा। जापान में खपत के शिथिल होने और आवासीय निवेश में कमी आने के फलस्वरूप 2014 में आर्थिक वृद्धि शून्य के आसपास रही। यूरो के इलाके में आर्थिक स्थितियां कमजोर रही हालांकि 2014 की अंतिम तिमाही में कच्चे तेल के घटे हुए मूल्यों, यूरो के अवमूल्यन और बैंक के उधार में बढ़ोतरी के सहयोग से कुछ सुधार देखने में आया। चीन में 2014 की दूसरी छमाही 2015 तथा 2015 की प्रथम तिमाही में कार्यकलाप घट गए क्योंकि निवेश की मांग शिथिल पड़ गई और संपदा क्षेत्र में गिरावट देखी गई। तेल की कीमतों में गिरावट और पश्चिम की स्वीकृतियों के चलते रूस की अर्थव्यवस्था बहुत धीमी पड़ी। चक्रिय और संरचनागत दोनों घटकों का भार वैश्विक व्यापार की गति पर निरंतर पड़ रहा है और यह 2014 में 3.1% की दर से बढ़ा है।

शिथिल मांग की स्थितियों तथा उपभोक्ता वस्तुओं की गिरती कीमतों के चलते मुद्रास्फीति की गति लगातार निम्नगामी रही है। अगस्त 2014 से विश्व में ऊर्जा की कीमतें और ब्रेन्ट कच्चे तेल की कीमतें गिरती रही हैं, जो जनवरी, 2015 में \$ 50 प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच गईं। इन सभी घटनाओं ने वैश्विक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों को कम किया है। अधिकांश देशों के केन्द्रीय बैंक ने मुद्रा विस्फीति और शिथिल वृद्धि का सामना करने के फलस्वरूप सहयोगपरक मौद्रिक नीतियों का अनुसरण किया है। फेड बैंक नीति की दर के कारण यूएस में ब्याज की दरें तकरीबन शून्य तक पहुंच गईं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ने मार्च 2014 से अपना परिसंपत्ति खरीद कार्यक्रम प्रारंभ किया। नवंबर 2014 में जमा एवं उधार की दरों में कटौती करके चीन ने उसका अनुसरण किया। 2015 की प्रथम तिमाही में रूस ने दो बार अपनी नीतिगत दरों में कटौती की है। मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण पर यूएस के फेडरल बैंक द्वारा की गई घोषणा के प्रतिक्रियास्वरूप वैश्विक वित्तीय बाजार 2014 के मध्य से अनियमित चल रहा है। यूरोप, विशेषकर ग्रीस में राजनीतिक तनाव तथा तेल की कमतर कीमतों ने निवेश को प्रभावित किया है। कम ब्याज दर से विश्व के वित्तीय बाजार में दीर्घ अवधि की सरकारी बांड की प्राप्ति में गिरावट आई है। उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था की ओर उन्मुख पूंजी प्रवाहों में 2015 की दूसरी तिमाही में गिरावट आई है। विश्व की प्रमुख मुद्राओं की तुलना में यूएस डालर लाभ की स्थिति में रहा है।

2. घरेलू अर्थव्यवस्था

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के अग्रगामी अनुमान के अनुसार 2011-12 की बाजार कीमतों को स्थाई मानते हुए जीडीपी की वृद्धि दर 2014-15 में 7.4% होने का अनुमान लगाया गया है। 2014-15 में मूलभूत कीमतों पर सकल वर्धित मूल्य (जीवीए) की वृद्धि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र के लिए क्रमशः 1.1%, 5.9% और 10.6% होने का अनुमान लगाया गया है। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के अनुसार

I. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. GLOBAL ECONOMY

According to IMF world Economic outlook, overall, global growth is projected to reach 3.5% and 3.8% in 2015 and 2016 respectively. GDP Growth is projected to be stronger in 2015 as compared to 2014. Economic Growth in the United States was stronger and averaging about 4% annualized in the last three quarters of 2014. In Japan, due to weak consumption and plummeting residential investment, economic growth in 2014 was close to zero. In the Euro area, economic conditions remain weak although some pick up in final quarter of 2014 was observed, supported by lower crude prices, depreciation in the Euro and increase in bank lending. In China, activity has slowed over the second half of 2014 and first quarter of 2015 as investment demand lost pace and real estate sector weakened. The Russian economy slowed sharply due to falling oil prices and Western sanctions. The pace of global trade continues to be weighed down by both cyclical and structural factors and grew by 3.1% in 2014.

Inflation continues to move downward, due to weak demand conditions and falling commodity prices. Since August, 2014, world energy prices and Brent Crude oil prices have been falling, going below \$ 50 per barrel in January, 2015. All these developments have brought down the global commodity Prices. Central Banks of most of the countries pursued accommodative monetary policies faced by disinflationary pressure and weak growth. The interest rates in US neared Zero, because of the Fed's Bank Policy rate. European Central Bank (ECB) began its asset purchase program since March 2014. China followed with deposits and lending rate cuts in November 2014. Russia has cut its policy rates twice in first quarter of 2015. Global financial market has been volatile since mid-2014, triggered by the announcement of US's Federal bank on normalization of monetary policy. Political tensions in Europe especially in Greece, and lower oil prices have impacted investment. Low interest rate led to fall in the long term Govt. bond yields in global financial market. Capital flows to emerging market economy has gone down in the second half of 2015. The US dollar has gained against major currencies.

2. DOMESTIC ECONOMY

According to the advanced estimate of CSO (Central Statistical Office), the growth rate of GDP at constant 2011-12 market price is estimated to be 7.4 % in 2014-15. The growth of gross value added (GVA) at basic prices for agriculture & allied sector, industry sector and services sector are estimated to be at 1.1 %, 5.9 % and 10.6 % respectively in 2014-15. Headline inflation measured in terms of Wholesale Price Index (WPI) base year 2004-05 has

मापी गई हेडलाइन मुद्रास्फीति 2014-15 के दौरान खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों के कम होने के परिणामस्वरूप मद्धम पड़ गई है। 2013-14 के दौरान जहां डब्ल्यूपीआई खाद्य मुद्रास्फीति की दर उच्च थी, 2014-15 के दौरान सब्जियों की कीमतों में आये तेज सुधार और अनाज, अंडों, मांस और मछली की कीमतों के मद्धम होने को देखते हुए मध्यम हुई। चूंकि डब्ल्यूपीआई में ईंधन का दारोमदार रहता है ईंधन की कीमतों में आई कमी से डब्ल्यूपीआई में भी तेजी से कमी आई। 2013-14 से निर्माण क्षेत्र में मुद्रास्फीति एक सीमित दायरे में बनी रही है। वर्ष 2014-15 के दौरान सभी खपत वस्तुओं की डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति औसतन वर्ष 2013-14 के 6.0% की तुलना में 2% रही। सीपीआई आधार वर्ष 2010 = 100 द्वारा मापी गई रिटेल मुद्रास्फीति 2012-13 और 2013-14 के दौरान 9-10% के आसपास ही जमी रही। 2014-15 की दूसरी तिमाही से सीपीआई मुद्रास्फीति में भी उल्लेखनीय कमी आई है। तीनों प्रमुख उप-समूहों, 'खाद्य, पेय एवं तंबाकू, 'ईंधन एवं विद्युत तथा 'अन्य' में मुद्रास्फीति नरम होती पाई गई है। आधार वर्ष 2012 को लेकर नई संशोधित सीपीआई श्रृंखला के अनुसार 2014-15 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.2% पर स्थिर रही है। 2014-15 में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि सूचकांक पिछले वर्ष की तुलना में 2.8% रहा।

2014-15 के दौरान तरलता की स्थिति आम तौर से संतुलित रही है। भारतीय रिज़र्व बैंक के सक्रिय तरलता प्रबंधन प्रचालनों द्वारा सुनिश्चित किया गया कि मांग दरें नीतिगत दरों के आसपास ही सिमटकर रहें तथा दिन-प्रतिदिन की अनियमितता को कम करें। 2014-15 की द्वितीय छमाही के दौरान वाणिज्यिक उपयोग के कागज के बाजार ने गति पकड़ी। सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) के बाजार में प्राप्ति नरम-गरम रहीं, हालांकि यूक्रेन के संकट और उसके बाद रुस के मुद्रा संकट के चलते दिसंबर, 2014 के दूसरे भाग में कुछ उछाल देखा गया। 10 वर्ष की प्राप्ति सितंबर, 2014 की समाप्ति के समय के 8.52% से 72 आधार बिंदु घटा और मार्च, 2015 को यह 7.80% रह गया। समग्र तौर से देखा जाए तो सुधरे हुए घरेलू बुनियादी तत्वों और वैश्विक जोखिम की पृष्ठभूमि में 2014-15 की दूसरी छमाही में वित्तीय बाजारों ने बढ़त की प्रवृत्ति दर्शाई। इक्विटी एवं बांड बाजारों में एफडीआई और एफआईआई के भारी मात्रा में आगमन के कारण वर्ष के दौरान रुपया-डॉलर विनिमय दर सामान्य तौर पर स्थिर रही। यूरोप और जापान में कमजोर अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण के कारण सितंबर, 2014 में यूरो और येन की तुलना में रुपये की स्थिति अन्य देशों की मुद्राओं के देखते बेहतर हुई। 30 दिसंबर, 2014 को रुपया गिरकर ₹63.75 प्रति यूएस डॉलर पर आ गया और 19 मई, 2014 को उसने ₹58.43 प्रति यूएस डॉलर के शीर्ष को छुआ। मार्च, 2015 के दौरान रुपया एक यूएस डॉलर की तुलना में ₹63.75 के स्तर पर रहा। कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में आई हाल की भारी गिरावट के चलते ऐसा लगता है कि वैश्विक आर्थिक वातावरण बेहतर की तैयारी में है। उम्मीद की जा रही है कि इससे वैश्विक सकल मांग में वृद्धि होगी और उसके साथ ही मौद्रिक समायोजन से क्रमबद्ध प्रकार से पीछे हटने के मद्देनजर यूएस की अर्थव्यवस्था में भी तेजी से सुधार होगा। 2014-15 में भारत के व्यापारिक आयात (-) 0.6% पर \$447.5 बिलियन के रहे और निर्यात (-) 1.2% पर \$310.5 बिलियन के हुए। व्यापार घाटा बढ़कर \$137.0 बिलियन तक पहुंच गया है। सीएडी (चालू खाता घाटा) युक्त प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा विदेशी विनिमय रिज़र्व धारक है। मार्च, 2015 की समाप्ति पर भारत का विदेशी विनिमय रिज़र्व \$341.6 बिलियन का था। अप्रैल-दिसंबर, 2014 में सीएडी जीडीपी का 1.7% था।

वर्ष के दौरान बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में दबाव के कुछ लक्षण दिखाई दिए। कुल सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में एससीबी का सकल एनपीए

moderated during 2014-15 on the back of lower food and fuel prices. WPI food inflation which remained high during 2013-14, moderated during 2014-15 following sharp correction in vegetable prices and moderation in prices of cereals, eggs, meat and fish. As fuel has larger weight in the WPI, the decline in fuel prices led to a sharper reduction in WPI. Inflation in manufacturing sector has remained within a narrow range since 2013-14. During 2014-15, the WPI inflation for all commodities averaged 2% as compared to 6.0% in 2013-14. Retail inflation as measured by the CPI base year 2010 = 100 had remained stubbornly sticky, around 9 -10 % during 2012-13 and 2013-14. CPI inflation has also moderated significantly since second quarter of 2014-15. Moderation in inflation is observed in all the three major sub-groups viz. "Food, beverages and tobacco"; "Food& light", and "Others". As per the revised CPI new series with base year 2012, CPI inflation stood at 5.2 % for 2014-15. In 2014-15 Index of Industrial Production growth was 2.8 % as compared to negative growth of last year.

Liquidity conditions have remained broadly balanced during 2014-15. The RBI's proactive liquidity management operations ensured that the call rates stayed range bound around the policy rates, reducing day to day volatility. The market for Commercial Paper picked up momentum during the second half of 2014-15. The Govt. securities (G-Sec) market yields softened, barring some spike observed in second half of December 2014 due to the Ukrainian crisis followed by the Russian currency crisis. The 10 year yield declined by 72 basis points from 8.52 % at the end of September 2014 to 7.80% on March 31, 2015. Overall, financial markets traded on a bullish note during the second half of 2014-15 against the back drop of improved domestic fundamentals and a global risk. The rupee-US dollar exchange rate has remained broadly stable during the year due to huge inflow of FDI and FII in the equity and bond markets. Due to weak economic outlook in Europe and Japan, the rupee has appreciated against the Euro and Yen in September 2014 vis-à-vis other country's currency. The rupee touched a low of ₹63.75 per US dollar on 30th December, 2014 and a peak of ₹58.43 per US dollar on 19th May, 2014. During March 2015, Rupee touched at ₹62.45 against a US dollar. The global economic environment appears poised for a change for the better, with the recent sharp fall in the international prices of crude petroleum. This is expected to boost global aggregate demand along with a sharp recovery in the US economy in the face of gradual withdrawal from monetary accommodation. India's merchandise imports declined by (-) 0.6 % in 2014-15, stood at \$ 447.5 billion and exports declined by (-) 1.2 %, reaching \$ 310.5 billion. Trade deficit has increased to \$ (-) 137.0 billion. Among the major economies with a CAD (Current Account Deficit), India is the second largest foreign exchange reserve holder after Brazil. India's foreign exchange reserves stood at \$ 341.6 billion at the end of March 2015. CAD was 1.7 % of GDP in April – December 2014.

Asset quality of Banks showed some signs of stress during the year. The gross NPA of SCBs as a percentage of total gross

मार्च 2014 के 4.1% से बढ़कर सितंबर 2014 में 4.5% हो गया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनपीए के मुद्दे को सुलझाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। वर्ष के दौरान इक्विटी बाजार बेहतर प्रदर्शन करते रहे। चालू वर्ष के दौरान बीएसई एवं निफ्टी बेंचमार्क सूचकांकों ने आम तौर पर उन्नति का चलन दर्शाया। ब्रॉड मनी (एम3) की वृद्धि मार्च, 2015 में कम होकर 12.0% रह गई जबकि पिछले वर्ष की संबंधित अवधि के दौरान यह 13.8% थी। बैंक ऋण की वृद्धि मार्च, 2015 में कम होकर 9.5% रह गई जबकि पिछले वर्ष की संबंधित अवधि के दौरान यह 13.9% थी। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समग्र जमा की वृद्धि मार्च, 2015 में घटकर 11.4% रह गई। भारतीय रिज़र्व बैंक ने नीतिगत दर को पहले के 7.75 से 25 आधार बिंदु कम करके 3 मार्च 2015 को 7.50% किया। वर्तमान में बैंक दर 8.5% है। वर्ष 2015-16 के वित्तीय घाटे का बजट अनुमान 3.9% है। वर्ष 2014-15 में यह घाटा 4.1% था।

II. 2014-15 में बैंक का कार्य-निष्पादन:

1. यूको के डिलिवरी चैनल:

1.1 पारंपरिक नेटवर्क :


बैंक के पास भारत एवं विदेश में भौगोलिक दृष्टि से भलीभाँति फैला शाखा नेटवर्क है। 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार बैंक के 10 सर्किल कार्यालय, 48 अंचल एवं 3020 शाखाएँ हैं जिनमें चार विदेशी शाखाएँ, (सिंगापुर एवं हॉंग-कॉंग में दो-दो), शामिल हैं। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार बैंक में दो विस्तार पटल हैं।

बैंक ने 2014-15 के दौरान 126 शाखाएँ खोलकर अपने अखिल भारतीय नेटवर्क को मजबूत किया है जिससे शाखाओं की कुल संख्या 31 मार्च, 2015 को 3020 हो गई है।

	मार्च / March, '11	मार्च / March '12	मार्च / March '13	मार्च / March '14	मार्च / March '15
शाखा/Branch	2206	2394	2614	2894	3020

शाखाओं के कार्य-निष्पादन पर बेहतर तरीके से ध्यान देने और निगरानी के लिए बैंक ने वर्ष 2014-15 में तीन और अंचल, बालासोर, बोंगईगांव और कानपुर खोले थे। इससे बैंक के अंचलों की कुल संख्या मार्च, 2014 में 45 से मार्च, 2015 में 48 हो गई है।

जनसंख्या श्रेणीवार शाखाओं का वर्गीकरण नीचे दिया गया है:



advances increased to 4.5 % in September 2014 from 4.1 % in March 2014. RBI has taken a number of steps to redress the NPA issue. Equity markets continued to do well during the year. The bench mark indices BSE Sensex and Nifty showed a general upward trend in the current year. Growth in Broad Money (M3) decelerated to 12.0 % in March 2015 from 13.8% during the corresponding period of previous year. Growth in bank credit decelerated to 9.5 % in March 2015 from 13.9 % during the corresponding month of pervious year. The growth of aggregate deposits with scheduled commercial banks decelerated to 11.4 % in March 2015. Policy Rate was reduced by 25 basis points by RBI on 3rd March 2015 from 7.75 to 7.50 %. At present the bank rate is 8.5%. The budget estimates for the fiscal deficit for 2015-16 is 3.9 % as compared to 4.1 % in 2014-15.

II. PERFORMANCE OF THE BANK 2014-15:

1. UCO's Delivery Channels:

1.1. BRICK and MORTAR Network:

The Bank has a geographically well spread branch network in India and abroad. The Bank has 10 Circle Offices, 48 Zones and 3020 branches as on 31.3.2015, which includes four overseas branches, (two each in Singapore and Hong Kong). The Bank has two Extension Counters as of 31st March, 2015.

The Bank has strengthened its pan India network by opening 126 branches during the year 2014-15 which takes the total number to 3020 as of 31st March, 2015.

To have a better focus and monitoring over the performance of branches, the Bank had opened three more Zones namely, Balasore, Bongaigaon and Kanpur in the year 2014-15. It takes the total number of Zones of the Bank from 45 in March, 2014 to 48 in March, 2015.

The population category-wise break-up of branches is given below.

1.2 विशेषीकृत शाखाएँ :

मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार बैंक में छः फ्लैगशिप कारपोरेट शाखाएँ, 15 मिड-कारपोरेट शाखाएँ, 23 सेवा शाखाएँ, 7 आस्ति प्रबंधन शाखाएँ और मुंबई में एक एकीकृत कोष प्रबंधन शाखा थी। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार बैंक में 29 रिटेल लोन हब तथा 2 एसएमई हब भी बरकरार हैं।

31 मार्च, 2015 की समाप्ति पर बैंक में 78 सिटी बैंक कार्यालय थे। दिनांक 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार बैंक के पास 2.5 करोड़ का ग्राहक आधार है।

1.3 वैकल्पिक डिलिवरी चैनल:

1.3.1 बैंक नेशनल फाइनेंशियल स्विच (एनएफएस) में शामिल हो गया है जिससे ग्राहकों को देश भर में अधिक संख्या में एटीएम का उपयोग करना संभव हो गया है। 31 मार्च, 2015 को बैंक के पास 2096 एटीएम थे जिनमें से 1524 ऑनसाइट तथा 572 ऑफसाइट थे। बैंक ने वीजा और रुपे समर्थित डेबिट-सह-एटीएम कार्ड जारी किए हैं। बैंक ने मार्च, 2014 को 41,52,965 डेबिट-सह-एटीएम कार्ड की तुलना में 31.03.2015 को 61,12,218 कार्ड जारी किए हैं। इस प्रकार विलगत वर्ष से 47.18% का विकास प्राप्त किया गया है। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंक रुपे कार्ड एवं किसान खाते से लिंक किए गए एटीएम समर्थित किसान कार्ड जारी कर रहा है।

1.3.2 यूटिलिटी बिल भुगतानों, हवाई जहाज एवं रेल टिकट बुक करने, ऑनलाइन खरीदारी, अंतःबैंक एवं अंतर्बैंक निधि अंतरण आदि के लिए ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है। बैंक शेष की पूछताछ, खाता विवरणी, लेन-देन संबंधी एसएमएस एलर्ट, परीक्षण कर, प्रत्यक्ष कर का भुगतान एवं अन्य कई बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। इस प्रकार 31.03.2014 को 270228 ई-बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या 31.03.2015 को बढ़कर 384524 हो गई। वर्ष-दर-वर्ष यह वृद्धि 42.30% की रही।

1.3.3 वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने मोबाइल बैंकिंग सेवा आरंभ की है, जिसमें ग्राहक मोबाइल फोन के जरिए अपने बैंकिंग लेन-देन करने का लाभ उठा सकते हैं। इस मोबाइल बैंकिंग सुविधा के माध्यम से ग्राहक अब एसएमएस/जीपीआरएस कनेक्शन मोड का उपयोग करके अपने हैंडसेट से शेष पूछताछ, खाता विवरणी, मोबाइल रीचार्ज, अंतःबैंक एवं अंतर्बैंक निधि अंतरण जैसी बैंकिंग गतिविधियाँ कर रहे हैं। 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार एम-बैंकिंग यूजरों की संख्या 68.73% की दर्ज वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ 70534 रही जो 31.03.2014 में 41803 थी।

2. कारोबार प्रोफाइल:

बैंक का वैश्विक कारोबार वर्ष 2013-14 के ₹352697 करोड़ की तुलना में वर्ष 2014-15 में बढ़कर ₹366149 करोड़ हो गया जिसमें 3.81% की वृद्धि दर्ज की गई। बैंक का घरेलू कारोबार वर्ष 2013-14 के ₹322959 करोड़ से 2.36% बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹330584 करोड़ हो गया।

बैंक की वैश्विक जमा में वर्ष 2013-14 के ₹199534 करोड़ से 7.42% की वृद्धि हुई और यह वर्ष 2014-15 में ₹214337 करोड़ हो गया। बैंक की घरेलू जमा वर्ष 2013-14 के ₹182730 करोड़ से 5.92% बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹193552 करोड़ हुई।

31.03.2015 को बैंक का वैश्विक अग्रिम ₹151812 करोड़ का था। 31.03.2015 को ही बैंक का घरेलू अग्रिम ₹137031 करोड़ का था। वैश्विक ऋण जमा अनुपात पिछले वर्ष के 76.76 की तुलना में वर्ष 2014-15 में 70.83 रहा।

1.2. Specialized Branches :

As of March, 2015, the Bank had 6 Flagship Corporate branches, 15 Mid- Corporate branches, 23 Service branches, 7 Asset Management branches and one Integrated Treasury Management Branch at Mumbai. The Bank continues to have 29 Retail Loan Hubs and 2 SME Hubs as of 31st March, 2015.

As at the end 31st March, 2015, the Bank had 78 City Back Offices. The Bank has a customer base of about 2.5 crore as on 31st March 2015.

1.3. Alternative Delivery Channels:

1.3.1. The Bank has joined National Financial Switch (NFS) which enables customers to access more number of ATMs across the country. As on 31.3.2015, Bank had 2096 ATMs out of which 1524 were onsite and 572 were offsite. Bank has been issuing VISA and RuPay enabled Debit –cum –ATM cards. Bank has issued 61,12,218 of Debit/ATM cards as on 31.3.2015 as compared to 41,52,965 cards as on March 2014 achieving an increase of 47.18% over the previous year. The bank is issuing Rupay cards under financial inclusion and ATM enabled Kisan Cards linked to KCC accounts.

1.3.2. Internet banking facility is available to customers for utility bill payments, air and rail ticket booking, on line shopping, inter- bank and intra bank fund transfer etc. Bank is also providing services like balance enquiry, account statement, transaction related SMS alerts, payment of indirect taxes, direct taxes and many other banking services. The total e-banking users as on 31.03.2015 are 384524, as against 270228, as on 31.03.2014, registering a Y-O-Y increase of 42.30%.

1.3.3. The Bank has introduced Mobile Banking services during the year 2011-12, whereby customers can take advantage of conducting their banking transactions through mobile phones. Through the mobile banking facility, customers are now performing banking activities like balance enquiry, account statement, mobile recharge, intra & inter-bank funds transfer with their mobile handset using SMS/GPRS modes of connection. M-banking users as on 31.03.2015 are 70534 as against 41803 as on 31.03.2014 recording an increase of 68.73% Y-o-Y.

2. BUSINESS PROFILE:


The global business of the Bank grew from ₹352697 crore in 2013-14 to ₹366149 crore in 2014-15 registering an increase of 3.81%. Bank's domestic Business rose by 2.36% from ₹322959 crore in 2013-14 to ₹330584 crore in 2014-15.

Global deposits of bank grew by 7.42% from ₹199534 crore in 2013-14 to ₹214337 crore in 2014-15. Domestic deposits grew by 5.92% from ₹182730 crore in 2013-14 to ₹193552 crore in 2014-15.

Global advances of the Bank stood at ₹151812 crore as on 31.03.2015. Domestic advances of the bank stood at ₹137031 crore as on 31.03.2015. The global credit deposits ratio stood at 70.83 in 2014-15 as compared to 76.76 last year.

बैंक के विदेशी कारोबार में 19.60% की वृद्धि हुई तथा 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार यह ₹35565 करोड़ का रहा। विदेशी शाखाओं की कुल जमा मार्च, 2014 के ₹16803 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2015 में ₹20784 करोड़ हो गई जिसमें 23.69% की वृद्धि प्रदर्शित हुई।

The overseas business of the bank showed an increase of 19.60% and stood at ₹35565 crore as on 31st march 2015. The total deposits of the overseas branches increased from ₹16803 crore as of March 2014 to ₹20784 crore as of March 2015, there by showing an increase of 23.69%.




कासा जमा:

बैंक की घरेलू कासा जमा 2013-14 के ₹58884 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹62376 करोड़ हो गई जिसमें 5.93% की वृद्धि दर्ज की गई। दिनांक 31.03.2015 को कुल घरेलू जमा में कासा जमा का प्रतिशत 32.23 रहा। बैंक की बचत जमा पिछले वर्ष के ₹33530 करोड़ की तुलना में मार्च, 2015 में ₹36226 करोड़ हो गई जिसमें 8.04% की वृद्धि दर्ज की गई। चालू जमा दिनांक 31 मार्च, 2014 के ₹25353 करोड़ की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2015 को ₹26149 करोड़ रही जिसमें 3.14% की वृद्धि प्रदर्शित हुई।

CASA Deposits:

Domestic CASA deposits of the bank increased from ₹58884 crore in 2013-14 to ₹62376 crore in 2014-15 registering a growth of 5.93%. CASA deposits as a percentage to total domestic deposits stood at 32.23% as of 31.03.2015. The bank's savings deposits reached ₹36226 crore as of March 2015 compared to ₹33530 crore, registering a growth of 8.04%. Current deposits stood at ₹26149 crore as on 31st March 2015 compared to ₹25353 crore as on 31st March, 2014 showing an increase of 3.14%.



3. कर्मचारी उत्पादकता:

बैंक का प्रति कर्मचारी कारोबार 31 मार्च, 2014 के ₹15.28 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2015 में ₹15.51 करोड़ हो गया। दिनांक 31 मार्च, 2015 को प्रति कर्मचारी निवल लाभ ₹4.82 लाख था जबकि दिनांक 31 मार्च, 2014 को यह ₹6.55 लाख था।

4. लाभप्रदता:

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान हुए ₹4940 करोड़ के परिचालन लाभ की तुलना में वर्ष 2014-15 में बैंक ने ₹4910 करोड़ का परिचालन लाभ अर्जित किया। बैंक का निवल लाभ वर्ष 2013-14 के ₹1511 करोड़ की तुलना में वर्ष 2014-15 में ₹1138 करोड़ रहा।

5. आय एवं व्यय:

बैंक की कुल आय में वर्ष 2013-14 के ₹19550 करोड़ से 9.27% वृद्धि दर्ज हुई और 2014-15 में यह ₹21363 करोड़ हो गई। बैंक की ब्याज आय वर्ष 2013-14 के ₹18230 करोड़ से 6.19% बढ़कर 2014-15 में ₹19359 करोड़ हो गई। बैंक की गैर-ब्याज आय में वर्ष 2013-14 के ₹1321 करोड़ से ₹683 करोड़ बढ़कर 2014-15 में ₹2004 करोड़ का सुधार हुआ। बैंक का ब्याज व्यय वर्ष 2013-14 में ₹12171 करोड़ से 13.36% बढ़कर वर्ष 2014-15 को ₹13797 करोड़ हो गया। बैंक का परिचालन व्यय 31 मार्च, 2014 के ₹2439 करोड़ से 8.90% बढ़ा और यह वर्ष 2014-15 में ₹2656 करोड़ हो गया। शुद्ध ब्याज आय में 8.20% की कमी आई तथा यह 2013-14 के ₹6059 करोड़ से 2014-15 में ₹5562 करोड़ हो गया।

6. पूँजी:

2013-14 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की निवल मालियत ₹10284.89 करोड़ से बढ़कर 2014-15 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान ₹11584.58 करोड़ हुई। वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रत्येक ₹10 के 6,08,82,550 इक्विटी शेयर ₹70.21 के मूल्य पर जारी किए हैं जिसकी राशि ₹427.45 करोड़ है।

6.1. पूँजी पर्याप्तता अनुपात:

दिनांक 31.03.2015 को बासेल- III संरचना के अनुसार बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात 12.17% रहा जो 9% की विनियामक आवश्यकता से ज्यादा था। बासेल- III संरचना के अनुसार पूँजी पर्याप्तता का ब्योरा नीचे दर्शाया जा रहा है

विवरण/Particular	31.03.2015		31.03.2014	
	सीआरएआर (%) / CRAR(%)	राशि/Amount	सीआरएआर (%) / CRAR(%)	राशि/Amount
टियर-I/Tier- I	9.05	11431.59	8.71	10157.22
टियर-II/Tier- II	3.12	3944.71	3.97	4627.31
कुल पूँजी/Total Capital	12.17	15376.29	12.68	14784.53
जोखिम भार आस्तियाँ/Risk Weight assets		126980.39	-	116636.78

7. कोष एवं अंतरराष्ट्रीय

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियामक दिशानिर्देशों तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित बैंक की कार्पोरेट निवेश नीति के अनुरूप मैक्रो-इकोनॉमिक परिदृश्य एवं बाजार की गति से कदम से कदम मिलाते हुए बैंक अपने कोष एवं निवेश का परिचालन करता आ रहा है। बदले हुए परिदृश्य में, जहां अत्याधुनिक तकनीक कोष एवं जोखिम प्रबंधन को धारदार बना रहा है, प्रभावी एवं सक्षम तरीके से संसाधन का अधिकतम इस्तेमाल

3. Employee's Productivity

Business per employee of the Bank improved from ₹15.28 crore as on March 31, 2014 to ₹15.51 crore as on 31st March 2015. Net Profit per employee is ₹4.82 lac for the year ended 31 March, 2015 as against ₹6.55 lac as of 31 March, 2014.

4. Profitability:

The Bank earned an operating Profit of ₹4910 crore during the year 2014-15 as against ₹4940 crore during the financial year 2013-14. Net profit of the Bank during 2014-15 is ₹1138 crore against ₹1511 crore during 2013-14.

5. Income and Expenditure:

The Bank's total income registered a growth of 9.27% from ₹19550 crore in 2013-14 to ₹21363 Crore in 2014-15. The Bank's interest income rose by 6.19% from ₹18230 crore in 2013-14 to ₹19359 crore in 2014-15. The non- Interest income of the bank improved by ₹683 crore from ₹1321 crore in 2013-14 to ₹2004 crore in 2014-15. The interest expenditure of the bank increased by 13.36% from ₹12171 crore in 2013-14 to ₹13797 crore as in 2014-15. Operating expenditure of the Bank increased by 8.90% from ₹2439 crore in 2013-14 to ₹2656 crore in 2014-15. Net Interest Income declined by 8.20% from ₹6059 crore in 2013-14 to ₹5562 crore in 2014-15.

6. Capital :

Net worth of the Bank has increased to ₹11584.58 crore during the financial year ending 2014-15 from ₹10284.89 crore in 2013-14. During the year, Bank has issued 6,08,82,550 Equity Shares of ₹10 each at a price of ₹70.21 amounting to ₹427.45 crore to Life Insurance Corporation of India.

6.1. Capital Adequacy Ratio:

As per Basel III framework, the Bank's Capital Adequacy Ratio of 12.17% as at 31.03.2015 was higher than the regulatory requirement of 9%. Details of Capital Adequacy under Basel-III framework are shown as under.

(₹ करोड़ में / in ₹ crore)

7. TREASURY & INTERNATIONAL

Bank has been performing its Treasury & Investment Operations by keeping track of the macroeconomic scenario and market developments in accordance with the regulatory guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time as also the Bank's Corporate Investment Policy approved by the Board of Directors. In the changed scenario, where state of the art technology is providing cutting edge in Treasury & Risk Management, the Bank

करने और निवेश एवं ट्रेडिंग पर आय को अधिकतम बढ़ाने के लिए बैंक ने वैश्विक स्तर पर उपयोगी समेकित कोष प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है।

जोखिम को कम करने और समुचित तुलन पत्र प्रबंधन के लिए बैंक ने ब्याज दर विनिमय लेनदेन प्रारंभ किया है। वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने बाजार की अत्यधिक अस्थिरता अनुभव की और अनेक मुश्किलों के बावजूद अपने निवेश पोर्टफोलियो की आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सका।

वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक के वैश्विक निवेश (सकल) में 2.16% की वृद्धि हुई और यह 31.03.2014 के ₹67769 करोड़ से बढ़कर 31.03.2015 को ₹69231 करोड़ हो गया। घरेलू निवेश में 2.41% की वृद्धि हुई और यह 31.03.2014 के ₹65799 करोड़ से बढ़कर 31.03.2015 को ₹67385 करोड़ हो गया। एसएलआर निवेश ने वर्ष 2014-15 के दौरान 4.43% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹55368 करोड़ के स्तर को छू लिया, जबकि मार्च 2013 में यह ₹53017 करोड़ था। गैर-एसएलआर निवेश (घरेलू) में 5.98% की गिरावट दर्ज की गई और यह ₹12,017 करोड़ के स्तर तक पहुँच गया, जबकि 2013-14 में यह ₹12782 करोड़ था। घरेलू निवेश में आय, जो 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार 7.79% थी, में आंशिक वृद्धि हुई और यह 31.03.2015 को 7.83% दर्ज की गई। कुल निवेश आय 2013-14 के ₹4386 करोड़ की तुलना में 2014-15 में ₹6195 करोड़ थी।

7.1 निर्यात वित्तपोषण:

देश भर में 74 'बी' श्रेणी की शाखाओं के साथ यूको बैंक सक्रिय रूप से निर्यातकों की जरूरतें पूरी करने के लिए कटिबद्ध है। मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक का निर्यात कारोबार ₹111555 करोड़ का था जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.00% अधिक है। 31 मार्च, 2015 की स्थिति में हमारे बैंक का निर्यात ऋण बकाया ₹2707.08 करोड़ है, जिसमें 31 मार्च, 2014 की स्थिति की अपेक्षा 7.45% की वृद्धि दर्ज की गई है।

'यूको बैंक' भारत को किए जानेवाले ईरान के तेल निर्यातों के लिए आईएनआर में भुगतान प्राप्त करने पर सहमति होकर ईरान के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुलभ करानेवाला एकमात्र बैंक है। साथ ही इस रूपया भुगतान प्रणाली के तहत निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए 'यूको बैंक' ने अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 तक संचयी रूप से ₹3408 करोड़ की राशि के 552 बिलों का परिक्रमण किया। 31 मार्च, 2015 की स्थिति में ईरान के साथ व्यापार का निर्यात ऋण बकाया ₹385 करोड़ है।

8. सामाजिक बैंकिंग:

8.1 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम:

बैंक कुछ वर्षों से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने में महत्वपूर्ण कार्य प्रदर्शित करता रहा है और अपनी ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी शाखाओं के विशाल नेटवर्क के द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र को प्रभावी ढंग से सेवाएँ देता रहा है।

दिनांक 31.03.2015 को बैंक के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिम ₹53278 करोड़ के रहे जो समायोजित नेट बैंक ऋण (एएनबीसी) का 36.38% हिस्सा थे।

8.1.1 कृषि को अग्रिम:

बैंक का कुल कृषि अग्रिम ₹19687 करोड़ रहा, जो एएनबीसी का 13.44% हिस्सा है। प्रत्यक्ष कृषि ऋण ₹13092 करोड़ रहा, जो एएनबीसी

has also embarked upon a globally deployable Integrated Treasury Management Solution for an effective and efficient way to optimize resource utilization and maximize returns on investment and trading.

In order to mitigate risk and proper balance sheet management, bank has gone for interest rate swap transactions. During the year 2014-15, Bank has experienced severe market volatility and despite all odds the bank could significantly improve the yield on its Investment portfolio.

The global investments (Gross) of the Bank during the year 2014-15 grew by 2.16% from ₹67769 crore as on 31.03.2014 to ₹69231 crore as on 31.03.2015. The domestic investment grew by 2.41% from ₹65799 crore as on 31.03.2014 to ₹67385 crore as on 31.03.2015. SLR investment registered a growth of 4.43% during the year 2014-15 touching the level of ₹55368 crore compared to ₹53017 crore in March 2014. Non SLR investment (domestic) registered a fall of 5.98% to reach a level of ₹12017 crore from ₹12782 crore in 2013-14. The yield on domestic investment improved marginally from 7.79% as on 31.03.2014 to 7.83 % as on 31.03.2015. Total investment income for 2014-15 stood at ₹6195 crore as against ₹4386 crore in 2013-14.

7.1. Export Finance:

With 74 'B' Category Branches across India, UCO Bank is committed to actively cater to the needs of its Exporters. Total Merchant Turnover of the Bank during the Financial Year ended March, 2015 stood at ₹111555 crore which is 7.00 % higher than previous year. Bank's Export credit outstanding during 31st March, 2015 is ₹2707.08 crore, registering a growth of 7.45% over 31st March, 2014.

'UCO Bank,' is the sole Bank to facilitate bi-lateral trade with Iran by agreeing to receive payment in INR for Iranian oil exports to India. Simultaneously, to boost exports under this Rupee Payment mechanism, 'UCO BANK' negotiated 552 export bills amounting to ₹3408 crore cumulative from April, 2014 to March, 2015. The Export Credit outstanding as of 31st March, 2015 on account of Iran Trade is ₹385 crore.

8. SOCIAL BANKING

8.1. Priority Sector Advances:

The Bank has been showing significant performance in lending to Priority Sector over the years and has been effectively servicing the priority sector and agriculture sector with its vast network of rural and semi-urban branches.

As on 31.03.2015, the Priority Sector Advances of the Bank stood at ₹53278 crore constituting 36.38 % of Adjusted Net Bank Credit (ANBC).

8.1.1. Agriculture Advances:

Total Agriculture Advances of the Bank stood at ₹19687 crore constituting 13.44% of ANBC. Direct Agriculture Credit stood at

का 8.94% हिस्सा है और परोक्ष कृषि ऋण ₹6595 करोड़ रहा जो एनबीसी का 4.50% हिस्सा है। कुल कृषि अग्रिम की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 18.30% थी तथा प्रत्यक्ष कृषि के अंतर्गत 17.25% थी।

8.1.2 सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम (एमएसएमई)

बैंक देश के आर्थिक विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका तथा देश में रोजगार अवसरों को उत्पन्न करने में उससे मिलनेवाले सहयोग को स्वीकारता है। बैंक ने वर्ष 2013-14 के दौरान एमएसएमई क्षेत्र में अच्छी वृद्धि दर्ज की है। दिनांक 31.03.2015 को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम(एमएसई) के तहत अग्रिम ₹25545 करोड़ तथा 31 मार्च, 2015 को सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम (एमएसएमई) के तहत अग्रिम ₹29560 करोड़ के रहे।

8.1.3 कमजोर वर्गों को ऋण :

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कमजोर वर्गों को प्रदान किया गया अग्रिम ₹15186 करोड़ रहा, जो निवल समायोजित बैंक ऋण का 10.37% है। कमजोर वर्गों को अग्रिम की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 6.05% रही।

8.1.4 अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण :

बैंक का कुल अल्पसंख्यक समुदाय अग्रिम ₹8019 करोड़ रहा जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम का 15.05% हिस्सा है।

8.2 अनूठी योजनाएं :

बैंक की दो अनूठी योजनाएँ - (1) "यूको उत्थान" - गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के उत्थान के लिए तथा (2) "यूको समग्र ग्रामीण विकास योजना" समग्र विकास के लिए गाँवों को अपनाता हैं।

8.2.1 यूको उत्थान योजना : गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सामाजिक-सह-वित्तीय उत्थान योजना

योजनांतर्गत जिन गाँवों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार बड़ी संख्या में हैं उनको बैंक अपनी निकटतम शाखा के माध्यम से अपनाता है ताकि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को गरीबी के चंगुल से छुड़ाया जा सके और गाँवों में समग्रतः परिवर्तन लाया जा सके। इस योजना में शिक्षा, ग्रामीण आवास हेतु वित्तपोषण, स्वयंसेवी समूहों का गठन एवं सूक्ष्म वित्तीय, हस्तकला एवं ग्रामीण हस्तशिल्पियों का विकास, डीआरआई योजना के तहत वित्त प्रदान करने जैसे क्षेत्रों को शामिल कर, ग्रामवासियों की एक समग्र विकास योजना बनाकर उस पर कार्यवाई की जाती है।

बैंक ने 10 राज्यों, यानी असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडीशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में यूको उत्थान योजना के तहत 21 गाँवों को अपनाया है।

बैंक ने इन गाँवों में बहुत से वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए हैं और विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को अपनी आजीविका बेहतर बनाने, अपनी आय बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है ताकि वे गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें।

इन प्रयासों से ऐसे गोद लिए गए 21 गाँवों के 2141 गरीबी रेखा से नीचे के परिवार पिछले 3 वर्षों के दौरान बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण सहायता के द्वारा बेहतर ढंग से अपनी आजीविका अर्जित कर गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। ये गरीबी रेखा से नीचे के परिवार डेयरी व्यवसाय, बकरी पालन, पान की खेती, शाक सब्जी उगाना, साइकिल मरम्मत, जूता सिलाने, फल बेचना, किराना दुकान, चाय का स्टॉल लगाना, बीड़ी बनाना, ट्रॉली चलाना, मिस्त्री का कारोबार आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों को अपनाकर आय अर्जन कर रहे हैं।

₹13092 crore constituting 8.94 % of ANBC and Indirect Agriculture Credit stood at ₹6595 crore constituting 4.50% of ANBC. The Y-o-Y growth of total Agriculture Advances is 18.30% and under Direct Agriculture, the growth is 17.25% respectively.

8.1.2. Micro, Small & Medium Enterprises (MSME):

Bank recognizes the important role of MSME in the economic development of the Country and thereby supporting in generating employment opportunities in the Country. The advances under Micro & Small Enterprises (MSE) as on 31.03.2015 stood at ₹25545 crore and under Micro, Small & Medium Enterprises (MSME), the advances are ₹29560 crore as of 31st March, 2015.

8.1.3. Advances to Weaker Sections:

Advances to Weaker Section stood at ₹15186 crore as of 31st March, 2015 constituting 10.37% of Adjusted Net Bank Credit. The Y-o-Y growth of advances to Weaker Sections stood at 6.05%.

8.1.4. Minority Community Advances:

Total Minority Community Advances of the Bank stood at ₹8019 crore constituting 15.05 % of Priority Sector Advances.

8.2. Unique Schemes:

The Bank has two unique schemes - (1) "UCO Uthaan" for upliftment of BPL families of adopted villages & (2) "UCO Samagra Gramin Vikas Yojna" - Adoption of villages for all-round development.

8.2.1. UCO Uthaan Scheme: Social-cum-Financial upliftment scheme for BPL families

Under the Scheme, villages having a large number of BPL families are adopted by the Bank through its nearest branch to bring the BPL families out of the clutches of poverty and bring about a holistic change in the villages. Under the scheme, a holistic development plan of the villagers is drawn and followed up for covering areas like education, financing for rural housing, formation of SHG and micro-financing, development of handicrafts & rural artisans and extending finance under DRI Scheme.

The Bank has adopted 21 villages in 10 states i.e. Assam, Bihar, Gujarat, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh & West Bengal under UCO Uthaan Scheme.

Bank has conducted several financial literacy camps in these villages and has provided financial assistance particularly to BPL families to improve their livelihood, to generate more income so that they come above poverty line.

By these efforts, 2141 BPL families, in these 21 adopted villages, have been provided with credit assistance by Bank to uplift their livelihood in better way during last 3 years. These BPL families are generating their income by adopting several activities like dairy farming, goat farming, betel leaf cultivation, vegetable growing, cycle repairing, shoe mending, fruit vending, grocery shop, tea stall, beedi making, trolley plying, mason jobs etc.

8.2.2 यूको समग्र ग्रामीण विकास योजना : गाँव के समग्र विकास के लिए

बैंक ने 6 राज्यों, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ओडीशा, केरल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 10 गाँवों को उनके समग्र विकास के लिए यूको समग्र ग्रामीण विकास योजना के तहत अपनाया है।

इन गाँवों में बैंक ने ग्रामवासियों को शिक्षित करने के लिए वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए हैं, उन्हें वित्तीय सहयोग दिया है तथा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत विकासात्मक गतिविधियों की भी शुरुआत की है। वित्तीय सहयोग के अंतर्गत बैंक ने छोटे व्यापारियों को जनरल क्रेडिट कार्ड(जीसीसी), हस्तशिल्पियों को आर्टिसन क्रेडिट कार्ड(एसीसी), किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड(केसीसी), स्वयं सहायता समूहों को ऋण, पशुपालन गतिविधियों करने के लिए ऋण, महिला एवं अजा/अजजा लाभार्थियों को ऋण प्रदान किए हैं। कई छोटे व्यापारियों ने बैंक ऋण की सहायता से खुद का कारोबार शुरू कर दिया है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत बैंक ने विभिन्न स्कूलों को सीलिंग पंखे, वाटर प्यूरिफायर, स्कूल के पुस्तकालय के लिए स्टील की अलमारी, किताबें, स्कूली विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफार्म दिए हैं, गाँवों में पीने का पानी के लिए हैंड पंप लगवाने, गाँवों में सड़कों पर सौर लाइट लगवाने, पक्की सड़क बनवाने के काम किए हैं।

बैंक ने उपर्युक्त 10 गाँवों में से दो बैंक सेवा रहित गाँवों के ग्रामवासियों को मोबाइल बैंक के जरिए दरवाजे पर बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान की हैं। यह बैंक सप्ताह के दौरान किसी पूर्व निर्धारित दिन और समय पर इन दो गाँवों में आती है और ग्रामवासियों को उनके दरवाजे पर सभी तरह की बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इस पहल के कारण ग्रामवासियों की बचत करने की आदत में इज़ाफा हुआ है। इन बैंकों के माध्यम से ग्रामवासी वित्तीय रूप से शिक्षित भी हो रहे हैं।

इन गतिविधियों से अपनाए गए गाँवों में समग्रतः विकास हो रहा है और ग्रामवासियों को भरपूर लाभ मिल रहा है।

8.3 बैंक द्वारा जीते गए पुरस्कार

चालू वर्ष में यूको बैंक को चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में निम्नलिखित क्षेत्रों में सर्वोत्तम बैंक का पुरस्कार दिया गया:

- परिचालनगत कार्य-निष्पादन के लिए सर्वोत्तम बैंक - विजेता
- तकनीक-प्रिय सर्वोत्तम बैंक - उप विजेता

यूको बैंक को वर्ष 2013-14 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में वाणिज्यिक बैंक श्रेणी के तहत नाबार्ड के स्थापना दिवस 12.07.2014 की पूर्व संध्या को स्वयं सहायता समूहों को प्रदत्त "अधिकतम औसत ऋण" के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

यूको बैंक को वित्तीय समावेशन 2014 हेतु बैंकिंग उत्तमता एवं गहरी पैठ कायम करने के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है।

9. वित्तीय समावेशन:

वित्तीय समावेशन देश की वृहत एवं सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के लिए देश की एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका उद्देश्य वंचित जनता को संरचनागत बैंकिंग प्रणाली की छत्र-छाया में लाना तथा उधार देनेवाले साहूकारों की बेईमानी को समाप्त करना है। अपने विशाल कार्यक्षेत्र में वित्तीय समावेशन गरीबी को कम करने, आय की विषमताओं में कमी लाने और आर्थिक संवृद्धि को

8.2.2. UCO Samagra Gramin Vikas Yojna : For all-round development of villages

The Bank has adopted 10 villages in 6 states i.e. Gujarat, Himachal Pradesh, Odisha, Kerala, Uttar Pradesh & West Bengal for all-round development of these villages under UCO Samagra Gramin Vikas Yojna.

In these villages, the Bank has conducted financial literacy camps to educate the villagers, extended financial support to them and has also initiated developmental activities under Corporate Social Responsibility. Under financial assistance, the Bank has given General Credit Cards (GCC) to small traders, Artisan Credit Cards (ACC) to artisans, Kisan Credit Cards (KCC) to farmers, loans to SHGs, loans for doing animal husbandry activities, loans to women & SC/ST beneficiaries. Many small traders have started their own business with the support of Bank loan. Through CSR activities the Bank has given Ceiling Fans, Water purifiers to different schools, Steel Almirahs, Books for school library, School uniform to school going children, installed of hand pumps for drinking water in the villages, installed Solar street lights in the villages, constructed of metallic road.

In two villages, out of above 10 villages, the Bank has provided doorstep banking facilities to the villagers of these unbanked villages through Mobile Van. The Van visits these two villages on a predetermined day and time during the week and provides all types of banking facilities to the villagers at their doorstep. There has been increase in the saving habits of the villagers due to this initiative. Through these vans, villagers are also being financially educated.

By these activities, there is an all-round development in the adopted villages and the villagers are very much benefitted.

8.3. Awards to Bank:

UCO Bank was awarded during the current year the Best Bank Award by the Chamber of Indian Micro, Small & Medium Enterprises in a function held in New Delhi for the year ended 2014 under the below mentioned categories:

- Best Bank Award for Operational Performance- Winner
- Best Bank Award for Tech Savvy- Runner Up

UCO Bank bagged the 1st prize for "Highest average loan" to SHGs in West Bengal State during the year 2013-14 under Commercial Banks category on the eve of celebration of NABARD Foundation Day on 12.07.14.

UCO Bank received prestigious SKOCH AWARD for Excellence in Banking in "Financial Inclusion and Deepening 2014".

9.FINANCIAL INCLUSION:

Financial Inclusion is a vital project for the macro and micro economy of the country which is intended to bring the excluded masses under the umbrella of structured banking system and eliminate the dishonest practices of money lenders. Financial inclusion by its wider scope plays a critical role in poverty eradication, reducing income disparities and enhancing economic

बढ़ाने में खासी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समावेशन को विशाल भूमिका को देखते हुए भारत सरकार ने 28 अगस्त, 2014 को "प्रधानमंत्री जन धन योजना" नामक व्यापक वित्तीय समावेशन योजना का शुभारंभ किया। शुभारंभ के दिन ही यूको बैंक ने इस योजना में 6 लाख से भी अधिक खातों का योगदान किया। हमारे बैंक को दिया गया खाते खोलने का लक्ष्य 26 जनवरी, 2015 से काफी पहले ही प्राप्त कर लिया गया है।

परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए बैंक ने निम्नांकित मॉडल अपनाए हैं:

- बैंकिंग सेवारहित एवं अल्प बैंकिंग सुविधाओं से युक्त स्थानों/ग्रामों/ग्राम पंचायतों में पारंपरिक शाखाओं के माध्यम से,
- कारपोरेट कारोबार प्रतिनिधि (कारपोरेट बीसी) के माध्यम से: वर्तमान में बैंक के पास एंड-टू-एंड समाधान के लिए 4 कारपोरेट बीसी हैं - मेसर्स एचसीएल, मेसर्स जेनपैक्ट इंडिया लि., मेसर्स टीसीएस और मेसर्स फीनो।
- बैंक ऑन व्हील: बैंक ने 132 बैंकिंग सेवारहित गांवों में सेवाएं देने के लिए 24 मोबाइल वैन काम पर लगाई हैं।
- कियोस्क मॉडल (यूको समावेशन सारथी) - सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) ई-गवर्नेंस के वीएलई (ग्रामस्तरीय उद्यमियों) के माध्यम से,
- वैयक्तिक बीसी: सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी आदि।

9.1 बैंक को आबंटित गांवों का कवरेज और प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत खोले गए खाते:

पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 44.87 लाख खाते खोले गए हैं जिनमें ₹604.42 करोड़ की राशि आई है। इसके अलावा 52.12 लाख परिवारों को दायरे में लेनेवाले 17102 गांव हमारे बैंक को आबंटित किए गए हैं और उनमें प्रति परिवार कम से कम एक बैंक खाते का लक्ष्य प्रदान किया गया है। यह लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है।

9.2 वित्तीय समावेशन को कार्यान्वित करने के लिए नई पहल:

9.2.1 एफआई गेटवे का कार्यान्वयन -

बैंक ने अपने स्वयं के एफआई गेटवे एवं सेंट्रल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सर्वर के कार्यान्वयन के लिए मेसर्स फीनो पेटेक को सेवाप्रदाता बनाया है। इस सॉल्यूशन ने बैंक को लक्ष्य प्राप्त करने में इस प्रकार सहायता की: क) सेंट्रल बायो-ऑथ लेन-देन, जहां लेन देन के लिए स्मार्ट कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी ख) आधार समर्थित भुगतान प्रणाली, तथा ग) जैवमितीय डी-डुप्लीकेशन- जहां एक ही ग्राहक के दोबारा नामांकन से बचा जा सकेगा।

9.2.2. वेब आधारित कियोस्क बैंकिंग सॉल्यूशन- "यूको समावेशन सारथी" नाम से ज्ञात यह कियोस्क बीसी एजेंटों तथा कॉमन सर्विस सेंटर(सीएससी) के ग्रामस्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के इस्तेमाल के लिए अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया गया है।

9.3. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) एवं एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष अंतरण (डीबीटीएल):

बैंक ने संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चयनित 121 जिलों में से 117 जिलों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सरल सहज परिस्थापना के लिए बहुत से कदम उठाए हैं।

growth. Envisaging the greater role of inclusion, Govt of India launched a comprehensive Financial Inclusion Plan "Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna" on 28th August 2014. UCO Bank contributed with more than 6 lakh accounts on the launch date. Account opening target allotted to our Bank has been achieved well before 26th January 2015.

Bank has adopted following models for implementation of the project:

- Through Brick & Mortar Branches in the unbanked and under banked locations/villages/Gram Panchayats
- Through Corporate Business Correspondents (Corporate BCs): Bank has at present 4 Corporate BCs - M/S HCL, M/S Genpact India Ltd., M/S TCS & M/S FINO for end to end solution.
- Bank on wheel: Bank has deployed 24 Mobile Vans to cover 132 unbanked villages.
- Kiosk Model (UCO Samaveshan Sarathi) through VLEs (Village Level Entrepreneurs) of CSC (Common Service Centre) e-governance.
- Through Individual BCs who include: Retired teachers, Retired Bank employees, Retired Government employees etc.

9.1. Coverage of villages allotted to Bank & Accounts opened under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY):

44.87 Lac accounts have been opened under PMJDY bringing in deposit of ₹604.42 Crore. Further, 17102 villages encompassing 52.12 Lac households are allotted to our bank with the target of achieving at least one bank account per household, and the target had been successfully accomplished.

9.2.New initiatives for implementation of Financial Inclusion:

9.2.1. Implementation of FI Gateway -

Bank engaged M/s FINO Paytech as service provider for implementation of its own FI Gateway & Central Biometric Authentication Server. This solution helped Bank in achieving a) Central Bio-Auth Transaction where Smart card is no more mandatory to do transactions b) Aadhaar Enabled Payment System and c) Biometric De-Duplication whereby enrolment of the same customer twice will be avoided.

9.2.2. Web based Kiosk Banking Solution named as "UCO Samaveshan Sarathi" has been rolled over on pan India basis for the use of BC agents and Village Level Entrepreneur(VLE) of Common Services Centre (CSC).

9.3. Direct Benefit transfer (DBT) and Direct Benefit Transfer for LPG (DBTL):

Bank has taken number of steps for smooth roll out of Direct benefit Transfer in 117 districts out of 121 districts identified for implementation of the schemes.

01.01.2015 से 31.03.2015 के बीच ₹17506 लाख की राशि की एलपीजी सब्सिडी 4999388 लाभार्थियों(आधार नंबर के माध्यम से 2681787 एवं खाता संख्या के माध्यम से 2317601 लाभार्थी) के खातों में जमा की गई है।

10. रिटेल बैंकिंग:

10.1. रिटेल देयता संविभाग

देयता संविभाग के अंतर्गत बैंक ने यूको हजार मीयादी जमा योजना नामक विशेष मीयादी जमा योजना आरंभ की, जिसमें समय से पूर्व खाता बंद कराने पर दंड राशि की भी छूट दी गई ताकि ₹5 करोड़ से कम की जमा राशि अधिक से अधिक परिमाण में आकर्षित की जा सके।

बैंक द्वारा दिनांक 10.07.2014 को "यूको बचत दिवस" का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत एक ही दिन में 1.50 लाख बचत खाते खोल कर 22 करोड़ की राशि जुटाई गई।

दिनांक 12 से 14 जनवरी, 2015 के बीच आवर्ती जमा योजना के अंतर्गत "यूको सौभाग्य" अभियान आयोजित किया गया जिसमें 62548 खातों में ₹22.42 करोड़ जुटाए गए।

बैंक ने 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों एवं अवयस्कों के लिए "यूको स्मार्ट किड्स" नामक विशेष बचत योजना प्रारंभ की जिसमें एटीएम कार्ड, ई-बैंकिंग सुविधा आदि जैसी विशेषताएं हैं।

बैंक ने भुगतान गेटवे, यथा सीसी एवेन्यू, पे यू, डाइरेक्पे,ईवीएस, सिट्रस एवं पेटीएम के साथ गठजोड़ कायम किया है जो 30000 से अधिक वेबसाइटों पर हमारे नेट बैंकिंग यूजरों को सीधी नामे सुविधा प्रदान करेंगे। goibibo.com के साथ गठजोड़ भी किया गया है जिसके तहत हमारे ग्राहकों को बैंक के डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कर गोईबीबो की वेबसाइट के जरिए की जानेवाली घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों एवं होटलों की बुकिंग पर छूट दी जा रही है।

बैंक के वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों के प्रति ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए लॉयल्टी रिवाइर्स कार्यक्रम शुरु किया है।

रिटेल कारोबार जुटाने हेतु पीएसयू/सरकारी विभागों/कोषों आदि के साथ गठजोड़ की देख-रेख करने के लिए कारपोरेट कार्यालय में मार्केटिंग सेल की स्थापना की गई है। कोलकाता अंचल में देयता प्रोसेसिंग सेल (एलपीसी) को शुरु किया गया ताकि केन्द्रीयकृत रूप से खाते खोले जा सकें। बैंक ने लिखत की खरीद और विप्रेषण के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के चालू खाते का परिचालन करने के लिए दिनांक 27.02.2015 को एलआईसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

हमारे वर्तमान यूको सुविधा सैलेरी एवं यूको केयर चालू खाते में और विशेषताएं जोड़ी गई हैं।

10.2 योजनापरक रिटेल ऋणदान

आस्तित्व संविभाग के अंतर्गत बैंक ने नई ऋण योजना यूको यात्रा प्रारंभ की है जो हमारे उन वर्तमान ग्राहकों के यात्रा प्रयोजनों के लिए है जिन्होंने हमारे बैंक के पास संपत्ति बंधक रखी है तथा एक अन्य योजना उच्चतम न्यायालय के वकीलों द्वारा पुस्तकें खरीदे जाने की योजना।

बैंक ने यूको आवास ऋण योजना, यूको पेंशन ऋण योजना, यूको संपत्ति ऋण जैसे अपने मौजूदा रिटेल परिसंपत्ति उत्पादों को संशोधित किया है ताकि उन्हें और अधिक ग्राहक अनुकूल तथा बाजार मांग के अनुरूप ढाला जा सके।

From 01.01.2015 to 31.03.2015 LPG subsidy has been credited for 4999388 beneficiaries (2681787 beneficiaries through Aadhaar number & 2317601 beneficiaries through account number) amounting to ₹17506 lakh.

10. RETAIL BANKING:

10.1. RETAIL LIABILITY PORTFOLIO

Under Liability portfolio, Bank had launched special term deposit scheme UCO THOUSAND FIXED DEPOSIT SCHEME with waiver of penalty on premature closure to boost growth of term deposits (<₹ 5 crore)

"UCO Savings Day" was observed on 10.07.2014 thereby mobilizing business of ₹22 crore by opening about 1.50 lac Saving Accounts in a single day.

"UCO Sowbhagya" campaign for Recurring Deposit Accounts was launched from 12 to 14 January 2015 mobilizing ₹22.42 Cr in 62548 accounts.

Bank also launched a special saving scheme for Minors above 10 years of age named "UCO Smart Kids" with ATM Card, E-Banking facility etc.

Bank has tied up with Payment Gateways such as CC Avenue, Pay U, Direcpay, EBS, Citrus and Paytm providing direct debit facility to our net banking users over 30000 websites. A tie up with goibibo.com has also been made by which our customers get discounts for booking their journey tickets and hotel accommodation through goibibo website using bank's debit card/ internet banking.

Bank has introduced Loyalty Rewards Program for our customers for encouraging and promoting Bank's Alternate Delivery Channels.

Marketing Cell has been set up at Corporate Office for looking after the tie-ups with PSU/Govt. departments/Treasuries etc., for mobilizing retail business. Liability processing Cell (LPC) was introduced in the Kolkata zone for centralized account opening. Bank has signed an agreement with LIC on 27.02.2015 for maintaining and operating Current account of LIC to purchase instruments and for remittances.

Improvements were made in the features of our existing UCO Suidha Salary Account and UCO Care Current Account.

10.2. SCHEMATIC RETAIL LENDING

Under Asset portfolio, the Bank has launched new loan scheme, UCO Yatra for travelling purpose to our existing borrowers having property Mortgaged in favour of our Bank and another scheme for purchasing books by Lawyers practicing in Supreme Court.

Bank has modified existing retail asset products such as UCO Home loan Scheme, UCO Pension Loan scheme, UCO Property Loan to make it customer friendly and in line with market demand.

वर्ष के दौरान दो बार यूको होम लोन अभियान चलाया गया। इसमें 7469 आवेदकों को कुल ₹1215 करोड़ का ऋण संस्वीकृत हुआ। इस प्रकार दिसंबर, 2014 को समाप्त हुए 9 महीनों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त बैंकों में हमारे बैंक ने सर्वाधिक 35.49% की समृद्धि दर प्राप्त की। दिनांक 03.12.2014 से आवास, कार तथा शिक्षा ऋणों के लिए ऑनलाइन आवेदन मॉड्यूल में प्रयोक्ता अनुकूल परिवर्तन लाकर उसे पूरी तरह बदल दिया गया।

Bankbazaar.com के माध्यम से ऑनलाइन लीड जनरेशन सक्रिय किया गया तथा वर्ष के दौरान यूको होम ऋण तथा यूको कार ऋण के लिए “ग्रैंड फेस्टिव ऑफर” देकर प्रक्रिया शुल्क में 100% की छूट उपलब्ध कराई गई।

दिनांक 08.12.2014 से 20.12.2014 तक स्वर्ण ऋण अभियान चलाया गया और ₹115 करोड़ का ऋण संस्वीकृत किया गया।

11. पैराबैंकिंग

बैंक जीवन बीमा के लिए अगस्त, 2003 से भारतीय जीवन बीमा निगम का कारपोरेट एजेंट है।

सामूहिक ऋण जीवन बीमा के क्षेत्र में बैंक कोटक महिंद्रा, पूर्व में म्यूच्युअल लाइफ इंश्योरेंस लि. के साथ गठजोड़ कर इन उधारकर्ताओं के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान कर रहा है: क) जुलाई, 2009 से शिक्षा ऋण उधारकर्ता ख) अगस्त 2013 से आवास ऋण उधारकर्ता और ग) अगस्त, 2013 से यूको केश, यूको टू व्हीलर, यूको कार, यूको डॉक्टर तथा यूको प्रॉपर्टीज के उधारकर्ता।

गैर-जीवन बीमा के क्षेत्र में बैंक सितंबर, 2009 से रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.(आरजीआईसीएल) का कारपोरेट एजेंट है।

इसके अतिरिक्त तीन और बीमा उत्पाद हैं यथा 'यूको गृह रक्षा पालिसी' यूको गृह रक्षा प्लस 'रिलायंस हेल्दी फेमिली पालिसी'। इनके द्वारा आवासीय संपत्ति, ऋण की चुकौती, विभिन्न परिस्थितियों में उधारकर्ताओं/ग्राहकों के चिकित्सा खर्च को कवर किया जाता है।

म्यूचुअल फंड कारोबार के क्षेत्र में, फ्रैंकलिन टेंपलटन, आइसीआईसीआई प्रुडेंशियल, कोटक, रिलायंस, यूटीआई, बिड़ला सन लाइफ, बड़ौदा पायनियर एवं एसबीआई म्यूचुअल फंड जैसे देश के आठ प्रतिष्ठित म्यूचुअल फंड हाउसों के साथ वितरण टाइ-अप संबंध जारी है।

12. वसूली:

पिछले दो-तीन वर्षों से बैंकिंग उद्योग में अनर्जक आस्ति (एनपीए) के बढ़ते चलन से बैंक चिंतित है। हमारा सकल एनपीए स्तर मार्च, 2014 के 4.32% से बढ़कर मार्च, 2015 में 6.76% हो गया है और इसी प्रकार जीएनपीए की मात्रा भी क्रमशः ₹6621.37 करोड़ से बढ़ कर ₹10265.05 करोड़ हो गई है। एनएनपीए भी पिछले वर्ष के 2.38% से बढ़कर इस वर्ष 4.30% हो गया। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ₹7551.31 करोड़ नई अनर्जक आस्ति में शामिल हो गया जिसमें काफी संख्या में पावर, स्टील तथा सड़क क्षेत्र के पुनर्संरचित खाते हैं। इसके अतिरिक्त संकटग्रस्त आस्तियों की वसूली में भी गिरावट देखी गई और बैंक पिछले वर्ष के ₹1869.06 करोड़ की तुलना में इस वर्ष मात्र ₹483.77 करोड़ की अनर्जक आस्ति ही एआरसी कंपनियों को विक्रय कर पाया। इन सब घटकों के कारण चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जीएनपीए/एनएनपीए प्रतिशत में तेज वृद्धि हुई। इसलिए अपनी आस्ति की गुणवत्ता को बनाए रखना एवं खराब ऋण की वसूली करना बैंक के लिए चिंता का प्रमुख विषय है।

UCO HOME Loan Campaign was launched twice during the year sanctioning a total of ₹1215 crores to 7469 applicants and achieving highest percentage growth of 35.49% during 9 months ended December, 2014 among all PSU Banks.

Online loan application module for Home, Car and Education loans has been completely revamped with user friendly changes wef 03.12.2014.

Online Lead Generation through Bankbazaar.com was enabled and also Grand Festive Offer waiving 100% process fee was introduced during the year for UCO Home Loan and UCO Car Loan.

Gold Loan campaign was launched from 08.12.2014 to 20.12.2014 sanctioning a total loan of ₹115 Cr.

11. PARABANKING

For Life Insurance, Bank is the Corporate Agent of Life Insurance Corporation of India since August 2003.

In Group Credit Life Insurance, bank has tied up with Kotak Mahindra Old Mutual Life Insurance Ltd providing insurance cover to a) Educational Loan Borrowers since July 2009, b) Home Loan Borrowers since August 2013 and c) UCO Cash, UCO Two Wheeler, UCO Car, UCO Doctor and UCO Properties Borrowers since August 2013.

For Non-Life Insurance, Bank is the Corporate Agent of Reliance General Insurance Company Ltd. (RGICL), from September 2009.

Besides, there are three other insurance products viz. 'UCO Griha Raksha Policy' 'UCO Griha Raksha Plus' 'Reliance Healthy Family Policy' to cover the house property, to cover the repayment of loan, to cover the medical expenses of our borrowers/customers under various circumstances.

In Mutual Fund Business, Bank continues its distributorship tie-up relation with eight Mutual Fund Houses of good repute Viz. Franklin Templeton, ICICI Prudential, Kotak, Reliance, UTI, Birla Sun Life, Baroda Pioneer and SBI Mutual Fund.

12. RECOVERY:

The increasing trend of NPAs in the Banking Industry over last two-three years has become a concern to the banks. Gross NPA level has inflated from 4.32% in March 2014 to 6.76% in March 2015 and respectively the quantum of GNPA's has increased from ₹6621.37 crore to ₹10265.05 crore. The NNPA percentage rose to 4.30% from 2.38% of previous year. During the FY 2014-15 the bank has witnessed fresh slippages of ₹7551.31 crore which includes substantial number of restructured accounts particularly in power, steel and road sectors. In addition a downward trend in recovery of stressed assets compared to previous year is observed and the bank could offload NPAs of only ₹483.77 crore to ARCs against ₹1869.06 crore in the previous year. All these factors attributed to a sharp rise in GNPA/NNPA percentage in the current Financial Year. Therefore maintaining Bank's asset quality and recovery of bad debts are the prime concern of Bank.

12.1 वसूली कार्यनिष्पादन:

बैंक वित्तीय वर्ष 2014-15 के स्टेटमेंट ऑफ इंटेन्ट (एसओआई) में अनुमोदित एनपीए एवं हानि आस्तियों, दोनों के वसूली लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा (एसओआई के लक्ष्य ₹2400 करोड़ की तुलना में ₹2506 करोड़ की एनपीए वसूली एवं लक्ष्य ₹150 करोड़ की तुलना में ₹189 करोड़ की हानि आस्तित की वसूली) फिर भी वर्ष 2014-15 का वसूली कार्यनिष्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कमजोर है। वसूली में कमी होने के मुख्य कारण वस्तुतः वैश्विक मंदी के साथ-साथ पावर, स्टील एवं सड़क परियोजनाओं में लगातार जारी आर्थिक शिथिलता, एआरसी कंपनियों को अनर्जक आस्तित का विक्रय करने में आ रही समस्याएं, बड़े उधार खातों में कम संख्या में हुए एकबार निपटान(ओटीएस) आदि हैं।

कार्रवाई के सभी स्तरों पर संशोधित समझौता निपटान योजना, सरफेसी अधिनियम, डीआरटी एवं लोक अदालत आदि का लाभ उठाने के लिए बैंक का वसूली तंत्र भी पूरी तरह तैयार है। देशव्यापी स्तर पर बड़े वसूली कैंप, रोड शो, एमएओ अभियान, इच्छुक चूककर्ताओं की घोषणा आदि द्वारा वसूली में तेजी लाने के प्रयास किए गए। अंचल कार्यालय स्तर पर कॉल सेंटरों के गठन तथा अन्य सभी कार्यनीतियों के फलस्वरूप संकटग्रस्त खातों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई में मजबूती आई है।

12.1. Recovery Performance:

The Bank is able to surpass both recovery target for NPA and Loss Assets as approved in Statement of Intent (SOI) for the FY 2014-15 (NPA recovery of ₹2506 crore against SOI target of ₹2400 crore and recovery in Loss assets is ₹189 crore against ₹150 crore). However, recovery performance of 2014-15 is sluggish as compared to previous year. The main reason for declining recovery is global recession coupled with continued economic slowdown particularly in Power, Steel and Road Projects, problems in offloading Non Performing Loan assets to ARCs, less number of OTS in large borrowal accounts etc.

Bank's recovery mechanism is also geared up at all levels of functioning to take advantage of modified compromise settlement scheme, SARFAESI Act, the DRTs and LokAdalat. Country-wide mega recovery camps, Road shows, MAO campaign, declaration of willful defaulter etc. were organized for speedy recovery. All other strategies and action of setting up call centers at Zonal Offices have also strengthened the follow up mechanism in stressed accounts.

विगत तीन वर्षों के लिए नकद वसूली तथा कोटि उन्नयन के ब्यारे निम्नलिखित हैं :

The details of Cash Recovery and up gradation for the last three Years are as under :

(₹ करोड़ में / In ₹ Crores)

विवरण Particulars	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015
नकद वसूली/Cash Recovery	828	2015	1629
कोटि उन्नयन/Up gradation	673	1032	877
कुल /Total	1501	3047	2506
हानिगत आस्तियों में वसूली (एमएल एवं तकनीकी रूप से बड़े खाते डाले गए खाते) Recovery in Loss Assets (ML & Tech W/off accounts)	117	295	189

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के ₹3047 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कुल नकदी वसूली + अपग्रेडेशन ₹2506 करोड़ का है। हानि आस्तियों (बड़ा-खाता डाले गए खातों) में वसूली पिछले वर्ष के ₹295 करोड़ की तुलना में मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹189 करोड़ है।

The total cash recovery plus upgradation for the year ended 31st March, 2015 is ₹2506 crores as against ₹3047 crores for the year ended 31st March, 2014. The recovery in loss assets(written off accounts) is ₹189 crores for the year ending March, 2015 compared to ₹295 crore for the previous year.

हानि आस्तित में वसूली होने से लाभप्रदता पर उसका सीधा असर पड़ता है और इसे देखते हुए बैंक ऐसे खातों में वसूली के लिए इसकी निगरानी/ अनुवर्ती कार्रवाई को प्राथमिकता दे रहा है। हानि आस्तित के साथ-साथ तकनीकी रूप से बड़ा-खाता डाले गए खातों में वसूली के लिए बैंक में अलग प्रकोष्ठ लगातार मानीटरिंग कर रहा है। किंतु, वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान हानि आस्तितों में वसूली में कमी आई है क्योंकि एआरसी को एनपीए की बिक्री पिछले वर्ष के स्तर तक नहीं की जा सकी।

Recovery in loss assets has a direct bearing on the profitability and the bank is giving priority in monitoring / follow-up for recovery in such accounts. A separate vertical in the bank is monitoring consistently for recovery in loss assets including technically written off accounts. However, recovery of loss assets is low during FY 2014-15 as sale of NPA to ARCs could not be matched up to the level as of last year.

13. ऋण मानीटरिंग

संपूर्ण विश्व में लगातार चल रही आर्थिक मंदी के कारण बैंकों के लिए आस्तित की गुणवत्ता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। इसे भांप कर बैंक ने चुनौती का सामना करने के लिए नियमित आधार पर संकटग्रस्त

13. CREDIT MONITORING

In the scenario of continued sluggish economy prevailing world over, maintaining the quality of asset has become increasingly challenging for bankers. Realizing this, bank has drawn up an action plan to meet the challenge by deploying required personnel

खातों की मानीटरिंग सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक स्टाफ को पदस्थापित भी किया है। अनुवर्ती कार्रवाई पर अपेक्षित फल प्राप्त करने के लिए श्रेणीयुक्त मानीटरिंग प्रणाली लागू की गई है। संकटग्रस्त/एसडब्ल्यूआर खातों पर रिपोर्ट जनरेशन के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम रूप से उपयोग किया जा रहा है तथा उस रिपोर्ट को कार्यस्थल पर सक्रिय अधिकारियों को उपलब्ध कराकर उनके वसूली प्रयास को प्रभावी बनाया जा रहा है। प्रौद्योगिकी के उपयोग से ईएमआइ के भुगतान हेतु एसएमएस अलर्ट भेजा रहा है। इसी प्रकार, ईएमआइ की वसूली हेतु अधिकतम खातों में ईसीएस डेबिट अधिदेश की सुविधा चालू कर दी गई है। उधारकर्ताओं से सहज संपर्क बनाने के लिए अंचल कार्यालय स्तर पर कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं।

वर्ष 2014-15 के दौरान संशोधित ऋण लेखापरीक्षा नीति को निदेशक मंडल ने अनुमोदित कर दिया। इसका संशोधित ऋण लेखापरीक्षा फॉर्मेट आसन्न चेतावनी संकेत विषयक सूचना प्राप्त करने में सक्षम है जिसकी सहायता से मानीटरिंग प्राधिकारी ऋण खातों में गिरावट को रोकने हेतु आवश्यक उपाय कर सकते हैं।

संकटग्रस्त खातों पर अनुवर्ती कार्रवाई पर विशेष जोर देते हुए कार्यक्षेत्र के अधिकारियों की जानकारी बढ़ाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

₹5.00 करोड़ एवं उससे अधिक पैनवार एक्सपोजरवाले उधारकर्ताओं के सीआरआइएलसी एवं एसएमए पर भारतीय रिजर्व बैंक को समयबद्ध रिपोर्टिंग करने के लिए उचित प्रणाली चालू कर दी गई है। आरबीआइ दिशानिर्देश के आधार पर सहयोग न करने वाले उधारकर्ताओं की पहचान करने की प्रणाली कार्य कर रही है।

14. जोखिम प्रबंधन

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में कुछ नई पहल की हैं। बैंक द्वारा ₹एक करोड़ तक के सभी रिटेल, एमएसई एवं कृषि ऋण के लिए एक नया स्कोर कार्ड मॉडल अपने द्वारा बनाया एवं कार्यान्वित किया है। बड़े अग्रिम खातों पर लागू रेटिंग माडलों को भी सुधारा गया है। बासेल III अपनाने के लिए नकद कवरेज अनुपात एवं लीवरेज अनुपात की गणना प्रारंभ कर दी गई है। बैंक ने परिचालन जोखिम के तहत संपूर्ण देश में समस्त भौगोलिकताओं एवं कारोबार प्रवृत्तियों को शामिल कर आरसीएसए (जोखिम नियंत्रण का स्व मूल्यांकन) लागू कर दिया है। कॉरडेक्स से आंकड़े प्राप्त लेने के लिए उसकी सदस्यता ले ली गई है। अंचल कार्यालय के जोखिम प्रबंधन अधिकारियों तथा कुछ शाखा कार्मिकों को बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया है।

15. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

यूको बैंक द्वारा दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, यथा बिहार में बिहार ग्रामीण बैंक (बीजीबी) एवं पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक (पीबीजीबी) को प्रायोजित किया है। दिनांक 31.03.2015 को दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल 531 शाखाएं हैं।

15.1 क्षे.ग्रा. बैंकों की पूंजी की स्थिति

दिनांक 31.03.2015 को पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी संरचना ₹154.51 करोड़ (भारत सरकार), ₹108.16 करोड़ (यूको) और ₹46.35 करोड़ (पश्चिम बंगाल राज्य सरकार) की रही। इसी प्रकार, बिहार ग्रामीण बैंक में यह ₹109.08 करोड़ (भारत सरकार), ₹76.35 करोड़ (यूको) और ₹32.72 करोड़ (बिहार राज्य सरकार) रही।

in order to ensure monitoring of stressed accounts on regular basis. The Graded system of monitoring has been introduced to have the desired effect of follow up action. Technology has been made use to the maximum extent in generation of reports on stressed / SWR accounts and making them available to the field level functionaries to supplement their recovery efforts. SMS alert for payment of EMLs is sent through effective use of technology. Similarly for recovery of EMLs, ECS debit mandate has been introduced in maximum number of retail loans. Call centers are set up at the Zonal Office level to reach out to the borrowers.

The revised Credit Audit Policy has been approved by the Board during the year 2014 - 15, with amended Credit Audit format which is capable of capturing information on early warning signals thereby helping the monitoring authorities to take the required measures in arresting the slippages in loans.

Workshops were organized for the benefit of field level functionaries with special emphasis on follow up of stressed accounts.

Proper mechanism is put in place for timely reporting to RBI on CRILC and SMA on borrowers having PAN wise exposure of ₹5.00 Cr and above. Framework for identification of non-cooperative borrowers, based on RBI guidelines is in place.

14. RISK MANAGEMENT

During the financial year 2014-15 Bank has taken some new initiatives in the area of risk management. A new score card model for all Retail, MSE and Agriculture loans up to ₹one crore has been developed in house and implemented. Improvement has been done in our existing Rating Models for large advances. Calculation of Liquidity coverage ratio and leverage ratios have been started for adopting Basel III. Under Operational Risk, bank has rolled out RCSA(Risk Controlled Self Assessment) across the country covering all geographies and business lines. Membership of CORDEX for accessing data has been obtained. Bank has imparted training to Zonal Risk officers and some branch officials for Operational Risk Management.

15. Regional Rural Banks (RRBs)

UCO bank has sponsored two RRBs namely, Bihar Gramin Bank (BGB) in Bihar and Paschim Banga Gramin Bank (PBGB) in West Bengal. The RRBs have a total of 531 branches as on 31.03.2015.

15.1. Capital position of RRBs

The total capital composition of Paschim Banga Gramin Bank as on 31.03.2015 stood at ₹154.51 Cr (Govt. of India), ₹108.16 Cr (UCO) & ₹46.35 Cr (West Bengal State Govt.). Similarly, for Bihar Gramin Bank, it stood at ₹109.08 Cr (Govt. of India), ₹76.35 Cr (UCO) & ₹32.72 Cr (Bihar State Govt.)

15.2 क्षेत्रीय कार्यानिष्पादन (गैर-लेखापरीक्षित)

पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 8.86% और 20.12% की वृद्धि दर्ज करते हुए दिनांक 31.03.2015 के अनुसार कुल जमा एवं अग्रिम ₹6798 करोड़ और ₹4113 करोड़ रहे। सीडी अनुपात 54.83% से बढ़कर 60.50% हो गया। सकल अनर्जक आस्तियां दिनांक 31.03.2014 के ₹154.55 करोड़ की तुलना में ₹165.84 करोड़ रहीं। सकल अग्रिम पर सकल अनर्जक आस्तियां 4.51% (31.03.2014 को) से घटकर 4.03% हो गईं। निवल अनर्जक आस्तियों का अनुपात 2.74% (31.03.2014 को) से बढ़कर 2.95% हो गया।

गैर-लेखापरीक्षित परिणाम के अनुसार बिहार ग्रामीण बैंक ने 31.03.2014 के ₹64.58 करोड़ की तुलना में 31.03.2015 को ₹80.34 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया। पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक ने 31.03.2015 को ₹10.11 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया जिससे दिनांक 31.03.2015 को संचयी हानि घटकर ₹86.71 करोड़ रह गई।

16. सूचना प्रौद्योगिकी

सीटीएस कार्यान्वयन उत्तरी, पश्चिमी एवं दक्षिणी ग्रिड में पूरा किया जा चुका है और यह 70 एमआइसीआर केंद्रों एवं 11 गैर-एमआइसीआर एवं हब केंद्रों में कार्य कर रहा है।

निर्यात डाटा प्रसंस्करण एवं मानीटरिंग प्रणाली (ईडीपीएमएस) भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार दिनांक 03.01.2015 से कार्यान्वित की गई है। बिलों को प्रस्तुत करने एवं भुनाने से संबंधित आँकड़ों के लिए व्यवहृत ईडीआईएस सॉल्यूशन को सीबीएस के साथ एकीकृत कर दिया गया।

ईएमआइ के लिए पश्च-दिनांकित चेक प्रणाली को हटाकर अधिदेश प्रबंधन प्रणाली एवं एसीएच डेबिट प्रणाली दिनांक 17.11.2014 से लागू कर दी गई है। इस सुविधा के अंतर्गत शाखाएं उधारकर्ताओं से अधिदेश प्राप्त कर ऑनलाइन पंजीकरण के लिए प्रस्तुत कर सकती हैं जिससे दिन-अनुदिन लेन-देन किया जा सके।

यूको बैंक की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बचत / चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की गई है। आवेदन की प्रगति को मॉनीटर करने के लिए ऑनलाइन खाता एडमिन मॉड्यूल भी चालू कर दिया गया है।

बायोमेट्रिक (दो घटक) अधिप्रमाणन के लिए बैंक के 2947 शाखाओं एवं प्रशासनिक कार्यालयों में 20,000 यंत्र संस्थापित किए गए। इस काम को पूर्णता तक ले जाना सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त यंत्रों की खरीद की व्यवस्था की जा रही है।

16.1. आंतरिक सॉफ्टवेयर का विकास

एचआरएम

कर, सेवानिवृत्ति लाभ, वेतन, छुट्टी, शिकायत निवारण एवं एपीआर (वार्षिक संपत्ति विवरण) माड्यूल एचआरएमएस से जोड़ दिए गए हैं। कर्मचारियों की सेवा पंजी का विवरण रखने /संग्रहित करने के लिए बैंक ने केंद्रीयकृत ई-सर्विस फोल्डर विकसित किया है। दीर्घतम जारी पदस्थापना (एलसीएस) एवं प्रत्यावर्तन पैकेज को यथासंशोधित कर सभी कर्मचारियों के लिए चालू कर दिया गया है।

ईरान वोस्ट्रो प्रबंधन सॉफ्टवेयर

नए पैकेज में पारंपरिक डाटा का स्थानांतरण पूरा किया जा चुका है। सभी माड्यूल को प्रभावी कर दिया गया है। ट्रेजरी शाखा पारंपरिक एक्सेल पैकेज को बंद करने के पहले उन दोनों प्रणालियों का समांतर उपयोग कर रही है।

15.2. Performance of RRBs (Unaudited)

The Total Deposits and Advances of RRBs as on 31.03.15 stood at ₹6798 Cr and ₹4113 Cr, registering a growth of 8.86% and 20.12% respectively over previous year. CD Ratio improved from 54.83% to 60.50%. Gross NPA stood at ₹165.84 Crore against ₹154.55 Crore as on 31.03.2014. Gross NPA to Gross Advances has reduced from 4.51% (as on 31.03.2014) to 4.03%. Net NPA ratio increased from 2.74% (as on 31.03.2014) to 2.95%.

As per unaudited results, Bihar Gramin Bank has recorded a net profit of ₹80.34 Crore as on 31.03.2015 against ₹64.58 Crore as on 31.03.2014. Paschim Banga Gramin Bank has reported a net profit of ₹10.11 Crore as on 31.03.2015, thereby reducing accumulated loss to ₹86.71 Crore as on 31.03.2015.

16. Information Technology

CTS Implementation has been completed in the Northern, Western, and Southern grids and is live in 70 MICR centres and 11 non-MICR & hub centres.

Export Data Processing & Monitoring System (EDPMS) has been implemented with effect from 03/01/2015 as per directions of RBI. The EDIS solution for data relating to lodgement & Realisation of Bills is integrated with CBS.

Mandate Management System and ACH Debit System, replacing Post Dated Cheque system for EMLs, has been introduced w.e.f 17/11/14 by which branches can obtain mandates from borrowers and submit for online registration for getting the transaction done on day to day basis.

Online account opening has been made live for saving/current account through UCO bank Website. Online Account Admin module has been made live to monitor the progress of applications.

For Biometric (Two-factor) Authentication, around 20000 devices were delivered and installed in 2947 branches and administrative offices. Arrangements are being made for procuring additional devices to ensure full coverage.

16.1. In-House Software Development:

HRM

Tax, Retirement benefit, Salary, Leave, Grievance Redressal, APR (Annual Property Return) modules have been added to HRMS. A centralized e-service folder has been developed by bank to capture/store the details of employees' service folder. Longest Continuous Stay (LCS) and Repatriation packages have been upgraded and made live for all employees.

Iran Vostro Management Software

Migration of Legacy Data has been completed in the new package. All the modules have been made live and Treasury Branch is using both the system in parallel before closing the Legacy Excel package.

रिटेल पूल डाटा प्रबंधन यूटिलिटी

शाखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान उनके उपयोग के लिए एक्सेल इंपोर्ट सुविधा सहित एक यूटिलिटी का विकास किया जा रहा है जिससे शाखा रिटेल पूल खातों का रखरखाव एवं प्रबंधन कर सके।

टीडीएस रिपोर्ट

बैंक की वेबसाइट पर एक यूटिलिटी का विकास कर सभी ग्राहकों के लिए चालू किया गया है ताकि चालू वित्तीय वर्ष में मीयादी जमा पर ब्याज भुगतान एवं कर की कटौती की समेकित रिपोर्ट डाउनलोड की जा सके।

केंद्रीकृत ई-टीडीएस प्रणाली

कोलकाता स्थित पांच गेटवे शाखाओं के टीडीएस के कार्य-व्यवहार के लिए केंद्रीकृत ई-टीडीएस प्रणाली 1 अक्टूबर, 2014 से शुरू हुई तिमाही से प्रभावी कर दी गई है।

16.2 बीपीआर एवं बीटीडी की नई पहल

ओवरड्राफ्ट, केश क्रेडिट, चालू खाता एवं बचत बैंक खातों के लिए पंजीकृत मोबाइल नम्बर से मिस्ड काल द्वारा खाते की शेष राशि एवं संक्षिप्त विवरण जानने की सुविधा शुरू की गई है। आवास ऋण एवं कार ऋण हेतु मिस्ड काल से पूछताछ सुविधा चालू की गई है। ऑनलाइन लेन-देन के दौरान सुरक्षा को बेहतर करने के लिए ई-कॉमर्स एवं ई-बैंकिंग लेन-देन में ओटीपी एवं कैपचा डाला गया है।

ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग में बाद की किसी तारीख को एनईएफटी भुगतान का विकल्प शुरू किया गया है।

डेबिट कार्ड की वैधता को 5 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया है। एटीएम स्क्रीन पर नकदी न होने संबंधी संदेश का प्रदर्शन प्रारम्भ किया गया है। ऐसा घटित होने पर अभिरक्षकों को रीयल-टाइम संदेश भेजा जाता है। ई-कॉमर्स लेन-देन के लिए रुपये कार्ड को सक्षम कर दिया गया है। मोबाइल बैंकिंग को अपग्रेड कर उसका नया संस्करण लाया गया है। एम-बैंकिंग के माध्यम से दूसरे बैंक के खातों में धन अंतरण के लिए मोबाइल बैंकिंग में व्यक्ति से खाता (पी2ए) की सुविधा लागू कर दी गई है।

बैंक वेबसाइट के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कर रहे ग्राहक अब अपने पासवर्ड को बदल सकते हैं तथा अपने यूजर आईडी को निष्क्रिय/सक्रिय कर सकते हैं। बैंक वेबसाइट के माध्यम से ग्राहक मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण/पंजीकरण हटाने तथा एम-पिन को बदलने हेतु भी सीधे आवेदन कर सकते हैं।

माउंट कार्मेल कॉलेज, बेंगलुरु के सहयोग से नव-प्रवर्तित रूपे कार्ड समर्थित डेबिट सह पहचान कार्ड (कॉलेज कैम्पस कार्ड) प्रारंभ किया गया।

डेबिट कार्ड खोने की स्थिति में बैंक ने शाखा स्तर पर डेबिट कार्ड हॉट-लिस्टिंग सुविधा शुरू की है तथा ग्राहक को उसके मोबाइल नंबर पर कार्ड के हॉट-लिस्ट किए जाने की पुष्टि की जाएगी।

देशभर में 31 मार्च, 2015 तक 15 ई-लॉबी स्थापित की जा चुकी हैं।

17. परिचालन एवं सेवा

केवाईसी का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर 96% की तुलना में बढ़कर 98.60% हो गया है। यूको सुझाव (यूको ऑनलाइन का एक वेब पेज जहां स्टाफ सदस्य बैंक के कार्य की प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों पर अपने सुझाव दे सकते हैं) पर प्राप्त कुल 487 सुझावों पर विचार करने के उपरांत 12 श्रेष्ठ सुझावों को कार्यान्वयन हेतु चुना गया।

Retail Pool Data Management Utility

A utility to manage and maintain Retail Pool Accounts is being developed with excel import facility for the use of branches during audit.

TDS Report

A utility has been developed and made live in Bank's website for all the customers to download consolidated report of Interest Paid and Tax Deducted on Term Deposit for current financial year.

The centralized E-TDS system

This has been made live from quarter beginning 1st Oct 2014 to handle TDS in respect of five gateway branches located in Kolkata.

16.2. New initiatives of BPR & BTD

Account Balance enquiry and Mini-statement facility through Missed Call from registered mobile number has been introduced for OD, CC, Current & SB Accounts. Missed call enquiry for Home loan & Car loan has been introduced. OTP & CAPTCHA for e-commerce & e-banking transactions have been introduced to improve security while transacting online.

NEFT payment on a later date option has been introduced in internet banking for providing convenience to customers.

Validity of debit card has been increased from 5 years to 15 years. Display message on ATM screens communicating non-availability of cash has been introduced. Real-time message is sent to the custodians in such instances. Rupay cards have been enabled for doing e-commerce transactions. Mobile banking has been upgraded to a newer version. Person to Account (P2A) is introduced to Mobile Banking for the transfer of funds to other bank accounts through m-banking.

Internet Banking customers can now reset password and unblock/activate their User ID through Bank's website. Customer can also directly apply for Mobile Banking registration/de-registration & MPIN reset through bank's website.

An innovative RuPay enabled Debit cum identity card (College Campus card) had been launched in collaboration with Mount Carmel College, Bengaluru.

Bank has started the facility of Debit Card Hot-listing at Branch level in case of loss of card and customer would receive an SMS on his mobile number as a confirmation.

15 e-lobbies have been established across the country till 31st March 2015,.

17. OPERATION & SERVICES

KYC Compliance increased to 98.60% as against 96% for the FY ended 2013-14. From UCO Sujhav (a webpage in UCO ONLINE where members of staff can give suggestions for improving the procedures and processes of Bank), a total of 487 suggestions were processed and 12 best suggestions were selected for implementation.

बैंक में कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं। 22 कॉल एजेंट 24x7 कार्यरत हैं। विगत वर्ष की तुलना में एक तिहाई अधिक कॉल लिए गए। बंगलुरु एवं भोपाल में कॉल सेंटर खोलने की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष के दौरान एसपीजीआरएस (मानक जन शिकायत निवारण प्रणाली) के माध्यम से कुल 8572 प्राप्त शिकायतों का निवारण किया गया। ग्राहकों के खाते केंद्रीयकृत रूप से खोलने के लिए कोलकाता में पहला देयता प्रसंस्करण केंद्र आरंभ किया गया है।

दिसंबर 2014 को 'पेंशन मा' घोषित किया गया एवं 9992 अतिरिक्त पेंशन खाते खोले गए। रेलवे पेंशन की भुगतान प्रणाली भी शुरू की गई। पीपीएफ के व्यवसाय हेतु 48 नई शाखाओं को जोड़ कर कुल 173 शाखाएं हो गई हैं।

18. कारपोरेट संसूचना

बैंक ने विभिन्न मीडिया चैनलों, यथा प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया, डिजिटल मीडिया एवं बाहरी गतिविधियों तथा प्रायोजनों में भाग लेने के जरिए प्रचार कार्य किया है। शेरधारकों एवं व्यापक रूप से जनसाधारण को बैंक के बारे में यथेष्ट सूचनाएं संवाददाता सम्मेलन, प्रेस विज्ञप्ति एवं व्यक्तिशः प्रत्यक्ष सूचना के माध्यम से प्रदान की गई। विभिन्न परिसंपत्ति एवं देयता उत्पादों के लिए प्रचार अभियान, ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित बैंक के विविध प्रौद्योगिकीगत विकास पर विभिन्न प्रचार-साधनों द्वारा सूचनाएं देना वर्ष 2014-15 के दौरान देशव्यापी प्रचार-प्रसार का एक अहम बिंदु रहा।

बैंक के ब्रान्ड को पहचान दिलाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अपनाए गए अन्य साधन रहे - ऋण मेलों में भागीदारी के रूप में प्रचार अभियान, ग्रामीण इलाकों में दीवारों पर अंकन, वेबसाइट पर बैनर द्वारा विज्ञापन, बैंक की कॉलर ट्यून्, ऑनलाइन विज्ञापन, एलईडी द्वारा डिस्प्ले तथा प्रधान कार्यालय में संग्रहालय की स्थापना। इसके साथ ही सर्वोत्तम विद्यार्थियों को साइकिल प्रदान की गई एवं बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया।

विद्यासागर विश्वविद्यालय, पश्चिम मिदनापुर को बस खरीदने के लिए ₹17.60 लाख, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, शिमला को अस्पताल के उपकरणों की खरीद के लिए ₹1.19 लाख, सशस्त्र सेना झंडा दिवस के लिए ₹1.00 लाख, "स्वच्छ गंगा निधि" के लिए ₹50.00 लाख तथा "स्वच्छ भारत कोष" के लिए ₹100 लाख के दान द्वारा बैंक ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियों में हिस्सेदारी निभाई है।

बैंक अपनी विविध गतिविधियों के बारे में कर्मचारियों को जागरूक बनाए रखने के लिए नियमित रूप से गृह पत्रिका "यूको टॉवर" का प्रकाशन कर रहा है।

19. मानव संसाधन

संगठन के विकास में मानव संसाधन की सम्यक आयोजना तथा प्लेसमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बात का ध्यान रखा गया कि सदभावनापूर्ण कार्य संस्कृति तथा कार्यबल का उचित वितरण किया जाए। 'कलर्स ऑफ इंडिया' सदृश सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके कोशिश की गई कि देश के हर कोने से स्टाफ सदस्यों को शामिल करके एक समायोजनात्मक कार्यबल तैयार किया जाए। प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से स्टाफ-सदस्यों के कशल तथा जानकारी को बढ़ाया गया।

19.1 जनशक्ति

दिनांक 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार कुल स्टाफ सं 25236 है जिसमें विदेशी शाखाओं में कार्य करनेवाले अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें 13 एक्सपाट्रिएट अधिकारी भी हैं। देश में स्थित शाखाओं/कार्यालयों के

Call Centre has been streamlined. 22 call agents are working 24X7. Calls taken have increased about a third over the previous year. Steps are being taken for opening Call Centers at Bangalore and Bhopal. A total of 8,572 complaints received through SPGRS (Standardized Public Grievance Redress System) have been resolved during the year. Liability Processing Centre has been started on pilot basis, at Kolkata for centralized opening of customer accounts.

Dec 2014 was declared as 'Pension Month' and 9992 additional pension accounts were opened. System for payment of Railway Pension was introduced. 48 new branches have been added for doing PPF business taking the total number of branches to 173.

18. CORPORATE COMMUNICATIONS

Bank is doing publicity through print, outdoor and digital media, as well as participating in outdoor activities and sponsorships. The stake-holders and public at large are provided information about Bank by way of organizing press meets, press releases and one to one communication. Publicity Campaigns for various asset & liability products, information on various technology strides taken by the Bank pertaining to online application on various devices has been the forte of countrywide publicity during 2014-15.

The other means of brand recognition deployed during the current financial year are publicity campaigns by way of participating in loan fairs, through wall paintings in rural area, banner advertisement on website, Bank's caller tune, on-line advertisement, LED display and museum set up at Head Office, besides providing bicycle to best students & celebration of foundation day.

Bank has also participated in the corporate social responsibility activities by way of donation of ₹17.60 lac to Vidyasagar University for purchase of a bus, ₹1.19 lac for purchase of Hospital equipments by Deen Dayal Upadhyay Hospital, Shimla, ₹1.00 lac donation for armed forces flag day, ₹50.00 lac for "Clean Ganga Fund" & ₹100.00 lac to "Swachh Bharat Kosh".

Bank has been regularly publishing the in-house magazine "UCO TOWER" to make aware the employees about the various activities of the bank.

19. HUMAN RESOURCES

Proper man power planning and placement plays a key role in development of an organization. Keeping this into consideration, efforts were made to maintain a harmonious work culture and a proper distribution of workforce. By organizing cultural event like 'Colors of India' attempts were made to create a cohesive workforce by involving staff from all corners of the country. By organizing training and workshops, the skills and knowledge of the staff members were enhanced.

19.1.Manpower

The total Staff strength as on 31st March, 2015 stood at 25236, including employees serving overseas, 13 of whom are expatriate officers. The total domestic staff strength of 25223 comprises of

कार्यरत 25223 स्टाफ संख्या में 12266 अधिकारी, 8853 क्लर्क तथा 2209 अधीनस्थ कर्मचारी और 1895 सफाई कर्मचारी हैं। अनुसूचित जाति (5091) तथा अनुसूचित जनजाति (1770) का प्रतिशत सम्मिलित रूप से देश में स्थित शाखाओं/कार्यालयों के लिए 27.18% है। इसके अतिरिक्त मार्च 2015 के अंत में 2914 ओबीसी कर्मचारी है। अल्पसंख्यक समुदाय के स्टाफ सदस्यों की संख्या 1319 है। मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार कार्यबल में महिला कर्मचारियों (5111) का प्रतिशत 20.25 रहा।

मानव संसाधन प्रबंधन का कार्य प्रधान कार्यालय के विभिन्न कक्षों के जरिए किया जाता है।

19.2 औद्योगिक संबंध तथा नेगोशिएशन सेल

अवधि के दौरान प्रबंधन और यूनियनों/एसोसिएशनों के बीच स्वस्थ औद्योगिक संबंध बने रहे। वर्ष 2014-15 में आवधिक अंतराल पर यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ बैठकों तथा विमर्शों का आयोजन हुआ। इसमें पारस्परिक सहयोग तथा समादर की प्रवृत्ति रही।

19.3 प्रधान कार्यालय, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग का आरक्षण कक्ष:

बैंक भारत सरकार की आरक्षण नीति का कार्यान्वयन कर रहा है। अजाति/अजजाति/ओबीसी/अन्य रूप से सक्षम व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों को बैंक की सेवा में आरक्षण तथा अन्य शिथिलताएं कड़ाई के साथ दी जा रही हैं। भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार अजा/अजजा/ओबीसी संवर्ग के 868 (अजा-369, अजजा-145 तथा ओबीसी-354) प्रत्याशियों को पदोन्नति से पूर्व प्रशिक्षण दिया गया। बैंक के अजा/अजजा तथा ओबीसी कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सर्वोच्च स्तर के साथ-साथ अंचल कार्यालय स्तर पर आवधिक बैठकें होती रहती हैं। ये बैठकें इन कर्मचारियों के कल्याण संगठनों के साथ होती हैं।

सफाई कर्मचारियों के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के साथ आरक्षण कक्ष ने तीन समीक्षा बैठकों में क्रमशः भुवनेश्वर, कोलकाता तथा कोयंबतूर में भाग लिया। ये बैठकें क्रमशः 16.06.2014, 18.07.2014 तथा 09.09.2014 को हुईं। आरक्षण कक्ष ने गुजरात, राजस्थान, दादर नगर हवेली तथा दमन-दिउ के लिए अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य के साथ 19 तथा 20 दिसंबर 2014 को अजमेर में हुई समीक्षा बैठक में भाग लिया।

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग(डीएफएस) ने 05.08.2014 को नई दिल्ली में हमारे बैंक के वर्ष 2012 तथा 2013 की आरक्षण नीति अनुपालन तथा उसके साथ अजाति/अजजाति/ओबीसी, शिकायत रजिस्टर तथा गार्ड फाइल के रख-रखाव की जांच की। उन्होंने हमारे बैंक द्वारा आरक्षण नीति के अनुपालन कार्य पर संतोष प्रकट किया। इसके अतिरिक्त बैंक ने एससी/एसटी तथा ओबीसी कर्मचारियों के मामलों के समाधान के लिए सर्वोच्च स्तर तथा अंचल कार्यालय स्तर पर इन कर्मचारियों के कल्याण संगठनों के साथ आवधिक बैठकें कीं।

19.4 भर्ती कक्ष

वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने 1182 अधिकारियों की भर्ती की जिसमें वेतनमान-V में मुख्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती भी शामिल है। इन 1182 अधिकारियों में 145 अजजा के, 94 अजजा के तथा 273 ओबीसी के सदस्य तथा 372 महिलाएं हैं। बैंक ने अनुबंध पर एक मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी की भर्ती भी की है। वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने 1541 क्लर्क भी भर्ती किए हैं जिनमें 305 अजा, 120 अजजा, 402 ओबीसी, 479 महिलाएं, 79 भूतपूर्व सैनिक, 29 अन्य रूप से सक्षम तथा 117 अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 में बैंक ने 1000 लिपिकों, 300 परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

12266 Officers, 8853 Clerks, 2209 Subordinate staff and 1895 Sweepers. The percentage of Scheduled Castes (5091) and Scheduled Tribes (1770) taken together in the total domestic staff strength is 27.18%. Besides, there are 2914 OBC employees in service of the Bank at the end of March, 2015. 1319 employees belong to Minority Communities. The total work force constitutes 20.25 % women employees (5111) as of March, 2015.

The functions of Human Resources Management are carried out through various cells at Head Office.

19.2. IR Negotiation Cell

During the period, the Industrial Relations climate in the Bank remained healthy and cordial between the Management and the Unions/Associations. Meetings and discussions were held with Unions/Associations at periodic intervals through mutual co-operative attitude and respect during the financial year 2014-15.

19.3. Reservation Cell of Head office, HRM Department

Bank has been implementing reservation policy of Government of India. Reservation and other relaxations and concessions extended to SC/ST/OBC /Differently abled persons and Ex-Servicemen employees of our bank are strictly adhered. As per GOI guidelines bank imparted Pre-promotion Training to 868 candidates (SC-369, ST-145 and OBC-354) belonging to SC/ST/OBC category. In order to address the issues of SC/ST and OBC employees of the Bank periodical meetings are being held at Apex level as well as at Zonal office level with Welfare Association of such employees.

The reservation cell participated in three review meetings with the Chairman, National Commission for Safai Karmacharis at Bhubaneswar, Kolkata and Coimbatore on 16.06.2014, 18.07.2014 and 09.09.2014 respectively. The Cell also participated in a review meeting with the , Member, National Commission for SC for Gujarat, Rajasthan, Dadar Nagar Haveli and Daman-Diu on 19th and 20th December, 2014 at Ajmer.

Department Of Financial Services(DFS) of Ministry of Finance examined the implementation of Reservation Policy of our bank for the year 2012 and 2013 along with Reservation Rosters/ Register pertaining to SC/ST/OBC, Complaint Register and Guard File of our bank on 05.08.2014 at New Delhi. They found the implementation of reservation policy in our bank as satisfactory. Also, in order to address the issues of SC/ST and OBC employees of the Bank, periodical meetings are being held at Apex level as well as at Zonal office level with Welfare Association of such employees.

19.4. Recruitment Cell

Bank has recruited 1182 Officers during the year 2014-15, including one CSO (Chief Security Officer) in Scale V. These 1182 officers comprise of 145 SC's, 94 ST's and 273 OBC's and 372 Women. Bank has recruited a Chief Customer service officer on contractual basis. 1541 Clerks have also been recruited during the year 2014-15, of which 305 are SCs, 120 ST's, 402 OBC's, 479 women, 79 Ex-Servicemen, 29 differently abled individuals and 117 persons belonging to Minority Communities. The Bank has also initiated the process of recruitment of 1000 Clerks, 300 Probationary Officers for the Financial Year 2015-16.

19.5 प्रशिक्षण कक्ष

बैंक के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। बैंक की प्रशिक्षण नीति का एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है तथा भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद ने, जो भविष्य में अंगीकार किए जाने के लिए बैंक के मानव संसाधन रूपांतरण के परामर्शी भी हैं, ने उसकी वेटिंग भी कर दी है। इस बात पर जोर दिया गया था कि हर स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए। देशव्यापी स्थानीय एवं कैंप आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम अंचल कार्यालय स्तर पर आयोजित किए जाने पर भी ध्यान दिया गया। सेंट्रल स्टाफ कॉलेज, कोलकाता तथा देश भर में फैले बैंक के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से 12093 अधिकारियों, 2911 लिपिकों तथा 154 अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

इसके अतिरिक्त अंचल कार्यालयों के स्तर पर देश भर में स्थानीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत सामान्य बैंकिंग पर 2901 अधिकारियों, 2805 लिपिकों तथा 769 अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। ऋण मूल्यांकन, एनपीए प्रबंधन, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋणदान, एलएपीएस, यूनिकोड, सीबीएस, सुरक्षा मामले, प्रबंधन कौशल, फिनाकल परिचालन, नेतृत्व विकास आदि के अतिरिक्त विशेष विषयों यथा सॉफ्ट स्किल, प्रलेखीकरण, वैकल्पिक वितरण सरणि (एडीसी) अपने ग्राहक को जाने मानदंड (केवाइसी) मानव संसाधन के मुद्दे आदि भी प्रशिक्षण के कार्यक्रम में शामिल किए गए।

बैंक ने बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों यथा एनआइबीएम पुणे, सीएबी पुणे, आइआइबीएम गुवाहाटी, बर्ड लखनऊ, आइआइबीएफ मुंबई, आइडीआरबीटी हैदराबाद और अन्य अनेक प्रशिक्षण संस्थानों में अपने 610 अधिकारियों/कार्यपालकों को नामित किया। पहली बार 432 परिवीक्षाधीन अधिकारियों तथा 646 लिपिकों को बाहरी संस्थानों यथा आइआइबीएम गुवाहाटी, आइआइसीए मानेसर, पीएनबीआइआइटी लखनऊ, एटीआइ साल्ट लेक, एएमए अहमदाबाद आदि में प्रारम्भिक प्रशिक्षण दिलाया गया। महिला लीडरों के लिए पहली बार एक विशिष्ट रूप से तैयार किए गए प्रशिक्षण का आयोजन सेंट्रल स्टाफ कॉलेज में किया गया।

6 कार्यपालक विदेशी केंद्रों पर प्रशिक्षण के लिए गए। सही व्यक्ति को उसके कार्यक्षेत्र में लाने और प्रशिक्षण कालेज की क्षमता का बेहतर उपयोग करने का भी बैंक ने खास ध्यान रखा है।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने दो नए कॉलेज यथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, दुर्गापुर तथा जयपुर में खोले। तिरुवनंतपुरम में एक नए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने का काम चल रहा है।

19.6 जनशक्ति प्लेसमेंट तथा पदोन्नति कक्ष

वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने महाप्रबंधक (उच्च प्रबंधन श्रेणी वेतनमान VII) के पद पर 11 कार्यपालकों को, उप महाप्रबंधक (उच्च प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-VI) के पद पर 17 तथा वेतनमान-V के पद पर वेतनमान-IV के 28 कार्यपालकों की पदोन्नति की। इसके अलावा वेतनमान III के 70 अधिकारी वेतनमान-IV में, वेतनमान- II के 176 अधिकारी वेतनमान-III में तथा वेतनमान- I के 555 अधिकारी वेतनमान-II में पदोन्नत हुए।

विशेषज्ञ अधिकारियों की कोटि में एक (1) कार्यपालक को वेतनमान-IV से V में, 3 अधिकारियों को वेतनमान- III से IV में, 20 अधिकारियों को वेतनमान II से III में तथा 7 अधिकारियों को वेतनमान- I से II में पदोन्नत किया गया।

वर्ष के दौरान पदोन्नति प्रक्रिया द्वारा 408 लिपिकों को अधिकारी (वेतनमान-I) में पदोन्नत किया गया। वर्ष के दौरान अधीनस्थ कर्मचारी से लिपिक में

19.5. TRAINING Cell

Training of employees is of utmost importance to the Bank. A Draft on Training policy of the Bank has been prepared and same has been vetted by IIM Ahmedabad, Bank's consultant for HR Transformation Exercise for future adoption purpose. Emphasis was given for imparting Training to all levels of employees. Focus is also given in organizing more nationwide Location and Camp Based Training Programmes at Zonal Office level. A total of 12093 Officers, 2911 clerks and 154 sub-staff were Trained through in-house training programmes in Central Staff College, Kolkata and Regional Training Centres of the Bank across the country.

Further 2901 officers, 2805 clerks and 769 sub-staffs were given Locational training at Zonal Office Level across the country on General Banking, Credit Appraisal, NPA Management, Priority Sector Lending, LAPS, Unicode, CBS, Security Aspects, Managerial Skills, Operation in Finacle, Leadership Development etc. Special topics like soft skills, documentation, ADC(Alternate Delivery Channels),KYC(Know Your Customer), HR issues etc., have also been introduced in Training System.

Bank has nominated 610 Officers/Executives to Training Institutes like NIBM PUNE, CAB PUNE, IIBM Guwahati, BIRD Lucknow, IIBF Mumbai, IDRBT Hyderabad and many other Institutes for External Training. For the first time, 432 POs and 646 clerks have been provided induction Training at External Training Institutes viz IIBM Guwahati, IICA Manesar, PNBIIIT Lucknow, ATI Salt lake, AMA Ahmadabad etc. A specially designed Training for Women Leaders was conducted at Central Staff College for the first time.

6 Executives have gone for overseas Training. Bank has given utmost importance for training right person relating to his/her area of operation and also for better capacity utilisation of Training college.

Further, Bank has opened two new colleges viz Regional Training Centre, Durgapur & Jaipur and proposal for one new Regional Training Centre at Trivandrum is under process.

19.6. Manpower Placement & Promotions Cell

During the year 2014-15, Bank has promoted 11 Executives to the post of General Manager (Top Executive Grade Scale-VII), 17 Executives promoted from Scale-V to Top Executive Grade Scale-VI and 28 Executives from Scale-IV to Scale-V. In addition, 70 officers in Scale-III have been promoted to Scale-IV, 176 officers in Scale-II promoted to Scale-III and 555 officers promoted from Scale-I to Scale-II.

Under category of Specialists Officer, one (1) Executive in Scale-IV has been promoted to Scale-V, 3 officers in Scale-III promoted to Scale-IV, 20 officers promoted from Scale-II to Scale-III and 7 officers in Scale-I promoted to Scale-II.

During the year, through promotion process, 408 clerks were promoted to the post of officer (Scale-I). Further, promotion from

भी पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की गई। इस प्रकार 491 अधीनस्थ कर्मचारियों को क्लर्क पद पर पदोन्नत किया गया।

19.7 मानव संसाधन के रूपांतरण की पहल:

“यूको सदस्य” सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म के शुभारंभ के माध्यम से बैंक ने कार्यशक्ति में समुचित उत्साह कायम करने हेतु विविध गतिविधियों की पहल की ताकि स्टाफ सदस्यों को नई सूचनाओं से जोड़े रखा जा सके। कर्मचारियों को बेहतर जीवन जीने के टिप्स प्रदान करने के लिए एक हेल्थ एंड फिटनेस श्रृंखला का प्रकाशन प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा कार्यस्थल पर शालीन व्यवहार संबंधी संप्रेषण श्रृंखला भी चालू की गई है जिससे व्यक्तित्व विकास में मदद मिलती है।

20. लेखापरीक्षा तथा निरीक्षण

बैंक ने क्षेत्र निरीक्षणालय के प्रधान द्वारा शाखाओं के औचक निरीक्षण की व्यवस्था को लागू किया ताकि नकदी शेष की पुष्टि हो सके तथा वे बड़ी कमियों को देखने पर उसकी रिपोर्ट कर सकें। परिचालनगत कमियों के संबंध में सर्विलेंस मोड्यूल (ओसीएस)/अलर्ट जेनरेशन का परीक्षण प्रायोगिक आधार पर 10 शाखाओं में किया गया। इसमें 50 तक अलर्ट जेनरेंट हो सकते हैं जिन्हें शाखा प्रधान को तुरंत गौर करके सुधारना होता है। नए इ-टीएचआइसी पैकेज का क्षेत्र निरीक्षणालय के सभी स्टाफ को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम चलाया गया। यदि अग्रिम में अचानक वृद्धि देखी जाती है तो अंचल कार्यालय को तुरंत अलर्ट मिल जाएगा। निगरानी तथा नियंत्रण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बैंक ने बैंक की प्रयोज्य नीति तथा दिशानिर्देश के अनुसार 18 क्रिटिकल कंट्रोल रिटर्न बनाए हैं तथा प्रधान कार्यालय के परिपत्र से उसकी जानकारी सबको दी है। इसमें विभिन्न कर्मचारियों/ पर्यवेक्षकों/ नियंत्रकों की भूमिका तथा उनके दायित्व शामिल हैं।

21. सतर्कता विभाग

स्टाफ सदस्यों में जागरूकता लाने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी ने विगत 1 वर्ष में 70 शाखाओं तथा 26 प्रशासनिक कार्यालयों का दौरा किया। निवारक सतर्कता तथा बैंक की अनुपालन नीति के कार्यान्वयन की दुहरी जांच करने के लिए फील्ड सतर्कता अधिकारियों द्वारा 308 से ज्यादा शाखाओं का दौरा किया गया। निवारक सतर्कता पर अधिकारियों के लिए सामान्य रूप से तथा अंचल एवं सर्कल कार्यालयों के स्तर पर सतर्कता से जुड़े मामलों को देख रहे अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। 27.10.2014 से 01.11.2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह बैंक की सभी शाखाओं में मनाया गया। इस अवसर पर विभाग ने ‘भ्रष्टाचार से लड़ने में तकनीक एक सहायक’ विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की। **प्लर्स ऑफ विजिलेंस - ए यूको बैंक इनिशिएटिव अगेंस्ट करप्शन** नामक एक संकलन प्रकाशित किया गया जिसका उद्देश्य समुचित कॉर्पोरेट अभिशासन के संबंध में जागरूकता लाना था। वर्ष के दौरान 189 शिकायतें निपटाई गईं और इस प्रकार लंबित शिकायतें वर्ष में घट कर पिछले 5 वर्ष की न्यूनतम रह गईं।

22. प्रबंधन तथा मानव संसाधन लेखापरीक्षा

विभाग ने दो सर्किल कार्यालयों, उन्नीस अंचल कार्यालयों तथा पांच क्षेत्र निरीक्षणालयों को प्रबंधन ऑडिट किया। निर्दिष्ट स्तर पर अनियमितताओं को दूर किए जाने के बाद रिपोर्टें बंद की गईं। इसी अवधि में एक शाखा कोलकाता (रिटेल) के साथ आठ कारपोरेट विभागों का मा.सं. आडिट भी हुआ।

Sub-staff to Clerks was also completed during the year and 491 sub-staff were promoted to the post of Clerks through the same process.

19.7. HR TRANSFORMATION INITIATIVE:

Bank had initiated various activities for blending proper spirit in the workforce through launching the social media platform "UCO Sadasya" for connecting staff members to updates and information. A health and fitness series publication has been introduced to provide tips on good living to employees besides a communication series on work place etiquette helping in personality development.

20. AUDIT & INSPECTION

Bank has introduced surprise branch visits by heads of field Inspectorates (FIs) to verify cash balance and report any major deficiencies observed during the visit. Trial Run of Surveillance Module (OCAS)/Alert generation on operational deficiencies at 10 branches on a pilot basis was undertaken, whereby upto 50 alerts can be generated in case of deficiencies for the Branch heads to respond and rectify the same immediately. Training program for all staff in FIs on the new e-THIC package was conducted. Alerts are sent to Zonal Offices on sudden spurt in advances. To make monitoring and control system more effective, bank has identified 18 critical control returns and communicated the same through HO circular encompassing the roles and responsibilities of the various employees/supervisors/controllers, as per the bank's policy and guidelines applicable.

21. VIGILANCE DEPARTMENT

70 branches and 26 administrative offices were visited by CVO in the past 1 year to create awareness among staff members. Visit of more than 308 Branches by Field Vigilance Officers undertaken to cross check the implementation of Ghosh Committee recommendations on Preventive Vigilance Measures and compliance of Bank's policies. Training program on "Preventive Vigilance" for officers in general and another training program for officers dealing specifically with vigilance matters across all zones and circles of the bank were also organised. Vigilance Awareness Week was observed during 27.10.2014 to 01.11.2014 in all the branches of the Bank. On this occasion the bank conducted an Essay Competition on the subject "Combating Corruption - Technology as an Enabler". A compendium, "Pearls of Vigilance - A UCO Bank initiative against corruption" was released and circulated to all branches to increase awareness towards proper Corporate Governance. 189 complaints were disposed off during the year reducing pendency to lowest in last 5 years.

22. MANAGEMENT & HR AUDIT

The Department conducted Management Audit of Two Circle Offices, Nineteen Zonal Offices & Five Field Inspectorates. The Reports were closed after getting the irregularities rectified at the designated level. HR Audit was also conducted in Eight Corporate Departments and one Branch i.e. Kolkata (Retail) during the same period.

23. प्रबंध सूचना प्रणाली

एडीएफ, जो बैंक का एकमात्र बड़ा डाटा स्रोत (5 टेराबाइट) है, ग्लोबल आधार पर रिपोर्ट जेनरेट करने में सक्षम है। सभी डिस्क्रीट प्रणालियां/स्टैंडएलोन प्रणालियां यथा जीबीएम, एलएपीएस, ई-बैंकिंग, एम-बैंकिंग, एएमएल, विदेशी शाखाएं, फर्नीचर तथा जुड़नार आदि एडीएफ प्लेटफार्म पर एकीकृत कर दिए गए हैं। डिस्क्रीट प्रणाली की रिपोर्टें भी अब एडीए प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं। एडीएफ प्लेटफार्म से अबतक 322 रिपोर्टें जेनरेट की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न कॉर्पोरेट विभागों से साइन ऑफ होने के लिए और 92 रिटर्न शेष हैं।

डाटा रिपोर्टों में और संगति लाने के लिए एमआइएसएडीएफ टीम ने डाटा क्लिनिंग कार्यक्रम चलाया है और इस प्रकार डाटा अंतराल न्यूनतम तक आ पहुंचा है।

उक्त प्रयासों के फलस्वरूप डीआईसीजीसी प्रीमियम भुगतान नवंबर 2014 में घट गया। एडीएफ प्लेटफार्म ने सिबिल डाटा के सुधार में काफी सहायता की है। इससे सिबिल के साइट पर डाटा की स्वीकार्यता बढ़ी है।

उक्त बातों के अलावा एडीएफ प्लेटफार्म ने कॉर्पोरेट विभागों को डाटा मार्ट उपलब्ध कराया है। रिटेल, जोखिम प्रबंधन, टीआईएमएस तथा कार्यनीति आयोजना विभाग आवश्यकता पड़ते ही तदर्थ रिपोर्ट निकालने में इसका उपयोग करते हैं।

24. राजभाषा नीति का अनुपालन:

बैंक ने भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यालयीन कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया। कंप्यूटरों पर काम करने के लिए यूनिकोड अथवा लिगुवाबैंक पर 2199 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु 97 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कई अंचल एवं सर्कल कार्यालयों ने हिंदी ई-पत्रिकाएं प्रकाशित कीं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कोलकाता का संयोजक बैंक होने के नाते बैंक ने अन्य बैंकों को शामिल कर कोलकाता में अनेक कार्यक्रम/प्रतियोगिताएं आयोजित कीं तथा अन्य बैंकों को हिंदी कार्यशालाएं आयोजित करने में सहयोग भी दिया। संयुक्त निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय ने बैंक के प्रधान कार्यालय के अपने दिनांक 5 नवंबर, 2014 के दौरे के दौरान बैंक के इन प्रयासों की सराहना की। 'हिंदी दिवस', 'हिंदी पखवाड़ा' आदि मनाकर, चेन्नै में राजभाषा अधिकारी सम्मेलन आयोजित कर तथा दक्षिणी राज्यों के हिंदी विद्वानों के अनुभव एवं स्मृतियों पर आधारित 'अनुगूँज' का प्रकाशन कर भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रति और अधिक जागरूकता लाई गई। इसके अतिरिक्त, विभिन्न पर्वों और राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित सांस्कृतिक संध्या की श्रंखला के आयोजन को प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग की गतिविधियों में शामिल किया गया है।

नराकास (बैंक), कोलकाता के संयोजक का दायित्व हासिल करना बैंक की प्रतिष्ठा में एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि है। बैंक ने वर्ष 2013-14 का नराकास (बैंक) का प्रथम पुरस्कार भी जीता है।

25. अनुपालन विभाग:

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनिवार्य किए गए अनुपालन के मामलों पर बल दिया है। बैंक एक सख्त अनुपालन प्रणाली के जरिये ग्राहक सेवा के स्तर, जमा, अग्रिम, केवाईसी/एएमएल, अन्य सेवाओं के कार्यों एवं नियमों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार आदि द्वारा मांगी गई सांविधिक/विनियामक रिपोर्टें, सूचना एवं आंकड़ों की त्वरित प्रस्तुति सुनिश्चित कर रहा है।

23. MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

ADF, the only big data source of the bank (5 Terabyte), is capable of generating reports globally. All the Discrete Systems / standalone systems VIZ. GBM, LAPS, e-Banking, M-Banking, AML, Overseas branches, Furniture & fixture etc. have been integrated to ADF platform. Reports of the discrete systems are also now available on ADF platform. Till date, 322 reports were generated from ADF platform. In addition 92 more returns are waiting for signoff by different corporate departments.

To increase the consistency of data reports, MISADF team has conducted data cleaning program and thus have reduced data gap to a minimum level.

The above efforts have reduced the DICGC Premium payment during Nov. 2014. ADF Platform has substantially contributed for rectification of CIBIL data, thereby acceptance of data at CIBIL site has increased.

In addition to the above, ADF platform has provided data mart to Corporate Departments and thereby extensively used by departments like Retail, Risk Management, TIMS & Strategic Planning for generation of Ad hoc reports as and when required.

24. COMPLIANCE OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY:

To implement the provisions of Official Language Act of Government of India, Bank has given preferred attention towards use of Hindi in official work. 97 workshops were organised involving 2199 officers/employees for training on UNICODE or LINGUABANK for working on computers. For encouraging usage of Hindi, many Zonal and Circle Offices brought out Hindi e-magazines. Being the Convener Bank of Town Official Languages Committee (TOLIC), Kolkata, our Bank was instrumental in involving other banks in organizing various programmes/competitions in Kolkata and also assisted other banks in organising Hindi workshops. These efforts of Bank were praised by Joint Director, Department of Financial Services, Ministry of Finance, during his visit to Bank's Head Office on 5th November, 2014. More awareness on Official Language (OL) Policy of GOI was brought about by organising "Hindi Day", Hindi Fortnight", OL Officers' Conference at Chennai", publishing "Anugoonj" on the experience and memories of Hindi Scholars of Southern States. Further, initiating a series of cultural evenings related to festivals and national leaders has added to the activities of Head Office OL Department.

The responsibility of taking over the mantle of convener of TOLIC (Banks), Kolkata is another feather in the cap of the bank. Bank has also received the first prize of the TOLIC (Banks) for the year 2013-14.

25. COMPLIANCE DEPARTMENT

Bank has emphasized on compliance issues as mandated by RBI. Bank has been ensuring the level of customer service, compliance of rules of deposit, advances, KYC/AML, other services, prompt submission of statutory / regulatory reports, information and data asked by RBI, GOI, etc. through a strict compliance system. Compliance Policy - 2014 was prepared

अनुपालन कार्यों में उल्लंघन को रोकने के लिए आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करते हुए अनुपालन नीति 2014 तैयार की गई थी तथा दिनांक 20.08.2014 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में विधिवत अनुमोदन किए जाने के बाद इसे बैंक की सभी शाखाओं एवं कार्यालयों को परिचालित किया गया। वर्ष के दौरान 455 शाखाओं तथा 2 कारपोरेट कार्यालयों में अनुपालन कार्यों की नमूना जांच की गई। अनुपालन कार्यों के बारे में शाखाओं/कार्यालयों को बताया गया ताकि अनुपालन के उल्लंघन को टाला जा सके। महत्वपूर्ण मुद्दों को उपयुक्त स्तर पर रिपोर्ट करके उन पर विचार-विमर्श किया गया ताकि प्रणाली की प्रभावशीलता बढ़ सके। अनुपालन कार्य से संबंधित मामलों तथा उनमें निरंतर सुधार लाने के लिए उपाय सुझाने हेतु निरीक्षण विभाग तथा जोखिम प्रबंधन विभाग के साथ समय-समय पर विचार-विमर्श किया गया।

26. विधिक मामले

सभी कारपोरेट विभागों को बैंक ने प्रभावी विधिक सहायता उपलब्ध कराई है। मजबूती के साथ बैंक के हितों की रक्षा के लिए तथ्यगत तथा प्रक्रियागत मामलों के विभिन्न क्षेत्रों में विधिक परामर्श दिया गया।

वर्ष के दौरान वसूली के काम देख रहे शाखा के अधिकारियों की सुविधा के लिए 'हैंडबुक ऑन रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फिनांसियल इंस्टीट्यूशन्स एक्ट, 1993, मनी सुट्स एंड रिवेन्यू रिकवरी प्रोसिडिंग्स' नामक पुस्तिका प्रकाशित की गई। बैंक ने भारतीय बैंक संघ द्वारा जारी आदर्श परिचालनात्मक प्रक्रिया की राह पर 'मृतक दावा नीति' जारी की है।

बैंक ने विभिन्न विधि विषयों, यथा कंपनी अधिनियम, 2013, प्रभारों का रजिस्ट्रीकरण, आदि पर 21 परिपत्र जारी किए। इसमें 'प्रलेखीकरण पर मास्टर परिपत्र' भी शामिल है। एक विशद दृष्टिबंधन विलेख तैयार कर लागू किया गया है। सभी शाखा स्तर के अधिकारियों को विशद दिशानिर्देश दिए जा रहे हैं और इस प्रकार उनको अपडेट किया जा रहा है। इससे डीआरटी, सरफेसी, भारतीय पंजीकरण अधिनियम, राज्यों के स्टाम्प अधिनियम के क्षेत्रों में ताजातरीन संशोधन तथा केस लॉ भी शामिल हैं।

27. भविष्य की योजना

बैंक ने अपने रिटेल कारोबार को इस वर्ष मजबूत किया है। खास तौर पर आवास ऋण की वृद्धि दर विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष उद्योग के औसत से ऊपर रही। उत्पाद तथा सेवा में नवाचार लाकर बैंक रिटेल कारोबार पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा। ग्राहक सेवा को सुव्यवस्थित करके तथा प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी वित्तीय समावेशन पहल का लाभ उठाते हुए बैंक अपने कासा को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेगा।

वैकल्पिक वितरण चैनल को ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए यूको रिवाइर्स की तरह ही विशेष प्रयास किए जाएंगे। युवा ग्राहकों को जोड़ने तथा उनको अपने साथ बनाए रखने के लिए बाह्य सेवा केंद्रों की स्थापना तथा जेन-वाइ की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद प्रस्तुत किए जाएंगे। यह मानक ग्राहक सेवा संयोजन के साथ होगा। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र बैंकिंग में हमारी प्रगति की रफ्तार लाभपरक समायोजन के लक्ष्य के साथ बढ़ेगी।

वर्ष 2015-16 को बैंक त्रिआयामी शक्तियों, यथा 'ग्राहक सेवा हेतु मानव संसाधन, 'सुविधाजनक बैंकिंग हेतु तकनीकी संसाधन तथा 'ब्रान्ड छवि को उन्नत करने हेतु ज्ञान/नवाचार संसाधन को वास्तव में साकार करने के काम करेगा। इससे बैंक तथा ग्राहकों दोनों को पारस्परिक लाभ होगा।

incorporating necessary changes to prevent breaches in the areas of compliance functions and the same has been circulated to all branches and offices of the Bank after due approval by the Board of Directors in its meeting held on 20.08.2014. During the year, Test Checking of compliance functions has been undertaken in 455 branches and 2 corporate offices. Branches/offices have been sensitized about compliance functions so as to avoid compliance breaches. Critical issues were discussed at the appropriate level to enhance efficacy of the system. Interactions are also being held with Inspection Department & Risk Management Department periodically to discuss issues relating to compliance functions and to suggest measures to further improve the compliance function.

26. LEGAL MATTERS

Bank has ensured effective legal assistance to all corporate departments. Legal advice is provided on a diverse range of substantive and procedural questions of law to firmly secure bank's interest.

'Handbook on Recovery of debts due to banks and financial institutions Act, 1993, Money suits & Revenue recovery Proceedings' has been released during the year to facilitate field functionaries handling recovery. Bank has issued a comprehensive 'Deceased Claim policy' in line with model operational procedure issued by IBA.

Bank has issued 21 circulars on various legal topics such as Companies Act 2013, registration of charges etc. including the 'Master circular on Documentation'. A composite deed of hypothecation has been devised and put in place. All field functionaries are being updated with exhaustive guidelines, including latest amendments and case laws on areas covering DRT, SARFAESI, Indian Registration Act, Stamp Act of respective states etc.

27. FUTURE PLAN:

Bank has fortified its retail business this year, and specifically the growth rate of home loans over the previous year proves to be above the industry average. The bank will continue to focus on retail business by focusing on product and service innovations. Bank will strive to improve CASA by streamlining customer service and capitalizing on financial inclusion initiatives such as PMJDY.

Like UCO Rewards, special efforts will be taken to maximize ADC (Alternate Delivery Channels) usage. In order to acquire and retain young customers, service outlets and products reflecting the Gen-Y needs will be introduced in conjunction with standardized customer service.

Bank will name the year 2015-16 as the year of actualizing the triple power - "Human Resources for Customer Service", "Technological Resources for convenience banking" and "Knowledge/Innovation Resources for enhancing brand image", thus creating mutual value for both Customers and the Bank.

28. निदेशक मंडल

28.1 कारपोरेट अभिशासन:

बैंक श्रेष्ठ कारपोरेट अभिशासन में पूर्ण निष्ठा रखता है तथा उसे अपने कार्यक्षेत्र में अपनाया है। यह अभिशासन बैंक के पारदर्शिता, कार्यक्षमता और जिम्मेदारी के मूलभूत मूल्यों के द्वारा सर्जित होता है। अपने रोजमर्रा के परिचालन में इन पहलुओं पर निरंतर ध्यान देते हुए बैंक शेयरधारक की मूल्यवत्ता बढ़ाने का प्रयास करता है। चूंकि बैंक श्रेष्ठ अभिशासन के प्रति वचनबद्ध है, बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक कारोबार के प्रत्येक पहलू पर निगरानी रखने के लिए कई बोर्ड समितियाँ गठित की हैं। बैंक की प्रणालियों एवं कारोबार प्रक्रियाओं के कमजोर क्षेत्रों, यदि कोई हों, को पहचानने एवं उन्हें मजबूत करने हेतु विभिन्न स्तरों पर उनकी निरंतर समीक्षा की जाती है। बैंक के निदेशक मंडल का विश्वास है कि श्रेष्ठ अभिशासन ही ग्राहकों, कारोबारी सहयोगियों, कर्मचारियों एवं निवेशकों का भरोसा, निष्ठा एवं साख अर्जित करने का तथा व्यापक तौर पर समाज का आदर पाने का मूल मंत्र है।

28.2 निदेशक मंडल में परिवर्तन:

श्री एस चंद्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक के रूप में दिनांक 01.10.2011 से 30.06.2014 तक निदेशक मंडल में रहे।

श्री चरण सिंह 10.03.2015 से कार्यपालक निदेशक नियुक्त हुए।

श्री बी पी. विजयेंद्र भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक के रूप में 06.09.2012 से 20.02.2015 तक निदेशक मंडल में रहे।

डॉ. अरविंद शर्मा को भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक के रूप में निदेशक मंडल में 23.02.2015 से नियुक्त किया गया।

श्री मनोज कुमार गुप्ता बैंक के निदेशक मंडल में सीए निदेशक के रूप में 02.08.2011 से 01.08.2014 तक रहे।

28.3 निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की 14 बैठकें हुईं। वर्ष 2014-15 के दौरान निदेशक मंडल की अन्य समितियों की बैठकों की संख्या नीचे दी जा रही है:

28. BOARD OF DIRECTORS

28.1. Corporate Governance

The Bank firmly believes in and has consistently practiced good corporate governance which is woven around its core values of transparency, professionalism and accountability. By constantly focusing on these aspects in its day-to-day operations, the Bank strives to enhance shareholders' value. The Bank being committed to the principles of good governance, its Board of Directors has formed various committees of the Board to monitor every aspect of Bank's business. The systems and business processes of the Bank are continuously reviewed at various levels for identifying and strengthening areas of weaknesses, if any. The Directors of the Bank believe that good governance is the key to earning trust, loyalty and goodwill of clients, business associates, employees and investors and respect from the society at large.

28.2. Changes in the Board of Directors

Mr. S. Chandrasekharan served as Executive Director in the Board from 01.10.2011 to 30.06.2014.

Mr. Charan Singh has been appointed as Executive Director with effect from 10.03.2015.

Mr. B.P. Vijayendra served as RBI Nominee Director in the Board from 06.09.2012 to 22.02.2015.

Dr. Arvind Sharma has been appointed as RBI Nominee Director in the Board w.e.f.23.02.2015.

Mr. Manoj Kumar Gupta served as CA Director in the Board from 02.08.2011 to 01.08.2014.

28.3. Meetings of the Board of Directors

During the financial year 2014-15, the Bank had 14 meetings of the Board of Directors. The number of meetings of various other committees of the Board held during the year 2014-15 is given below:

क्रम सं. S.No	समिति का नाम Name of the Committee	हुई बैठकों की संख्या No. of meetings held
1.	निदेशक मंडल की प्रबंध समिति/Management Committee of the Board	14
2.	निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति/Audit Committee of the Board	7
3.	जोखिम प्रबंध समिति/Risk Management Committee	4
4.	शेयरधारक शिकायत निवारण समिति/Shareholders' Grievance Redressal Committee	2
5.	शेयर अंतरण समिति/Share Transfer Committee	4
6.	बड़ी राशि के कपट की निगरानी हेतु विशेष समिति/ Special Committee for Monitoring Large Value Frauds	4
7.	ग्राहक सेवा समिति/Customer Service Committee	3
8.	बैंक के मा.सं. संबंधी मामलों की समिति/Committee on HR Related Issues of the Bank	5
9.	निदेशक मंडल की नामांकन समिति/Nomination Committee of the Board	3
10.	निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति/Remuneration Committee of the Board	1
11.	निदेशक मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति/IT Strategy Committee of the Board	2
12.	एनपीए खातों में वसूली की निगरानी हेतु निदेशक मंडल स्तरीय समिति/ Board Level Committee for Monitoring Recovery in NPA Accounts	4
13.	अपील मामलों के निपटान की समिति/Committee for Disposal of Appeal Cases	2

28.4 निदेशकों के उत्तरदायित्व का वक्तव्य:

निदेशकगण यह पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखे में तात्कालिक विचलन से, यदि कोई हो, संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखा-प्रणाली मानक का प्रयोग किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार बनाई गई लेखा नीतियों को एकरूपता से लागू किया गया है। उचित और विवेकसम्मत निर्णय और प्राक्कलन किए गए ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्य की स्थिति तथा दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष में बैंक के लाभ की सच्ची और सही छवि उभर सके। भारत के बैंकों को शासित करनेवाली प्रयोज्य विधियों के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेख के रख-रखाव की ओर समुचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया गया; और लेखे सतत आधार पर तैयार किए गए हैं। कारोबार का व्यवस्थित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू किए गए हैं।

28.5 आभार

निदेशक मंडल बोर्ड के विचार-विमर्श के समय अपना योगदान देने हेतु निवर्तमान निदेशकों नामतः श्री एस. चंद्रशेखरन्, श्री बी. पी. विजयेन्द्र एवं श्री मनोज कुमार गुप्ता की भूरि भूरि प्रशंसा करता है। बोर्ड नए निदेशकों का स्वागत करता है तथा बैंक की संवृद्धि में उनके बहुमूल्य सुझाव की प्रत्याशा करता है। निदेशकगण भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य नियामक प्राधिकरणों के प्रति उनके समर्थन और बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ हैं। निदेशक मंडल अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा संपर्की बैंकों को उनके भरपूर सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है।

निदेशकगण निष्ठावान ग्राहकों के भी आभारी हैं जिन्होंने बैंक पर आस्था रखी और उसे लगातार संरक्षण दिया। बोर्ड बैंक की स्टाफ यूनियनों/ एसोसिएशनों तथा बैंक के शेयरधारकों के समर्थन के लिए उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता है। निदेशकगण बैंक के प्रत्येक कर्मचारी की समर्पित भावना की हार्दिक सराहना करते हैं जिसकी वजह से बैंक कई कीर्तिमान स्थापित कर सका।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से,

दिनांक: 21 मई, 2015
कोलकाता

(अरुण कौल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

28.4. Statement of Directors' Responsibilities

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2015, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any. The accounting policies framed in accordance with the guidelines of Reserve Bank of India, were consistently applied. Reasonable and prudent judgements and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended March 31, 2015. Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India; and the accounts have been prepared on an on-going basis. Internal financial controls have been laid down by the bank for ensuring orderly conduct of business.

28.5. Acknowledgements

The Board of Directors places on record its deep appreciation of the contributions made to the deliberations of the Board by outgoing Directors namely, Shri S. Chandrasekharan, Shri B. P. Vijayendra and Shri Manoj Kumar Gupta. The Board would like to welcome the new Directors and looks forward to their valuable inputs towards growth of the Bank. The Directors remain thankful to the Government of India, Reserve Bank of India and other regulatory authorities for their support and valuable guidance. The Board also thanks other Financial Institutions and correspondent banks for their sincere cooperation.

The Directors express their gratitude to the loyal customers for their trust and continuous patronage of the Bank. The Board also thanks the Staff Unions/Associations and shareholders of the Bank for the support extended by them. The Directors place on record their deep appreciation of the dedication shown by each employee of the Bank due to which the Bank could achieve so many milestones.

For and on behalf of Board of Directors.

Date: May 21, 2015
Kolkata

(Arun Kaul)
Chairman & Managing Director

कारपोरेट अभिशासन से संबंधित रिपोर्ट

1. बैंक का कारपोरेट अभिशासन दर्शन:

यूको बैंक का कारपोरेट अभिशासन दर्शन उसके कार्य में निहित उच्च-स्तरीय नैतिक मूल्यों को बनाए रखना है। बैंक की कारपोरेट अभिशासन नीतियां पारदर्शिता एवं व्यावसायिकता के महत्वपूर्ण मूल्यों पर केंद्रित हैं। बैंक अपने सभी हितधारकों एवं व्यापक रूप से समाज को अधिकतम महत्व देने हेतु कारपोरेट अभिशासन को और अधिक समृद्ध करने के लिए अपनी सर्वोत्तम प्रवृत्ति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रति लगातार प्रयासरत है।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 तथा बैंकिंग कंपनी (अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 के उपबंधों द्वारा शासित होता है। कारपोरेट अभिशासन संबंधी आवश्यकताओं को, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार में दिया गया है, इन संविधियों के साथ पढ़ा जाए।

बैंक के निदेशक अनुभवी हैं तथा उन्हें बैंक को उपयुक्त दिशा प्रदान करने एवं बैंक की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु बैंकिंग, वित्त और प्रबंधन आदि के क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता हासिल है।

2.1.0 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और दो कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक हैं जबकि अन्य निदेशकों को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) धारा 9(3) (क) से 9 (3) (ज) तक की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नियुक्त / नामांकित किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 9(3) (झ) के अधीन शेयरधारक अपने में से दो निदेशकों का निर्वाचन (केन्द्र सरकार से भिन्न) कर सकते हैं।

2.2.0 दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल का संघटन :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन किया गया है। प्रत्येक निदेशक का ब्योरा, उन अन्य बोर्ड समितियों की संख्या जहां वे सदस्य अथवा अध्यक्ष हैं, अन्य कंपनियों में निदेशक का पदभार तथा बैंक में शेयरधारिता निम्नानुसार प्रस्तुत की जा रही है :

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Corporate Governance Philosophy of the Bank :

UCO Bank's Corporate Governance Philosophy is to maintain high standards of ethical practices in conduct of its business. The Bank's Corporate Governance policies are woven around the core values of transparency and professionalism. The Bank constantly endeavors to ensure implementation of best practices aimed at enhancing the corporate governance that optimize the value of all its stakeholders and the society, at large.

2. Board of Directors

The constitution of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Regulation Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970, Nationalised Banks (Management & Misc. Provisions) Scheme 1970 and The Banking Companies (Acquisition & Transfer) & Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006. The requirements of Corporate Governance as envisaged in the Listing Agreement with the Stock Exchanges are to be read along with these statutes.

The Directors are experienced and have requisite expertise in the field of Banking, Finance, and Management so as to provide appropriate directions and exercise effective control in the functioning of the Bank.

2.1.0 The Chairman & Managing Director and two Executive Directors are the whole time directors appointed by the Govt. of India while the other Directors are appointed/nominated under different sections of 9(3) (a) to 9(3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 (hereinafter referred as Act). Besides, under Section 9(3) (i) of the same Act, the shareholders of the Bank are entitled to elect two directors (other than the Central Government) from among themselves.

2.2.0 Composition of the Board of Directors as on 31.03.2015 :

The Board is constituted in accordance with the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The details of each Director, no. of other Board Committees where he/she is a member or Chairperson and directorship of other companies and shareholding in the Bank are furnished hereunder:

क्रम सं.	निदेशक का नाम एवं पदनाम	कार्यग्रहण करने की तारीख	यूको बैंक के निदेशक मंडल की जिस समिति (जिन समितियों) में सदस्य हैं उनकी संख्या No. of Membership in Board Committee(s) of UCO Bank	अन्य कंपनियों में निदेशक पद संभाल रहे हैं Directorship in other Companies	दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार निदेशकों द्वारा धारित यूको बैंक के शेयर Holding of UCO Bank shares by the Directors as on 31.03.2015
1.	श्री अरुण कौल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Sri. Arun Kaul, Chairman & Managing Director	01.09.2010	7	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड National Insurance Company Limited	-
2.	श्री जय कुमार गर्ग कार्यपालक निदेशक Sri. Jai Kumar Garg Executive Director	05.08.2013	11	-	-
3.	श्री चरण सिंह कार्यपालक निदेशक Sri. Charan Singh Executive Director	10.03.2015	11	-	-
4.	श्री प्रवीण रावल सरकार के नामिती निदेशक Sri Pravin Rawal Govt. Nominee Director	02.12.2011	10	-	-
5.	डॉ. अरविंद शर्मा भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक Dr. Arvind Sharma RBI Nominee Director	23.02.2015	4	-	-
6.	श्री सुनील कुमार माहेश्वरी अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Sri Sunil Kumar Maheshwari Part time Non-Official Director	21.06.2013	9	-	-
7.	मो. सलाहुद्दीन अंसारी अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Mr. Salahuddin Ansari Part-time Non Official Director	26.06.2013	10	-	-
8.	श्री दीपेन्द्र नारायण ठाकुर अधिकारी कर्मचारी निदेशक Sri Diptendra Narayan Thakur Officers Employee Director	13.12.2012	3	-	-
9.	श्री पार्थ चंद कामगार कर्मचारी निदेशक Sri Partha Chanda Workmen Employees' Director	15.02.2013	6	-	-

**2.2.1 निदेशक मंडल में शामिल हुए नए निदेशकों का संक्षिप्त विवरण:
श्री चरण सिंह**

श्री चरण सिंह का जन्म 1 जुलाई, 1960 को हुआ। बैंकिंग उद्योग में उनका कार्यकाल उल्लेखनीय रहा है। श्री चरण सिंह ने दिनांक 10 मार्च, 2015 को यूको बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्री सिंह बैंक ऑफ इंडिया में मानव संसाधन विभाग के महाप्रबंधक रहे। कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त श्री चरण सिंह भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणपत्रित एसोसिएट (सीएआईआईबी) भी हैं। दिनांक 4 जुलाई, 1983 को अधिकारी के रूप में बैंक ऑफ इंडिया में कार्यग्रहण करने से उनके बैंकिंग कैरियर की शुरुआत हुई। बैंक ऑफ इंडिया में बत्तीस वर्षों के उनके सेवाकाल में वे शाखाओं, अंचल कार्यालयों, प्रधान कार्यालय और कीन्या के विदेश स्थित कार्यालय में बैंकिंग परिचालन की अनेकानेक विविधता भरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपने कैरियर को उंचाइयों पर ले जाते रहे। बैंक ऑफ इंडिया के अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने आर्यावर्त ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष पद भी संभाला।

डॉ. अरविंद शर्मा

डॉ. अरविंद शर्मा का जन्म 5 अगस्त, 1958 को हुआ। उन्हें विदेशी विनिमय कोष प्रबंधन, औद्योगिक एवं निर्यात ऋण तथा बैंकिंग के अन्य कई क्षेत्रों का विशाल अनुभव है। भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक के रूप में भारत सरकार ने 23.02.2015 को बैंक के निदेशक मंडल में नियुक्त किया। उन्होंने एमबीए, सीएफए, सीएआईआईबी, पीएच.डी शैक्षिक योग्यताएं अर्जित की हैं तथा वर्तमान में वे मुख्य महाप्रबंधक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में कार्यरत हैं।

2.2.2 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त/त्याग-पत्र देनेवाले निदेशक:

क्रम सं.	निदेशक का नाम एवं पदनाम	कार्यग्रहण करने की तारीख	जिस तारीख से निदेशक पद त्यागा	यूको बैंक के निदेशक मंडल की जिस समिति (जिन समितियों) में सदस्य हैं उनकी संख्या
Sl. No	Name of the Director	Date of joining	Date of cessation of Directorship w.e.f.	No. of Membership in Board Committee(s) of UCO Bank
1.	श्री एस. चंद्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक Sri S. Chandrasekharan Executive Director	01.10.2011	01.07.2014	11
2.	श्री बी. पी. विजयेंद्र भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक Sri B. P. Vijayendra RBI Nominee Director	06.09.2012	23.02.2015	5
3.	श्री मनोज कुमार गुप्ता अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Sri Manoj Kumar Gupta Part time Non-official Director	02.08.2011	02.08.2014	8

**2.2.1 Brief Profiles of the new directors joined on the Board:
Sri Charan Singh**

Born on 1st July, 1960, Shri Charan Singh has a distinguished career in banking industry. Shri Charan Singh assumed the charge as the Executive Director of UCO Bank on 10th March, 2015. Shri Singh was General Manager in Bank of India, in charge of Human Resource Department. Shri Singh is a Master of Science (Agri), and also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB). His career in Banking began when he joined Bank of India as Probationary Officer on 4th July, 1983. His thirty-two years of service at Bank of India saw him rise in his career with key responsibilities held in Branches, Zonal Offices, Head Office and Kenya Overseas Office, covering a vast spectrum of banking operations. He also held the post of Chairman of Aryavart Gramin Bank during his career in Bank of India.

Dr Arvind Sharma

Born on 5th August, 1958, Dr. Arvind Sharma possess wide experience in the fields of FX Reserve Management, Industrial and Export Credit and many other fields of Banking. He was appointed as RBI nominee Director on the Board of the Bank by the Government of India on 23.02.2015. He is qualified as MBA, CFA, CAIIB, Ph.D. and presently working with RBI Central Office as Chief General Manager.

2.2.2 Directors who retired/resigned during the year ended on 31.03.2015

2.2.3 बोर्ड की बैठकों की तारीख

समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना 1970 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 बैठकों तथा सूचीकरण करार के खंड 49 में निर्धारित न्यूनतम चार बैठकों की तुलना में निम्नलिखित तारीखों को बोर्ड की 14 बैठकें आयोजित की गईं :

04.04.2014	21.05.2014	25.06.2014	25.07.2014	20.08.2014
12.09.2014	25.09.2014	07.11.2014	18.11.2014	16.12.2014
14.01.2015	05.02.2015	14.03.2015	28.03.2015	

3.0 निदेशक मंडल की समितियां:

भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों/निदेशों के अनुसरण में बैंक में निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य निर्णय प्रक्रिया को सुचारु और कारगर बनाना, समितियों के विचारार्थ विषयों के अंतर्गत आनेवाले विभिन्न कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी एवं उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना है। विभिन्न स्थायी समितियों के विवरण नीचे दर्शाए गए हैं:

3.1.0 निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (ए सी बी) :

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार हमारे बैंक ने निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है जिसमें स्टॉक एक्सचेंजों के साथ निष्पादित सूचीकरण करार के खंड 49 में निर्धारित न्यूनतम तीन निदेशकों की जगह पांच निदेशक हैं। समिति के सभी निदेशक वित्तीय रूप से शिक्षित हैं।

3.1.1 प्राथमिक उद्देश्य:

यह एक सशक्त प्रबंधकीय व्यवस्था के रूप में लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण की प्रभाविता को सुनिश्चित करने और बढ़ाने हेतु बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण कार्य का सर्वेक्षण, समीक्षा करती है एवं निदेश देती है। आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति इन उद्देश्यों के अनुसार बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा संबंधी कार्य-उसकी प्रणाली, गुणवत्ता एवं प्रभाविता की समीक्षा करती है। जहां तक बाह्य लेखापरीक्षा का संबंध है, समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों की समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट के मसौदे में लेखांकन नीतियों, प्रथाओं, अर्हताओं में परिवर्तन तथा लेखांकन मानक के अनुपालन के विशेष संदर्भ में समीक्षाकृत/लेखापरीक्षित लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के पूर्व बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों/समस्याओं के संबंध में भी कार्रवाई करती है। यह समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा-कार्य, समाधान, कपट एवं अन्य संबंधित विषयों की भी समीक्षा करती है।

3.1.2 वर्तमान में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक एवं समिति के अध्यक्ष श्री सलाहुद्दीन अंसारी, बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री जे. के. गर्ग एवं श्री चरण सिंह, भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक डॉ. अरविंद शर्मा, सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री प्रवीण रावल सदस्य के रूप में शामिल हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सूचीकरण करार के खंड 49 में निर्धारित न्यूनतम चार बैठकों की तुलना में इस समिति की 7 बैठकें आयोजित की गईं।

3.1.3 इस समिति की बैठकें इन तारीखों को आयोजित की गईं : 20.05.2014, 26.06.2014, 24.07.2014, 07.11.2014 05.12.2014 04.02.2015 एवं 19.02.2015

2.2.3 Dates of Board Meetings

During the period of review 14 Board Meetings were held on following dates, as against minimum of 6 prescribed under Clause 12 of Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and minimum of four meetings stipulated in Clause 49 of Listing Agreement:

3.0 Committees on the Board:

Pursuant to the instructions/guidelines/directives issued by the Reserve Bank of India, Government of India, various committees of directors have been constituted with the objectives of streamlining the decision making process, effective monitoring and follow up of various activities falling within the terms of references of such committees. Particulars of the various standing committees are as under:

3.1.0 Audit Committee of the Board (ACB):

As per directives of RBI, the Bank constituted the Audit Committee of the Board with five directors as against minimum of three directors stipulated in Clause 49 of the Listing Agreements entered with Stock Exchanges. All the Directors in the committee are financially literate.

3.1.1. Primary objectives:

It oversees, reviews and provides directions to the internal audit/inspection function in the Bank in order to ensure and enhance the effectiveness of the audit and inspection function as a strong management tool. In respect of internal audit, the Audit Committee of the Board reviews the internal inspection/audit function of the Bank – the system, its quality and effectiveness in terms of the objectives. As regards external audit, the committee reviews all the issues raised in the Long Form Audit Report. Besides, it interacts with the external auditors before finalization of reviewed/audited accounts with special reference to change in accounting policies, practices, qualification in the draft audit report and compliance with the accounting standards. It also addresses all issues/concerns raised in inspection report of RBI. The committee also reviews the internal control system, the areas of housekeeping, reconciliation, fraud and other related matters.

3.1.2. The Audit Committee of the Board, at present, comprises of Mr. Salahuddin Ansari, Part time non official director and the Chairman of the committee and Sri. J.K. Garg, and Sri. Charan Singh, Executive Directors of the Bank, Sri. Arvind Sharma, RBI nominee director, Sri Pravin Rawal, Govt nominee director as members of the Committee. During the year under review, 7 meetings of the Committee were held vis-a-vis minimum of four meetings in a year, stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement.

3.1.3. The meetings were held on the dates 20.05.2014, 26.06.2014, 24.07.2014, 07.11.2014, 05.12.2014, 04.02.2015 and 19.02.2015.

3.2.0 निदेशक मंडल की प्रबंध समिति (एसीबी):

समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के उपबंधों के अनुसार किया गया है। इसके सदस्य हैं: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ख), (ग) में निर्दिष्ट निदेशक तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) खंड (घ), (ड.), (च), (ज) एवं (झ) में निर्दिष्ट निदेशकों में से निदेशक मंडल द्वारा नामित दो निदेशक। निदेशक मंडल द्वारा नामित निदेशक एक बार में छह महीने से अधिक समय तक पद पर नहीं रहेंगे। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एमसीबी के अध्यक्ष हैं।

3.2.1 समिति का उद्देश्य निम्नलिखित पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना है :

- अधिक राशि के उधार/ऋण, समझौता और बड़े खाते डालने के प्रस्ताव।
- पूंजीगत और राजस्व व्यय हेतु तथा परिसर के अधिग्रहण और किराए पर लेने से संबंधित अधिक राशि के प्रस्ताव, जिसमें परिसर के अधिग्रहण/किराए पर लेने हेतु निर्धारित मानदंडों से विचलन भी शामिल है।
- कंपनियों के शेयरों/डिबेंचरों में निवेश सहित सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अधिक राशि का निवेश करने के लिए प्रस्ताव और हामीदारी, दान देने संबंधी अधिक राशि के प्रस्ताव एवं
- निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर उसके पास भेजे गए इसी प्रकार के कोई अन्य मामले।

3.2.2 वर्तमान में निदेशक मंडल की प्रबंध समिति में समिति के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अरुण कौल, बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री जे. के. गर्ग एवं श्री चरण सिंह, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक डॉ. अरविंद शर्मा, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री सुनील कुमार माहेश्वरी एवं कामगार कर्मचारी निदेशक श्री पार्थ चंद सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.2.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की प्रबंध समिति की 14 बैठकें इन तारीखों को आयोजित की गईं : 26.04.2014, 20.05.2014, 26.06.2014, 24.07.2014, 21.08.2014, 25.09.2014, 19.11.2014, 15.12.2014, 26.12.2014, 13.01.2015, 04.02.2015, 19.02.2015, 14.03.2015, 28.03.2015 एवं 29.03.2015.

3.3.0 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसीबी) :

3.3.1 यह समिति बैंक के कारोबार में आनेवाली विभिन्न प्रकार की जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी करती है तथा बैंक को संबंधित दिशानिर्देश देती है और आवधिक समीक्षा एवं निगरानी के आधार पर ऐसी कार्यनीतियां बनाती हैं जिससे बैंक के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कारोबार के परिचालन में स्थायित्व और दक्षता सुनिश्चित हो। यह बैंक में आरिष्ठ देयता प्रबंध (एएलएम) प्रणाली के क्रियाकलाप का पर्यवेक्षण एवं निगरानी भी करती है।

3.3.2 वर्तमान में निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति में समिति के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अरुण कौल, बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री जे. के. गर्ग एवं श्री चरण सिंह, सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री प्रवीण रावल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

3.2.0. Management Committee of the Board (MCB) :

The Committee is constituted as per Provisions of Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provision) Scheme 1970. Its members are Chairman & Managing Director, Executive Directors and directors referred to under clauses (b), (c) of sub-section (3) of Section 9 of Banking companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970., and two Directors nominated by the Board from amongst the Directors referred to Clauses (d), (e), (f), (h) and (i) of Section 9(3) of the Banking companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970. The Directors nominated by the Board shall hold office for not more than six months at a time. The Chairman & Managing Director is the Chairman of MCB.

3.2.1 The objectives of the committee are to consider and approve: -

- high value credit/loan, compromise and write off proposals.
- high value proposals for capital and revenue expenditure and those relating to acquisition and hiring of premises including deviation from prescribed norms for acquisition/hiring of premises.
- Proposals for high value investments in Govt. and other approved securities including investment in shares/debentures of companies as well as high value proposals of underwriting, making donations and
- Any other matter of similar nature referred to it by the Board from time to time.

3.2.2.The Management Committee of the Board, at present, comprises of Sri. Arun Kaul, Chairman & Managing Director as the Chairman of the Committee and Sri. J. K. Garg and Sri. Charan Singh, Executive Directors of the Bank, Dr. Arvind Sharma, RBI nominee director, Sri Sunil Kumar Maheshwari, Part time Non official director and Sri Partha Chanda, Workmen employee director as members of the Committee.

3.2.3.During the period under review 14 meetings of MCB were held on the dates 26.04.2014, 20.05.2014, 26.06.2014, 24.07.2014, 21.08.2014, 25.09.2014, 19.11.2014, 15.12.2014, 6.12.2014, 13.01.2015, 04.02.2015, 19.02.2015, 14.03.2015, 28.03.2015 and 29.03.2015.

3.3.0. Risk Management Committee of the Board (RMCB)

3.3.1.The Committee identifies, evaluates, monitors and guides the Bank on various categories of risks to which the Bank's business is exposed and devices, based on periodical review and monitoring, such strategies as would ensure stability and efficiency of the National and International business operations of the Bank. It also supervises and monitors the functioning of Asset Liability Management (ALM) System in the Bank.

3.3.2.The Risk Management Committee of the Board, at present, comprises of Sri. Arun Kaul, Chairman & Managing Director as the Chairman of the Committee and Sri. J.K. Garg and Sri. Charan Singh, Executive Directors of the Bank, Sri Pravin Rawal, Govt nominee director, Mr. Salahuddin Ansari, Part time

श्री सलाहद्वीन अंसारी एवं कामगार कर्मचारी निदेशक श्री पार्थ चंद सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.3.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आरएमसीबी की 4 बैठकें इन तारीखों को आयोजित की गईं : 24.07.2014, 25.09.2014, 16.12.2014 एवं 27.03.2015.

3.4.0 शेयरधारक शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसीबी):

3.4.1 शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों, यथा-धन वापसी आदेश, शेयर प्रमाणपत्र, लाभांश वारंट आदि प्राप्त न होने के संबंध में उचित सावधानी रखते हुए तथा शिकायतकर्ता की तुष्टि के अनुरूप शिकायत का निवारण करने के लिए गैर-कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। वर्ष के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों का निवारण कर दिया गया है।

3.4.2 वर्तमान में शेयरधारक शिकायत निवारण समिति में समिति के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार माहेश्वरी, बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री जे. के. गर्ग एवं श्री चरण सिंह, अधिकारी कर्मचारी निदेशक श्री डी. एन. ठाकुर एवं कामगार कर्मचारी निदेशक श्री पार्थ चंद सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.4.3 पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एसजीआरसीबी की 2 बैठकें दिनांक 18.11.2014 एवं 28.03.2015 को आयोजित की गईं:

3.5.0 निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी) :

3.5.1 यह समिति मूर्त रूप में धारित बैंक के शेयरों का अंतरण/प्रेषण/स्थानांतरण आदि अनुमोदित एवं प्रभावी करने तथा खो गए/गुम हो गए/चोरी हो गए मूल शेयर के बदले डुप्लिकेट शेयर जारी करने के प्रस्ताव/अनुसंधान का अनुमोदन करने के लिए गठित की गई है।

3.5.2 वर्तमान में शेयर अंतरण समिति में बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री जे. के. गर्ग एवं श्री चरण सिंह, सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री प्रवीण रावल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री सुनील कुमार माहेश्वरी एवं श्री सलाहद्वीन अंसारी सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.5.3 पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एसटीसीबी की 4 बैठकें दिनांक 25.07.2014, 25.09.2014, 15.12.2014 एवं 28.03.2015 को आयोजित की गईं।

3.6.0 पारिश्रमिक समिति (आरसीबी) :

3.6.1 बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों यथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है एवं यात्रा भत्ता और विराम भत्ते की प्रतिपूर्ति की जाती है, परंतु उनमें से किसी को निदेशक मंडल की बैठकों या निदेशक मंडल की अन्य समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

3.6.2 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुपालन में पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया जिसका एकमात्र उद्देश्य वार्षिक आधार पर "कार्यनिष्ठादान युक्त प्रोत्साहन" के भुगतान के लिए बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्ठादान का मूल्यांकन करना है।

3.6.3 वर्तमान में निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति में सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री प्रवीण रावल, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक डॉ. अरविंद शर्मा, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री सुनील कुमार

non official director and Sri Partha Chanda, Workmen employees' director as members of the Committee.

3.3.3.During the period under review 4 meetings of RMCB were held on the dates 24.07.2014,25.09.2014,16.12.2014 and 27.03.2015.

3.4.0. Shareholders Grievances Redressal Committee (SGRCB) :

3.4.1. The Committee was constituted under the Chairmanship of the Non-executive Director for speedy redressal of shareholder/ investors' complaints/grievances, like, non receipt of refund orders, share certificate, dividend warrant etc., with due care and to the satisfaction of the complainants. All the complaints received during the year were redressed.

3.4.2. The Shareholders Grievances Redressal Committee, at present, comprises of Sri Sunil Kumar Maheshwari, Chairman of the committee and Sri. J.K. Garg, and Sri. Charan Singh, Executive Directors of the Bank, Sri D N Thakur, Officer employee Director and Sri Partha Chanda Workmen employees' director as members of the Committee.

3.4.3. During the previous financial year 2 meetings of SGRCB were held on 18.11.2014 and 28.03.2015.

3.5.0. Share Transfer Committee of the Board (STCB) :

3.5.1. The committee has been constituted to approve and effect transfer/transmission/transposition etc. of Bank's shares, held in physical form, as also approval on the requests/proposals for issuance of duplicate shares in lieu of originals lost/misplaced/ stolen.

3.5.2. The Share Transfer Committee of the Board , at present, comprises of Sri. J.K. Garg, and Sri. Charan Singh, Executive Directors of the Bank, Sri. Pravin Rawal, Govt Nominee Director, Sri Sunil Kumar Maheshwari and Sri Salahuddin Ansari, Part time non official directors as members of the Committee.

3.5.3. During the previous financial year 4 meetings of STCB were held on the dates 25.07.2014, 25.09.2014,15.12.2014 and 28.03.2015.

3.6.0. Remuneration Committee (RCB) :

3.6.1. The whole time directors of the Bank i.e. the Chairman & Managing Director and the Executive Directors are being paid remuneration and provided reimbursement of traveling and halting expenses as per rules framed by Govt. of India but none of them are paid sitting fees for attending the Board meetings and other committee meetings of the Board.

3.6.2. In compliance with the directives of Ministry of Finance, Government of India, Remuneration Committee of the Board (RCB) was formed for the sole purpose of evaluation of the performances of the whole time directors of the Bank for payment of "Performance Linked Incentives", annually.

3.6.3. The Remuneration Committee of the Board, at present, comprises Sri Pravin Rawal, Govt nominee director, Dr. Arvind Sharma, RBI Nominee director, Sri. Sunil Kumar Maheshwari

माहेश्वरी एवं श्री सलाहुद्दीन अंसारी सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.6.4 वर्ष के दौरान एक बैठक 20.08.2014 को आयोजित की गई थी।

3.7.0 अधिक राशि के कपटों की निगरानी हेतु विशेष समिति (एसएमएलवीएफ)

3.7.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में अधिक राशि के कपटों की निगरानी हेतु विशेष समिति का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य 1 करोड़ रु. एवं उससे अधिक की राशि के कपटों की निगरानी एवं उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना है। बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं।

3.7.2 वर्तमान में इस समिति में, समिति के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अरुण कौल, बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री जे. के. गर्ग एवं श्री चरण सिंह, सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री प्रवीण रावल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री सलाहुद्दीन अंसारी एवं कामगार कर्मचारी निदेशक श्री पार्थ चंद सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.7.3 पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इस समिति की 4 बैठकें दिनांक 25.04.2014, 20.08.2014, 18.11.2014 और 27.03.2015 को आयोजित की गईं।

3.8.0 निदेशक मंडल की नामांकन समिति (एनसीबी) :

3.8.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन में विद्यमान निर्वाचित निदेशकों/बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) के अधीन निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जानेवाले व्यक्तियों की 'उचित एवं सही' स्थिति अवधारित करने के लिए 'समुचित सावधानी' बरते जाने का कार्य करने हेतु निदेशक मंडल की नामांकन समिति का गठन किया गया।

3.8.2 वर्तमान में इस समिति में सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री प्रवीण रावल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री सुनील कुमार माहेश्वरी एवं श्री सलाहुद्दीन अंसारी सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.8.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस समिति की 3 बैठकें 07.03.2015, 12.03.2015 एवं 23.03.2015 को आयोजित की गईं।

3.9.0 ग्राहक सेवा समिति (सीएससी):

3.9.1 निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में किया गया है :

- सार्वजनिक सेवा की प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन एवं उसकी सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु,
- सदैव सभी श्रेणी के ग्राहकों के लिए ग्राहक-तुष्टि के स्तर में सुधार लाने हेतु,
- ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए नवीन उपायों पर विचार करने हेतु।

3.9.2 वर्तमान में इस समिति में, समिति के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अरुण कौल, बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री जे. के. गर्ग एवं श्री चरण सिंह, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री सुनील कुमार माहेश्वरी एवं श्री सलाहुद्दीन अंसारी, अधिकारी कर्मचारी निदेशक श्री डी. एन. ठाकुर एवं कामगार कर्मचारी निदेशक श्री पार्थ चंद सदस्य के रूप में शामिल हैं।

and Mr. Salahuddin Ansari, Part time non official directors as members.

3.6.4. During the year one meeting was held on 20.08.2014.

3.7.0. Special Committee for Monitoring of Large Value Frauds (SMLVF)

3.7.1. In compliance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, Special Committee for Large Value Frauds has been constituted with the objective of monitoring and follow up of frauds involving Rs. 1 crore and above. Chairman & Managing Director of the Bank acts as the Chairman of the Committee.

3.7.2. At present the committee comprises of Sri. Arun Kaul, Chairman & Managing Director as the Chairman of the committee, Sri. Jai Kumar Garg and Sri. Charan Singh, Executive Directors and Sri. Pravin Rawal, Govt. Nominee Director, Mr. Salshuddin Ansari, Part time non official director and Sri. Partha Chanda, workmen employee director of the Bank as members.

3.7.3. During the previous financial year, 4 meetings of the Committee were held on the dates 25.04.2014, 20.08.2014, 18.11.2014 and 27.03.2015.

3.8.0. Nomination Committee of the Board (NCB) :

3.8.1. In compliance with the directives of Reserve Bank of India, Nomination committee of the Board (NCB) was constituted so as to undertake the exercise of 'due diligence' for determining 'fit and proper' status of the existing elected directors / persons to be elected as director under Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970.

3.8.2. At present the committee comprises of Sri. Pravin Rawal, Govt nominee Director, Sri. Sunil Kumar Maheshwari and Mr. Salahuddin Ansari, Part time non official directors as members.

3.8.3. During the period under review 3 meetings of the committee were held on the dates 07.03.2015, 12.03.2015 and 23.03.2015.

3.9.0. Customer Service Committee (CSC):

3.9.1. In compliance with the directives issued by Reserve Bank of India, Customer Service Committee of the Board has been constituted:

- to ensure implementation of and adherence to the recommendations of Committee on Procedures and Performance Audit of Public Services as well as compliance with its recommendations;
- to bring upon improvement in the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all times;
- to consider innovative measures to enhance the quality of customer service

3.9.2. At present, the committee comprises of Sri. Arun Kaul, Chairman & Managing Director as the Chairman of the Committee and Sri. J.K. Garg and Sri. Charan Singh, Executive Directors of the Bank, Sri Sunil Kumar Maheshwari, and Mr. Salahuddin Ansari. Part time Non official directors, Sri D N Thakur, Officer employee director and Sri Partha Chanda, Workmen employee director as members of the Committee.

3.9.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस समिति की 3 बैठकें क्रमशः दिनांक 26.06.2014, 18.11.2014, और 27.03.2015 को आयोजित की गईं।

3.10.0 मानव संसाधन संबंधी मुद्दों से संबंधित समिति (सीएचआर)

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए प्रबंधकीय स्वायत्तता संबंधी भारत सरकार के निदेशों के आलोक में बैंक के निदेशक मंडल को यह स्वतंत्रता दी गई है एवं उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह सरकारी नीतियों के व्यापक ढांचे के भीतर प्रबंधकीय मुद्दों पर निर्णय ले। स्वायत्तता से संबंधित एक क्षेत्र का संबंध मानव संसाधन से संबंधित नीति एवं क्रियाविधि के निर्माण से है।

3.10.1 समिति का उद्देश्य :

- स्टाफ ढांचा, भर्ती, पदस्थापन, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पेंशन आदि सहित बैंक से संबंधित मानव संसाधन संबंधी सभी मुद्दों के बारे में निर्णय करना
- पात्रता मानदंड, चयन की पद्धति, प्रवेश का स्तर आदि सहित भर्ती के लिए मानव संसाधन संबंधी नीति एवं क्रियाविधि बनाना
- अधिकारियों एवं स्टाफ को पारिश्रमिक एवं क्षतिपूर्ति के बारे में निर्णय लेना
- बैंक के पदधारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी से संबंधित नीति निर्धारित करना
- शाखाओं के वर्गीकरण के लिए मानदंड विहित करना

3.10.2 वर्तमान में इस समिति में, समिति के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अरुण कौल, बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री जे. के. गर्ग एवं श्री चरण सिंह, सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री प्रवीण रावल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री सुनील कुमार माहेश्वरी एवं श्री सलाहद्वीन अंसारी सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.10.3 पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 5 बैठकें दिनांक 25.04.2014, 25.06.2014, 15.12.2014, 14.01.2015 एवं 27.03.2015 को आयोजित की गईं :

3.11.0 निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति (आईटी)

3.11.1 प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं अन्य सूचना प्रौद्योगिकी पहल से संबंधित मामलों पर कार्यनीति बनाने हेतु इस समिति का गठन किया गया है।

3.11.2 वर्तमान में इस समिति में, समिति के अध्यक्ष के रूप में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री सुनील कुमार माहेश्वरी, बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री जे. के. गर्ग एवं श्री चरण सिंह, सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री प्रवीण रावल, अधिकारी कर्मचारी निदेशक श्री डी. एन. ठाकुर एवं कामगार कर्मचारी निदेशक श्री पार्थ चंद सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.11.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 2 बैठकें दिनांक 26.06.2014 एवं 14.01.2015 को आयोजित की गईं।

3.12.0 एनपीए वसूली की निगरानी के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति (बीएलसीआरएनपीए)

3.12.1 बैंक में एक सख्त निगरानी प्रणाली होने के संबंध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुपालन में दिनांक 07.12.2012 को एनपीए वसूली की निगरानी के लिए एक निदेशक मंडल स्तरीय समिति बनाई है, जो अनर्जक आस्तियों में वसूली की प्रगति पर लगातार निगरानी रखेगी।

3.12.2 वर्तमान में इस समिति में, समिति के अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अरुण कौल, बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री जे. के. गर्ग एवं श्री चरण सिंह तथा सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री प्रवीण रावल सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.9.3. During the period under review, 3 meetings of the committee were held on the dates 26.06.2014, 18.11.2014 and 27.03.2015

3.10.0. Committee on HR Related Issues (CHR)

In the light of the directive of Govt. of India on Managerial Autonomy to the Public Sector Banks (PSB), the Board of Directors of the Bank is granted with freedom and responsibility for deciding on managerial issues within the broad framework of the Government policies. One of the areas of autonomy relates to framing of HR policies and procedures.

3.10.1. Objective of the Committee:

- to decide all Human Resource issues relating to the Bank including staffing pattern, recruitment, placement, transfer, training, promotions, pensions etc.
- to frame HR policies and procedures for recruitment including eligibility criteria, mode of selection, levels of entry etc.
- to take decisions on remuneration and compensation of officers and staff
- to lay down policy of accountability and responsibility of Bank officials
- to prescribe standards for categorization of branches

3.10.2. At present, the committee comprises of Sri. Arun Kaul, Chairman & Managing Director as the Chairman of the Committee and Sri. J.K. Garg and Sri. Charan Singh, Executive Directors of the Bank, Sri Pravin Rawal, Govt Nominee Director, Sri Sunil Kumar Maheshwari, Mr. Salahuddin Ansari. Part time Non official directors as members of the Committee.

3.10.3. During the previous financial year 5 meetings were held on the dates 25.04.2014, 25.06.2014, 15.12.2014, 14.01.2015 and 27.03.2015.

3.11.0. IT Strategy Committee of the Board (IT)

3.11.1. The Committee has been constituted to formulate strategies in the matters relating to technology upgradation and other IT initiatives.

3.11.2. At present, the committee comprises of Sri Sunil Kumar Maheshwari, Part time non official director as the Chairman of the Committee, Sri. J.K. Garg and Sri. Charan Singh, Executive Directors of the Bank, Sri Pravin Rawal, Govt Nominee Director, Sri D N Thakur, Officers employee director and Sri Partha Chanda, Workmen employees' director as members of the Committee.

3.11.3. During the period under review 2 meetings of the committee were held on 26.06.2014 and 14.01.2015.

3.12.0. Board Level Committee for Monitoring of Recovery in NPAs (BLCRNP)

3.12.1. In compliance with the directives of Ministry of Finance, Government of India, to have a robust monitoring mechanism in the Bank, a Board Level Committee for Monitoring of Recovery in NPAs has been constituted on 07.12.2012 to monitor progress in recovery of Non Performing Assets on regular basis.

3.12.2. At present, the committee comprises of Sri. Arun Kaul, Chairman & Managing Director as the Chairman of the Committee and Sri. J.K. Garg and Sri. Charan Singh, Executive Directors of the Bank and Sri Pravin Rawal, Govt Nominee Director as members of the committee.

3.12.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकें 25.04.2014, 25.06.2014, 20.08.2014 एवं 18.11.2014 को आयोजित की गईं।

3.13.0 अपील मामलों के निपटान की समिति:

3.13.1 अपील मामलों के निपटान की समिति एक निदेशक मंडल स्तरीय समिति है। अनुशासन प्राधिकारी की क्षमता में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा जारी आदेशों के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा की गई अपीलों का निपटान करने के लिए यह समिति गठित की गई है।

3.13.2 वर्तमान में अपील मामलों के निपटान की समिति में सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री प्रवीण रावल, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक डॉ. अरविंद शर्मा, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री सुनील कुमार माहेश्वरी एवं श्री सलाहुद्दीन अंसारी सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.13.3 पिछले वर्ष के दौरान समिति की 2 बैठकें हुईं। 04.12.2014 एवं 13.01.2015।

3.13.4 निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों के सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा:

3.12.3. During the period under review 4 meetings of the committee were held on 25.04.2014, 25.06.2014, 20.08.2014 and 18.11.2014.

3.13.0. Committee for disposal of Appeal cases:

3.13.1. The Committee for disposal of Appeal cases is a Board level committee constituted to dispose the appeals preferred by the employees against the orders issued by Chairman and Managing Director in the capacity of disciplinary authority.

3.13.2. At present, the Committee for disposal of Appeal cases comprises of Sri Pravin Rawal, Govt nominee director, Dr. Arvind Sharma, RBI Nominee director, Sri Sunil Kumar Maheshwari and Mr. Salahuddin Ansari, Part time non official directors as members.

3.13.3. During the previous year the committee met 2 times. 04.12.2014 & 13.01.2015

3.13.4. The details of the attendance by the members of various Committees of the Board are as under:

निदेशक का नाम Name of Director	निदेशक मंडल की बैठक Board Meeting		निदेशक मंडल की प्रबंध समिति Management Committee of the Board		ग्राहक सेवा समिति Customer Service Committee of the Board		जोखिम प्रबंध समिति Risk Management Committee		मानव संसाधन समिति HR Committee		एनपीए में वसूली की निगरानी समिति Committee for monitoring of recovery in NPAs	
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री अरुण कौल Sri Arun Kaul	14	14	14	14	3	3	4	4	5	5	4	4
श्री जय कुमार गर्ग Sri Jai Kumar Garg	14	14	14	14	3	3	4	4	5	5	4	4
श्री चरण सिंह (10.03.2015 को कार्यग्रहण) Sri Charan Singh (joined on 10.03.2015)	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0
श्री प्रवीण रावल Sri Pravin Rawal	14	9	NA	NA	2	0	4	2	5	2	4	1
डॉ. अरविंद शर्मा (23.02.2015 को कार्यग्रहण) Dr. Arvind Sharma (joined on 23.02.2015)	2	2	2	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
श्री सुनील कुमार माहेश्वरी Sri Sunil Kumar Maheshwari	14	13	8	6	3	3	NA	NA	5	5	NA	NA
श्री सलाहुद्दीन अंसारी Mr. Salahuddin Ansari	14	14	6@	5	1	1	4	4	2	2@@	NA	NA
श्री डी. एन. ठाकुर Sri D. N. Thakur	14	14	6@	6	3	3	NA	NA	5	5	NA	NA
श्री पार्थ चंद Sri Partha Chanda	14	13	14	14	3	3	4	4	5	5	NA	NA
31.03.2015 से पूर्व निदेशक मंडल में रहे निदेशकों की उपस्थिति का ब्योरा निम्नानुसार है : The following are details of the attendance of directors who were on the Board prior to 31.03.2015												
श्री एस चंद्रशेखरन् Sri S Chandra sekharan	3	3	3	3	1	1	0	0	2	2	2	2
श्री बी. पी. विजयेन्द्र Sri B P Vijayendra	12	11	12	11	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
श्री मनोज कुमार गुप्ता Sri Manoj Kumar Gupta	4	4	2	1	NA	NA	NA	NA	2	1	NA	NA

* निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें

@ श्री सलाहुद्दीन अंसारी एवं श्री डी. एन. ठाकुर 26.06.2014 से

24.12.2014 तक की अवधि में एमसीबी में थे।

@@ 13.01.2015 से श्री सलाहुद्दीन अंसारी मा.सं. समिति में थे।

* The meetings held during the tenure of the director

@ Mr. Salahuddin Ansari and Sri D N Thakur were on

MCB for the period from 26.06.2014 to 24.12.2014

@@ Mr. Salahuddin Ansari was on HR Committee from 13.01.2015.

निदेशक का नाम Name of Director	अधिक राशि के कपटों की निगरानी हेतु विशेष समिति Special Committee for Monitoring Large Value Frauds		निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति Audit Committee of the Board		आईटी कार्यनीति समिति IT Strategy Committee		शेयरधारक शिकायत निवारण समिति Shareholder Grievances Redressal Committee		शेयर अंतरण समिति Share Transfer Committee	
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री अरुण कौल Sri Arun Kaul	4	4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
श्री जय कुमार गर्ग Sri Jai Kumar Garg	4	4	7	7	2	2	2	2	4	4
श्री चरण सिंह Sri Charan Singh	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
श्री प्रवीण रावल Sri Pravin Rawal	4	1	7	2	NA	NA	NA	NA	1	0
डॉ. अरविंद शर्मा Dr. Arvind Sharma	NA	NA	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
श्री सुनील कुमार माहेश्वरी Sri Sunil Kumar Maheshwari	3	3**	4	3***	2	2	2	2	1	1
म.सलाहुद्दीन अंसारी Mr. Salahuddin Ansari	1	1**	2	2***	NA	NA	1	1@	4	4
श्री डी. एन. ठाकुर Sri D. N. Thakur	NA	NA	NA	NA	2	2	1	1@	3	3
श्री पार्थ चंदा Sri Partha Chanda	1	1	NA	NA	2	2	2	2	3	3
31.03.2015 से पूर्व निदेशक मंडल में रहे निदेशकों की उपस्थिति का ब्योरा निम्नानुसार है : The following are details of the attendance of directors who were on the Board prior to 31.03.2015										
श्री एस चंद्रशेखरन् Sri S Chandra sekharan	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0
श्री बी. पी. विजयेन्द्र Sri B P Vijayendra	NA	NA	7	6	NA	NA	NA	NA	NA	NA
श्री मनोज कुमार गुप्ता Sri Manoj Kumar Gupta	1	0	3	3	1	1	0	0	0	0

* 01.04.2014 से 31.03.2015 तक की अवधि के दौरान तथा निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें

* The meetings held during the period from 01.04.2014 to 31.03.2015 and in the tenure of director

** 12.01.2015 तक श्री सुनील कुमार माहेश्वरी, निदेशक अधिक राशि के कपटों की निगरानी हेतु विशेष समिति के सदस्य रहे। 13.01.15 से श्री सलाहुद्दीन अंसारी, निदेशक अधिक राशि के कपटों की निगरानी हेतु विशेष समिति के सदस्य हुए।

** Sri Sunil Kumar Maheshwari, Director was member on Special Committee for Monitoring Large Value Frauds upto 12.01.2015. Sri Salahuddin Ansari, director on Special Committee for Monitoring Large Value Frauds from 13.01.15 onwards.

*** 24.12.2014 तक श्री सुनील कुमार माहेश्वरी, निदेशक, निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के सदस्य रहे। 25.12.2014 से श्री सलाहुद्दीन अंसारी, निदेशक, निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के सदस्य हुए।

*** Sri Sunil Kumar Maheshwari, Director was member on Audit Committee of the Board upto 24.12.2014. Mr. Salahuddin Ansari, director on Audit Committee of the Board from 25.12.2014 onwards.

@ 12.01.2015 तक श्री सलाहुद्दीन अंसारी, निदेशक, एसजीआरसीबी के सदस्य रहे। 13.01.2015 से श्री डी. एन. ठाकुर, निदेशक एसजीआरसीबी के सदस्य हुए।

@ Mr. Salahuddin Ansari, Director was member on SGRCB upto 12.01.2015. Sri D N Thakur, director on SGRCB from 13.01.2015 onwards.

निदेशक का नाम Name of Director	निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति Remuneration Committee of the Board		निदेशक मंडल की नामांकन समिति Nomination Committee of the Board		अपील मामलों के निपटान की समिति Committee for disposal of Appeal Cases	
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री प्रवीण रावल Sri Pravin Rawal	1	1	3	3	2	2
डॉ. अरविंद शर्मा Dr. Arvind Sharma	0	0	NA	NA	0	0
श्री सुनील कुमार माहेश्वरी Sri Sunil Kumar Maheshwari	1	1	3	3	2	2
श्री सलाहुद्दीन अंसारी Mr. Salahuddin Ansari	1	1	3	3	2	2
31.03.2015 से पूर्व निदेशक मंडल में रहे निदेशकों की उपस्थिति का ब्योरा निम्नानुसार है : The following are details of the attendance of directors who was on the Board prior to 31.03.2015						
श्री बी. पी. विजयेन्द्र Sri B P Vijayendra	1	1	0	0	2	2

4.0 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की बैठक / Shareholders Meetings held during the last three years :

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की आम बैठकों के ब्योरे इस प्रकार हैं

The details of the General Meetings of the Shareholders held during the last 3 years :

बैठक का नाम Name of the meeting	तारीख एवं दिन Date and Day	समय Time	स्थान Venue
9वीं वार्षिक आम बैठक 9 th Annual General Meeting	26 जून, 2012 26 th June, 2012	11.00 बजे 11.00 A.M.	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027
असाधारण आम बैठक Extra ordinary General Meeting	4 मार्च, 2013 4 th March, 2013	11.00 बजे 11.00 A.M.	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027
10वीं वार्षिक आम बैठक 10 th Annual General Meeting	28 जून, 2013 28 th June, 2013	11.00 बजे 11.00 A.M.	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027
असाधारण आम बैठक Extra ordinary General Meeting	11 फरवरी, 2014 11 th February, 2014	11.00 बजे 11.00 A.M.	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027
11वीं वार्षिक आम बैठक 11 th Annual General Meeting	30 जून, 2014 30 th June, 2014	11.00 बजे 11.00 A.M.	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027
असाधारण आम बैठक Extra ordinary General Meeting	20 मार्च, 2015 20 th March, 2015	11.00 बजे 11.00 A.M.	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027

4.1.1 पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति:

पिछली, यानी 11 वीं वार्षिक आम बैठक 30 जून, 2014 को नेशनल लाइब्रेरी आडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता -700027 में संपन्न हुई थी। श्री अरुण कौल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री एस. चन्द्रशेखरन्, कार्यपालक निदेशक, श्री जे. के. गर्ग, कार्यपालक निदेशक बैठक में उपस्थित थे।

4.1.2 पिछले तीन वर्षों के दौरान पारित विशेष संकल्प

- i) दिनांक 23 मार्च, 2012 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसकी शर्तों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने निदेशक मंडल द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को 6,06,13,407 से अनधिक तथा भारतीय जीवन बीमा निगम को 3,13,75,874 इक्विटी शेयर निर्गमित एवं आर्बिटिट किए जाने का अनुमोदन किया और सक्षम बनाया। बैंक ने सेबी आईसीडीआर नियमन, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार ₹82.49 प्रति शेयर मूल्य पर दिनांक 30.03.2012 को 58,18,887 शेयर भारत सरकार को तथा 3,13,75,874 शेयर भारतीय जीवन बीमा निगम को आर्बिटिट किए।
- ii) दिनांक 4 मार्च, 2013 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसकी शर्तों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने निदेशक मंडल द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को सेबी/आईसीडीआर के विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार ₹77.46 प्रति शेयर मूल्य पर 8,79,16,343 इक्विटी शेयर आर्बिटिट किए जाने का अनुमोदन किया और सक्षम बनाया।
- iii) दिनांक 11 फरवरी, 2014 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसकी शर्तों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने निदेशक मंडल द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, सेबी आईसीडीआर के विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार, ₹77.19 प्रति शेयर मूल्य पर अधिमान्य आधार पर (i) भारत सरकार को ₹200 करोड़ के अंशदान के लिए प्रत्येक ₹10 के 2,59,10,092 इक्विटी शेयर और (ii) भारत सरकार द्वारा धारित परपेचुअल नॉन क्युमुलेटिव अधिमान्य शेयर (पीएनसीपीएस) के बदले में ₹10 के 23,61,70,488 इक्विटी शेयर निर्गमित एवं आर्बिटिट करने का अनुमोदन किया और सक्षम बनाया।
- (iv) दिनांक 20 मार्च, 2015 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसकी शर्तों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने निदेशक मंडल द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, अधिमान्य आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम को सेबी आईसीडीआर के विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार ₹70.21 प्रति शेयर मूल्य पर 6,08,82,550 इक्विटी शेयर आर्बिटिट किए जाने का अनुमोदन किया और सक्षम बनाया।
- (v) आईपीओ के बाद से डाक द्वारा मतपत्र भेजने के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया है।

5.0 प्रकटीकरण :

बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 तथा बैंकिंग कंपनी (अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 द्वारा शासित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि सूचीबद्ध सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए सूचीकरण करार का खंड 49 उसी सीमा तक लागू होगा कि वह उनपर लागू संबंधित

4.1.1. Attendance of the Directors in the last Annual General Meeting :

The last i.e. 11th Annual General Meeting was held on 30th June, 2014 at National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027. Shri Arun Kaul, Chairman & Managing Director, Shri S. Chandrasekharan, Executive Director Shri J K Garg, Executive Director attended the meeting.

4.1.2. Special Resolutions passed during last three years

- i) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 23rd March, 2012, a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot upto 6,06,13,407 equity shares to Government of India and 3,13,75,874 equity shares to Life Insurance Corporation of India on preferential basis. Bank had allotted 58,18,887 equity shares to Government of India and 3,13,75,874 equity shares to LIC of India on 30.03.2012 at an issue price of ₹82.49 per share determined in accordance with Regulations 76 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2009.
- ii) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 4th March, 2013 a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot of 8,79,16,343 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of ₹77.46 per share determined in accordance with Regulations 76 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2009.
- iii) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 11th February, 2014, a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot (i) 2,59,10,092 equity shares of ₹10/- each to Government of India against contribution of ₹200 crore and (ii) 23,61,70,488 equity shares of ₹10/- upon conversion of Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPs) held by Government of India aggregating to ₹1823 crore to Government of India, on preferential basis at an issue price of ₹77.19 per share determined in accordance with Regulations 76 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2009.
- iv) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 20th March, 2015 a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot of 6,08,82,550 equity shares to Life Insurance Corporation of India on preferential basis at an issue price of ₹70.21 per share determined in accordance with Regulations 76 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2009.
- v) No special resolution was passed through postal ballot since IPO.

5.0. Disclosures :

The Bank is governed under the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and The Banking Companies (Acquisition & Transfer) & Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006. Reserve Bank of India, has clarified that for Listed Public Sector Banks, Clause 49 of the Listing Agreement

कानून एवं इस संबंध में भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांत का अतिक्रमण नहीं करता है।

5.1 निदेशकों का पारिश्रमिक :

पूर्णकालिक निदेशकों को देय “उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन राशि” के अतिरिक्त अध्यक्ष एवं कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केंद्रीय सरकार द्वारा तय किया जाता है। बैंक अंशकालिक निदेशकों को निम्नलिखित दरों पर बैठक शुल्क के अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक प्रदान नहीं करता है :

निदेशक मंडल की बैठक के लिए : प्रति बैठक ₹ 10,000/-

समिति की बैठक के लिए : प्रति बैठक ₹ 5,000/-

5.2 भौतिक लेनदेन तथा आर्थिक संबंध का प्रकटीकरण :

बैंकिंग कारोबार के सामान्य अनुक्रम के अतिरिक्त बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन आदि के साथ कोई ऐसा तात्त्विक उल्लेखनीय लेनदेन नहीं किया है जो बैंक के व्यापक हितों पर संभावित संकट पैदा कर सके। वर्ष के दौरान बैंक के परिप्रेक्ष्य में गैर-कार्यपालक निदेशक का कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था।

बैंक के निदेशक तथा वरिष्ठ प्रबंधन की आचार संहिता के अनुपालन में निदेशकगण, निदेशक मंडल या उसकी उपसमितियों की उन बैठकों में होने वाले विचार-विमर्श में भाग नहीं लेते हैं जिनमें निदेशकगण या उनके नातेदारों से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है।

5.3 सार्वजनिक निर्गम आदि से प्राप्त राशि

दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने सार्वजनिक/अधिकार निर्गम के रूप में इक्विटी शेयर जारी करके कोई राशि नहीं जुटाई। हालांकि बैंक ने सेबी आईसीडीआर के विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार रु. 70.21 प्रति शेयर निर्गम मूल्य पर अधिमानी आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम को 6,08,82,550 इक्विटी शेयर आबंटित किए। बैंक को प्राप्त उक्त राशि का उपयोग बैंक के कार्यशील पूंजी संसाधनों एवं बैंक की परिसंपत्तियों को बढ़ाने के लिए किया गया/किया जाएगा।

5.4 बैंक ने भारतीय बैंक संघ द्वारा परिचालित मसौदे के अनुसार निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता तैयार की है। उसका पाठ बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com पर उपलब्ध है। सभी निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

वर्ष के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित लेनदेन संबंधी किसी मामले में स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी अन्य सांविधिक/नियामक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर कोई गैर-अनुपालन का आरोप, दंड, आक्षेप नहीं लगाया गया है।

5.5 बैंक के संबंधित पक्षीय लेनदेन का प्रकटीकरण 31.03.2015 के तुलन-पत्र के लेखे पर नोट में किया गया है।

6.0 अनिवार्य/गैर अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन :

स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार लागू अनिवार्य अपेक्षाओं में प्रावधान का बैंक ने अनुपालन किया है। गैर अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति इस प्रकार है :

will apply only to the extent that it does not violate the relative statutes applicable to them and the guidelines issued by Government of India/Reserve Bank of India from time to time in this regard.

5.1. Remuneration of Directors :

Other than “Productivity Linked Incentives” payable to the whole time directors, the remuneration of the Chairman & Executive Director is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the part time directors except sitting fees at the following rates.

For Board Meeting : ₹10,000/- per sitting

For Committee Meeting : ₹ 5,000/- per sitting

5.2. Disclosure of Material Transactions and Pecuniary relationship:

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-à-vis the Bank during the year.

In compliance of the Code of Conduct for Directors and Senior Management of the Bank, Directors do not take part in the deliberations of the Board and its sub-committees when the matters relating to them or their relatives are discussed.

5.3. Proceeds from Public Issues etc.

During the financial year ended on 31st March, 2015, the Bank did not raise any Equity Shares by way of Public/Right Issue. However, Bank allotted 6,08,82,550 equity shares to Life Insurance on preferential basis at an issue price of ₹70.21 per share determined in accordance with Regulations 76 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2009. The funds so received by the Bank were utilized/would be utilized for augmenting Bank's working capital resources and expansion of banking assets.

5.4. The Bank has formulated a Code of Conduct for the Board of Directors and Senior Management on the lines of draft circulated by Indian Bank's Association. The text of the same is available on the website of the Bank www.ucobank.com All the Directors and Senior Management have affirmed their compliance of Code of Conduct during the period under review.

During the year, there is no instance of non-compliance, penalties, strictures imposed on the Bank by the Stock Exchanges or SEBI or any other statutory/regulatory authority on any matter related to Capital Markets transactions.

5.5. The related party transactions of the Bank are disclosed in the Note to accounts of the Balance Sheet as on 31.03.2015.

6.0. Compliance to Mandatory/Non-Mandatory Requirements:

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges. The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished as under :

अपेक्षा / Requirement	अनुपालन / Compliance
<p>बैंक को अपने और शेयरधारकों की ओर से संदर्भ की सहमत शर्तों सहित कार्यपालक निदेशकों को विशेष रिम्युनेरेशन पैकेज एवं पेंशन अधिकार तथा अन्य क्षतिपूर्ति भुगतान के संबंध में निर्धारण हेतु रिम्युनेरेशन समिति गठित करके बैंक की नीति बनानी चाहिए।</p> <p>The Bank should set up a remuneration committee to determine on their behalf and on behalf of the shareholders with agreed terms of reference, the Bank's policy on specific remuneration packages for executive directors including pension rights and any compensation payment.</p>	<p>भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रिम्युनेरेशन पैकेज निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल ने रिम्युनेरेशन समिति गठित की है।</p> <p>Remuneration Committee of the Board has been formed to determine the remuneration package in terms of the Government of India guidelines.</p>
<p>व्हिस्लर ब्लोअर नीति : अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध कपट या बैंक की आचार संहिता अथवा आचार नीति के उल्लंघन के संबंध में प्रबंधन की चिंताओं को दूर करने तथा कर्मचारियों को उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए बैंक एक प्रणाली विकसित कर सकता है।</p> <p>Whistle Blower Policy : The Bank may establish a mechanism for employees to report to the management concerns about unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of the Bank's code of conduct or ethics policy and provide for adequate safeguards against victimization of employees.</p>	<p>बैंक ने एक व्हिस्लर ब्लोअर नीति बनाई है।</p> <p>The Bank has put in place a Whistle Blower policy.</p>
<p>डाक मत-पत्र</p> <p>Postal Ballot</p>	<p>व्यावसायिक लेनदेन के लिए डाक मत-पत्र के माध्यम से विशेष प्रस्ताव रखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी।</p> <p>The business transacted did not require any special resolution be put through postal ballot.</p>

7.0 संचार के साधन:

7.1 बोर्ड द्वारा बैंक के वित्तीय विवरण के अनुमोदन/समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की तारीख को बैंक के परिचालन एवं वित्तीय कार्यनिष्पादन से संबंधित सूचना उन स्टॉक एक्सचेंजों को तत्काल दी जाती है जिनमें बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त बैंक का तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट (www.ucobank.com) पर प्रदर्शित किया जाता है। बैंक के ऐसे परिणाम को प्रेस विज्ञापितियों/विज्ञापनों के माध्यम से सार्वजनिक करने के साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों एवं अन्य हितबद्ध व्यक्तियों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है।

7.2 स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के अनुसार 30.06.2014, 30.09.2014 एवं 31.12.2014 को समाप्त तिमाही के बैंक के अलेखापरीक्षित किंतु समीक्षित वित्तीय परिणाम निर्धारित समय सीमा के भीतर व्यापक स्तर पर परिचालित समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए गए।

8.0 साधारण शेयरधारकों के लिए सूचना :

8.1.0 शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) :

चूंकि प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव से पहले बैंक की कुल इक्विटी पूंजी भारत सरकार द्वारा धारित थी, अतः 2002-03 तक कोई वार्षिक आम बैठक आयोजित नहीं की गई। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के बाद बैंक संविधि में यथाविहित और निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रतिवर्ष शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक आयोजित कर रहा है। शेयरधारकों की पिछली तीन आम बैठकों के विस्तृत विवरण मद सं. 4.0 के अंतर्गत दिए गए हैं।

7.0. Means of Communication :

7.1. The information about the operational and financial performance of the Bank are communicated to the Stock Exchanges, where the securities of the Bank are listed immediately on the date of Board meeting approving/reviewing the financial statements of the Bank, besides posting of quarterly/half-yearly/annual financial results in Bank's website (www.ucobank.com). Such results are also made public through press releases/advertisements as well as by presentation made to the representatives from print and electronic media and other interested members of the public.

7.2. As per the Listing Agreement with the stock exchanges Unaudited but Reviewed financial results of the Bank for the quarters ended on 30.06.2014, 30.09.2014 & 31.12.2014 were published within the prescribed time limit in widely circulated dailies.

8.0. General Shareholders Information:

8.1.0. Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders :

Before the Initial Public Offer, as the entire Equity Capital of the Bank was held by the Govt. of India, no Annual General Meeting was held till 2002-03. Subsequent to IPO, the Bank has been holding Annual General Meetings of the shareholders every year, as prescribed in the statute and within the stipulated time limit. The details of last three general meetings of the shareholders have been indicated under point no.4.0

8.2.0 स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता :

बैंक के इक्विटी शेयरों को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया है :

8.2.0. Listing on Stock Exchanges:



The equity shares of the Bank are listed on the following stock exchanges:

क्रम सं. SI.No.	स्टॉक एक्सचेंजों के नाम Name of the Stock Exchanges	स्टॉक कूट Stock Code	सूचीबद्ध किए जाने की तारीख Date of listing
1.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. National Stock Exchange of India Limited	यूको बैंक UCO BANK	09.10.2003
2.	बंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. Bombay Stock Exchange Limited	532505	09.10.2003

8.3.0 बैंक के शेयर के बाजार-मूल्य आंकड़े/मूल्य की स्थिति :

8.3.0 Market price data/price performance of Bank's share:

**निफ्टी की तुलना में शेयर मूल्य का उतार-चढ़ाव
MOVEMENT OF SHARE PRICE vs. NIFTY**



बैंक के शेयरों का क्रय-विक्रय दिनांक 9.10.2003 को शुरू हुआ। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) बंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई) में क्रय-विक्रय किए गए शेयरों का मासिक उच्च/निम्न भाव और परिमाण निम्नानुसार रहा:

The trading of the Bank's shares commenced on 09.10.2003. The monthly high/low quotations and volume of the share trading in The National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) during the financial year 2014-15 were as follows :

माह Month	बंबई स्टॉक एक्सचेंज/B.S.E			नेशनल स्टॉक एक्सचेंज/N.S.E		
	उच्च High(₹)	निम्न Low(₹)	परिमाण Volume	उच्च High(₹)	निम्न Low(₹)	परिमाण Volume
अप्रैल/Apr-14	80.40	70.20	9173934	79.10	71.55	61915365
मई/May-14	114.90	73.50	25633833	111.50	74.50	169782599
जून/Jun-14	115.75	94.20	15158492	114.20	99.25	109387159
जुलाई/Jul-14	114.85	93.05	14377484	114.20	95.15	114610932
अगस्त/Aug-14	102.95	88.05	9818470	102.50	88.90	69124701
सितंबर/Sep-14	92.80	76.60	9475150	90.05	82.00	65907016
अक्टूबर/Oct-14	87.85	75.60	5510102	87.45	79.00	45319474
नवंबर/Nov-14	90.00	79.50	9691111	88.60	83.00	61727510
दिसंबर/Dec-14	92.95	72.50	10528905	90.80	75.80	74273243
जनवरी/Jan-15	86.90	74.65	5739452	85.70	75.30	45081260
फरवरी/Feb-15	77.50	65.50	8380136	76.80	68.20	56295677
मार्च/Mar-15	77.00	61.70	4577118	74.20	63.90	33123315

संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

The Listing Fees have already been paid to the respective Stock Exchanges.

8.4.0. प्रति शेयर आंकड़ा/Per Share Data

मानदंड/Parameter	31.03.2014	31.03.2015
अंकित मूल्य / Face Value (₹)	10/-	10/-
बाजार भाव / Market Quotation (₹)	72.95 (एनएसई में /at NSE)	63.90 (एनएसई में/at NSE)
प्रति शेयर अर्जन / Earning Per Share (₹)	19.44	11.20
अंतरिम लाभांश/Interim Dividend (%)	20%	-
अन्तिम लाभांश/Final Dividend(%)	10%	20%

8.5.0 शेयरों का अमूर्तीकरण

8.5.1 बैंक के ईक्विटी शेयर अनिवार्य रूप से डीमैट रूप में क्रय-विक्रय किए जाने हेतु उपलब्ध हैं। शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए बैंक ने एनएसडीएल एवं सीएसडीएल के साथ समझौता किया है। शेयरधारक अपना खाता रखनेवाले निक्षेपागार सहभागियों के पास अपने शेयरों का अमूर्तीकरण एनएसडीएल या फिर सीएसडीएल के जरिए करवा सकते हैं। बैंक के ईक्विटी शेयरों का आईएसआईएन कूट आईएनई 691ए01018 है।

प्रतिभूतियों के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क (2014-2015) का भुगतान निक्षेपागारों, यानी एनएसडीएल एवं सीडीएसएल को किया जा चुका है।

8.5.2 दिनांक 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों द्वारा मूर्त एवं अमूर्त रूप में धारित शेयरों का विवरण:

विवरण Particulars	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	%शेयरधारिता % Shareholding
मूर्त/Physical	75608	72715265	6.76
एनएसडीएल/NSDL	164208	197057257	18.32
सीडीएसएल/CDSL	67631	805819190	74.92
योग/Total	307447	1075591712	100.00

8.5.3 बैंक अपनी डी.एन. रोड शाखा, मुंबई के जरिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) के निक्षेपागार सहभागी (डी.पी) के रूप में कार्य कर रहा है। डी.पी सेवा निम्नलिखित चुनिंदा शाखाओं, यथा-इंडिया एक्सचेंज प्लेस शाखा, कोलकाता, आश्रम रोड शाखा, अहमदाबाद, संसद

8.5.0. Dematerialisation of the Shares

8.5.1. The equity shares of the Bank are available for trading compulsorily in Demat form. The Bank has entered into an agreement with NSDL and CDSL for dematerialisation of shares. Shareholders can get their shares dematerialised with their Depository Participants maintaining their account either with NSDL or CDSL. The ISIN Code for the Bank's equity share is INE691A01018.

The Annual Custodial Fees (2014-15) for the securities have been paid to NSDL and CDSL.

8.5.2. Particulars of share in physical form & Demat held by Shareholders as on 31st March, 2015

8.5.3. The Bank is functioning as a Depository Participant (D.P) of National Securities Depository Ltd. (NSDL) through D.N. Road Branch, Mumbai. The D.P. Services have since been extended to cover wide range of customers through select branches namely,

मार्ग शाखा, नई दिल्ली, के.जी. रोड शाखा, बंगलूर, चेन्नै (मुख्य) शाखा, तथा बंजारा हिल्स शाखा, हैदराबाद में उपलब्ध कराई गई है जिससे अधिकाधिक ग्राहक उसका लाभ उठा सकें।

8.5.4 बैंक ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं की है।

8.6.0 कार्पोरेट लाभ/लाभांश परंपरा

शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष Year	लाभांश प्रति शेयर (₹) Dividend Per Share (₹)	वर्ष Year	लाभांश प्रति शेयर (₹) Dividend Per Share (₹)
2003-04	0.80	2009-10	1.50
2004-05	1.00	2010-11	3.00
2005-06	-	2011-12	3.00
2006-07	1.00	2012-13	1.60
2007-08	1.00	2013-14 (अंतरिम/Interim)	2.00
2008-09	1.00	अंतिम/Final	1.00

8.6.1 निवेशकर्ता शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अदत्त/अदावी लाभांश राशि का अंतरण

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 (बी)(1) के अनुसार जो लाभांश राशियां अदावी लाभांश खातों में अंतरित किए जाने की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त या अदावी रहती हैं उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेश शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया जाएगा। इन प्रावधानों का अनुपालन करते हुए बैंक ने वर्ष 2003-04, 2004-05 एवं 2006-07 का अदत्त लाभांश आईईपीएफ को अंतरित किया।

8.7 शेयर अंतरण प्रणाली एवं निवेशकों की शिकायतों का निवारण

बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए हर तरह की सावधानी बरतता है कि शेयरों के अंतरण के लिए सभी वैध अनुरोधों का निपटान पूर्ण रूप से भरे फार्मों के जमा किए जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर विधिवत कर दिया जाए। निदेशक मंडल ने शेयरों के अंतरण/प्रेषण एवं डुप्लिकेट शेयर जारी करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए शेयर अंतरण समिति का गठन किया है।

8.8 बैंक द्वारा मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. हैदराबाद को अपना रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट नियुक्त किया गया है। पते में परिवर्तन, अधिदेश में परिवर्तन, शेयरों के अंतरण आदि से संबंधित सभी पत्राचार उनसे निम्नलिखित पते पर किए जाएं:

India Exchange Place Branch, Kolkata, Ashram Road Branch, Ahmedabad, Parliament Street Branch, New Delhi and KG Road Branch, Bangalore, Chennai (Main) Branch and Banjara Hills Branch, Hyderabad.

8.5.4. The Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments during the period under review.

8.6.0. Corporate Benefits/Dividend History

Details of dividend paid to the shareholders are as under:

8.6.1. Transfer of Unpaid/Unclaimed Dividend amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

As per Section 10 (B) (1) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the dividend amounts which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to unclaimed dividend accounts, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by Central Government. In pursuant to the above provisions, Bank transferred unclaimed dividend for the years 2003-04, 2004-05 and 2006-07 to IEPF.

8.7. Share Transfer System & Redressal of Investor's Grievances :

The Bank takes every care to ensure that all valid requests for Transfer of Shares are duly complied within the period of 15 days from the date of lodgement of the completed forms. The Board of Directors has constituted the Share Transfer Committee to consider Transfer/Transmission and requests for issuance of duplicate Shares.

8.8. M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad has been appointed by the Bank as its Registrars and Share Transfer Agent. All communications regarding change of address, change of mandate, transfer of shares etc. may be addressed to them in their following address:

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.
(इकाई: यूको बैंक)
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लाट नं. 31-32, गचीबाउली,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद-500008

M/s. Karvy Computershare Private Ltd.
(Unit : UCO Bank)
Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500008

संपर्क:
टेलीफोन: 040 - 67161500
फैक्स: 040 - 23420814
टोल फ्री सं.: 1800-345-4001
ई-मेल: einward.ris@karvy.com

Contact No:
Phone: 040-67161500
Fax: 040-23420814
Toll Free No.:1800-345-4001
Email: einward.ris@karvy.com

बैंक ने शेयरधारकों की शिकायतों एवं उनसे संबंधित मामलों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए शेयरधारक शिकायत निवारण समिति का भी गठन किया है।

दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों की शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है :

The Bank has also constituted Shareholder's Grievance Redressal Committee to review the status of redressal of Shareholder's grievances and related matters.

The status of Shareholder' Complaints as on 31.03.2015 is as under:

1. 1 अप्रैल 2014 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतें/ Pending complaints as on 1 st April, 2014	1
2. 31.3.2015 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें/ Complaints received during the year ended on 31.03.2015	2696
3. 31.3.2015 को समाप्त वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें/ Complaints disposed off during the year ended on 31.03.2015	2697
4. 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतें/ Complaints pending as on 31.03.2015	Nil/शून्य

9.0 दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का स्वरूप / Shareholding Pattern As on 31.03.2015

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	धारकों की सं. No. of holders	धारित शेयरों की संख्या No. of shares held	ईक्विटी का % % of equity
अ/प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह A. Promoter/Promoter Group			
भारत सरकार / Govt. of India	1	783333288	72.83
आ. सार्वजनिक शेयरधारिता / B. Public Shareholding			
1. संस्थाएं / Institutions			
क/a. म्यूचुअल फंड / Mutual Funds	11	928564	0.09
ख/b. वित्तीय संस्थाएं/बैंक /Financial Institutions/Banks	15	1392824	0.13
ग/c. बीमा कंपनियां / Insurance Companies	18	156388166	14.54
घ/d. विदेशी संस्थागत निवेशक / Foreign Institutional Investors	75	40550264	3.77
2. गैर-संस्थाएं / Non-Institutions			
क/a. कॉर्पोरेट निकाय / Bodies Corporate	1740	13213933	1.23
ख/b. वैयक्तिक धारिता / Individuals holding			
i. 1 लाख तक सांकेतिक शेयर पूंजी nominal share capital upto ₹1 lac	303881	67188889	6.25
ii. 1 लाख ₹ से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी nominal share capital above ₹1 lac	267	9991604	0.93
ग/c. न्यास / Trust	19	363596	0.03
घ/d. समाशोधन सदस्य / Clearing Members	142	509373	0.05
ङ/e. अनिवासी भारतीय /Non-Resident Indians	1278	1731211	0.15
योग/ TOTAL	307447	1075591712	100.00

31.03.2015 को शेयरधारिता का वितरण/Distribution of Shareholding as on 31.03.2015

श्रेणी(राशि ₹ में)/Category (Amt. in ₹)		शेयरधारकों की सं. No. of Share – Holders	कुल शेयरधारकों का % % of the total Shareholders	कुल शेयरों की सं. No. of Total Shares	कुल शेयरों का % % of the total Shares
से/From	तक/To				
1	5000	285200	92.75	38158592	3.55
5001	10000	12734	4.14	10295747	0.96
10001	20000	5652	1.84	8548007	0.80
20001	30000	1504	0.49	3851647	0.36
30001	40000	681	0.22	2443555	0.23
40001	50000	431	0.14	2060465	0.19
50001	100000	674	0.22	4900814	0.45
100001	और अधिक/And above	571	0.18	1005332885	93.46
कुल/TOTAL		307447	100.00	1075591712	100

10.0 बैंक के साथ पत्राचार का पता:

शेयरों के अमूर्तीकरण, शेयरों के अंतरण, पते में परिवर्तन, लाभांश प्राप्त न होने, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाने आदि से संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए निवेशक अपना अनुरोध/शिकायत बैंक के पास निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:

श्री एन.पूर्ण चंद्र राव
कंपनी सचिव
यूको बैंक : प्रधान कार्यालय
वित्त विभाग
2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल,
कोलकाता-700 001

टेलीफोन सं. 44557227
फैक्स सं. (033) 2248-5625
ई-मेल पता :
hosgr.calcutta@ucobank.co.in

10.0. Address for correspondence with Bank :

For any assistance regarding dematerialisation of shares, transfer of shares, change of address, non-receipt of dividend, issuance of duplicate share certificates etc., the investors can mail their request/complaint to the Bank in the following address :

Shri N Purna Chandra Rao
Company Secretary
UCO Bank : Head Office
Finance Department
2, India Exchange Place, 3rd Floor,
Kolkata – 700 001

Telephone No. (033)44557227
Fax No. (033) 2248-5625
E-Mail Address :
hosgr.calcutta@ucobank.co.in

10.1 निवेशकों की शिकायत के लिए विशेष ई-मेल आईडी:

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में यूको बैंक ई-विट्टी शेयर/लाभांश के भुगतान आदि के संबंध में निवेशकों/शेयरधारकों की किसी शिकायत के लिए एक विशिष्ट ई-मेल आईडी तैयार किया गया है। निवेशकों की किसी भी शिकायत का जल्द से जल्द उत्तर दिए जाने के साथ ही अनुपालन अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विशिष्ट ई-मेल आईडी hosgr.calcutta@ucobank.co.in है। ई-मेल आईडी बैंक के वेबसाइट में भी दर्ज किया गया है।

10.1. Exclusive e-mail ID for Investors' Complaints :

In compliance with the SEBI guidelines, a dedicated e-mail ID has been created for any complaints by the Investors/Shareholders regarding UCO Bank Equity Shares/Payment of Dividends etc. Any complaint by the Investors shall be responded expeditiously along with necessary action taken by the Compliance Officer. The e-mail ID is: hosgr.calcutta@ucobank.co.in The e-mail ID is also been posted in the website of the Bank.

11.0 कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 के अधीन यथापेक्षित सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षित प्रमाणपत्र निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है और यह कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2014-15 का अभिन्न अंग है। (अनुलग्नक-I)

11.0. Auditors Report on Corporate Governance

As required under Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges, the Audit Certificate on Corporate Governance for year 2014-15 issued by the Statutory Central Auditors is submitted to the Board of Directors and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2014-15. (Annexure-I)

12.0 सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र

सूचीकरण करार के खंड 49 के अधीन सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और यह कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2014-15 का अभिन्न अंग है (अनुलग्नक-II)।

12.0. CEO & CFO Certificate

The Certificate of CEO & CFO under Clause 49 of the Listing Agreement is submitted to the Board of Directors and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2014-15. (Annexure-II)

आचार संहिता के अनुपालनार्थ घोषणा

बैंक ने निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं बैंक के कोर प्रबंधन के लिए आचार संहिता निर्धारित की है एवं यह बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सदस्यों एवं कोर प्रबंधन ने दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

Declaration On Compliance With Code Of Conduct

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board members and Core Management of the Bank and which is posted on the website of the Bank. The Board members and Core Management have affirmed compliance with the Code of Conduct as on 31.03.2015

कृते यूको बैंक

(अरुण कौल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

For UCO Bank
(Arun Kaul)
Chairman & Managing Director

कार्पोरेट अभिशासन से संबंधित लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

निदेशक मंडल,
यूको बैंक,
प्रधान कार्यालय,
10, वि.त्रै.म. सरणी
कोलकाता-700001

हमने विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण करार के खंड 49 में यथाविनिर्दिष्ट 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए यूको बैंक द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि और उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित रही। यह न तो लेखापरीक्षा और न ही बैंक के वित्तीय विवरण के बारे में राय की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा धारित अभिलेखों और दस्तावेजों के बारे में हमारी समीक्षा तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीकरण करार में यथाविनिर्दिष्ट कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन उस हद तक किया है कि वे भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों का अतिक्रमण नहीं करते हैं।

हम यह कथित करते हैं कि शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति द्वारा धारित अभिलेखों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार बैंक के विरुद्ध कोई भी निवेशक शिकायत एक माह से अधिक समय से लंबित नहीं है।

हम आगे यह भी कथित करते हैं कि यह अनुपालन बैंक के कार्य संपादन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभाविता हेतु बैंक की भावी लाभप्रदता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है।

वास्ते ए. कायेस एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 311149E

(सीए अमरुल कायेस)
भागीदार
सदस्यता सं. 050363

वास्ते गुहा नन्दी एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 302039E

(सीए डॉ. बी एस कुन्डू)
भागीदार
सदस्यता सं. 051221

वास्ते ए. सचदेव एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 001307C

(सीए दिनेश सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं. 074977

वास्ते निरुपम एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 323575E

(सीए सुधीर चंद्र बसु)
भागीदार
सदस्यता सं. 006197

वास्ते ओ. पी. गर्ग एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 001194N

(सीए सलिल गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 097922

Auditor's Certificate on Corporate Governance

To
The Board of Directors,
UCO Bank
Head Office,
10, B.T. M. Sarani
Kolkata – 700 001

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by UCO Bank for the year ended 31st March 2015, as stipulated in clause 49 of the listing agreements entered into with various Stock Exchanges.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of the Financial Statements of the Bank.

On the basis of our review of records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given us, in our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned listing agreements to the extent these do not violate RBI guidelines.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month as on 31st March 2015 against the Bank as per the records maintained by the Shareholders/Investors Grievance Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank for the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For A. KAYES & CO
Chartered Accountants
Registration No. 311149E

(CA Amrul Kayes)
Partner
Membership No. 050363

For GUHA NANDI & CO.
Chartered Accountants
Registration No. 302039E

(CA DR. B S KUNDU)
Partner
Membership No. 051221

For A. SACHDEV & CO.
Chartered Accountants
Registration No. 001307C

(CA DINESH SINGH)
Partner
Membership No. 074977

For NIRUPAM & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 323575E

(CA SUDHIR CHANDRA BASU)
Partner
Membership No. 006197

For O.P.GARG & CO.
Chartered Accountants
Registration No. 001194N

(CA SALIL GUPTA)
Partner
Membership No. 097922

स्थान/Place: कोलकाता/Kolkata,
दिनांक/Dated : 12th मई/May, 2015

निदेशक मंडल
यूको बैंक
प्रधान कार्यालय
कोलकाता

विषय : वर्ष 2014-15 के लिए सीईओ/सीएफओ का प्रमाण पत्र

महोदय,

स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ सूचीकरण करार के खंड 41 एवं 49 के अनुपालन में हम निम्न प्रकार से प्रमाणित करते हैं :

- क) हमने बैंक के वर्ष 2014-15 के वित्तीय विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार-
- इन विवरणों में कोई तात्त्विक असत्य विवरण अंतर्विष्ट नहीं है या किसी तात्त्विक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या कोई भ्रामक विवरण अंतर्विष्ट नहीं है,
 - ये दोनों विवरण बैंक के क्रियाकलापों का सही एवं उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं और ये विद्यमान लेखांकन मानकों, लागू विधियों एवं विनियमों के अनुपालन में हैं।
- ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अनियमित है या बैंक की आचार संहिता का अतिक्रमण करता है।
- ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है। इसके साथ ही हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की ऐसी रूपरेखा और परिचालन संबंधी कमियों, यदि हों, का प्रकटीकरण किया है जिनका हमें पता चला है और इन कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों का भी हवाला दिया है।
- घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है :
- वर्ष 2014-15 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में उल्लेखनीय परिवर्तन
 - वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन तथा उसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण से संबंधित नोट में किया गया है; और
 - हमारी जानकारी में आए उल्लेखनीय कपट के मामले और उसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रबंधन या बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में उल्लेखनीय भूमिका अदा करनेवाले किसी कर्मचारी की, यदि कोई हो, अंतर्ग्रस्तता।

भवदीय,

(पी. जी. जोशी)
महाप्रबंधक (वित्त)
(मुख्य वित्त अधिकारी)

(अरुण कौल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(मुख्य कार्यपालक अधिकारी)

स्थान: कोलकाता,
दिनांक : 12 मई 2015,

शेयरधारकों से ग्रीन पहल के तहत अपील

जो शेयरधारक डीमैट के रूप में शेयर धारण किए हैं उनसे अनुरोध है कि वे अपने जमाकर्ता के पास अपना ई-मेल आईडी दर्ज कराएँ। जो शेयरधारक अपने शेयर भौतिक रूप में धारण किए हुए हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट, कार्बी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को निम्न प्ररूप में अपनी अनुमति भेजें :

मेसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट : यूको बैंक, कार्बी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गचीबावली,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500 032
दूरभाष : (040) 67161500; फैक्स : (040)23420814

मै/हम _____, जो भौतिक रूप में बैंक के _____ शेयर धारण किए

हुए हैं/हैं, नीचे दिए गए ई-मेल आईडी पर नोटिसों, वार्षिक रिपोर्टों सहित सभी सूचना-पत्र प्राप्त करने का इच्छुक हूँ/के इच्छुक हैं :

फोलियो न. _____ ई-मेल आईडी _____

प्रथम धारक के हस्ताक्षर

To
The Board of Directors
UCO Bank
Head Office
Kolkata

Sub: CEO/CFO Certification for the year 2014-15.

Dear Sirs,

Pursuant to clause 41 and 49 of the Listing Agreements with Stock Exchange, Mumbai and National Stock Exchange Limited, we hereby certify that:

- a) We have reviewed the financial statements and cash flow statement of the Bank for the year 2014-15 and to the best of our knowledge and belief
 - i. these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statement that might be misleading;
 - ii. these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- b) There are to the best of our knowledge and belief no transaction enter into by the Bank during the year 2014-15 which are fraudulent, illegal or violates Bank's Code of Conduct.
- c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- d) We have indicated to the Auditors and Audit Committee
 - i. significant changes in internal control over financial reporting during the year 2014-15
 - ii. significant changes in accounting policies during the year and the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - iii. instances of significant fraud which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant roles in the Bank's internal control system over financial reporting.

Yours faithfully,

(P.G. Joshi)
General Manager
(Chief Financial Officer)

(Arun Kaul)
Chairman & Managing Director
(Chief Executive Officer)

Place: Kolkata
Date : 12.05.2015

GREEN INITIATIVE APPEAL TO THE SHAREHOLDERS

The Shareholders holding shares in demat form are requested to register their e-mail id with their Depository. Shareholders holding shares in physical form are requested to send their consent to our Registrar and Transfer Agent, Karvy Computershare Pvt Ltd. on the following format.

M/s. Karvy Computershare Private Limited

Unit : UCO BANK, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda Serilingampally, Hyderabad - 500 032
Tel : (040) 67161500; Fax : (040)23420814

I/We _____ holding _____ shares of the Bank in physical form intend to receive all communications including notices, annual reports, through our e-mail id given hereunder :

Folio No _____ E-mail id _____

Signature of the first holder

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

पूंजी एवं देयताएं	अनुसूची	31.3.2015 की स्थिति	31.3.2014 की स्थिति
CAPITAL AND LIABILITIES	Schedule	As on 31.3.2015 ₹	As on 31.3.2014 ₹
पूंजी			
Capital	1	1075 59 17	1014 70 92
आरक्षित निधियां और अधिशेष			
Reserves & Surplus	2	11473 36 36	10211 57 93
जमाराशियां			
Deposits	3	214336 70 79	199533 54 81
उधार			
Borrowings	4	10252 54 00	20718 23 77
अन्य देयताएं और प्रावधान			
Other Liabilities & Provisions	5	8778 70 65	7646 67 92
योग /TOTAL		245916 90 97	239124 75 35

वास्ते ए. कायेस एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 311149E
For A. KAYES & CO
Chartered Accountants
Registration No. 311149E
(सीए अमरुल कायेस)
भागीदार
सदस्यता सं. 050363
(CA Amrul Kayes)
Partner
Membership No. 050363

वास्ते गुहा नन्दी एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 302039E
For GUHA NANDI & CO.
Chartered Accountants
Registration No. 302039E
(सीए डॉ. बी एस कुन्डू)
भागीदार
सदस्यता सं. 051221
(CA DR. B S KUNDU)
Partner
Membership No. 051221

वास्ते ए. सचदेव एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 001307C
For A. SACHDEV & CO.
Chartered Accountants
Registration No. 001307C
(सीए दिनेश सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं. 074977
(CA DINESH SINGH)
Partner
Membership No. 074977

वास्ते निरुपम एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 323575E
For NIRUPAM & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 323575E
(सीए सुधीर चंद्र बसु)
भागीदार
सदस्यता सं. 006197
(CA SUDHIR CHANDRA BASU)
Partner
Membership No. 006197

वास्ते ओ. पी. गर्ग एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 001194N
For O.P.GARG & CO.
Chartered Accountants
Registration No. 001194N
(सीए सलिल गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 097922
(CA SALIL GUPTA)
Partner
Membership No. 097922

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र (जारी)
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015 (Contd.)

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

आस्तियां	अनुसूची	31.3.2015 की स्थिति As on 31.3.2015	31.3.2014 की स्थिति As on 31.3.2014
ASSETS	Schedule	₹	₹
आस्तियां /ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	8267 52 21	8049 21 25
बैंकों में अधिशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि			
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	13901 44 66	6962 79 85
निवेश			
Investments	8	68859 43 14	67451 69 39
अग्रिम			
Advances	9	147350 86 57	149584 21 37
अचल आस्तियां			
Fixed Assets	10	1113 99 90	1061 75 82
अन्य आस्तियां			
Other Assets	11	6423 64 49	6015 07 67
योग /TOTAL		245916 90 97	239124 75 35
आकस्मिक देयताएं			
Contingent Liabilities	12	74826 10 83	74358 11 76
वसूली के लिए बिल			
Bills for Collection	-	5665 49 09	5206 80 97

अरुण कौल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ARUN KAUL
Chairman & Managing Director

जे. के. गर्ग
कार्यपालक निदेशक
J. K. GARG
Executive Director

चरण सिंह
कार्यपालक निदेशक
CHARAN SINGH
Executive Director

डॉ. अरविंद शर्मा
निदेशक
DR. ARVIND SHARMA
Director

एस. के. माहेश्वरी
निदेशक
S. K. MAHESHWARI
Director

डी. एन. ठाकुर
निदेशक
D. N. THAKUR
Director

पी. चन्द
निदेशक
P. CHANDA
Director

मो. सलाहुद्दीन अंसारी
निदेशक
MD. SALAHUDDIN ANSARI
Director

पी. जी. जोशी
महाप्रबंधक
P. G. JOSHI
General Manager

पी. एक्स. एस. रविचंद्र
सहायक महाप्रबंधक
P.X.S. RAVICHANDER
Asst. General Manager

स्थान/Place: कोलकाता/Kolkata,
दिनांक/Dated : 12th मई/May, 2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

अनुसूची	31.3.2015	31.3.2014
Schedule	Year Ended	Year Ended
	31.3.2015	31.3.2014
	₹	₹
I. आय/INCOME		
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	19358 99 25
अन्य आय /Other Income	14	2003 54 40
योग/TOTAL		21362 53 65
II. व्यय/EXPENDITURE		
व्यय किया गया ब्याज		
Interest Expended	15	13796 53 90
परिचालन व्यय		
Operating Expenses	16	2655 77 84
प्रावधान और आकस्मिक व्यय		
Provisions & Contingencies		3772 41 96
योग/TOTAL		20224 73 70
III. लाभ/हानि/PROFIT / LOSS		
वर्ष का निवल लाभ/(हानि)		
Net Profit/(Loss) for the Year		1137 79 95
लाभ/(हानि) अग्रेनीत		
Profit/(Loss) Brought Forward		2949 93 70
योग /TOTAL		4087 73 65
		3625 12 08

वास्ते ए. कायेस एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 311149E
For A. KAYES & CO
Chartered Accountants
Registration No. 311149E
(सीए अमरुल कायेस)
भागीदार
सदस्यता सं. 050363
(CA Amrul Kayes)
Partner
Membership No. 050363

वास्ते गुहा नन्दी एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 302039E
For GUHA NANDI & CO.
Chartered Accountants
Registration No. 302039E
(सीए डॉ. बी एस कुन्दू)
भागीदार
सदस्यता सं. 051221
(CA DR. B S KUNDU)
Partner
Membership No. 051221

वास्ते ए. सचदेव एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 001307C
For A. SACHDEV & CO.
Chartered Accountants
Registration No. 001307C
(सीए दिनेश सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं. 074977
(CA DINESH SINGH)
Partner
Membership No. 074977

वास्ते निरुपम एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 323575E
For NIRUPAM & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 323575E
(सीए सुधीर चंद्र बसु)
भागीदार
सदस्यता सं. 006197
(CA SUDHIR CHANDRA BASU)
Partner
Membership No. 006197

वास्ते ओ. पी. गर्ग एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 001194N
For O.P.GARG & CO.
Chartered Accountants
Registration No. 001194N
(सीए सलिल गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 097922
(CA SALIL GUPTA)
Partner
Membership No. 097922

स्थान/Place: कोलकाता/Kolkata,
दिनांक/Dated : 12th मई/May, 2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा (जारी)
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH,
2015 (CONTD.)

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

अनुसूची Schedule	31.3.2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2015 ₹	31.3.2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2014 ₹
IV. विनियोजन/APPROPRIATIONS		
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण/Transfer to Statutory Reserves	284 44 98	377 63 60
पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण/Transfer to Capital Reserves	32 07 62	61 77
निवेश आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Investment Reserve		2 10 67
प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend	215 11 83	251 99 66
प्रस्तावित लाभांश पर कर Tax on Proposed Dividend	43 01 08	42 82 68
शेषराशि तुलनपत्र में आगे लाई गई Balance Carried over to Balance Sheet	3513 08 14	2949 93 70
योग /TOTAL	4087 73 65	3625 12 08
मुख्य लेखा नीतियां /Principal Accounting Policies	17	
लेखों पर टिप्पणी/Notes on Accounts	18	
मूल एवं न्यूनीकृत ई पी एस (₹) / Basic & Diluted EPS (₹)	11.20	19.44
हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचियां 1 से 18 लेखे के अभिन्न अंग हैं The Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts As per our Report of even date		

अरुण कौल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ARUN KAUL
Chairman & Managing Director

जे. के. गर्ग
कार्यपालक निदेशक
J. K. GARG
Executive Director

चरण सिंह
कार्यपालक निदेशक
CHARAN SINGH
Executive Director

डॉ. अरविंद शर्मा
निदेशक
DR. ARVIND SHARMA
Director

एस. के. माहेश्वरी
निदेशक
S. K. MAHESHWARI
Director

डी. एन. ठाकुर
निदेशक
D. N. THAKUR
Director

पी. चन्द
निदेशक
P. CHANDA
Director

मो. सलाहुद्दीन अंसारी
निदेशक
MD. SALAHUDDIN ANSARI
Director

पी. जी. जोशी
महाप्रबंधक
P. G. JOSHI
General Manager

पी. एक्स. एस. रविचंद्र
सहायक महाप्रबंधक
P.X.S. RAVICHANDER
Asst. General Manager

स्थान/Place: कोलकाता/Kolkata,
दिनांक/Dated : 12th मई/May, 2015

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015

अनुसूची 1 – पूंजी
Schedule 1 – CAPITAL

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2015		31.3.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2014	
	₹	₹	₹	₹
प्राधिकृत पूंजी / Authorised Capital				
प्रत्येक ₹ 10/- के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each	3000 00 00		3000 00 00	
प्रत्येक ₹ 1,00,000/- के 225,000 बेमियादी असंचयी अधिमानी शेयर 225,000 Perpetual Non-Cumulative Preference Shares of ₹1,00,000/- each	<u>2250 00 00</u>	5250 00 00	<u>2250 00 00</u>	5250 00 00
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी Subscribed, Issued and Paid up Capital				
प्रत्येक ₹ 10/- के 107,55,91,712 (101,47,09,162) इक्विटी शेयर 107,55,91,712 (101,47,09,162) Equity Shares of ₹ 10/- each	1075 59 17		1014 70 92	
[केन्द्र सरकार द्वारा धारित 78,33,33,288 (78,33,33,288) शेयर इसमें शामिल हैं] [includes 78,33,33,288 (78,33,33,288) shares held by Central Govt.]		1075 59 17		1014 70 92
योग /TOTAL		1075 59 17		1014 70 92

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015
अनुसूची 2 – आरक्षित निधियां और अधिशेष
Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2015		31.3.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2014	
	₹	₹	₹	₹
I. सांविधिक आरक्षित निधियां/Statutory Reserves:				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	1980 11 66		1602 48 06	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	284 44 98		377 63 60	
	<u>2264 56 64</u>		<u>1980 11 66</u>	
		2264 56 64		1980 11 66
II. पूंजी आरक्षित निधियां/Capital Reserves :				
क) पूंजीगत प्राप्ति				
a) Capital Gain				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance		1 17 00		1 17 00
ख/ब) निवेश/Investment :				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	319 60 35		318 98 58	
लाभ और हानि लेखे से अंतराहता/ Transfer from Profit & Loss Account	32 07 62		61 77	
	<u>351 67 97</u>		<u>319 60 35</u>	
		351 67 97		319 60 35
ग) अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यन :				
c) Revaluation of Fixed Assets :				
प्रारंभिक शेष /Opening Balance	737 08 25		689 11 75	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	41 49 80		23 85 17	
वर्ष की समाप्ति पर मौजूद दर पर विदेशी शाखाओं से संबंधित समायोजन Adjustment on account of Foreign branches at rates as at year end.	778 58 05		712 96 92	
	<u>-13 98 26</u>		<u>24 11 33</u>	
	764 59 79		737 08 25	
परिसर की बिक्री पर कटौती/ Deduction on sale of premises	36 67		-	
	<u>764 23 12</u>		<u>737 08 25</u>	
वर्ष की समाप्ति तक पुनर्मूल्यन के कारण मूल्यहास का समायोजन Depreciation upto year end on revaluation adjusted	154 50 39		149 68 21	
		609 72 73		587 40 04

**31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015**

**अनुसूची 2 – आरक्षित निधियां और अधिशेष (जारी)
Schedule 2 – RESERVES & SURPLUS (Contd.)**

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2015		31.3.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2014	
	₹	₹	₹	₹
III. शेयर प्रीमियम/ Share Premium				
प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	3525 47 04		1764 55 10	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	<u>366 57 38</u>		<u>1760 91 94</u>	
		3892 04 42		3525 47 04
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां/ Revenue & Other Reserves				
क/अ) सामान्य आरक्षित निधि/ General Reserve :				
प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	399 73 03		399 73 03	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer from Profit & Loss Account	-		-	
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि से अंतरण/ Transfer from Investment Fluctuation Reserve	<u>-</u>		<u>-</u>	
	399 73 03		399 73 03	
		399 73 03		399 73 03
ख) विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि/ b) Foreign Currency Translation Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	354 00 27		268 54 41	
जोड़ें : विनिमय उच्चत लेखे से अंतरण/ Add: Transfer from Exchange Suspense A/c	64 19		85 45 86	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	<u>-</u>		<u>-</u>	
	354 64 46		354 00 27	
वर्ष के दौरान कटौती/ Deduction during the year	<u>-</u>		<u>-</u>	
		354 64 46		354 00 27
ग) निवेश आरक्षित निधि लेखा प्रारंभिक शेष c) Investment Reserve Account				
Opening Balance	94 14 84		92 04 17	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer from Profit & Loss Account	<u>- 7 42 87</u>		<u>2 10 67</u>	
		86 71 97		94 14 84
V. लाभ-शेष/Balance of Profit				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	2949 93 70		2114 57 68	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer from Profit & Loss Account	<u>563 14 44</u>		<u>835 36 02</u>	
		3513 08 14		2949 93 70
योग (I से V तक) / TOTAL(I to V)		11473 36 36		10211 57 93

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015

अनुसूची 3 — जमाराशियां Schedule 3 — DEPOSITS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2015 ₹	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2014 ₹
अ/अ. I. मांग जमाराशियां/Demand Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	17931 31 80	17724 61 74
ii) अन्य से/From Others	8672 11 60	7570 72 18
II. बचत बैंक जमाराशियां/Savings Bank Deposits	36304 23 04	33598 95 64
III. मीयादी जमाराशियां/Term Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	23162 68 62	20926 01 11
ii) अन्य से/From Others	128266 35 73	119713 24 14
योग/TOTAL(I, II & III)	214336 70 79	199533 54 81
अ/अ. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of Branches in India	193552 47 40	182730 31 39
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of Branches outside India	20784 23 39	16803 23 42
योग/TOTAL	214336 70 79	199533 54 81

अनुसूची 4 — उधार Schedule 4 — BORROWINGS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2015 ₹	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2014 ₹
I. भारत में उधार/Borrowings in India		
i) भारतीय रिजर्व बैंक/Reserve Bank of India	1539 00 00	9072 00 00
ii) अन्य बैंक/Other Banks	1093 94 65	1998 49 45
iii) * अन्य संस्थाएं और अभिकरण * Other Institutions and Agencies	7309 76 92	9285 20 34
II. भारत के बाहर उधार/Borrowings outside India	309 82 43	362 53 98
योग (I एवं II) TOTAL (I & II)	10252 54 00	20718 23 77
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार/ Secured borrowings included in I & II above	5117 51 92	4210 20 34
इसमें शामिल है/ Includes		
सिडबी पुनर्वित्त/SIDBI Refinance	734 80 00	2200 90 82
नाबार्ड पुनर्वित्त/NABARD Refinance	20 54 32	34 81 37
एनएचबी पुनर्वित्त/NHB Refinance	854 14 50	
गौण ऋण/Subordinated Debt	2825 00 00	3075 00 00
अपर टियर II बॉण्ड/Upper Tier II Bond	1620 00 00	1620 00 00
आईपीडीआई /IPDI	380 00 00	380 00 00
एनएसटीएफडीसी/NSTFDC	2810	

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015

अनुसूची 5 — अन्य देयताएं और प्रावधान
Schedule 5 — OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2015 ₹	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2014 ₹
I. संदेय बिल/Bills Payable	115 44 27	160 39 73
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter Office Adjustments (Net)	386 12 12	361 48 93
III. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	939 95 57	859 21 78
IV. * अन्य (इसमें प्रावधान शामिल हैं)/ * Others(including provisions)	7337 18 69	6265 57 48
योग /TOTAL	8778 70 65	7646 67 92
इसमें शामिल हैं / Includes मानक आस्तियों के एवज में प्रावधान/Provision on Standard Assets	971 07 09	938 97 59

अनुसूची 6 — भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष
Schedule 6 — CASH & BALANCES
WITH RESERVE BANK OF INDIA

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2015 ₹	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2014 ₹
I. हाथ-नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)/ Cash in hand(including Foreign Currency Notes)	536 48 28	537 97 36
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाशेष/ Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खाते में/In Current Accounts	7731 03 93	7511 23 89
ii) अन्य खातों में/In Other Accounts	-	-
योग (I एवं II)/TOTAL(I & II)	8267 52 21	8049 21 25

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015

अनुसूची 7 — बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
Schedule 7 — BALANCES WITH BANKS AND
MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2015 ₹	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2014 ₹
I. भारत में/In India		
i) बैंकों में जमाशेष/Balances with Banks		
क) चालू खातों में/		
a) In Current Accounts	46 50 01	106 37 18
ख) अन्य जमा खातों में/		
b) In Other Deposit Accounts	1087 30 45	929 65 87
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/ Money at Call and Short Notice		
क) बैंकों के पास/		
a) With Banks	4300 00 00	
ख) अन्य संस्थाओं के पास/		
b) With Other Institutions		
योग (i एवं ii)/ TOTAL(i & ii)	5433 80 46	1036 03 05
II. भारत के बाहर/ Outside India		
i) चालू खातों में/In Current Accounts	338 13 62	348 98 79
ii) अन्य जमा खातों में/In Other Deposit Accounts	5401 52 75	3401 92 48
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/ Money at Call and Short Notice	2727 97 83	2175 85 53
योग (i,ii एवं iii)/TOTAL(i,ii & iii)	8467 64 20	5926 76 80
कुल योग (I एवं II)/GRAND TOTAL(I&II)	13901 44 66	6962 79 85

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015

अनुसूची 8 — निवेश

Schedule 8 — INVESTMENTS

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

	31.3.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2015 ₹	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2014 ₹
I. भारत में निम्नलिखित में निवेश/ Investments in India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां/Government Securities	55728 65 30	53294 65 84
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां/ Other Approved Securities	54 85 26	53 22 33
iii) शेयर/Shares	305 25 88	316 10 84
iv) डिबेंचर और बंधपत्र/Debentures and Bonds	4542 52 88	5496 17 47
v) अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/ Subsidiaries and/or Joint Ventures	184 50 96	184 50 96
vi) अन्य (इंदिरा विकास पत्र, म्यूचुअल फंड, आर आई ज़ी एफ, सी. पी. एफ. आर. एन. आदि/ Others (Indira Vikas Patra, Mutual Fund, RIDF, C.P. FRN etc.)	6241 62 37	6169 72 86
योग/TOTAL	67057 42 65	65514 40 30
II. भारत के बाहक निम्नलिखित में निवेश/ Investments outside India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (इनमें स्थानीय प्रधिकरण शामिल हैं)/ Government Securities (including Local Authorities)	1593 18 42	1451 66 51
ii) अन्य/Others		
क/a) शेयर/Shares	-	-
ख/b) डिबेंचर/Debentures		1 55
ग/c) अन्य निवेश (एफ आर एन आदि)/ Other Investments (FRN etc.)	208 82 07	485 61 03
योग/TOTAL	1802 00 49	1937 29 09
कुल योग(I एवं II)*/GRAND TOTAL(I & II)*	68859 43 14	67451 69 39

* मूल्यहास/एन पी आई प्रावधान की राशि को घटाकर/* Net of Depreciation / NPI Provision

निवेश	31.3.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2015			31.3.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2014		
	सकल मूल्य Gross Value ₹	मूल्यहास/ प्रावधान ** Depreciation/ Provision ** ₹	निवल मूल्य Net Value ₹	सकल मूल्य Gross Value ₹	मूल्यहास/ प्रावधान ** Depreciation/ Provision ** ₹	निवल Net Value ₹
I. भारत में/ In India	67385 05 36	327 62 71	67057 42 65	65875 41 75	361 01 45	65514 40 30
II. भारत के बाहर Outside India	1845 56 96	43 56 47	1802 00 49	1970 22 21	32 93 12	1937 29 09
योग/TOTAL	69230 62 32	371 19 18	68859 43 14	67845 63 96	393 94 57	67451 69 39

** निवेशों पर मूल्यहास/अनर्जक निवेशों हेतु प्रावधान /

** Depreciation on Investments / Provision for Non-Performing Investments

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015
अनुसूची 9 — अग्रिम
Schedule 9 — ADVANCES

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2015 ₹	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2014 ₹
अ/A. (i) खरीदे और भुनाए गए बिल/ Bills Purchased and Discounted	30967 33 67	30711 77 08
(ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर देय ऋण / Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	36093 90 63	38447 15 46
(iii) मीयादी ऋण/Term Loans	80289 62 27	80425 28 83
योग/TOTAL	147350 86 57	149584 21 37
आ/B. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत/ (बही ऋण के एवज में अग्रिम सहित)/ Secured by Tangible Assets (includes advances against book debts)	122423 27 20	119969 40 15
(ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित/ Covered by Bank/Govt. Guarantees	13219 78 78	16941 61 60
(iii) अप्रतिभूत/Unsecured	11707 80 59	12673 19 62
योग/TOTAL	147350 86 57	149584 21 37
इ/C. I. भारत में अग्रिम/Advances in India -		
(i) प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sectors	47932 53 78	46505 70 17
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sector	18647 24 88	18194 66 29
(iii) बैंक/Banks	70 69 69	7463 19 48
(iv) अन्य/Others	66058 70 33	64588 03 84
योग/TOTAL	132709 18 68	136751 59 78
II. भारत के बाहर अग्रिम/Advances outside India -		
(i) बैंकों से प्राप्य/ Due from Banks	-	-
(ii) अन्य से प्राप्य/Due from Others		
(क) खरीदे और भुनाए गए बिल		
(a) Bills Purchased and Discounted	9214 64 58	6137 15 25
(ख) सामूहिक उधार		
(b) Syndicated loans	890 10 50	1206 92 62
(ग) अन्य		
(c) Others	4536 92 81	5488 53 72
योग/TOTAL	14641 67 89	12832 61 59
कुल योग (इ- I एवं इ- II)/GRAND TOTAL (C.I & C.II)	147350 86 57	149584 21 37

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015

अनुसूची 10 — अचल आस्तियां/Schedule 10 — FIXED ASSETS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2015 ₹	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2014 ₹
I. परिसर/ Premises		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	206 84 96	170 86 07
वर्ष के अंत में प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	- 5 40 56	10 92 28
	201 44 40	181 78 35
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन Additions/adjustments during the year	1 75 08	25 06 61
	203 19 48	206 84 96
वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year	1 13	
	203 18 35	206 84 96
आज की तारीख तक पुनर्मूल्यन के कारण परिवर्धन-पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि Additions to date on account of revaluation credited to Revaluation Reserve	764 23 12	737 08 25
	967 41 47	943 93 21
निपटान हेतु धारित आस्तियों में अंतरण Transferred to Assets Held for Disposal	-	
	967 41 47	943 93 21
अद्यतन मूल्यहास/Depreciation to date	238 87 22	225 22 48
योग/ TOTAL	728 54 25	718 70 73
II. अन्य अचल आस्तियां (इनमें फर्नीचर और फिक्सचर शामिल हैं)		
पूर्ववर्ती वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार लागत पर Other Fixed Assets(including Furniture & Fixtures) At cost as on 31st March of the preceding year	1158 07 57	979 82 63
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	- 1 71 42	3 99 85
	1156 36 15	983 82 48
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	170 45 25	179 06 21
	1326 81 40	1162 88 69
वर्ष के दौरान कटौती/Deductions during the year	2 69 10	4 81 12
	1324 12 30	1158 07 57
अद्यतन मूल्यहास/Depreciation to date	986 39 24	858 50 64
योग/ TOTAL	337 73 06	299 56 93
III. निपटान हेतु धारित आस्तियां/Assets Held for Disposal		
निवल बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य पर, इनमें से जो भी कम हो At Net Book Value or Net Realisable Value whichever is less		
अ/A. परिसर/Premises	-	-
आ/B. अन्य अचल आस्तियां/Other Fixed Assets	-	-
योग/TOTAL	-	-
IV. चालू पूंजी संकर्म/Capital Work in Progress	47 72 59	43 48 16
योग/TOTAL	47 72 59	43 48 16
कुल योग (I,II और III+IV)/GRAND TOTAL (I,II & III+IV)	1113 99 90	1061 75 82

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां
Schedule 11— OTHER ASSETS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2015 ₹	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2014 ₹
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter-Office Adjustments (Net)		-
II. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	1575 00 81	1698 59 69
III. अग्रिम रूप से संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/Tax deducted at source	2240 87 70	1756 06 24
IV. लेखन सामग्री और स्टंप/Stationery and Stamps	4 92 52	5 50 11
V. दावों की तुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियां Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims	-	-
VI. आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets	332 27 00	177 45 00
VII. अन्य/Others	2270 56 46	2377 46 63
योग/TOTAL	6423 64 49	6015 07 67

अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएं
Schedule 12 — CONTINGENT LIABILITIES

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2015 ₹	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2014 ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims Against the Bank not Acknowledged as Debts	202 25 64	189 94 49
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	5 28 50	7 67 50
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	46443 26 99	52490 79 05
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां/ Guarantees Given on behalf of Constituents - क) भारत में A) In India	11177 57 85	8881 07 46
ख) भारत के बाहर B) Outside India	79 69 61	159 38 05
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and other Obligations	15573 31 53	11718 70 02
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Other Items for which the bank is contingently liable	1344 70 71	910 55 19
योग/ TOTAL	74826 10 83	74358 11 76

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED
31ST MARCH, 2015

अनुसूची 13 — अर्जित ब्याज / Schedule 13 — INTEREST EARNED

(000 को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2015 ₹	31.3.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2014 ₹
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा/Interest/Discount on Advances/Bills	13900 57 79	13630 68 54
II. निवेशों पर आय/Income on Investments	5194 50 63	4385 68 53
III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाशेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	195 06 41	114 09 83
IV. अन्य/Others	68 84 42	99 44 61
योग/TOTAL	19358 99 25	18229 91 51

अनुसूची 14 — अन्य आय

Schedule 14 — OTHER INCOME

(000 को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2015 ₹	31.3.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2014 ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली (निवल) Commission, Exchange and Brokerage (Net)	265 62 78	233 23 13
II. निवेशों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Investments घटाएं : निवेशों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Investments	996 77 90	294 08 57
III. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Land, Buildings and Other Assets घटाएं : भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Land, Buildings and Other Assets	3 02 22 76 37 2 80	294 08 57 53 09 89
IV. विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions घटाएं : विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	338 73 55 85 43 18	332 13 57 171 65 92
V. भारत/विदेश में स्थापित अनुषंगियों/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of Dividends, etc. from Subsidiaries/Companies and/or Joint Ventures abroad/in India	8 69 94	10 65 43
VI. विविध आय/ Miscellaneous Income	481 42 06	610 35 47
योग/TOTAL	2003 54 40	1320 50 72

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

अनुसूची 15 — व्यय किया गया ब्याज
Schedule 15 — INTEREST EXPENDED

(000 को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2015 ₹	31.3.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2014 ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	12765 10 65	11273 66 37
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	364 23 55	308 96 93
III. अन्य/Others	667 19 70	588 19 45
योग/TOTAL	13796 53 90	12170 82 75

अनुसूची 16 — परिचालन व्यय
Schedule 16 — OPERATING EXPENSES

(000 को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2015 ₹	31.3.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2014 ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1641 66 79	1547 52 82
II. किराया, कर और बिजली/Rent, Taxes and Lighting	198 76 80	173 69 68
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री/Printing & Stationery	38 56 50	34 98 83
IV. विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	33 63 61	32 17 41
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास/ Depreciation on Bank's Property	135 50 46	109 63 35
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय/ Directors' fees, allowances and expenses	1 03 42	1 53 28
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा-लेखापरीक्षकों सहित)/ Auditors' fees and expenses (Including Branch Auditors)	30 00 19	27 85 84
VIII. विधि प्रभार/Law Charges	10 44 86	13 04 97
IX. डाक महसूल, तार, टेलीफोन आदि/ Postages, Telegrams, Telephones, etc.	49 09 45	39 46 36
X. मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	13 25 74	12 16 58
XI. बीमा/Insurance	142 91 52	131 80 82
XII. अन्य व्यय/Other Expenditure	360 88 50	315 29 89
योग/TOTAL	2655 77 84	2439 19 83

अनुसूची 17 - मुख्य लेखा नीतियां

Schedule 17 - PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES

1. सामान्य / GENERAL

- 1.1 वित्तीय विवरण, जैसा अन्यथा कथित किया गया है उसके सिवाय, 'लाभकारी कारोबारवाली संस्था' की संकल्पना पर परंपरागत लागत आधार पर तैयार किए जाते हैं और वे भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैंक) के निदेशों सहित सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों, प्रचलित पद्धतियों तथा सांविधिक उपबंधों के अनुरूप होते हैं।

The financial statements are prepared under 'going concern' concept on historical cost basis, except as otherwise stated, and conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, the prevailing practices and statutory provisions including directives of Reserve Bank of India (RBI).

2. विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन का प्रभाव/EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATE

2.1 विदेशी मुद्रा का लेनदेन/FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

- i) विदेशी मुद्रा में लेनदेन की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक पहचान पर विदेशी मुद्रा लेनदेन रिकार्ड किए जाते हैं।

Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

- ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) की बंद / हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।

Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing/spot rate.

- iii) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की, जो परंपरागत लागत आधार बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाती है, रिपोर्ट लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का उपयोग करके की जाती है।

Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

- iv) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की बंद हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।

Contingent Liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

- v) मौद्रिक मदों के निपटान पर ऐसी दरों पर उत्पन्न होनेवाले अंतर को, जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई दरों से भिन्न है, उस अवधि में आय या व्यय माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

Exchange differences arising on settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

- vi) बकाया विदेशी मुद्रा संविदा एवं बिल का पुनर्मूल्यन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की दरों के अनुसार किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को प्रत्येक माह के अंत में राजस्व में ले जाया जाता है।

Outstanding foreign exchange contracts and bills are revalued as per FEDAI Rates and the resultant gain/loss is taken to revenue at the end of each month.

- vii) जो विदेशी विनिमय स्वाप व्यापार के लिए धारित नहीं किए जाते हैं उन्हें मार्केट टू मार्केट नहीं किया जाता है। ऐसे स्वाप पर अदा या प्राप्त प्रीमियम, स्वाप की नियत अवधि पर खर्च के रूप में परिशोधित अथवा आय के रूप में ग्रहण किए जाते हैं।

The foreign exchange swaps which are not held for trading are not marked to market. The premium paid or received on such swaps are amortized as expense or accreted as income over the life of the swap.

2.2. विदेशी परिचालन/FOREIGN OPERATIONS

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों को गैर-समाकलित परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

Foreign Branches and representative offices of the Bank have been classified as Non-integral Operations.

अदला-बदली/Translation

- i) मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों एवं देयताओं तथा गैर-समाकलित विदेशी परिचालन की आकस्मिक देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित बंदी विनिमय दरों पर परिणत किया जाता है।

Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.

- ii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन संबंधी आय एवं व्यय को तिमाही औसत बंद दरों पर परिणत किया जाता है।

Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.

- iii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन में निवल निवेश पर उत्पन्न विनिमय अंतर को निवल निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा परिणत आरक्षिति में संचित किया जाता है।

Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.

3. निवेश/INVESTMENTS

- 3.1 निवेश को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा परिपक्वता तक धारित, विक्रय हेतु उपलब्ध एवं क्रय-विक्रय के लिए धारित तथा उसके बाद उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों, डिबेंचरों एवं बांडों, अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम और अन्य में निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

Investments are classified into three categories viz. Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading and are further classified into Investments in Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures & Bonds, Subsidiaries and Joint Ventures and Others.

- 3.2 (i) परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों को लागत आधार पर आगे ले जाया जाता है। जहाँ लागत अंकित मूल्य से अधिक होती है वहाँ प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक के लिए प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार परिशोधित किया जाता है। विक्रय से हुए लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में लिया जाता है और उसके बाद कर तथा सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जानेवाली राशि को छोड़कर उसका विनियोजन पूंजी आरक्षित निधि लेखे में किया जाता है। विक्रय से हुई हानि को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है।

Investments classified as Held to Maturity are carried at cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortised over the remaining period of maturity as per effective interest rate method. Profit on sale is initially taken to Profit and Loss Account and then appropriated to Capital Reserve Account net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve. Loss on sale is charged to the Profit and Loss Account.

- (ii) विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत निवेशों को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। प्रत्येक वर्गीकरण हेतु मूल्यवृद्धि / मूल्यहास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यहास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। इन निवेशों को तुलन-पत्र में मूल्यहास घटाकर दर्शाया जाता है।

Investments classified as Available for Sale, are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.

- (iii) क्रय-विक्रय के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। मूल्यवृद्धि / मूल्यहास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यहास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। इन निवेशों को तुलन-पत्र में मूल्यहास घटाकर दर्शाया जाता है।

Investments classified as Held for Trading are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.

- 3.3 उपर्युक्त तीन श्रेणियों में से किसी में शामिल ऐसी प्रतिभूतियों के मामले में, जहाँ ब्याज / मूलधन 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है, आय की पहचान नहीं की जाती और जैसे निवेशों के मूल्य पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार समुचित प्रावधान किया जाता है।

In respect of securities, included in any of the above three categories where interest/ principal is in arrears for more than 90 days, income is not recognized and appropriate provision on the value of such Investments is made as per prudential norms.

- 3.4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक पत्रों तथा ट्रेजरी बिल में निवेशों का मूल्यन रखाव-लागत पर किया जाता है।

Investments in Regional Rural Banks, Commercial Papers and Treasury Bills are valued at carrying cost.

- 3.5 क्रय-विक्रय / निर्दिष्ट भाववाले निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध निर्दिष्ट भाव से लिया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यन बाजार मूल्य पर या निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएडीए) एवं भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित मूल्य पर किया जाता है।

In respect of traded/quoted Investments, Market price is taken from the quotes available in the stock exchanges. Government securities are valued at Market price or price declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

- 3.6 ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/ प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय / आय के रूप में माना जाता है और इसे लागत / बिक्री प्रतिफल से अपवर्जित किया जाता है।

Broken period interest paid / received on debt instruments is treated as interest expense/income and is excluded from cost/sale consideration.

- 3.7 बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों की बाबत प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यन प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य और वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल बही मूल्य से निम्नतर पर किया जाता है। निवेश को उपर्युक्त रूप में यथानिर्धारित मूल्य पर बहियों में आगे ले जाया जाता है और विक्रय/ वसूली को, यदि कोई हो, निवेश से घटाया जाता है तथा निवल बही मूल्य दर्शाया जाता है।

Security receipts issued by securitisation / reconstruction company (SC/RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC/RC are valued at the lower of the redemption value of the security receipt and the Net Book Value of the financial assets. The Investment is carried in the books at the price determined as above and the sale / realization if any, is reduced from Investment and the net book value is shown.

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विहित गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेशों में निवेश पर लागू मूल्य, वर्गीकरण एवं अन्य मानदंड प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद में बैंक के निवेश पर लागू किए जाते हैं।

The value, classification and other norms applicable to investment in non-SLR Investments prescribed by RBI are applied to Bank's investment in Security Receipts issued by SC/RC.

4. ब्याज दर स्वाप /INTEREST RATE SWAPS

- 4.1 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए ब्याज दर स्वाप लेन-देन की गणना उपयुक्त आधार पर की जाती है तथा क्रय-विक्रय संबंधी लेन-देन के बाजार मूल्य को बहियों में अंकित किया जाता है तथा निवल मूल्यहास के लिए, यदि कोई हो, प्रावधान किया जाता है, जबकि मूल्यवृद्धि को, यदि हो, नजरअंदाज किया जाता है।

The Interest Rate Swap transactions undertaken for hedging are accounted for on accrual basis and transactions for trading are marked to market and net depreciation, if any, is provided for, whereas appreciation if any is ignored.

- 4.2 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए समाप्त ब्याज दर स्वाप पर लाभ या हानि को आस्थगित रखा जाता है और उसकी पहचान स्वाप की संविदागत शेष अवधि अथवा आस्तित्व या देयता की शेष अवधि, इनमें से जो भी कम हो, में की जाती है।

Gain or loss on terminated interest rate swap transactions undertaken for hedging is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or remaining life of the asset or liability.

- 4.3 क्रय-विक्रय स्वाप से संबंधित आय और व्यय की पहचान निपटान की तारीख को की जाती है।

Income and expenses relating to the trading swaps are recognized on the settlement date.

- 4.4 क्रय-विक्रय स्वाप की समाप्ति पर हुए लाभ या हानि को तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

Gain or losses on the termination of the trading swaps are recorded as income or expense immediately.

5. विदेशी मुद्रा करार / FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS

बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं का पुनर्मूल्यन माह के अंत के अनुसार प्रत्येक माह वायदा संहिता की परिपक्वता की तारीख पर आधारित लागू फेडरल रिज़र्व (एफईडीएआई) दर पर किया जाता है एवं उसके फलस्वरूप हुए लाभ/हानि को प्रत्येक माह के अंत में लाभ एवं हानि में ले जाया जाता है।

Outstanding forward exchange contracts are revalued every month as per month end FEDAI rates applicable based on maturity date of the forward contracts and the resultant gain/loss is taken to profit and loss at the end of the each month.

6. अग्रिम /ADVANCES

- 6.1 ऋण एवं अग्रिम का अर्जक एवं अनर्जक आस्तित्व के रूप में वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। भारत में अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है और भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (इसीजीसी) से प्राप्त / प्राप्य राशियों पर विचार करने के बाद उन्हें 'अवमानक', 'संदिग्ध' एवं 'हानि' आस्तित्वों में वर्गीकृत करके प्रावधान किए जाते हैं तथा अग्रिम का उल्लेख प्रावधान को घटाने के बाद किया जाता है।

Loans and advances are classified as performing and non-performing based on the guidelines issued by the RBI. Non-performing advances in India are ascertained as per the Prudential Norms and Provisions are made upon classifying the same into 'Sub-Standard', 'Doubtful', and 'Loss' assets after considering the claims Received / Receivable from ECGC and advances are stated after netting of provisions.

- 6.2 विदेश स्थित शाखाओं के अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान स्थानीय अपेक्षाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के, इनमें से जो भी अधिक हो, अनुसार किया जाता है।

Provision on Non-performing advances of foreign branches is made on the basis of local requirements or RBI guidelines whichever is higher.

- 6.3 मानक आस्तित्वों के लिए सामान्य प्रावधान वैश्विक पोर्टफोलियो आधार पर किया जाता है।

A general provision on Standard Assets is made on global portfolio basis.

- 6.4 ओवरड्यू के माध्यम से केन्द्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण सुविधाओं को केवल तभी एनपीए माना जा सकता है जब सरकार अपनी गारंटी राशि की मांग किए जाने पर इंकार करे।

The credit facilities backed by the guarantee of the Central Government though overdue may be treated as NPA only when Government repudiates its guarantee when invoked

- 6.5 समझौता एवं निपटान संबंधी प्रस्तावों के मामले में पूर्ण वसूली के बाद बड़े खाते डाले जाते हैं।

In respect of Compromise and Settlement Proposals, write-off is done on complete realisation.

- 6.6 खाते को अंशतः विवेकपूर्ण बड़े खाते डालने का कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद मामला-दर-मामला आधार पर अप्रतिभूत अंश के लिए किया जाता है।

Partial prudential write-off of accounts is done upto unsecured portion level on a case to case basis on approval by the Competent Authority.

6.7 प्रतिभूतिकृत कंपनी (एससी)/ पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्ति की बिक्री आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित बोर्ड अनुमोदित नीति के आधार पर की जाती है।

Sale of Financial asset to Securitised Company (SC) / Reconstruction Company (RC) is done on the basis of Board approved Policy in line with the RBI guidelines.

7. अचल आस्तियाँ/FIXED ASSETS

7.1 अचल आस्तियों का निर्धारण परंपरागत लागत आधार पर / पुनर्मूल्यित राशि में से संचित मूल्यहास को घटाकर किया जाता है। पुनर्मूल्यन से प्राप्त अधिशेष को पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में जमा किया जाता है।

Fixed assets are stated at historical cost/revalued amount less accumulated depreciation. Surplus arising on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

7.2 अचल आस्तियों के अभिग्रहण हेतु किए गए अग्रिम भुगतान / आंशिक भुगतान अन्य आस्तियों में शामिल किए जाते हैं।

Advance payments/part payments made towards acquisition of fixed assets are included under other Assets.

7.3 भारत में स्थित स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में प्रबंधन द्वारा उचित मानी गई अवमूल्यन की दर तथा उसे भारत करने की पद्धति निम्नानुसार हैं :-

The rates of depreciation and method of charging depreciation as considered appropriate by the management in respect of fixed assets situated in India are as below :-

परिसंपत्ति की श्रेणी / CATEGORY OF ASSET	अवमूल्यन की दर % प्रतिवर्ष RATE OF DEPRECIATION % p.a.
डब्लूडीवी पद्धति के अनुसार/On WDV Method	
भवन एवं लीज की गई संपत्ति/Building and Lease-in-Property	5.00
फर्नीचर एवं फिक्सचर/Furniture and Fixtures	18.10
कार्यालय उपकरण/Office Equipments	20.00
इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन, वातानुकूलन मशीनरी, एक्वा-गार्ड, रेफ्रिजरेटर, फोटो कॉपी मशीन आदि Electrical Installation, Air-conditioning Machinery, Aqua guard, Refrigerator, Photo copying Machine etc.	20
मशीनरी जैसे फ्रैंकिंग मशीन, कार्यालय मशीनरी, भार नापने की मशीन, टाइपराइटर, एडिंग मशीन, डुप्लीकेटिंग मशीन Machinery e.g. Franking machine, office machinery, weighing machine typewriter, adding machine, Duplicating Machine	13.91
मोटर वाहन / Motor Vehicle	25.89
साइकिल/Cycle	20.00
भूमि/Land	शून्य/Nil
सीधी रेखा पद्धति पर (आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार)/ ON STRAIGHT LINE METHOD (As per RBI guidelines)	
कंप्यूटर एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर के सहायक उपकरण / Computers and computer peripherals including computer software.	33.33

7.4 भारत के बाहर स्थित अचल आस्तियों की बाबत मूल्यहास का प्रावधान संबंधित देश की स्थानीय विधि के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली / अवलिखित मूल्य पद्धति के आधार पर किया जाता है।

Depreciation in respect of fixed assets situated outside India is provided on straight line/written down value method as per the local laws of respective country.

7.5 पुनर्मूल्यन से उत्पन्न अतिरिक्त मूल्यहास का समंजन पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि के प्रति किया जाता है।

Additional depreciation arising out of revaluation is set off against Revaluation Reserve.

7.6 पट्टाधृत संपत्तियों की बाबत पट्टा प्रीमियम को पट्टे की अवधि तक परिशोधित किया जाता है।

In respect of leasehold properties, the lease premium is amortized over the period of the lease.

7.7 ₹1000/- या इससे कम मूल्य वाली अचल आस्ति की प्रत्येक मद उसी तिमाही में पूरी तरह, जिस तिमाही में उसकी खरीद की गई है तथा ₹1001/- से ₹5000/- तक की मूल्यवाली प्रत्येक मद 100% की दर से उसी तिमाही में मूल्यहासित की जाती है, जिस तिमाही में उसकी खरीद भी गई है।

Fixed Assets items of small value, costing of ₹1000/- or less each, are charged off fully in the same quarter of purchase and items, costing ₹1001/- to ₹5000/- each, are depreciated at the rate of 100% in the same quarter of purchase.

7.8 अवमूल्यन का प्रावधान 30 सितंबर तक शामिल की गई वस्तुओं पर पूर्ण दर से तथा उसके बाद शामिल की गई वस्तुओं पर आधी दर से किया गया है।

Depreciation is provided at full rate on additions made upto 30th September and at half the rate on additions made thereafter.

8. कर्मचारी हितलाभ/EMPLOYEE BENEFITS

8.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ / Short Term Employee Benefits

कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के एवज में 12 माह की सेवावधि के दौरान कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा, आकस्मिक छुट्टी आदि अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ अदा / जमा किया जाता है।

The short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are paid/credited in exchange for the services rendered by employees are recognised during the 12 month period when the employee renders the service.

8.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ / Long Term Employee Benefits

सेवोपरांत हितलाभ/Post Employment Benefits

अ/आ) निर्धारित अंशदान योजना/Defined Contribution Plan

क/अ) भविष्य निधि जैसी निर्धारित अंशदान योजना में अंशदान को लाभ-हानि लेखा पर भारित किया जाता है। जिन कर्मचारियों ने पेंशन हितलाभ का विकल्प नहीं लिया है उनका भविष्य निधि अंशदान बैंक द्वारा संचालित ट्रस्ट को किया जाता है।

Contributions to Defined Contribution Schemes such as NPS, Provident Fund etc., are charged to the Profit & Loss Account as and when incurred. In respect of certain employees who have not opted for Pension Benefits, Provident Fund Contributions are made to a Trust administered by the Bank.

ख/ब) 1 अप्रैल, 2010 या उसके बाद बैंक सेवा में किए जानेवाले कर्मचारियों को एक निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना में शामिल किया जाता है जिसमें कर्मचारी वेतन के 10% एवं डीए का अंशदान करते हैं तथा बैंक भी उतना ही अंशदान करता है। यह योजना केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु 01 जनवरी, 2004 से प्रारंभ की गई अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों के अधीन है तथा समय-समय पर संशोधित की जाती है।

The employees joining the services of the bank on or after 1st April 2010 are covered by a defined contributory pension scheme where the employees contribute 10% of pay plus DA and the bank makes a matching contribution. The scheme is governed by the provisions of the contributory pension scheme introduced for the employees of central government w.e.f 1st January 2004 and modified from time to time.

आ/ब) निर्धारित हितलाभ योजना/Defined Benefit Plan

बैंक निर्धारित हितलाभ योजनाओं के अंतर्गत उपादान एवं पेंशन योजना चलाता है।

The bank operates gratuity and pension schemes which are defined benefit plans.

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को उपदान प्रदान करता है। इसके अंतर्गत उन सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर, या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि/एकबारगी भुगतान इस प्रकार किया जाता है i) ₹10,00,000 की अधिकतम सीमा के अध्यक्षीन सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (मूल + डीए) या ii) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (केवल मूल वेतन), इनमें से जो भी अधिक हो। पाँच वर्ष/ दस वर्ष की सेवा (यथा प्रयोज्य) पूरी करने के उपरांत यह लाभ प्रदान किया जाता है। नियमित अंतराल पर किए गए स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में वार्षिक अंशदान करता है।

The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum/one time payment to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to i) 15 days salary (Basic+DA) payable for each completed year of service, subject to a maximum amount of ₹10,00,000 or ii) 15 days salary (Basic only) for each completed year of service, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years/ ten years (as applicable) of service. The Bank makes annual contributions to a fund administered by Trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals.

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान करता है। नियमानुसार यह लाभ पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर या नौकरी की समाप्ति पर, जैसा कि इस विनियम में प्रावधान है, मासिक भुगतान के रूप में दिया जाता है। नियमानुसार विभिन्न स्तर पर यह लाभ प्रदान किया जाता है। वेतन के 10% प्रतिमाह की दर से अंशदान के अलावा नियमित अंतराल पर किए गए स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में अतिरिक्त वार्षिक अंशदान करता है।

The Bank provides for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment as provided under regulation. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes additional annual contributions to funds administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals besides monthly contribution @ 10% of pay per month.

निर्धारित प्रसुविधा प्रदान किए जाने लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। निवल देयता को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

The cost of providing defined benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Net liabilities are immediately recognised in the statement of profit and loss and are not deferred.

इ/क) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ/Other Long Term Employee benefits

क/अ. बैंक के सभी पात्र कर्मचारी प्रतिपूरक अनुपस्थिति एवं छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार हैं। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ लागत की निधि बैंक द्वारा आंतरिक रूप से प्रदान की जाती है।

All eligible employees of the bank are entitled to compensated absences; leave travel concession. The costs of such long term employee benefits are internally funded by the Bank.

ख/ब. इस प्रकार के अन्य निर्धारित दीर्घावधि हितलाभ प्रदान करने की लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। पश्च सेवा लागत को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि लेखे में मान्यता दी जाती है।

The cost of providing these other long term benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Past service cost is immediately recognised in the statement of profit and loss and is not deferred.

ग/क. पूर्णकालिक निदेशकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवोपरांत चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। लागत का आकलन एवं निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है और ऐसा मूल्यांकन सेवानिवृत्ति के साथ-साथ कार्यरत पूर्णकालिक निदेशकों के लिए तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। इस देयता को तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है और इसे आस्थगित नहीं रखा जाता है।

Medical benefits are extended to full time Directors, after their retirement as post retirement medical benefits. The cost is ascertained and determined by actuarial valuation using the projected unit credit method and such valuation is carried out on quarterly basis for retired as well as in service full time Directors. The liability is immediately recognized in the statement of profit & loss and not deferred.

"सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प फिर से शुरू करना और उपदान सीमा में वृद्धि-विवेकपूर्ण विनियामक उपचार" के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्रमांक.डीबीओडी.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 में दिये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ने निम्नलिखित के कारण अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने का निर्णय किया है-

In accordance with the guidelines given by Reserve Bank of India vide its Circular No. DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011 on "Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment", Bank has decided to amortize the additional liability on account of –

क/अ) जिन विद्यमान कर्मचारियों ने पहले पेंशन का विकल्प नहीं दिया था उनके लिए पेंशन का विकल्प फिर से शुरू करने; और

Re-opening of pension option for existing employees who did not opt for pension earlier; and

ख/ब) वित्तीय वर्ष 2010-11 से पाँच वर्ष की अवधि तक सीधी-रेखा आधार पर व्यय के रूप में उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में संशोधन के अनुसरण में 10.00 लाख ₹ की वर्धित सीमा के अनुसार (3.50 लाख ₹ से बढ़ाकर) विद्यमान कर्मचारियों को उपदान का भुगतान करने के कारण।

Payment of gratuity to existing employees as per the enhanced limit of ₹10.00 lakh increased from ₹3.50 lakh) pursuant to the amendment of the Payment of Gratuity Act, 1972, as an expense on a straight line basis over a period of five years from the financial year 2010 -11.

9. राजस्व की पहचान/REVENUE RECOGNITION

9.1 अन्यथा कथित के सिवाय आय एवं व्यय की मदों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

Items of Income and Expenditure are accounted for on accrual basis, except as otherwise stated.

9.2 निम्नलिखित मदों के लिए आय की पहचान वसूली आधार पर की जाती है:

Income for the following items are recognised on realization basis:

क/अ) भा.रि.बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अनर्जक आस्तियों से आय/Income from non-performing assets in terms of RBI guidelines.

10. आय पर कर / TAXES ON INCOME

चालू कर का निर्धारण वर्ष की कर योग्य आय की बाबत देय कर की राशि पर किया जाता है और तदनुसार न्यूनतम विकल्पी कर सहित कर के लिए प्रावधान किया जाता है।

Current tax is determined on the amount of tax payable in respect of taxable income for the year and accordingly provision for tax is made including Minimum Alternate Tax (MAT).

अधिसूचित लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार आस्थगित कर आस्ति या देयता की पहचान तुलन-पत्र की तारीख तक प्रदर्शित या तत्त्वतः प्रदर्शित कर की दरों का प्रयोग करके की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों / देनदारियों की समीक्षा वर्ष के दौरान हुई गतिविधियों के आधार पर प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है।

The deferred tax asset or liability is recognised using the tax rates that have been enacted or substantially enacted by the Balance Sheet date, in terms of notified Accounting Standard 22. Deferred Tax Assets/Liabilities are reviewed at each Balance Sheet date based on developments during the year.

11. आस्तियों की अनर्जकता/MPAIRMENT OF ASSETS

जब कभी भी घटनाओं या स्थितियों में हुए परिवर्तन के कारण ऐसा लगे कि किसी आस्तित की रख-रखाव राशि की वसूली नहीं हो सकती है, तब अनर्जकता के आकलन हेतु अचल आस्तियों की समीक्षा की जाती है। धारित और उपयोग की जानेवाली आस्तियों की वसूली योग्यता का आकलन किसी आस्तित की रख-रखाव राशि की तुलना में आस्तित द्वारा उत्पन्न होनेवाले आगामी निवल बड़ाकृत नकदी प्रवाह से करके किया जाता है। यदि ऐसी आस्तियों को अनर्जक माना जाता है तो उसकी अनर्जकता का आकलन आस्तित के रख-रखाव की उस राशि से किया जाता है जो आस्तित के उचित मूल्य से अधिक होती है।

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment, to be recognized, is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

12. प्रति शेयर अर्जन / EARNINGS PER SHARE

बैंक एस 20 – 'प्रति शेयर अर्जन', के अनुसार प्रति शेयर मूल और न्यूनीकृत अर्जन की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन का निर्धारण कर पश्चात निवल लाभ तथा अधिमानी शेयरों पर लाभांश को वर्ष में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारिता से भाग देकर किया जाता है।

The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 – 'Earnings per Share'. Basic earnings per share computed by dividing the net profit after tax and dividend on preferential shares by weighted average number of equity shares outstanding for the year.

प्रति शेयर अर्जन में कमी उस संभाव्य कमी को प्रकट करती है जो वर्ष के दौरान प्रतिभूति या ईक्विटी शेयर जारी करने हेतु अन्य संविदा जारी या परिवर्तित करने पर होती है। प्रति शेयर अर्जन में कमी का निर्धारण वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या और कम होनेवाले संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग कर किया जाता है।

Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तित संबंधी लेखा विधि

ACCOUNTING FOR PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

आईसीएआई द्वारा इस संबंध में जारी एस 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तितों" के अनुरूप बैंक प्रावधान की पहचान तभी करता है जब अतीत की किसी घटना के फलस्वरूप उसका वर्तमान दायित्व हो, संभव है कि आर्थिक लाभ को सन्निहित करनेवाले संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व का निपटान करने हेतु अपेक्षित हो, और तब दायित्व की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके।

In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued in this regard by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

आकस्मिक आस्तितों का निर्धारण वित्तीय विवरणों में नहीं किया जाता क्योंकि इसके फलस्वरूप उस आय का निर्धारण होगा जिसे कभी भी वसूला नहीं जा सकता।

Contingent Assets are not recognised in the financial statements as this may result in the recognition of income that may never be realized.

अनुसूची / SCHEDULE 18
लेखे के संबंध में टिप्पणियां / NOTES ON ACCOUNTS

1. पूंजी / Capital

1.1 पूंजी पर्याप्तता अनुपात/Capital Adequacy Ratio

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मर्दे/Items	31.03.15 की स्थिति As on 31.03.15	31.03.14 की स्थिति As on 31.03.14
	बेसल/ Basel-III	बेसल/ Basel-III
(i) सामान्य शेयर टियर-1 पूंजी अनुपात (%) / Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	8.94	8.62
(ii) टियर 1 पूंजी अनुपात (%) / Tier 1 capital ratio (%)	9.05	8.71
(iii) टियर 2 पूंजी अनुपात (%) / Tier 2 capital ratio (%)	3.12	3.97
(iv) कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%) / Total capital ratio (CRAR) (%)	12.17	12.68
(v) भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत (%) / Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	72.83	77.20
(vi) पूंजी के रूप में जुटाई गई राशि / Amount of equity capital raised	60.88	262.08
(vii) टियर 1 पूंजी के रूप में जुटाई गई अतिरिक्त राशि; जिसमें से / Amount of Additional Tier 1 capital raised ; out of which		
पीएनसीपीएस: / PNCPS:	-	-
पीडीआई: / PDI:	-	-
(viii) टियर 2 के रूप में जुटाई गई पूंजी की राशि ; जिसमें से ऋण पूंजी लिखत: Amount of Tier 2 capital raised; out of which		
Debt capital instrument:	-	-
अधिमानी शेयर पूंजी लिखत :		
(बेमियादी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस) / मोचन-योग्य असंचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस) / मोचन-योग्य संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)		
Preference Share Capital Instruments :	-	-
[Perpetual Cumulative Preference Share (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares(RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)		

क) वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार को ₹70.21 प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर प्रत्येक ₹10/- के 6,08,82,550 ईक्विटी शेयर आबंटित किए और उक्त ईक्विटी शेयरों के आबंटन के बदले ₹4,27,45,63,836/- की राशि प्राप्त की। इसमें से ₹60,88,25,500/- शेयर पूंजी खाते में तथा ₹366,57,38,336/- शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित किए गए हैं।

a) During the year, Bank allotted 6,08,82,550 equity Shares of ₹10/- each to Life Insurance Corporation of India at an issue price of ₹70.21 per Share and received ₹4,27,45,63,836 against allotment of the above equity Shares. Out of this, ₹60,88,25,500/- is transferred to Share Capital Account and ₹366,57,38,336/- is transferred to Share Premium Account.

2.0 निवेश

2.1 बैंक के निवेश एवं निवेश पर मूल्य-ह्रास/अनर्जक निवेश के प्रति किए गए प्रावधान के उतार-चढ़ाव के ब्योरे निम्नानुसार हैं :

2.0 Investments

2.1 The Details of investments and the movement of provisions held towards depreciation on the investments/Non Performing Investments of the Bank is given below:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मर्दे/Items	31.03.15 की स्थिति As on 31.03.15	31.03.14 की स्थिति As on 31.03.14
(1) निवेशों का मूल्य/Value of Investments		
(i) निवेश का सकल मूल्य/Gross Value of Investments		
(a) भारत में/In India	67385.05	65875.42
(b) भारत के बाहर/ Outside India	1845.57	1970.22
(ii) मूल्यह्रास/एनपीआई हेतु प्रावधान/Provisions for Depreciation/NPI		
(a) भारत में/In India	327.63	361.01
(b) भारत के बाहर/Outside India	43.56	32.93
(iii) निवेशों का निवल मूल्य /Net Value of Investments		
(a) भारत में/In India	67057.42	65514.40
(b) भारत के बाहर/Outside India	1802.01	1937.29
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास/एनपीआई के प्रति किए गए प्रावधान का उतार-चढ़ाव Movement of provisions held towards depreciation on investments/NPI.		
(i) प्रारंभिक शेष / Opening balance	393.94	270.28
(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Add : Provisions made during the year : विनिमय अंतर के जरिए : By Exchange Difference	125.52 -0.32	209.78 2.47
(iii) घटाएं : वर्ष के दौरान बड़े खाते डाले गए / पुनरांकित किए गए अतिरिक्त प्रावधान Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	147.95	88.59
(iv) अंतिम शेष/Closing balance	371.19	393.94

2.2 रेपो लेनदेन / Repo Transactions

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2015 को बकाया Outstanding as on 31 st March 2015
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ Securities sold under Repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	0.00	8654.88	2491.29	1600.56
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ Securities purchased under reverse Repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	0.00	5148.00	189.28	4472.00
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

2.3 गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग/Non-SLR Investment Portfolio

(i) गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के जारीकर्ताओं की संरचना/ Issuer composition of Non SLR investments

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

सं. जारीकर्ता No. Issuer	राशि Amount	निजी तौर पर शेयर आबंटन की सीमा Extent of Private Placement	'निवेश श्रेणी से निम्न' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	'रेटिंग से इतर' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i) स.क्षे.के उपक्रम / PSUs	4160.25	3747.17	2795.90	0.00	1661.00
(ii) वित्तीय संस्थाएं / FIs	5014.55	4896.93	22.50	0.00	22.50
(iii) बैंक / Banks	474.55	246.00	0.00	13.78	13.78
(iv) निजी कंपनियां / Private Corporates	2325.11	2008.31	630.81	116.89	286.24
(v) अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/Subsidiaries/ Joint Ventures	184.50	184.50	0.00	0.00	184.50
(vi) अन्य /Others	109.59	0.00	0.00	109.59	0.00
(vii) उप योग (i) से (vi) तक Sub Total (i to vi)	12268.55	11082.91	3449.21	240.26	2168.02
(viii) घटाएं- मूल्यहास के प्रति किया गया प्रावधान Less Provision held towards depreciation	368.73	0.00	25.04	25.17	25.96
(ix) योग / Total (vii-viii)	11899.82	11082.91	3424.17	215.09	2142.06

(ii) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश / Non performing Non-SLR investments

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	31.03.2015
प्रारंभिक शेष / Opening balance	137.74
वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	59.99
वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the year	2.96
अंतिम शेष / Closing balance	194.77
किए गए कुल प्रावधान / Total provisions held	152.10

2.4 विभिन्न श्रेणियों की प्रतिभूतियों में किए गए निवेश का सकल मूल्य निम्नानुसार है :

The gross value of Investments held in different categories of securities is as under:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	31.3.2015	31.3.2014
परिपक्वता तक धारित/Held to Maturity		
- छूट प्राप्त श्रेणी /-exempted category	5098.07	4397.66
- अन्य/-others	38373.38	42319.89
बिक्री हेतु उपलब्ध/Available for Sale	25759.17	20955.17
क्रय-विक्रय हेतु धारित/Held for Trading	0.00	96.47

2.5 एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण :

एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं हुआ है। इसमें

2.5 Sale and transfers to/from HTM Category :

The value of sales and transfers of securities to/from HTM category, excluding the onetime transfer of securities undertaken by the bank with the approval of Board of Directors, has not

निदेशक मंडल के अनुमोदन से बैंक द्वारा ली गई प्रतिभूतियों का एकबारगी अंतरण शामिल नहीं है।

exceeded 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year.

3.0 व्युत्पन्न / Derivatives

3.1 वायदा दर करार/ब्याज दर स्वाप / Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मर्दे / Items	2014-15	2013-14
i) स्वाप करार का आनुमानिक मूलधन The notional principal of swap agreements	1334.04	600.30
ii) करार के अंतर्गत काउंटर पार्टियों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में चूक किए जाने पर उठाई जानेवाली हानि Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	2.35	6.70
iii) स्वाप में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपाधिक Collateral required by the bank upon entering into swaps	0.00	0.00
iv) स्वाप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00	0.00
v) स्वाप बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	-0.36	0.29

3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न / Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

कम सं. S.No.	विवरण Particulars	राशि Amount
(i)	वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	0.00
	क) \ a)	
	ख) \ b)	
	ग) \ c)	
(ii)	दिनांक 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March 2015 (instrument-wise)	0.00
	क) \ a)	
	ख) \ b)	
	ग) \ c)	
(iii)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00
	क) \ a)	
	ख) \ b)	
	ग) \ c)	
(iv)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का दैनिक बाजार मूल्य (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00
	क) \ a)	
	ख) \ b)	
	ग) \ c)	

3.3 व्युत्पन्न में ऋण जोखिम का प्रकटीकरण

क) गुणात्मक प्रकटीकरण

i) व्युत्पन्न लेनदेन में जोखिम प्रबंध की संरचना और गठन:

संगठनात्मक ढाँचे के अंतर्गत कारपोरेट स्तर पर निवेश स्कंध है जो कार्यपालक निदेशकगण और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अंततः निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। लेनदेन के समय उनके बारे में जोखिम प्रबंधन विभाग को सूचित किया जाता है।

ii) जोखिम माप, जोखिम सूचना और जोखिम निगरानी प्रणालियों का क्षेत्र और स्वरूप :

क) बैंक द्वारा किए गए ब्याज दर स्वाप (आई आर एस) संबंधी लेनदेन केवल बचाव व्यवस्था एवं क्रय-विक्रय के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं। उत्पाद के रूप में व्युत्पन्न भी भा.रि. बैंक के मानकों के अनुरूप ग्राहकों को दिए जाते हैं। ये लेन-देन भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर बनाई गई बैंक की नीतियों के अनुसार किए जाते हैं।

ख) ब्याज दर स्वाप संविदाओं की शेष अवधि के लिए बेंचमार्क ब्याज दरों के उतार-चढ़ाव के आधार पर ब्याज दर व्युत्पन्न लेनदेन में जोखिम मापा जाता है। जोखिम की माप के प्रयोजनार्थ सभी ब्याज दर व्युत्पन्न लेनदेन को शामिल किया जाता है। जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है तथा रिपोर्ट अ.प्र.नि./का.नि. के समक्ष प्रतिदिन और निदेशक मंडल के समक्ष आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है। ब्याज दर व्युत्पन्न लेनदेन की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम पर निगरानी रखी जाती है।

(iii) जोखिम से बचाव और/या उसके शमन के लिए नीतियां तथा बचाव व्यवस्था/प्रणालियों की निरंतर प्रभाविता पर निगरानी रखने की कार्यनीति एवं प्रक्रिया:

परिसंपत्तियों या देयताओं के वास्तविक ब्याज भार के लिए ब्याज दर स्वाप किया जाता है। आनुमानिक मूलधन और बचाव की परिपक्वता निहित परिसंपत्ति/देयता के मूल्य और परिपक्वता से अधिक नहीं होती है। बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम पर निगरानी रखी जाती है तथा तदनुसार बचाव की प्रभाविता निर्धारित की जाती है।

ब्याज दर स्वाप करने पर अपेक्षित संपार्श्विक शून्य है। पूंजी अपेक्षा अवधारित करने के लिए सुसंगत परिवर्तन-कारक से गुणा की गई ब्याज दर स्वाप की आनुमानिक मूल राशि और प्रतिपार्टी की संबंधित जोखिम भारिता को हिसाब में ले लिया गया है।

3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

a) Qualitative Disclosures

i) The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors and Chairman & Managing Director and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

ii) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:

a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the bank formulated based on RBI guidelines.

b) The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and reports are placed to the CMD/ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.

(iii) Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:

IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined.

Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.

ख)ब) प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/Quantitative Disclosures

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. विवरण Sl.No.Particulars	2014-15		2013-14	
	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest rate derivatives	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest rate derivatives
1 व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)	43291.83	1334.04	50056.26	899.89
क)/a) बचाव के लिए / For hedging	43291.83	462.98	50056.26	449.89
ख)/b) क्रय-विक्रय के लिए /For trading	0.00	871.06	0.00	450.00
2 मार्केड टू मार्केट स्थिति / Marked to Market Positions				
क)/a) आस्ति (+) / Asset (+)	30.37	0.00	83.49	1.16
ख)/b) देयता (-) \ Liability (-)	26.17	0.26	6.69	0.00
3 ऋण एक्सपोजर \ Credit Exposure	904.23	13.34	650.69	16.57
4 ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) Likely impact of one percentage change in Interest rate (100*PV01)				
क)\ a) बचाव व्युत्पन्न पर \ on hedging derivatives				
अधिकतम \ Maximum	NA	4.16	NA	-15.55
न्यूनतम \ Minimum	NA	-7.09	NA	6.63
ख)\ b) क्रय-विक्रय व्युत्पन्न पर \ on trading derivatives				
अधिकतम \Maximum	NA	-4.18	NA	0.53
न्यूनतम \ Minimum	NA	3.46	NA	0.06
5 वर्ष के दौरान 100*पीवी01 के अधिकतम और न्यूनतम निम्नलिखित पर पाए गए Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
बचाव-व्यवस्था पर- \ on hedging				
अधिकतम \ Maximum	NA	7.32	NA	2.21
न्यूनतम \ Minimum	NA	4.92	NA	7.53
क्रय-विक्रय पर \ on trading				
अधिकतम \ Maximum	NA	-7.37	NA	0.84
न्यूनतम \ Minimum	NA	-1.64	NA	-0.02

ग) ब्याज दर स्वाप के लिए अन्य प्रकटन

बैंक में निहित परिसंपत्तियों और देयताओं पर स्थिर से अस्थिर और अस्थिर से स्थिर ब्याज दर व्युत्पन्न लिए हैं। यदि काउंटर पार्टियों ने अपने दायित्व पूरे नहीं किए तो उपर्युक्त ब्याज दर स्वाप पर ₹2.35 करोड़ का नुकसान होगा। ब्याज दर स्वाप के संबंध में किए गए लेनदेन से ऋण जोखिम का संकेन्द्रण नहीं हुआ है क्योंकि काउंटर पार्टी बैंक है और एक्सपोजर अनुमत सीमा के भीतर है।

c) Other Disclosures for Interest Rate Swaps

The Bank has undertaken fixed to floating and floating to fixed interest rate swaps on underlying assets and liabilities. The loss of income on the above IRS will be ₹2.35 Crore, in case counter-parties fail to fulfill their obligations. There is no concentration of credit risk arising from IRS transactions undertaken as the counter-parties are banks and the exposure is within the exposure limit permitted.

4.0 आस्ति गुणवत्ता / Asset Quality

4.1 अनर्जक आस्ति / Non-Performing Asset

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मदें / Items	2014-15	2013-14
(i) निवल अग्रिम की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%) /Net NPAs to Net Advances(%)	4.30%	2.38%
(ii) अनर्जक आस्तियाँ (सकल) में घट-बढ़/ Movement of NPAs (Gross)		
(क)/(a) प्रारंभिक शेष /(a) Opening Balance	6621.37	7130.09
(ख)/(b) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	7551.31	3961.59
(ग)/(c) वर्ष के दौरान कमी /Reductions during the year :	3907.63	4470.31
(घ)/(d) अंतिम शेष / Closing Balance	10265.05	6621.37
(iii) अनर्जक आस्तियाँ (सकल) में घट-बढ़/Movement of Net NPAs		
(क)/(a) प्रारंभिक शेष /(a) Opening Balance	3556.42	4069.31
(ख)/(b) वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	7551.31	3961.59
(ग)/(c) वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the year	3907.63	4470.31
(घ)/(d) Less: Adjustment for excess in value of netting item over Previous year *	869.52	4.17
(ङ)/(e) अंतिम शेष / Closing Balance	6330.58	3556.42
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान में घट-बढ़ (मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर) Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard Assets)		
(क)/(a) प्रारंभिक शेष /(a) Opening Balance	2821.44	2816.42
(ख)/(b) वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	1836.83	1428.46
(ग)/(c) वर्ष के दौरान कमी /Reductions during the year :	1401.14	1423.44
(घ)/(d) अंतिम शेष / Closing Balance	3257.13	2821.44
* निवल की गई मद का प्रारंभिक मूल्य / Opening value of Netting Item	3064.95	3060.78
निवल की गई मद का अंतिम मूल्य / Closing value of Netting Item	3934.47	3064.95
निवल की गई मदों के मूल्य में आधिक्य / Excess in value of Netting Items	(869.52)	(4.17)

4.2 पुनर्संचित खातों का विवरण

(करोड़ ₹ में)

क्र. मा. क	पुनर्संचना का प्रकार	सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत						एसएनई ऋण पुनर्संचना प्रणाली के अंतर्गत						अन्य						कुल							
		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	
1	वित्तीय वर्ष के अप्रैल की स्थिति को पुनर्संचित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	47	6	2	0	55	195	8	1	0	204	5799	13	0	1	5813	6041	27	3	1	6072					
		बकाया राशि	5440.28	234.38	45.52	0.00	5720.18	146.36	55.26	3.41	0.00	205.03	5578.27	137.26	0.00	4.98	5720.51	11164.91	426.90	48.93	4.98	11645.72					
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्संचित	उधारकर्ताओं की संख्या	17	0	0	0	17	113	4	0	0	117	1603	19	0	0	1622	1733	23	0	0	1756					
		बकाया राशि	1990.89	0.00	0.00	0.00	1990.89	119.60	4.09	0.00	0.00	123.69	1891.25	0.72	0.00	0.00	1891.97	4001.74	4.81	0.00	0.00	4006.55					
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संचित मानक श्रेणी में उद्योग	उधारकर्ताओं की संख्या	2	0	0	0	2	0	0	0	0	9	-9	0	0	0	0	11	-9	0	0	2					
		बकाया राशि	84.86	0.00	0.00	0.00	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	30.93	-30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	115.79	-30.93	0.00	0.00	84.86					
4	पुनर्संचित मानक अग्रिम जिन पर वित्तीय वर्ष के प्रारंभ / जोखिम भार नहीं रखा गया अतः अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में उन्हें पुनर्संचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की जरूरत नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	4.03	0.00	0.00	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	-1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55	-1.52	0.00	4.03						
		बकाया राशि	-2	0	0	0	-2	-15	0	0	-15	-561	0	0	0	0	-561	-578	0	0	0	-578					
		बकाया राशि	84.86	0.00	0.00	0.00	84.86	-2.00	0.00	0.00	-2.00	-2878.65	0.00	0.00	0.00	-2878.65	-2795.79	0.00	0.00	0.00	-2795.79						
		बकाया राशि	4.24	0.00	0.00	0.00	4.24	-0.10	0.00	0.00	-0.10	-141.05	0.00	0.00	0.00	-141.05	141.05	0.00	0.00	0.00	4.14						

4.2 Particulars of Accounts Restructured

(₹ Crore)

Sl No	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism				Under SME Debt Restructuring Mechanism				Others				Total						
	Asset Classification	Details	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total				
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (Opening figures)*	No. of borrowers Amount outstanding Provision thereon	47 5440.28	6 234.38	2 45.52	0 0.00	55 5720.18	195 146.36	8 55.26	1 3.41	0 0.00	204 205.03	5799 5578.27	13 137.26	0 0.00	1 4.98	5813 5720.51	27 426.90	3 48.93	1 4.98	6072 11645.72
2	Fresh restructuring during the year	No. of borrowers Amount outstanding Provision thereon	17 1990.89	0 0.00	0 0.00	0 0.00	17 1990.89	113 119.60	4 4.09	0 0.00	0 0.00	117 123.69	1603 1891.25	19 0.72	0 0.00	0 0.00	1622 1891.97	23 4.81	0 0.00	0 0.00	1756 4006.55
3	Upgradations to restructured standard category during the FY	No. of borrowers Amount outstanding Provision thereon	2 84.86	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 84.86	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	9 30.93	-9 -30.93	0 0.00	0 0.00	0 0.00	11 -30.93	-9 0.00	0 0.00	2 84.86
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and/or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of borrowers Amount outstanding Provision thereon	-2 84.86	0 0.00	0 0.00	0 0.00	-2 84.86	-15 -2.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	-15 -2.00	-561 -2878.65	0 0.00	0 0.00	0 0.00	-561 -2878.65	0 0.00	0 0.00	0 0.00	-578 -2795.79
			4.24	0.00	0.00	0.00	4.24	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	-141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-136.91	141.05	0.00	4.14

Sl No	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total									
	Asset Classification	Details	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total					
5	Downgradations of restructured accounts during the FY		-19	19	0	0	0	-90	90	0	0	0	-689.61	689.61	0.00	0.00	0.00	-2559.98	2559.98	0.00	0.00	0.00	-149	149	0	0	0
6	Write-offs of restructured accounts during the FY		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	-1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	-125.44	125.44	0.00	0.00	0.00
7	Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures)*		45	18	2	0	65	203	102	1	0	306	4844.21	394.00	0.00	0.00	319.14	83.15	3.41	0.00	0.00	6875	7064	179	3	0	7246
			280.23	0.00	0.00	0.00	280.23	11.40	0.00	0.00	0.00	11.40	214.99	0.00	0.00	214.99	5238.21	1546.39	48.93	0.00	0.00	214.99	506.62	0.00	0.00	0.00	506.62

* Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

* Nine Accounts having outstanding Balances of ₹1098.30 Crores have been removed on account of failed restructuring

4.3 आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्संरचना कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के व्योरे
Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Companies for Asset Reconstruction

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मर्दे / Item	2014-2015	2013-14
(i) खातों की संख्या / No. of accounts	51	133
(ii) एस सी / आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान को छोड़कर) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC / RC	217.88	1071.67
(iii) कुल प्रतिफल / Aggregate consideration	409.45	1046.00
(iv) पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों की बावत वसूले गए अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	141.19	0.34
(v) निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ / हानि Aggregate gain / loss over net book Value	191.57	(25.67)

4.4 खरीदी गई/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के व्योरे/ Details of Non performing financial assets purchased/sold

अ/A. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के व्योरे/Details of Non performing financial assets purchased:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2014-15	2013-14
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या (a) No. of accounts purchased during the year	शून्य/Nil	शून्य/Nil
(ख)/(b) कुल बकाया/Aggregate Outstanding	—	—
2. (क) उपर्युक्त में से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या / (a) Of these, number of accounts restructured during the year	—	—
(ख)/(b) कुल बकाया/Aggregate Outstanding	—	—

आ/B. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के व्योरे/Details of Non performing financial assets sold:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2014-15	2013-14
1. बेचे गए खातों की संख्या / No. of Accounts sold	शून्य/Nil	शून्य/Nil
2. कुल बकाया / Aggregate Outstanding	शून्य/Nil	शून्य/Nil
3. कुल प्रतिफल प्राप्त / Aggregate consideration received	शून्य/Nil	शून्य/Nil

4.5 प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश का व्योरा /Details of Investment in Security Receipts:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	बैंक द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा नीचे दिए अनुसार समर्थित Backed by NPAs sold by the bank as underlying		गैर-बैंकिंग कंपनियों के द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा नीचे दिए अनुसार समर्थित Backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/non banking financial companies as underlying		कुल Total	
	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year
	1014.71	1254.53	0.00	0.00	1014.71	1254.53

4.6 मानक आस्तियों पर प्रावधान / Provisions on Standard Assets

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मदें / Item	2014-15	2013-14
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान / Provisions towards Standard Assets	971.07	938.98

5.0 कारोबार अनुपात / Business Ratios

मदें / Items	2014-15	2013-14
(i) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय(%)/Interest Income as a percentage to Working Funds (%)	8.19	8.49
(ii) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय(%)/ Non-interest income as a percentage to Working Funds(%)	0.85	0.61
(iii) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन आय(%)/Operating Profit as a percentage to Working Funds(%)	2.08	2.30
(iv) आस्तियों पर आय /Return on Assets (%)	0.48	0.70
(v) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा व अग्रिम) (करोड़ ₹ में) / Business (Deposits plus advances) per employee (₹ in Crore)	13.77	13.61
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (लाखों ₹ में) / Profit per employee (₹ in lakh)	4.82	6.55

6.0 आस्तित्व देयता प्रबंध-दिनांक 31.03.2015 को आस्तियों एवं देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

6.0 Asset Liability Management - Maturity-pattern of certain items of asset and liabilities as on 31.03.2015

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण	1दिन	2 से 7 दिन तक	8 से 14 दिन तक	15 से 28 दिन तक	29 दिन से 3 माह तक	3 माह से अधिक से लेकर 6 माह तक	6 माह से अधिक से लेकर 1 वर्ष तक	1 वर्ष अधिक से लेकर 3 वर्ष तक	3 वर्ष तक अधिक से लेकर 5 वर्ष तक	5 वर्ष से आधिक	कुल
PARTICULARS	Day 1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 28 days	29 days and up to 3 months	Over 3 months and up to 6 months	Over 6 months and up to 1 year	Over 1 year and up to 3 years	Over 3 years and up to 5 years	Over 5 years	Total
जमा/Deposits अग्रिम सकल	888.80	8412.39	5239.21	5985.13	28024.60	23422.49	46134.04	43823.30	8998.64	43408.09	214336.70
/Advances Gross	1227.91	1657.47	2533.07	4773.54	21381.27	11416.47	9391.14	12864.15	13600.45	72966.75	151812.22
निवेश	21.17	11.77	436.65	942.44	3412.21	1410.32	1799.10	6684.76	14447.88	40064.32	69230.62
उधार/Borrowings	343.16	1412.50	595.25	462.50	282.86	1191.79	68.55	1253.85	1442.11	3199.97	10252.54
विदेशी मुद्रा आस्तियां											
Foreign Currency Assets	1567.53	859.84	1061.85	2172.69	6544.92	4874.69	3465.33	3727.30	668.53	1578.56	26521.25
विदेशी मुद्रा देयताएं											
Foreign Currency Liabilities	712.57	1157.17	895.33	2540.84	4236.52	2668.33	3312.25	4895.14	1311.76	4792.13	26522.02

7.0 एक्सपोजर/Exposure:

7.1 स्थावर-संपदा क्षेत्र को ऋण/Exposure to Real Estate Sector

(राशि करोड़ ₹ में/Amount in ₹ Crore)

विवरण/Category	2014-15	2013-14
क/अ) प्रत्यक्ष एक्सपोजर / Direct exposure		
(i) आवासीय संपत्ति बंधक - ऐसी आवासीय संपत्ति को बंधक रखकर दिए गए पूर्णतः प्रतिभूत उधार जो उधारकर्ता के दखल में है या होगी या जो किराए पर दी गई हो (प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम में शामिल करने योग्य वैयक्तिक आवास ऋण अलग से दर्शाए जाएं)		
Residential Mortgages – Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	11946.72	7035.39
(Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately);	6475.49	4878.36
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा वाणिज्यिक स्थावर संपदा को (कार्यालय भवन, खुदरा कारोबार का स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किराए वाले वाणिज्यिक परिसर, उद्योग या वेयर हाउस के लिए खाली स्थान, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं विनिर्माण, आदि) बंधक रखकर दिए गए प्रतिभूत उधार। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल है।		
Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	965.07	1658.29
(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूत ऋणों में निवेश		
Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures –		
क/अ.आवासीय / Residential,	0.15	0.32
ख/ब.वाणिज्यिक स्थावर संपदा / Commercial Real Estate.	0.00	0.00
ख/ब) अप्रत्यक्ष ऋण/Indirect Exposure	1430.51	1712.89
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) को निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित ऋण		
Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).		
स्थावर-संपदा क्षेत्र को कुल ऋण (क+ख)/Total Exposure to Real Estate Sector (a+b)	14342.45	10406.89

7.2 पूंजी बाजार को एक्सपोजर/Exposure to Capital Market

(राशि करोड़ ₹. में / Amount in ₹ Crore)

	विवरण/Particulars	2014-15	2013-14
(i)	ऐसे इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसकी आधारभूत निधि का पूर्णतः निवेश कॉर्पोरेट ऋण में न किया गया हो; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	487.12	535.64
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर अग्रिम; advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	0.00	0.00
(iii)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति माना जाता है; advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.00	0.00
(iv)	किन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों की संपारिर्क प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हो यानी जहां शेयर/परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर/इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिट से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम को पूरी तरह संरक्षित न करती हो; advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	0.00	0.00
(v)	शेयर दलालों को दिए जाने वाले प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं शेयर संतुलनकर्ताओं की ओर से जारी गारंटी; secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	22.14	37.08
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर कंपनियों को संस्वीकृत ऋण; loans sanctioned to corporate against the security of shares /bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह/निर्गम के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण; bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.00
(viii)	शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम की बावत बैंकों द्वारा की गई हमीदारी प्रतिबद्धता; underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्तपोषण/financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
(x)	वेंचर कैपिटल फंड (रजिस्ट्रीकृत एवं अरजिस्ट्रीकृत दोनों) सभी एक्सपोजर all exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	194.50	194.50
	पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर /Total exposure to Capital Market	703.76	767.22

7.3 जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर / Risk Category wise Country Exposure

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31 st March 2015	31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31 st March 2015	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31 st March 2014	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31 st March 2014
नगण्य/Insignificant	6662.44	—	4487.11	--
कम/Low	3559.68	—	4864.13	--
सामान्य/Moderate	1.22	—	152.57	--
अधिक/High	4.31	—	0.00	--
अत्यधिक/Very High	0.00	—	0.00	--
सीमित/Restricted	0.00	—	0.00	--
ऋणोत्तर/Off-credit	0.00	—	0.00	--
कुल/Total	10227.65	—	9503.81	--

दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार बैंक की कुल आस्तियों के आधार पर कंट्री एक्सपोजर के मद में प्रावधान शून्य है। बैंक ने 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार अपने देश से भिन्न देशों में दिए गए ऋणों की जांच की है। प्रत्येक देश में बैंक का निवल निधिक एक्सपोजर उसकी आस्तियों के 1% से कम है।

Based on the total assets of the Bank as on 31.03.2015, the provision requirement on account of Country Exposure is ₹ Nil. The Bank has taken a stock of its exposure in countries other than the home country as on 31st March, 2015. The Bank's net funded exposure in each country is below 1% of its assets.

7.4 बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता ऋणसीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता ऋण सीमा (जीबीएल) के ब्योरे

7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank.

(अ) बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता ऋण सीमा - शून्य

A. Single Borrower Limit exceeded by the Bank:- Nil

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्रमांक Sl. No	उधारकर्ता का नाम Name of the Borrower	एक्सपोजर की उच्चतम सीमा Exposure Ceiling	संस्वीकृत ऋण Limit sanctioned	अविध, जिसके दौरान ऋण सीमा का अतिक्रमण हुआ Period during which limit exceeded	कॉलम 5 में उल्लिखित अवधि के दौरान जितनी राशि का अतिक्रमण हुआ Amount exceeded during the period in col.5	बोर्ड की संस्वीकृति का ब्योरा Board sanction details	31.03.15 के अनुसार स्थिति Position as on 31.03. 15
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

(आ) बैंक द्वारा अतिक्रमित समूह उधारकर्ता सीमा - शून्य

B. Group Borrower Limit exceeded by the Bank:- Nil

7.5 अप्रतिभूत अग्रिम/Unsecured Advances

(राशि करोड़ ₹. में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार/As at 31st March 2015
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम Total Unsecured Advances of the Bank	5509.19
क) जिनमें से अमूर्त प्रतिभूतियों यथा राइट्स, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर भार के प्रति बकाया अग्रिम की राशि a) Of which amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights,licences,authority etc	शून्य/NIL
ख) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का आनुमानिक मूल्य b) The estimated value of such intangible securities	लागू नहीं/Not Applicable

8. विविध

8.1 आयकर के लिए किए गए प्रावधान की राशि

विवरण/Particulars	31.03.2015	31.03.2014
आयकर के लिए प्रावधान/Provision for Income Tax		
भारत में/In India	426.03	369.24
भारत के बाहर/Outside India	18.03	9.43

8.2 भा.रि. बैंक द्वारा अधिरोपित शास्तियों का प्रकटन

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के अधीन बैंक पर कोई शास्तित अधिरोपित नहीं की है।

9.0. लेखा मानक के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं

9.1 अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, अवधि पूर्व मदें तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन (एएस-5)

लाभ-हानि लेखा में कोई 'अवधि पूर्व मद' शामिल नहीं की गई है, जिसे भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के साथ पठित आईसीएआई द्वारा जारी एएस-5 के अनुसार प्रकट किया जाना अपेक्षित है।

9.2 राजस्व को मान्यता (एएस-9):

राजस्व को मान्यता लेखांकन मानक (एएस-9) और अनुसूची-17 की लेखांकन नीति सं. 9 के अनुसार दी गई है।

9.3 एएस-15-कर्मचारी हितलाभ (एएस-15):

कर्मचारी हितलाभ यानी पेंशन, उपदान, छुट्टी का नकदीकरण, बीमारी छुट्टी, एलएफसी/एलटीसी, सेवानिवृत्त एवं सेवारत निदेशकों आदि तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधा, आदि हेतु संशोधित लेखा मानक (एएस-15) के अनुसार प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने ऐसे कर्मचारियों के लिए पेंशन का विकल्प फिर से शुरू किया है, जिन्होंने पूर्व में पेंशन योजना के लिए विकल्प नहीं दिया था। इसके कारण बैंक को ₹507.84 करोड़ की अतिरिक्त देयता का वहन करना पड़ा है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी कर्मचारियों को दिए जाने वाले उपदान की सीमा को उपदान अधिनियम, 1972 में संशोधन के अनुसार संशोधित किया गया था। इसके कारण भी बैंक की देयता में ₹292.51 करोड़ की वृद्धि हुई। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक डीबीओडी. बीपी.बीसी 80.21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 के निर्देशों के अनुसार, बैंक ने रु 800.35 करोड़ की इस पूरी राशि को वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ करके पांच वर्षों में परिशोधित करने का निर्णय किया। इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक के उक्त परिपत्र की अपेक्षाओं के अनुसार ₹160.07 करोड़ की राशि लाभ-हानि खाते पर भारित की गयी है। शेष 160.07 करोड़ (160.70 करोड़) की राशि को अग्रसारित किया गया है। पिछले पांच वर्षों में देयताओं के लिए परिशोधन किए जाने के फलस्वरूप 31 मार्च, 2015 की स्थिति में पेंशन का दूसरा विकल्प और उपदान देने के लिए परिशोधित की जानेवाली शेष अनारक्षित देयता शून्य है।

₹160.07 करोड़ (₹160.07 करोड़) के अतिरिक्त 729.30 करोड़ (793.55 करोड़) हानि खाते से घटाई गई है, जिसमें कर्मचारी हितलाभ से संबंधित देयताएं शामिल हैं।

8. Miscellaneous

8.1 Amount of Provision made for Income Tax

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	31.03.2015	31.03.2014
आयकर के लिए प्रावधान/Provision for Income Tax		
भारत में/In India	426.03	369.24
भारत के बाहर/Outside India	18.03	9.43

8.2 Disclosure of penalties imposed by RBI.

Reserve Bank of India has not imposed any penalty on the Bank u/s 46(4) of the Banking regulation Act, 1949

9.0. Disclosures Requirement as per Accounting Standards:

9.1 Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies (AS-5):

There is no material "prior period item" included in Profit & Loss account required to be disclosed as per AS – 5 issued by ICAI read with RBI guidelines.

9.2 Revenue Recognition (AS-9):

Revenue is recognized as per Accounting Standard (AS-9) and Accounting policy No. 9 of Schedule -17.

9.3 AS - 15 –Employee Benefits (AS-15):

Provision for Employee Benefits viz. Pension, Gratuity, Leave Encashment, Sick Leave, LFC/LTC, medical benefits to retired and in service Directors and their family members etc. has been made as per Revised Accounting Standard (AS) -15.

During the financial year 2010-11, the Bank reopened the Pension option for such of its employees who had not opted for Pension scheme earlier. The Bank in result incurred an additional liability of ₹507.84 Crore due to the same. In the same financial year too, the limit of Gratuity payable to the employees was enhanced pursuant to the amendment of Gratuity Act, 1972. As a result the liability of Bank was also increased by ₹292.51 Crore. As per RBI guidelines as enumerated in circular no. DBOD. BP. BC.80.21.04 .018/2010-11 dated 09.02.2011, the Bank decided to amortize the entire expenditure ₹800.35 Crore in five years beginning from financial year 2010-11. Accordingly a sum of ₹160.07 Crore (160.07 Crore) is charged to Profit and Loss A/C in terms of the requirements of the above RBI Circular. Upon amortization of the liabilities over last five years, the balance unrecognized liability to be amortised towards Second Option Pension and Gratuity as on March 31, 2015 is NIL.

In addition to ₹160.07 Crore (160.07 Crore), an amount of ₹729.30 Crore (793.55 Crore) which includes liability for the employees benefits, has been charged to Profit and Loss Account towards current year's liabilities.

प्रारंभिक एवं अंतिम दायित्व-शेष का मिलान : / Reconciliation of opening and closing balances of obligations:

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

	निधिक/FUNDED		अनिधिक/UNFUNDED			
	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC/ LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Med. Benefits to Directors
प्रारंभिक दायित्व Opening Obligation	4655.28	857.19	341.60	29.09	10.03	0.44
चालू सेवा लागत Current Service Cost	508.00	34.50	73.77	0.00	2.60	0.00
ब्याज लागत Interest Cost	352.76	62.18	27.33	2.33	.80	0.04
प्रदत्त हितलाभ Benefit Paid	(491.61)	(159.77)	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमांकिक हानि/(लाभ) Actuarial Loss/(Gain)	269.15	8.19	(79.30)	(0.89)	(2.50)	(0.002)
अंतिम दायित्व Closing Obligation	5293.58	802.29	363.40	30.53	10.93	0.48

प्रारंभिक एवं अंतिम योजना आस्ति शेष का मिलान / Reconciliation of opening and closing balances of plan assets:

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

	पेंशन/Pension	उपदान/Gratuity
योजना आस्तियों का प्रारंभिक मूल्य Opening Value of Plan Assets	4506.99	853.59
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected Return on Plan Assets	421.40	81.26
अंशदान Contributions	692.31	31.83
प्रदत्त हितलाभ Benefits Paid	(491.61)	(159.77)
बीमांकिक लाभ/(हानि) Actuarial Gain/(Loss)	33.53	(6.62)
योजना आस्तियों का अंतिम मूल्य Closing Value of Plan Assets	5162.62	800.29

समाधानकृत बीमांकिक लाभ/हानि/Actuarial Gain/Loss Reconciled

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC / LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors
वर्ष में बीमांकिक हानि/ (लाभ)- दायित्व Actuarial Loss/(Gain) for the Year - Obligation	269.15	8.19	(79.30)	(0.89)	(2.50)	(0.002)
वर्ष में बीमांकिक लाभ/ (हानि) - योजना आस्ति Actuarial Gain/(Loss) for the Year - Plan Asset	33.53	(6.62)	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष में कुल हानि/(लाभ) Total Loss /(Gain) for the Year	235.62	14.81	(79.30)	(0.89)	(2.50)	(0.002)
बीमांकिक हानि/(लाभ) वर्ष में मान्यता प्राप्त Actuarial Loss/(Gain) Recognised in the Year	235.62	14.81	(79.30)	(0.89)	(2.50)	(0.002)

लाभ-हानि लेखा विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/Expenses Recognized in Statement of Profit & Loss Account

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC / LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors
चालू सेवा लागत Current Service Cost	508.00	34.50	73.77	0.00	2.60	0.00
ब्याज लागत Interest Cost	352.76	62.18	27.33	2.33	0.80	0.04
पूर्व सेवाओं की लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected Return on Plan Asset	421.40	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक हानि/(लाभ) Net Actuarial Loss/ (Gain) Recognized in the Year	235.62	14.81	(79.30)	(0.89)	(2.50)	(0.002)
लाभ/हानि लेखा में मान्यता प्राप्त व्यय Expenses Recognized in Statement of Profit/Loss	674.98	30.23	21.80	1.44	.90	0.03
पेंशन के लिए द्वितीय विकल्प हेतु देयता में वृद्धि और सेवारत कर्मचारियों की बावत उपदान सीमा में वृद्धि की 1/5 भाग परिशोधित राशि Amortised amount being 1/5th of increase in liabilities for second option for pension and enhancement of gratuity limit in respect of employees in service	101.57	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00

31.03.2011 को सेवारत कर्मचारियों को पेंशन के लिए द्वितीय विकल्प देने तथा उपदान सीमा को ₹3.5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख करने हेतु देयता में वृद्धि (वर्ष 2010-11 से प्रारंभ कर 5 वर्षों में परिशोधित किए जाने हेतु)

Increase in liabilities for second option for Pension and enhancement of gratuity limit from ₹3.5 lacs to ₹10 lacs in respect of employees in service as on 31.03.2011 (To be amortized in 5 years commencing from the year 2010-11)

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity
परिशोधन के अध्याधीन देयता Liability subjected to amortization	507.84	292.51

तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशि/Amounts Recognized in the Balance Sheet

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC / LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors
31.03.2014 की स्थिति के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Obligations as at 31.03.2015	5293.58	802.29	363.40	30.53	10.93	0.48
31.03.2014 की स्थिति के अनुसार योजना आस्तियों का उचित मूल्य/प्रावधान की राशि Fair Value of Plan Assets/Amount of Provision held as at 31.03.2014	5162.62	800.29	341.60	29.09	10.03	0.45
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता/(आस्ति) Net Liability/(Asset) recognized in the Balance Sheet	130.96	2.00	21.80	1.44	0.90	0.03

निवेश के ब्योरे :

Investment Details:

क) उपदान निधि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश - 100%

a) Investment with LIC of India for Gratuity Fund - 100%

ख) पेंशन निधि की बावत उचित मूल्य के प्रतिशत के रूप में योजना आस्तियों
की प्रमुख श्रेणियाँ

b) Major Categories of Plan assets as percentage of Fair Value
in respect of Pension Fund

ईक्विटी Equities	0%
नियत आय एवं ऋण प्रतिभूतियाँ Fixed income & debt securities	22.78%
विशेष जमा Special Deposit	0%
अन्य आस्तियाँ एन्युटी कांट्रैक्टर Other Assets / Annuity contractor	77.22%
कुल/Total	100.00%

मूल बीमाकिक अनुमान / Principal Actuarial Assumptions :

मृत्यु दर तालिका/Mortality Rate Table	जीवन बीमा निगम/LICI (1994-96)
अधिवर्षिता आयु/Superannuation Age	60 वर्ष/60 Years
समयपूर्व सेवानिवृत्ति और विकलांगता/Early Retirement & Disablement	10 प्रतिवर्ष प्रति हजार / 10 Per Thousand Per Annum 45 वर्ष की आयु से अधिक के 6 / 6 Above age 45 29 एवं 45 वर्ष के बीच के 3 / 3 between 29 and 45 29 वर्ष से कम आयु के 1 / 1 below age 29
रियायती दर/Discount Rate	8.00 %
मुद्रास्फीति दर/Inflation Rate	5.70 %
योजना आस्ति पर प्रतिफल/Return on Plan Asset	9.35% (पेंशन हेतु/For Pension) 9.52% (उपदान हेतु/For Gratuity)
शेष सक्रिय जीवन/Remaining Working Life	7 वर्ष पेंशन में / 13 वर्ष उपदान में 7 Years in Pension / 13 Years in Gratuity
प्रयुक्त सूत्र/Formula Used	अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति/Projected Unit Credit Method

9.4 सेगमेंट रिपोर्टिंग / Segment Reporting (AS- 17)

भाग-अ : कारोबार सेगमेंट / Part A: Business Segment

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

कारोबार सेगमेंट Business Segment	ट्रेजरी Treasury		कारपोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate/Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		योग Total	
	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
रसीदी Revenue	6714.59	5071.33	8537.85	8974.03	6063.29	5444.22	46.82	60.83	21362.54	19550.42
परिणाम Result	1893.44	687.37	1741.15	659.26	1228.82	316.63	46.82	60.83	4910.22	1724.09
अनाबंटित व्यय Unallocated Expenses									0.00	0.00
परिचालन लाभ Operating Profit									4910.22	4940.39
आयकर Income Tax									444.06	213.55
असामान्य लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ Net Profit									1137.80	1510.54
अन्य सूचना Other Information										
सेगमेंट आस्तियां Segment Assets	94111.98	85231.04	88707.49	95165.01	63097.44	58728.70	0.00	0.00	245916.91	239124.75
अनाबंटित आस्तियां Unallocated assets									0.00	0.00
कुल आस्तियां Total Assets									245916.91	239124.75
सेगमेंट देयताएं Segment Liabilities	76142.64	72697.98	99207.90	102915.22	70566.37	63511.55	0.00	0.00	245916.91	239124.75
अनाबंटित देयताएं Unallocated Liabilities									0.00	0.00
कुल देयताएं Total Liabilities									245916.91	239124.75

भाग-आ : भौगोलिक सेगमेंट / Part B: Geographic segment

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	देशी/Domestic		अंतरराष्ट्रीय/International		योग/Total	
	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
राजस्व/Revenue	20791.50	19087.85	571.04	462.57	21362.54	19550.42
आस्तियां/Assets	221112.82	218429.68	24804.09	20695.07	245916.91	239124.75

9.5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस-18) :

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री अरुण कौल (दि . 01.09.2010 से)

ii) कार्यपालक निदेशकगण

श्री जे . के . गर्ग (दि . 05.08.2013 से)

श्री चरण सिंह (दि . 10.03.2015 से)

श्री एस . चंद्रशेखरन् (दि . 30.06.2014 तक)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेन-देन

9.5 Related Party Disclosures (AS-18):

a) Key Management Personnel

i) Chairman and Managing Director (CMD)

Shri Arun Kaul (From 01.09.2010)

ii) Executive Directors (ED)

Shri J K Garg (From 05.08.2013)

Shri Charan Singh (From 10.03.2015)

Shri S. Chandrasekharan (Till 30.06.2014)

Transactions with Key Management Personnel

(राशि लाख ₹ में / Amount in ₹ lakh)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	अवधि Period	मर्दे Items	राशि Amount
श्री अरुण कौल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri Arun Kaul CMD	01.04.2014 से/to 31.03.2015	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive जमा/Deposits यूको बैंक के शेयरों में निवेश Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज /Interest Received उधार/Borrowings	26.94 75.98 शून्य/Nil 6.18 शून्य/Nil
श्री जे. के. गर्ग कार्यपालक निदेशक Shri J. K. Garg ED	01.04.2014से/ to 31.03.2015	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive जमा/Deposits यूको बैंक के शेयरों में निवेश Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज /Interest Received उधार/Borrowings	20.05 6.54 शून्य/Nil 0.44 शून्य/Nil
श्री चरण सिंह कार्यपालक निदेशक Shri Charan Singh ED	10.03.2015 से/to 31.03.2015	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive जमा/Deposits यूको बैंक के शेयरों में निवेश Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज /Interest Received उधार/Borrowings	0.95 0.70 शून्य/Nil शून्य/Nil शून्य/Nil

(राशि लाख ₹ में) / (Amount in ₹ lakh)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	अवधि Period	मदे Items	राशि Amount
श्री एस. चन्द्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक Shri S. Chandrasekharan Ex-ED	01.04.2014 से/ to 30.06.2014	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive जमा/Deposits यूको बैंक के शेयरों में निवेश Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज /Interest Received उधार/Borrowings (31.03.15)	9.84 3.01 शून्य/Nil शून्य/Nil 29.43

प्रबंधन द्वारा यथा संकलित एवं प्रमाणित / As compiled and certified by the management

ग) सहयोगी

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निम्नानुसार हैं:

- बिहार ग्रामीण बैंक
- पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक

घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ लेन-देन का प्रकटन एएस-18, 'संबंधित पार्टी प्रकटन' के पैरा-9 के मद्देनजर नहीं किया गया है क्योंकि उसमें राज्य नियंत्रित उद्यमों को ऐसी अन्य संबंधित पार्टियों के साथ, जो स्वयं राज्य नियंत्रित उद्यम हैं, किए जानेवाले लेन-देन संबंधी प्रकटन करने से छूट दी गई है।

9.6. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस): (एएस -20)

प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) का परिकलन / Calculation of EPS

	31.3.2015	31.3.2014
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (करोड़ ₹ में) Net profit after tax available for equity shareholders (₹ in crore)	1137.80	1510.54
ईक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares	107,55,91,712	101,47,09,163
जोखिमधारित ईक्विटी शेयरों की संख्या Weighted Number of equity shares	101,55,43,171	77,69,62,419
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (राशि ₹ में) Nominal Value per Share (Amount in ₹)	10.00	10.00
प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन (राशि ₹ में) Basic & Diluted Earnings per Share (Amount in ₹)	11.20	19.44

9.7 चूंकि सहयोगियों/संयुक्त उद्यमों में बैंक का सहयोगी या नियंत्रक हित नहीं है, अतः आईसीएआई द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरण से संबंधित एएस 21, समेकित वित्तीय विवरण में सहयोगियों में निवेश के लिए लेखा से संबंधित एएस 23 और संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित एएस 27 बैंक पर लागू नहीं हैं।

9.8 आय पर कर का लेखांकन (एस-22)

क) वर्ष के दौरान लेखा मानक एएस-22 के अनुसार ₹154.82 करोड़ (₹9.92 करोड़ आस्थगित कर देयता) की निवल राशि की पहचान डेफरड टैक्स एसेट के रूप में की गई है।

c) Associates

Regional Rural Banks (RRB) sponsored by the Bank are as under:

- Bihar Gramin Bank
- Paschim Banga Gramin Bank

d) The transactions with RRB have not been disclosed in view of Para -9 of the AS-18, "Related Party Disclosure" which exempts State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also State Controlled Enterprises

9.6 . EARNINGS PER SHARE (EPS)- (AS-20):

9.7 As the Bank does not have Subsidiaries or controlling interest in Associates/Joint Ventures, AS 21 relating to Consolidated Financial Statements, AS 23 relating to Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements and AS 27 relating to Financial Reporting of Interest in Joint Ventures issued by the ICAI are not applicable to the Bank.

9.8 Accounting for Taxes on Income (AS-22):

a) During the year net amount of ₹154.82 Crore (₹9.92 Crore Deferred Tax Liability) has been recognised as Deferred Tax Assets as per accounting standard AS-22.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2015	दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2014
आस्थगित कर आस्तियां / Deferred Tax Assets		
आगे ले जाई हानि / Carried Forward Loss	28.59	-
छुट्टी के नकदीकरण के लिए प्रावधान / Provision for leave encashment	123.52	110.85
उचित मूल्य में ह्रास / Diminution in fair value	170.05	177.08
एस-15 के लिए प्रावधान/ Provision for AS-15	15.32	13.78
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets	311.08	294.96
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on Fixed Assets	0.00	30.78
कपट / आकस्मिक देयता आदि के लिए प्रावधान Provision for Fraud/Contingent liability etc.	41.61	39.50
योग:/TOTAL :	690.17	666.95

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2015	दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2014
आस्थगित कर देयताएं/Deferred Tax Liabilities		
एस-15 के अनुसार कर्मचारी हितलाभ का अपरिशोधित अंश Unamortized portion of employees benefit as per AS-15	0	51.94
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on Fixed Assets	173.00	-
बहियों एवं आय कर के बीच निवेश मूल्य में अंतर Difference in Investment valuations between books and Income Tax	184.90	437.57
योग:/TOTAL:	357.90	489.51
आस्थगित कर आस्तियां (निवल) / Deferred Tax Assets (Net)	332.27	177.44

9.9 अमूर्त आस्तियां (एस-26) :

अचल आस्तियों में कंप्यूटर साफ्टवेयर शामिल है जिसे आईसीएआई द्वारा जारी एस-26 के अनुसार अमूर्त आस्तियां माना गया है। साफ्टवेयर आस्तित की घट-बढ़ नीचे दी गई है:

9.9 Intangible assets (AS-26):

Fixed Assets include computer software, which has been considered as intangible assets as per AS-26 issued by the ICAI. The movement in software asset is given below:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2015	दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2014
वर्ष के प्रारंभ में सकल ब्लॉक Gross Block at the beginning of the year	24.08	18.47
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	27.36	13.03
घटाएं: अमूर्त आस्तियों का पूर्णतः परिशोधित विमोचन Less: Retirement of intangibles fully amortised	6.20	7.42
योग/Total	45.24	24.08
घटाएं: अदयतित परिशोधन (परिशोधित आस्तियों की नेट ऑफ राशि) Less: Amortization up to date (Net of amount on assets retired)	20.88	11.66
घटाएं: अपसामान्य हानि Less: Impairment Loss	0.00	0.00
वर्ष के अंत में निवल ब्लॉक Net Block at the end of the year	24.36	12.42

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

परिशोधन Amortization	दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2015	दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2014
प्रारंभिक शेष/Opening balance	11.66	10.03
जोड़ें: अपसामान्य हानि/Add: Impairment Loss	शून्य/Nil	शून्य/Nil
जोड़ें: वर्ष के दौरान मान्य परिशोधन/ Add: Amortization recognised during the year	15.42	9.05
घटाएं: विमोचित आस्तियों पर विनियोजन/ Less: Appropriation on assets retired	6.20	7.42
अंतिम शेष/Closing Balance	20.88	11.66

9.10 आस्तियों की अनर्जकता :

लेखा मानक-28 "आस्तियों की अनर्जकता" के खंड 5 से खंड 13 तक के अर्थान्तर्गत तात्त्विक अनर्जकता के लक्षण नहीं दिखाई देने की बात को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष की बाबत अचल आस्तियों की अनर्जकता अपेक्षित नहीं है।

9.10 Impairment of Assets (AS-28):

In view of the absence of the indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of Accounting Standard-28 "Impairment of Assets", no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

10.0 अतिरिक्त प्रकटन : / Additional disclosures:

10.1 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions & Contingencies

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

लाभ-हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अधीन दर्शित 'प्रावधान एवं आकस्मिकताओं' का विश्लेषण Break up of 'Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान/Provision for depreciation on Investment	15.01	70.46
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान/Provision towards NPA	1836.37	1419.84
एनपीआई के लिए प्रावधान/Provision towards NPI	39.08	50.73
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision towards Standard Assets	32.16	267.83
कराधान के लिए प्रावधान Provision towards Taxation	444.06	378.67
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं (ब्योरे सहित) Other Provision and Contingencies (with details)		
विधिक मामले / आकस्मिकताएं / कपट / Legal Cases / Contingencies/Frauds	0.44	0.44
उचित मूल्य में ह्रास / Diminution in Fair Value	63.64	259.71
आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets	0	0
न्यूनतम एकांतर कर ऋण / MAT Credit	0	-165.12
बकाया वेतन पुनरीक्षण / Arrear Wage Revision	135.00	175.00
विविध प्रावधान / Miscellaneous Provision	1206.66	972.29
योग / Total	3772.42	3429.85

10.2 आकस्मिक देयताएं

- क) तुलन-पत्र की अनुसूची 12 के क्रम सं. (1) यथाउल्लिखित देयताएं क्रमशः न्यायालय के निर्णय, माध्यस्थता पंचाट, न्यायालय से परे निपटारा, अपील के निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्व की शर्तें, न्यायागत होने और संबंधित पार्टियों द्वारा की गई मांग पर निर्भर करती है तथा जहां बैंक के विरुद्ध दावा तर्कसंगत हो तो उस स्थिति में आवश्यक प्रावधान किया जाता है।
- ख) समान मुद्दों पर विभिन्न अपीली निर्णय के आधार पर/विवाद संबंधी समिति के अनुमोदन को लंबित रखते हुए अपील पर कार्रवाई करने हेतु आयकर की विवादित मांग, शास्ति, ₹10.66 करोड़ (₹10.66 करोड़) के ब्याज एवं ब्याज कर को अनुसूची 12 में आकस्मिक देयता के अधीन दर्शित किया गया है। प्रबंधन द्वारा इसका प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि ये मामले विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष अपील के लिए लंबित हैं। यह उल्लेखनीय है कि माननीय कलकता उच्च न्यायालय के समक्ष ₹3.38 करोड़ के ब्याज कर के लंबित मामले का निर्णय बैंक के पक्ष में किया गया है। आय कर विभाग से आदेश प्राप्त होने पर बैंक ब्याज के साथ पूरी राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। बैंक को इस मामले पर किसी उच्चतर फोरम/उच्चतम न्यायालय के समक्ष आय कर विभाग द्वारा अपील दायर किए जाने के संबंध में सूचना/नोटिस प्राप्त नहीं हुई है।

10.3 अस्थायी प्रावधान

शून्य

10.4 उपयोग के कारण आरक्षितियों में कमी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्र सं. डीबीआर सं. बीपी.79/21.04.048/2014-15 दिनांक 30 मार्च, 2015 के अनुसार बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2014 को अपने पास रखे प्रति चक्रीय प्रावधान बफर के 50% का उपयोग कर लिया है। तदनुसार, दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार अपने पास रखे ₹140.91 करोड़ के प्रति चक्रीय प्रावधान में से ₹70.455 करोड़ की राशि का उपयोग अनर्जक आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधानों हेतु कर लिया है।

10.2 Contingent Liabilities

- a) Such liabilities as mentioned at Serial No. (I) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the judgement of court, arbitration award, out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, respectively and necessary provision is made where claim against the Bank is tenable.
- b) Based on various appellate decisions on identical issues / pending approval of Committee on Disputes for pursuing appeals, disputed demand of Income Tax, Penalty, Interest and Interest Tax amounting to ₹10.66 Crore (₹10.66 Crore) has been shown in Schedule 12 under Contingent Liability. No provision has been considered necessary by the Management as the matters are pending for disposal before various competent Authorities. It is pertinent to mention that Interest Tax issue pending before Hon'ble High Court of Kolkata amounting to ₹3.38 Crore has been decided in favour of the Bank. On receipt of order effect form Income Tax department, Bank shall be entitled to receive the entire amount along with interest. Bank has received no intimation/ notice regarding filing of appeal by Income Tax Department in any higher Forum/Supreme Court on this issue.

10.3 Floating Provisions

Nil

10.4 Draw Down From Reserves

Pursuant to Reserve Bank of India (RBI) Circular No. DBR.No.BP.79/21.04.048/2014-15 dated 30th March 2015, Bank has utilized 50 % of its counter cyclical provisioning buffer held as at 31st March 2014. Accordingly, an amount of ₹70.455 Crore out of counter cyclical provision of ₹140.91 Crore held as on 31.03.2014 has been utilized towards specific provisions for non performing assets.

10.5 शिकायतों का प्रकटीकरण**10.5 Disclosure of Complaints**

अ) ग्राहक-शिकायतें :

A) Customer Complaints:

क	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	
A	No. of complaints pending at the beginning of the year	142
ख	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	
B	No. of complaints received during the year	8484
ग	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	
C	No. of complaints redressed during the year	8572
घ	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	
D	No. of complaints pending at the end of the year	54

आ) दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतों का अवधिवार वर्गीकरण

B) Age wise classification of pending complaints as on 31.03.15

30 दिन तक Upto 30 days	31 दिन से लेकर 3 माह तक 31 days to 3 months	3 माह से अधिक से लेकर 6 माह तक > 3 months to 6 months	6 माह से अधिक तक > 6 months	योग Total
54	0	0	0	54

इ) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड:

C) Awards passed by the Banking Ombudsman:

क	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अवार्डों की संख्या	
a	No. of unimplemented awards at the beginning of the year	3
ख	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्डों की संख्या	
b	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	9
ग	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अवार्डों की संख्या	
c	No. of Awards implemented during the year	11
घ	वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए अवार्डों की संख्या	
d	No. of unimplemented Awards at the end of the year	1

10.6 चुकौती आश्वासन पत्र का प्रकटीकरण**10.6 Disclosure of Letter of Comforts**

बैंक अपने विभिन्न ग्राहकों की ओर से उनको संस्वीकृत ऋण सीमा के प्रति चुकौती आश्वासन पत्र जारी करता है। प्रबंधन की राय में बैंक द्वारा पहले एवं चालू वर्ष के दौरान जारी किए गए और फिलहाल बकाया चुकौती आश्वासन पत्र के अधीन किसी तात्त्विक वित्तीय प्रभाव तथा संचयी वित्तीय बाध्यता का अनुमान नहीं किया गया है। बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र के संक्षिप्त ब्योरे निम्नानुसार हैं:

The Bank issues Letter of Comforts on behalf of its various constituents against the credit limits sanctioned to them. In the opinion of Management, no significant financial impact and cumulative financial obligations have been assessed under LOCs issued by the Bank in the past, during the current year and still outstanding. Brief details of LOCs issued by the Bank are as follows:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

1	वर्ष 2014-15 के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts issued during the year 2014-15	10522.24
2	वर्ष 2014-15 के दौरान परिपक्व / रद्द किए गए चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts matured / cancelled during the year 2014-15	9085.47
3	दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार बकाया चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts outstanding as on 31.03.2015	6834.80

10.7 प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात

दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार प्रावधान कवरेज 52.65 % (57.02%) है।

10.8 बैंकाश्यूरेंस से आय

बैंक, बैंकाश्यूरेंस लाइफ कारोबार के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम और बैंकाश्यूरेंस नॉन-लाइफ के लिए रिलायंस जनरल इश्यूरेंस कंपनी लि. का कारपोरेट एजेंट है। बैंकाश्यूरेंस कारोबार से आय के ब्योने निम्नानुसार हैं :

10.7 Provisioning Coverage Ratio

The provision coverage as on 31.03.2015 works out to 52.65 % (57.02%).

10.8 Income from Bancassurance

Bank is a Corporate Agent of Life Insurance Corporation of India for Bancassurance Life and Reliance General Insurance Company Ltd for Bancassurance Non-Life business. Details of income from Bancassurance is given below:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

कारोबार का प्रकार Type of Business	राशि Amount
लाइफ कारोबार Life Business	7.31
नॉन-लाइफ कारोबार Non Life Business	5.00

10.9 जमा, अग्रिम, ऋण का संकेंद्रण**क) जमाराशियों का संकेंद्रण****10.9 Concentration of Deposits, Advances, Exposures****a) Concentration of Deposits**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां Total Deposits of twenty largest depositors	41118.45
बैंक की कुल जमाराशियों की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत Percentage of Deposits of twenty largest depositors to total Deposits of the bank	19.18%

ख) अग्रिमों का संकेंद्रण**b) Concentration of Advances**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम Total advances to twenty largest borrowers	19859.11
बैंक के कुल अग्रिम की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the Bank	13.08 %

ग) ऋण का संकेंद्रण**c) Concentration of Exposures**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण Total exposure to twenty largest borrowers/customers	29321.18
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए ऋण का प्रतिशत Percentage of exposures to twenty largest borrowers/customers to total exposure of the Bank on borrowers/customers	19.31%

10.10 अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण**10.10 Concentration of NPAs**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

ब्योरे/Particulars	2014-15	2013-14
चार बड़े अनर्जक आस्ति खातों को कुल ऋण Total Exposure to top four NPA accounts	1654.84	1088.31

10.11 क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियां

10.11 Sector wise Advances

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र. सं. Sl. No.	क्षेत्र /Sector	चालू वर्ष/ Current Year			पिछले वर्ष/ Previous Year		
		कुल बकाया अग्रिम/ Outstanding Total Advance	सकल एनपीए/ Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत/ Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	कुल बकाया अग्रिम/ Outstanding Total Advance	सकल एनपीए/ Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत/ Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र /Priority Sector						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/ Agriculture and allied activities	15935	1298	8.15	13993	951	6.80
2	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के लिए पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम/ Advances to industries sector eligible as priority sector lending	13153	1071	8.14	12703	802	6.31
3	सेवा क्षेत्र/Services	12092	978	8.09	13518	813	6.01
4	वैयक्तिक ऋण /Personal Loans	8046	528	6.56	7404	354	4.78
	उप-योग(अ)/Sub-total (A)	49226	3875	7.87	47618	2920	6.13
B	गैर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र /Non Priority Sector						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/ Agriculture and allied activities	0	0	0.00	0	0	0.00
2	उद्योग/Industry	51014	5027	9.85	52142	3011	5.77
3	सेवा क्षेत्र/Services	1505	131	8.70	1727	104	6.02
4	वैयक्तिक ऋण/Personal Loans	5440	369	6.78	3844	240	6.24
5	अन्य/Others	44627	863	1.93	47832	346	0.72
	उपयोग(आ)/Sub-total (B)	102586	6390	6.23	105545	3701	3.51
	कुल (अ+आ)/Total (A+B)	151812	10265	6.76	153163	6621	4.32

10.12 अनर्जक आस्तियों की घट-बढ़
10.12 Movement of NPAs

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

अनर्जक आस्तियाँ / Non-Performing Assets		
मर्दे / Item	2014-15	2013-14
क) दिनांक 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां (प्रारंभिक शेष) a) Gross NPAs as on 01.04.2014 (Opening Balance)	6621.37	7130.09
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां) विनिमय अंतर जोड़कर b) Additions during the year (Fresh NPAs) plus Exchange Difference	7537.18 14.13	3937.69 23.90
उप योग (अ)/Sub Total (A)	14172.68	11091.68
ग/घटाएं/ Less:		
(i) ग्रेड उन्नयन/Upgradations	877.44	1032.00
(ii) वसूली (ग्रेड बढ़ाए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1629.05	2014.87
(iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते डालना Technical/Prudential Write-offs	1255.52	564.78
(iv) उक्त (iii) के अधीन को छोड़कर बट्टे खाते डालना Write-Off other than those under (iii) above	145.62	858.66
उप योग (आ)/Sub total (B)	3907.63	4470.31
दिनांक 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां (अंतिम शेष) (अ-आ) Gross NPAs as on 31st March 2015 (Closing Balance) (A-B)	10265.05	6621.37

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते डाले गए खातों का ब्योरा / Details of Technical/Prudential Written-Off Accounts:

विवरण/Particulars	2014-15	2013-14
दिनांक 01.04.2014 को तकनीकी /विवेकपूर्ण बट्टे खाते डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/Prudential written off accounts as at 01.04.2014	1652.91	1360.92
Add: (i) वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते डाले गए Technical/Prudential write-offs during the year	1255.52	564.78
(ii) पुराने खातों से अधिक/Addition to Old Accounts	7.44	7.45
उप योग (अ)/Sub-total (A)	2915.87	1933.15
घटाएं वर्ष के दौरान पहले तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते डाले गए खातों से वसूली (आ) Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year (B)	179.73	280.24
31.03.2015 को अंतिम शेष Closing balance as at 31.03.2015	2736.14	1652.91

10.13 विदेश स्थित आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व /Overseas Assets, NPA's and Revenue

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	2014-15	2013-14
कुल आस्तियां/Total Assets	24804.09	20695.07
कुल अनर्जक आस्तियां/Total NPA's	483.27	346.36
कुल राजस्व/Total revenue	571.03	462.57

10.14 तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी

बैंक ने किसी एसपीवी का प्रायोजित नहीं किया है।

10.14 Off-balance Sheet SPVs sponsored

Bank has not sponsored any SPVs.

10.15 अपरिशोधित पेंशन और उपदान देयताएं

10.15 Unamortised Pension and Gratuity Liabilities.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	पेंशन/Pension	उपदान/Gratuity	योग/Total
31.03.2015 की स्थिति के अनुसार अपरिशोधित अंश Unamortised Portion as on 31.03.2015	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil

10.16 मिलान

केंद्रीकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के कार्यान्वयन से अधिकांश अंतर शाखा लेनदेन का समाधान अपने आप हो जाता है। अंतर शाखा लेखे एवं अंतर-बैंक शाखा लेखे में बहुत कम बैंक प्रविष्टियों के ही समाधान की आवश्यकता होती है जिसे सतत आधार पर किया जाता है।

दिनांक 31.03.2015 तक अंतर-शाखा लेखों और अंतर-बैंक लेखों के मामले में बकाया प्रविष्टियों का मिलान कर लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक नोस्ट्रो लेखों आदि सहित अंतर-बैंक लेखों और ड्राफ्ट, उचंत लेखों, शाखा समायोजन, समाशोधन संबंधी लेन-देन, निधि अंतरण, तार अंतरण, आस्तियों के अधिग्रहण हेतु प्रदत्त अग्रिम से संबंधित शेष, विविध लेनदार जैसे अंतर-शाखा लेखों में बकाया प्रविष्टियों के मिलान का कार्य प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में राजस्व/आस्तियों/देयताओं पर उसका कोई तात्त्विक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

10.17 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएफ) में राशि अंतरण

10.16 Reconciliation:

Most of the inter branch transactions are reconciled automatically with implementation of Centralized Banking Solution (CBS). Very few entries under inter branch account & inter bank account requires reconciliation which is done on ongoing basis.

Reconciliation of entries outstanding has been drawn upto 31.03.2015 in case of Inter-Branch Accounts and in Inter-Bank Accounts. Elimination of entries outstanding in Inter-Bank Accounts including Reserve Bank of India, State Bank of India, NOSTRO Accounts etc. and in Inter-Branch Accounts viz. drafts, suspense, branch adjustment, clearing transactions, fund transfers, telegraphic transfers, balances pertaining to advances paid for acquisition of assets, sundry creditors etc. is in progress. In the opinion of the management, consequential effect of the above on the revenue/assets/liabilities will not be material.

10.17 Transfer to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	चालू वर्ष/Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
डीईएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष/Opening balance of amounts transferred to DEAF	0	NA
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएफ को अंतरित राशि/Add: Amount transferred to DEAF during the year	21.17	NA
घटाएं : दावों हेतु डीईएफ द्वारा प्रतिपूरित राशि/Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	0	NA
डीईएफ को अंतरित राशि का अंत शेष/Closing balance of amounts transferred to DEAF	21.17	NA

10.18 अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, हमारे बैंक ने एसएमई एवं कारपोरेट सहित उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर नीति गठित की है जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। इस नीति में अन्य बातों के अलावा निम्न प्रावधान हैं:

- एसएमई सहित सभी ग्राहकों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) की निगरानी एवं समीक्षा।
- अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर युक्त निकायों के एक्सपोजर के लिए वृद्धिशील पूंजी एवं प्रावधानगत आवश्यकताएं।
- संरक्षण प्रदान करने के लिए यूएफसीई प्रभार का निर्धारण और यूएफसीई रखनेवाले निकायों को हतोत्साहित करना।

उपलब्ध आंकड़ों, वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं से प्राप्त घोषणा के आधार पर बैंक ने देयता का अनुमान लगाया है तथा 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार ₹32.12लाख का प्रावधान किया है एवं ₹0.74लाख की पूंजी अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए उनके घटकों हेतु आबंटित की है जो भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों तथा हमारे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुरूप है।

10.18 Unhedged Foreign Currency Exposure:

In terms of RBI Guidelines, our Bank has framed a policy on 'Unhedged Foreign Exchange Exposure by borrowers including SMEs and Corporates duly approved by the Board. The policy inter-alia provides for:

- Monitoring and review of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) of all customers including SMEs.
- Incremental capital and provisioning requirements for exposures to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure.
- Stipulation of UFCE Charge in order to provide protection and discourage entities having UFCE.

Based on the available data and financial statements and the declaration from borrowers, the bank has estimated the liability and made a provision of ₹32.12 Lakh and allocated capital of ₹0.74 Lacs as on 31.03.2015 on Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) to their constituents in terms of RBI Circulars and our Board approved policy.

10.19 चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)

एलसीआर डाटा का गुणवत्ता मूल्यांकन एवं परिणाम

एलसीआर का निर्धारक तत्व:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान एलसीआर के संतोषजनक स्तर के लिए बैंक के निर्धारक तत्व हैं

- चल परिसंपत्ति की उच्च गुणवत्ता जैसे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश
- अल्पावधि परिसंपत्तियों में निवेश जिनसे शीघ्र राशि का आगमन होता है
- स्थिर देयताओं पर भरोसा

उच्च गुणवत्ता की चल परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए): हमारे एचक्यूएलए में निम्नांकित शामिल हैं:

● स्तर 1 की परिसंपत्तियां

1. उपलब्ध तैयार नकदी, जिसमें सीआरआर के अतिरिक्त में मौजूद नकदी रिज़र्व भी शामिल है।
2. अनिवार्य एसएलआर के अतिरिक्त में मौजूद सरकारी प्रतिभूतियां।
3. एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में शुद्ध मांग एवं सामयिक देयताओं का 7%।

● स्तर 2 की परिसंपत्तियां (बैंकों/वित्तीय संस्था द्वारा जारी न की गई)

1. सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों (पीएसई) पर दावों या उनके द्वारा गारंटीकृत दावों का प्रतिनिधित्व करनेवाली विक्रय योग्य प्रतिभूतियां जिनका बासेल II के तहत जोखिम भार 20% का है।
2. एनएसई सीएनएक्स निफ्टी सूचकांक और/या एस एंड पी बीएसई सेन्सेक्स सूचकांक में शामिल कॉमन इक्विटी शेयर

निधीयन स्रोतों का संकेंद्रण : विविधतापूर्ण देयताओं से युक्त हमारे निधीयन स्रोतों का आधार सुविस्तृत है जिसमें मुख्यतः शामिल हैं

- चालू जमा एवं बचत जमा, और
- मीयादी जमा

हमारे कोई सामूहिक निकाय नहीं हैं तथा एकल स्तर पर चलनिधि का प्रबंधन केन्द्रीयकृत रूप से किया जाता है।

10.19 Liquidity Coverage Ratio (LCR):

Qualitative Assessment of LCR data and Result:

Driver of LCR:

The bank main driver of satisfactory level of LCR during the period have been

- High quality of Liquid Asset such as investment in Government securities
- Investment in short term assets resulting in quick inflows.
- Reliance on Stable liabilities.

High Quality liquid Assets (HQLA): Our HQLA comprises of following

● Level 1 Assets

1. Cash in hand including Cash Reserve in excess of CRR
2. Govt. Securities in Excess of Mandatory SLR
3. 7% of Net Demand and Time Liabilities in the form of SLR securities.

● Level 2 Assets (Not issued by Banks/Financial Institution)

1. Marketable securities representing claims on or claims guaranteed by Public Sector Entities (PSEs) having risk weight 20% under the Basel II
2. Common Equity Shares Included in NSE CNX Nifty index and/or S&P BSE Sensex index

Concentration of Funding Sources: Our Funding sources is well spread with diversified liabilities portfolio comprising mainly of

- Current Deposit and Saving Deposit, and
- Term Deposit

We do not have any group entities and liquidity at solo level is being managed centrally.

Quantitative Disclosure:

(अंक करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	चालू वर्ष/Current Year		पिछले वर्ष/ Previous Year	
	कुल अभारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
उच्च गुणवत्तायुक्त चल परिसंपत्तियां/High Quality Liquid Assets				
1 कुल उच्च गुणवत्तायुक्त चल परिसंपत्तियां Total High quality Liquid Assets		30,727.63		NA
नकदी निकासी/Cash Outflow				
2 रिटेल जमा/Retails Deposit	98,524.52	7,475.35		
(i) स्थिर जमा /Stable Deposit	47,541.99	2,377.10		
(ii) अल्प स्थिर जमा/Less Stable Deposits	50,982.53	5,098.25		
3 अप्रतिभूत थोक अग्रिम Unsecured Wholesale Advances	44,333.01	29,578.71	NA	NA
(i) परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षी पार्टियां) Operational Deposit (All Counter Parties)	81.84	20.46		
(ii) गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षी पार्टियां) Non- Operational Deposit (All Counter Parties)	44,251.17	29,558.24		
(iii) अप्रतिभूत ऋण/Unsecured Debt	-	-		
4 प्रतिभूत थोक निधीयन /Secured Wholesale Funding		-		NA
5 अतिरिक्त जरूरतें, जिनमें Additional Requirements of Which	1,137.51	1,137.51	NA	NA
(i) व्युत्पन्न एक्सपोजर एवं अन्य संपार्श्विक जरूरतों से संबंधित निकासी Outflows related to derivative exposures and other Collateral Requirements	1,137.51	1,137.51		
(ii) ऋण उत्पादों पर निधीयन हानि से संबंधित निकासी Outflows related to loss of funding on debt Products	-	-		
(iii) ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं Credit and Liquidity facilities	-	-		
6 अन्य संविदा निधीयन दायित्व Other Contractual funding Obligations	440.05	440.05	NA	NA
7 अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व Other Contingent Funding Obligations	26,282.93	1,314.14	NA	NA
8 कुल नकदी निकासी/Total Cash Outflows		39,945.76		NA
नकदी निकासी/ Cash Inflow				
9 प्रतिभूत उधार (उदा. रिवर्स रेपो) Secured Lending (eg. Reverse Repo)	123.39	-	NA	NA
10 पूर्णतः अर्जक एक्सपोजर से आगमन Inflows from Fully Performing Exposures	15,063.28	12,175.50	NA	NA
11 अन्य नकदी आगमन/Other Cash inflow	3,402.93	1,897.87	NA	NA
12 कुल नकदी आगमन/Total Cash inflow	18,589.61	14,073.37	NA	NA
	Total Adjusted Value		Total Adjusted Value	
21 कुल एचक्यूएलए/ Total HQLA		30,727.63		NA
22 कुल निवल नकदी निकासी/Total Net Cash Outflow		25,872.39		NA
23 चलनिधि कवरेज अनुपात/Liquidity Coverage Ratio (%)		118.82%		

10.20 अचल आस्तियां

- (i) बैंक ने पूर्व में कतिपय अवसरों पर अपने परिसरों का पुनर्मूल्यन स्वतंत्र अर्हताप्राप्त मूल्यांककों द्वारा कराया था और उनकी मूल लागत की तुलना में अधिक उचित बाजार मूल्य को पुनर्मूल्यन आरक्षिति में जमा किया गया था। आज की तारीख में पुनर्मूल्यन आरक्षिति की (बिक्री की गई आस्तियों से संबंधित पुनर्मूल्यन को छोड़कर) कुल राशि ₹764.23 करोड़ (₹737.08 करोड़) है और उपर्युक्त पुनर्मूल्यन आरक्षिति (बिक्री की गई आस्तियों से संबंधित पुनर्मूल्यन को छोड़कर) पर भारित पुनर्मूल्यित अंश पर मूल्यहास ₹154.50 करोड़ (₹149.68 करोड़) है।
- (ii) कंपनियों अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV को हटा लिए जाने के फलस्वरूप पिछली अनुसूची XIV में निर्धारित अवमूल्यन दरों को आगे आवेदित करने के लिए प्रबंधन द्वारा अपना लिया गया है। चूंकि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, अनुसूची XIV की दरों को बदलकर प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरें लगाए जाने से बैंक के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

10.21 अनर्जक अग्रिमों के सुविधावार, प्रतिभूतिवार एवं क्षेत्रवार प्रावधान का वर्गीकरण निर्धारित नहीं है। जैसा कि तुलन-पत्र की अनुसूची-9 में कहा गया है, विभिन्न वर्गों के सकल अग्रिमों से आनुमानिक आधार पर उसकी कटौती की जाती है ताकि निवल अग्रिम शेष प्राप्त किया जा सके।

10.22 तुलन पत्र की तारीख के बाद होनेवाली घटनाओं के लिए परिसंपत्तियों एवं देयताओं को उपयुक्त प्रकार से समायोजित किया गया है। इससे तुलन-पत्र की तारीख को मौजूद स्थितियों से संबंधित राशियों का अनुमान सुलभ करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध होता है।

11. बैंक ने विचलनयुक्त खातों के संबंध में 2014 के भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के निष्कर्षों का अनुपालन किया है, ₹1120.76 करोड़ की कुल राशि के उन 4 उधार खातों को छोड़कर जिन्हें अनर्जक घोषित नहीं किया गया है जिनमें ₹ 339.35 करोड़ के प्रावधान की आवश्यकता है। बैंक इनके संबंध में समीक्षा एवं निपटान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष आगे अभ्यावेदन करने को प्राथमिकता दे रहा है और उसके पास ऐसा विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार है कि इस प्रकार के विचलनयुक्त खाते बैंक के ही पक्ष में निपटाए जाएंगे। फिर भी बैंक ने इन चार उधार खातों के एवज में एएफआई निदेश की अपेक्षाओं का पालन करते हुए ₹339.35 करोड़ की राशि का आवश्यक प्रावधान कर दिया है।

12. कोष्ठकों में पिछले वर्ष के आंकड़े दिए गए हैं। जहां भी जरूरी समझा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/विन्यस्त/निर्धारित किया गया है।

10.20 Fixed Assets

- (i) Bank had revalued on few occasions in the past, its premises by independent qualified valuers and the excess of fair market value over the original cost was credited to revaluation reserve. As on date aggregate amount of revaluation reserve (net of revaluation relating to assets disposed of) is ₹764.23 crore (₹737.08 crore) and depreciation on the revalued portion charged to above revaluation reserve (net of depreciation relating to assets disposed of) is ₹154.50 Crore (₹149.68 crore).
- (ii) Consequent upon repeal of Schedule XIV of the Companies Act, 1956, the rates of depreciation prescribed in the erstwhile Schedule XIV have been adopted by the management for onward application. As there is no change in the rates, there is no impact on the financial statements of the Bank as regards depreciation due to shift from Schedule XIV rates to management prescribed rates.

10.21 Break up of provision held against non-performing advances into facility-wise, security-wise and sector-wise is not ascertained. The same is deducted on estimated basis from gross advances in the various categories to arrive at the balance of net advances as stated in Schedule 9 of the Balance Sheet.

10.22 Assets and liabilities have been suitably adjusted for events occurring after the balance sheet date that provide additional evidence to assist the estimation of amounts relating to conditions existing at the balance sheet date.

11. The Bank has complied with the findings of Annual Financial Inspection of RBI of 2014 with regard to divergent accounts except for 4 borrower accounts aggregating to ₹1120.76 Crores which have not been declared as Non-performing requiring a provision of ₹339.35 Crores wherein the bank is preferring further representations before appropriate authorities of RBI for review and dispensation and has reasonable ground to believe that such divergent issues will be settled in its favour. However, the Bank has made the required provision of ₹339.35 Crore in terms of AFI direction against these four borrower accounts.

12. The bracketed figures indicate previous year's figures. Previous year's figures have been re-grouped/re-arranged/re-casted wherever considered necessary.

लेखा-परीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

To

The President of India

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

Report On The Financial Statements

- हमने यूको बैंक की 31 मार्च, 2015 की संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31, मार्च, 2015 के तुलन-पत्र एवं लाभ और हानि लेखे तथा तत्संबंधी समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार तथा अन्य विवेचनात्मक सूचना सम्मिलित है। इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखापरीक्षित एक कोष शाखा सहित 21 शाखाओं की, शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 1011 शाखाओं की (सेवा शाखाओं सहित) तथा स्थानीय लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 4 विदेशी शाखाओं की विवरणियां शामिल हैं। हमारे द्वारा लेखापरीक्षित तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का बैंक द्वारा चयन लेखापरीक्षा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है। तुलन-पत्र में तथा लाभ और हानि लेखे में 1989 शाखाओं की विवरणियां भी सम्मिलित हैं जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई है। इन गैर-लेखापरीक्षित शाखाओं का अग्रिमों में 7.51 प्रतिशत, जमा राशियों में 27.04 प्रतिशत, ब्याज आय में 5.29 प्रतिशत तथा ब्याज व्यय में 31.81 प्रतिशत अंश है।

We have audited the accompanying financial statements of UCO BANK as at 31st March, 2015, which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2015, and Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 21 branches including of one treasury branch audited by us and 1011 branches (including Service branches) audited by branch auditors and 4 foreign branches audited by overseas local auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 1989 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 7.51 per cent of advances, 27.04 per cent of deposits, 5.29 per cent of interest income and 31.81 per cent of interest expenses.

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

Management's Responsibility for the Financial Statements

- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुरूप इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः फार्म "ए" और "बी" में आवश्यकतानुसार सूचनाओं के प्रकटीकरण का दायित्व प्रबंधन का है। इस दायित्व में वित्तीय विवरण, जो महत्वपूर्ण गलत व्याख्या, चाहे कपट या चूक के कारण हो, से मुक्त हों, के तैयार करने की संगत आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था, रूपरेखा और उसे लागू करना शामिल है।

Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and to disclose the information as may be necessary to conform to forms 'A & B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

लेखापरीक्षकों का दायित्व /Auditor's Responsibility

- हमारा दायित्व हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करने तक है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लेखापरीक्षा पर जारी मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की आयोजना तथा उसका निष्पादन इस प्रकार करें कि वित्तीय विवरणों के संबंध में यह समुचित आश्वासन मिल जाए कि उनमें कोई महत्वपूर्ण त्रुटि नहीं है।

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

- लेखापरीक्षा में राशियों और प्रकटीकरण के बारे में साक्ष्य प्राप्त करने की कार्यनिष्पादक पद्धतियां निहित हैं। चयनित पद्धतियां सांविधिक लेखापरीक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों के गलत कथन, चाहे वे कपट के कारण हों या त्रुटि के, जोखिमों का निर्धारण शामिल है। उन जोखिम निर्धारणों के लिए उपयुक्त परिस्थितियों के अनुसार लेखापरीक्षा पद्धतियों की डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों के उचित प्रस्तुतीकरण तथा बैंक की तैयारी से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है परंतु इसका उद्देश्य बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर अपनी राय व्यक्त करना नहीं है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा-नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा अनुमानों की तार्किकता और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

अभिमत/Opinion

6. हमारी राय में बैंक की लेखा बहियों में यथाप्रदर्शित तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

In our opinion, as shown by books of the bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- (i) दी गई टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र सही एवं स्पष्ट तुलन-पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं और उसे समुचित रूप में इस प्रकार तैयार किया गया है कि वह भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुरूप 31 मार्च, 2015 की स्थिति को बैंक के कार्यों की सही और सुस्पष्ट स्थिति दर्शाता है;

the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2015 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

- (ii) लाभ और हानि खाता, उसके साथ पठित नोट भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वर्ष के लाभ का सही शेष दर्शाता है; और

the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

- (iii) नकदी प्रवाह विवरण उक्त तारीख को समाप्त वर्ष में नकदी प्रवाह की सही और सुस्पष्ट स्थिति दर्शाता है।

the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

7. ध्यानकर्षण/Emphasis of Matter

हम चार ऋण खातों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (एएफआई 2014) के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के निष्कर्षों के आंशिक अनुपालन का प्रकटीकरण करनेवाले लेखों के संबंध में टिप्पणियाँ (अनुसूची 18) के क्र. 11 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इसके लिए हमने ऐसे खातों को अनर्जक घोषित किए बिना उनके आवश्यक प्रावधान का जरिया अपनाया है तथा ऐसे मामलों के पुनर्विचार और निपटान हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के उपयुक्त उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष बैंक के अभ्यावेदन के परिणाम की अनिश्चितता की ओर संकेत किया है। इस संबंध में हमारी राय परिवर्तनीय नहीं है।

We draw attention to note No.11 in the Notes on Accounts (Schedule 18) disclosing partial compliance of the findings of Annual Financial Inspection of Reserve Bank of India (AFI 2014) in respect of four borrower accounts by way of making necessary provision without declaring those accounts as non-performing, and indicating the uncertainty of the outcome of Bank's representation before appropriate higher authority of RBI for reconsideration and dispensation in those cases. Our opinion is not modified in respect of this matter.

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. हमारी राय में, तुलन-पत्र एवं लाभ और हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म क्रमश "ए" एवं "बी" में निर्मित किए गए हैं तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

In our opinion, the Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949 and is in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

9. उपर्युक्त अनुच्छेद 1 से 5 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अध्यक्षीन तथा बैंककारी कंपनियाँ (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 द्वारा यथाअपेक्षित एवं उनमें अपेक्षित प्रकटीकरणों की सीमाओं के अध्यक्षीन हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

- (क) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए जो भी सूचना एवं स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे हमें प्राप्त हो गए हैं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

- (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

- (ख) बैंक के लेनदेन जो हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हैं।
- (b) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.
- (ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाई गई हैं।
- (c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
10. हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण (कैश फ्लो) लागू मानक लेखनीतियों के अनुरूप हैं।
In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

वास्ते ए. कायेस एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 311149E
For A. KAYES & CO
Chartered Accountants
Registration No. 311149E
(सीए अमरुल कायेस)
भागीदार
सदस्यता सं. 050363
(CA Amrul Kayes)
Partner
Membership No. 050363

वास्ते गुहा नन्दी एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 302039E
For GUHA NANDI & CO.
Chartered Accountants
Registration No. 302039E
(सीए डॉ. बी एस कुन्दू)
भागीदार
सदस्यता सं. 051221
(CA DR. B S KUNDU)
Partner
Membership No. 051221

वास्ते ए. सचदेव एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 001307C
For A. SACHDEV & CO.
Chartered Accountants
Registration No. 001307C
(सीए दिनेश सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं. 074977
(CA DINESH SINGH)
Partner
Membership No. 074977

वास्ते निरुपम एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 323575E
For NIRUPAM & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 323575E
(सीए सुधीर चंद्र बसु)
भागीदार
सदस्यता सं. 006197
(CA SUDHIR CHANDRA BASU)
Partner
Membership No. 006197

वास्ते ओ. पी. गर्ग एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 001194N
For O.P.GARG & CO.
Chartered Accountants
Registration No. 001194N
(सीए सलिल गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 097922
(CA SALIL GUPTA)
Partner
Membership No. 097922

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2015		31.3.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2014	
	₹	₹	₹	₹
अ. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:				
A. Cash flow from operating activities :				
कर पूर्व निवल लाभ /Net Profit before taxes		15818595		17240940
समायोजन / Adjustments for :				
अचल आस्तियों पर अवक्षयण/ Depreciation on fixed assets		1355046		1096335
निवेश पर अवक्षयण हेतु /Depreciation on investments		(615200)		704600
अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालने/ अनर्जक आस्तियों की बाबत प्रावधान हेतु Bad debts written off / Provision in respect of non-performing assets		18363800		14198400
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets		321 600		2678300
अन्य मदों के लिए प्रावधान / Provision for other items		15213400		14581800
अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि /(Profit)/Loss on sale of fixed assets		(7357)		(5220)
गौण ऋण पर ब्याज के भुगतान/प्रावधान (इसे अलग रखा गया) Payment/provision for interest on subordinated debt (treated separately)		2531622		2742967
अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश (इसे अलग रखा गया) Dividend received from subsidiaries/others (treated separately)		(86994)		(106543)
टियर-II बॉण्डों से प्राप्त ब्याज (इसे अलग रखा गया) Interest received from Tier-II Bonds (treated separately)		(41415)		(78565)
आईपीडीआई पर प्रदत्त ब्याज (इसे अलग रखा गया) Interest paid on IPDI (treated separately)		357550		357550
अपर टियर-2 ऋण लिखतों पर प्रदत्त ब्याज (इसे अलग रखा गया) Interest paid on Upper Tier-2 Debt Instruments (treated separately)		1469200		1469200
प्रावधान की जरूरत नहीं, रिटन बैक Provision no longer required written back		(74288)		
उप-योग/Sub-total		54605559		54879764
घटाव : प्रदत्त प्रत्यक्ष कर/Less: Direct Tax Paid		(4530130)		(4450000)
		50075429		50429764
समायोजन/Adjustments for :				
निवेश में (वृद्धि)/कमी हेतु / (Increase)/Decrease in investments		(13462175)		(152772571)
अग्रिम में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in advances		3969680		(227211894)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in other assets		(4085682)		(11251479)
उधार में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in borrowings		(104656977)		112258114
जमा में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in deposits		148031598		261025025
अन्य देनदारियों एवं प्रावधान में (वृद्धि)/कमी हेतु Increase/(Decrease) in other liabilities & provisions		(1258254)		3259375
परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (अ) Net cash flow from operating activities (A)		78613619		35736334

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (जारी)
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR
ENDED 31ST MARCH, 2015 (Contd.)

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2015		31.3.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2014	
	₹	₹	₹	₹
आ. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:				
B. Cash flow from investing activities :				
अचल आस्तियों की खरीद /Purchase of fixed assets	(1764476)		(2366272)	
अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान / Sale/disposal of fixed assets	34380		53332	
अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश /Dividend received from subsidiaries/others	86994		106543	
टियर-II बांडों से प्राप्त ब्याज /Interest received from Tier-II Bonds	41415		78565	
निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (आ)				
Net cash flow from investing activities (B)	(1601687)		(2127832)	
इ. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/				
C. Cash flow from financing activities :				
ईक्विटी शेयरों का अधिमानी निर्गम/Preferential issue of Equity Shares	608826		259101	
ईक्विटी शेयरों के निर्गम पर शेयर प्रीमियम /Share Premium on issue of Equity Shares	3665738		1740899	
प्रदत्त लाभांश/Dividend Paid	(2948234)		(5141550)	
गोण ऋण का मोचन /Redemption of Subordinated Debts	(2500000)		0	
आईपीडीआई पर प्रदत्त ब्याज /Interest paid on IPDI	(357550)		(357550)	
अपर टियर-2 ऋण लिखतों पर प्रदत्त ब्याज/Interest paid on Upper T-2 Debt Instruments	(1469200)		(1469200)	
गोण ऋण पर प्रदत्त ब्याज/Interest paid on subordinated debts	(2531622)		(2742967)	
वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (इ)				
Net cash flow from financing activities (C)	(5532042)		(7711267)	
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ+आ+इ)				
Net increase in cash & cash equivalents (A+B+C)	71479890		25897235	
विदेशी मुद्रा की घट-बढ़ के लिए समायोजन/Adjustment for Foreign Exchange Fluctuation	89687		781720	
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/Net increase in cash & cash equivalents	71569577		26678955	
क्रमशः 1 अप्रैल 2014 और 2013 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य				
Cash and cash equivalents as at April 1,2014 & 2013 respectively	150120110		123441155	
क्रमशः 31 मार्च 2015 और 2014 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य				
Cash and cash equivalents as at March 31,2015 & 2014 respectively	221689687		150120110	
ई. वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य				
D. Cash and Cash Equivalents at the beginning of the Year				
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित)				
Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	5379736		4365685	
भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	75112389		52687922	
बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/ Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	69627985		66387548	
	150120110		123441155	
उ. वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य				
E. Cash and Cash Equivalents at the end of the Year				
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित)				
Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	5364828		5379736	
भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	77310393		75112389	
बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	139014466		69627985	
	221689687		150120110	

31.03.2015 की स्थिति के अनुसार यूको बैंक का

बासेल III पिलर 3 प्रकटीकरण

**तालिका डीएफ - 1:
प्रयोज्यता का कार्य-विस्तार**

बैंकिंग समूह के प्रमुख का नाम जिस पर संरचनागत ढाँचा प्रयोज्य है: यूको बैंक						
(i) गुणात्मक प्रकटीकरण:						
निकाय का नाम/ जिस देश में शामिल है	क्या निकाय समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र में शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की कार्यविधि का विवेचन करें	क्या निकाय समेकन के नियमनकारी कार्यक्षेत्र में शामिल है	समेकन की कार्यविधि का विवेचन करें	समेकन की कार्यविधि में अंतर के कारणों का विवेचन करें	यदि समेकन के कार्यक्षेत्रों में से सिर्फ एक के तहत समेकन किया गया है तो इसके कारण का विवेचन करें
यूको बैंक						
भारत	नहीं	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
क. समेकन के लिए ग्रहण किए गए समूह निकायों की सूची - लागू नहीं.						
ख. लेखांकन एवं नियमनकारी दोनों कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत समेकन के लिए ग्रहण नहीं किए गए समूह निकायों की सूची						
निकाय का नाम/ जिस देश में शामिल है	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %	निकाय की पूँजी लिखत में बैंक के निवेशों का नियमनकारी उपचार	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(ii) प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :						
ग. समेकन के लिए ग्रहण किए गए समूह निकायों की सूची						
निकाय का नाम/जिस देश में शामिल है (उपर्युक्त (i) क. के अनुसार)	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)			
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं			
घ. सभी अनुषंगियों में पूँजीगत कमियों की समग्र राशि, जो समेकन के नियमनकारी कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं की जाती, यानी जिसकी कटौती की जाती है:						
अनुषंगियों का नाम/जिस देश में शामिल हैं	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूँजी की कमी		
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		
ड. बीमा निकायों में बैंक के कुल हितों की समग्र राशियाँ (उदाहरण चालू बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं:						
बीमा निकायों का नाम/जिस देश में शामिल हैं	बीमा निकायों का नाम/ जिस देश में शामिल हैं निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल ईक्विटी/मत देने की शक्ति के अनुपात में बैंक की धारिता का %	नियमनकारी पूँजी पर प्रमात्रात्मक प्रभाव, जोखिम भार देने की कार्यविधि बनाम पूर्ण कटौती कार्यविधि का उपयोग		
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		
च. बैंकिंग समूह के दायरे में निधियों या नियमनकारी पूँजी के अंतरण में प्रतिबंध या अवरोध: लागू नहीं						

BASEL III PILLAR 3 DISCLOSURE AS ON 31.03.2015 OF

UCO BANK

**Table DF - 1:
Scope of Application**

Name of the head of the banking group to which the framework applies UCO BANK.						
(i) Qualitative Disclosures:						
Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
UCO Bank India	No	NA	No	NA	NA	NA
a. List of group entities considered for consolidation – Not applicable.						
b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation						
Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	
(ii) Quantitative Disclosures:						
c. List of group entities considered for consolidation						
Name of the entity /country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)		Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)		
NA	NA	NA		NA		
d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:						
Name of the subsidiaries / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Capital deficiencies		
NA	NA	NA	NA	NA		
e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:						
Name of the subsidiaries / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method		
NA	NA	NA	NA	NA		
f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group: Not applicable						

तालिका डी एफ - 2

पूँजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क) विद्यमान क्रियाकलापों एवं भावी क्रियाकलापों को समर्थन करने हेतु अपेक्षित विभिन्न पूँजीगत लिखतों को जारी करने के लिए बैंक की योजना से निदेशक मंडल को समय-समय पर अवगत कराया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा इसकी आवधिक समीक्षा भी की जाती है।	
प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण	(करोड़ ₹ में)
(ख) ऋण जोखिम के लिए पूँजीगत आवश्यकता:	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यक्षीन पोर्टफोलियो	9511.37
प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य
(ग) बाजार जोखिम के लिए पूँजीगत आवश्यकता:	
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	978.45
ब्याज दर जोखिम	905.77
विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	2.25
ईक्विटी जोखिम	70.43
(घ) परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजीगत आवश्यकता:	
बुनियादी सूचक दृष्टिकोण	884.41
• मानकीकृत दृष्टिकोण (यदि लागू हो)	
(ङ) सामान्य ईक्विटी टियर 1, टियर 1 एवं कुल पूँजी अनुपात :	
सामान्य ईक्विटी टियर 1	8.94%
टियर 1	9.05%
कुल पूँजी अनुपात	12.17%
शीर्षस्थ समेकित समूह के लिए	लागू नहीं
महत्वपूर्ण बैंक अनुबंधियों हेतु (स्टैंड अलोन या उप-समेकित, जो इस पर निर्भर करेगा कि फ्रेमवर्क किस तरह लागू किया गया है।)	लागू नहीं

Table DF - 2
Capital Adequacy

Qualitative Disclosures	
(a)	Board is apprised periodically of Bank's plan for raising different Capital instruments needed for supporting current activities and future activities. This is also reviewed periodically by the Board.
Quantitative Disclosures	
	(₹ in crore)
(b)	Capital requirements for Credit Risk : Portfolio subject to Standardized Approach Securitization Exposures
	9511.37 Nil
(c)	Capital requirements for Market Risk : Standardized Duration Approach Interest Rate Risk Foreign Exchange Risk (including Gold) Equity Risk
	978.45 905.77 2.25 70.43
(d)	Capital requirements for Operational Risk : Basic Indicator Approach • The Standardised Approach (if applicable)
	884.41
(e)	Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios: Common Equity Tier I Tier I Total Capital ratios For the top consolidated group For significant bank subsidiaries(stand alone or sub-consolidated depending on how the Framework is applied)
	8.94% 9.05% 12.17% Not Applicable Not Applicable

तालिका डीएफ - 3

ऋण जोखिम : सभी बैंकों हेतु सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) पिछला बकाया एवं अनर्जक खाते (लेखांकन प्रयोजन हेतु)

निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित बैंक की अनर्जक आस्ति प्रबंध नीति के अनुसार किसी आस्ति को निम्नांकित स्थिति में पिछला बकाया/अनर्जक आस्ति माना जाता है –

- मीयादी ऋण के मामले में ब्याज और/या मूल धन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है।
- ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के मामले में, नीचे दिए गए पैरा के अनुसार खाता 90 दिनों से अधिक समय तक 'आउट ऑफ ऑर्डर' रहता है।
- खरीदे गए बिल एवं भुनाए गए बिल के मामले में, बिल 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है।
- अल्पावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसलों के मौसम तक बकाया रहता है।
- दीर्घावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसल के मौसम तक बकाया रहता है।

किसी खाते को अनियमित माना जाता है जब

- बकाया शेष लगातार स्वीकृति सीमा-आहरण अधिकार से अधिक बना रहता है, तो खातों को अनियमित माना जाता है।
- बकाया शेष लगातार स्वीकृति सीमा-आहरण अधिकार से कम होता है किंतु लगातार 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं की जाती है या जमा की गई राशि नामे किए गए ब्याज के लिए पूरी नहीं होती है।

ख) बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीति

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध पद्धति निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित नीतिगत निदेशों पर आधारित है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

- ऋण जोखिम अधिग्रहण – कार्यनीति एवं नीतियां
- ऋण अनुमोदन प्रक्रिया
- ऋण जोखिम निगरानी प्रक्रिया
- ऋण जोखिम नियंत्रण प्रक्रिया

ऋण जोखिम के प्रबंध की सारी जिम्मेदारी निदेशक मंडल की होती है और निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति ऋण जोखिम प्रबंध एवं रिपोर्टिंग हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है और वह नीति के अनुरूप ऋण जोखिम प्रबंध प्रक्रिया, विवेकपूर्ण सीमा का निर्धारण तथा उसकी समय-समय पर समीक्षा एवं जोखिम के मापांक की सुदृढ़ता सुनिश्चित करती है। ऋण जोखिम प्रबंध समिति ऋण नीति एवं प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों को निपटाने तथा पूरे बैंक के आधार पर ऋण जोखिम की निगरानी तथा नियंत्रण के विश्लेषण हेतु उत्तरदायी है।

बैंक का ऋण जोखिम प्रबंध विभाग बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम मानदंडों और विवेकपूर्ण ऋण सीमा लागू कराने और उसके अनुपालन की निगरानी करता है। यह विभाग जोखिम मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण तथा ऋण संविभाग की गुणवत्ता की निगरानी, समस्याओं की पहचान तथा त्रुटियों का सुधार और संविभाग मूल्यांकन सहित इस प्रयोजन हेतु एमआईएस का विकास भी करता है। ऋण जोखिम प्रबंध विभाग की ऋण संसाधन एवं ऋण निगरानी विभाग से अलग एक स्वतंत्र सत्ता है।

ऋण जोखिम का मूल्यांकन ऋण खातों के श्रेणी-निर्धारण के माध्यम से किया जाता है। बैंक में 25 लाख रु. से अधिक के एक्सपोजर वाले सभी खातों के श्रेणी निर्धारण के लिए (योजनागत ऋणों को छोड़कर) एक पद्धति विद्यमान है। बैंक श्रेणी निर्धारण माइग्रेसन का ध्यान रखता है तथा उसने सभी श्रेणी निर्धारण के लिए आंतरिक चूक दरें विकसित की हैं। चूक दरों का निर्धारण स्थापित श्रेणी निर्धारण एजेंसियों की चूक दरों के साथ भी किया जाता है। बैंक, जहाँ कहीं संभव और अपेक्षित होता है, उपयुक्त संपार्श्विक या गारंटीकर्ताओं के माध्यम से ऋण खातों से जुड़े जोखिमों को कम करने की हर संभव कोशिश करता है। इसके अतिरिक्त जिन शर्तों एवं निबंधनों के अधीन ऋण स्वीकृत किए जाते हैं, वे भी ऋण से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक होते हैं। जोखिमों को कम करने में खातों की नियमित निगरानी एवं नियंत्रण भी सहायक होते हैं। जोखिमों को कम करने के लिए बैंक ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए निर्यात ऋण गारंटी निगम एवं ऋण गारंटी निधि न्यास से योग्य खातों का आवश्यक बीमा भी करवाया है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

(सभी आंकड़े ₹ करोड़ में)

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण (सभी राशियां करोड़ में)	संवितरण	
	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
(क) कुल सकल ऋण एक्सपोजर	151812.23	26830.59
(ख) ऋणों का भौगोलिक संवितरण		
देशी	137031.49	17139.94
विदेशी	14780.74	9690.65
ग) ऋणों के उद्योगवार संवितरण		

उद्योग का नाम	संवितरण (₹ करोड़ में)	
	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
क. खदान और उत्खनन (क.1 + क.2)	483.42	121.70
क.1 कोयला	128.19	104.17
क.2 अन्य	355.23	17.53
ख. खाद्य प्रसंस्करण (ख.1 से ख.5)	3104.68	417.20
ख.1 चीनी	558.94	43.75
ख.2 खाद्य तेल एवं वनस्पति	73.26	345.30
ख.3 चाय	341.51	3.70
ख.4 कॉफी	0.00	0.00
ख.5 अन्य	2130.97	24.45
ग. मादक पेय (चाय व कॉफी छोड़कर) एवं तंबाकू	5.10	23.54
जिसमें से तंबाकू और तंबाकू उत्पाद	5.10	18.74
घ. वस्त्र (क से च तक)	2333.88	80.66
क. सूती वस्त्र	1004.61	32.06
ख. जूट	51.27	3.20
ग. हथकरघा/खादी (गैर प्राथमिक)	40.60	0.00
घ. सिल्क	0.22	0.00
ङ. ऊनी	0.00	0.00
च. अन्य	1273.18	45.40
घ (अर्थात् कुल वस्त्रोद्योग) में से कताई मिलों को	103.57	1.58
ङ. चर्म एवं चर्म उत्पाद	69.58	0.85
च. लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	333.03	0.00
छ. कागज एवं कागज उत्पाद	298.37	15.08
ज. पेट्रोलियम (गैर-प्राथमिक), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) और आणविक ऊर्जा	845.79	1032.47
झ. रसायन एवं रसायन उत्पाद (रंग, रंगलेप आदि) (1.1 से 1.4)	1399.13	87.06
झ.1 उर्वरक	126.32	5.28
झ.2 औषध एवं फार्मास्यूटिकल्स	790.72	15.00
झ.3 पेट्रो-केमिकल्स (बुनियादी ढांचागत छोड़कर)	25.66	0.00
झ.4 अन्य	456.43	66.78
ञ. रबड़, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	151.24	28.45
ट. कांच एवं कांच के सामान	73.07	0.00
ठ. सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	380.17	88.87
ड. धातु एवं धातु उत्पाद (ड. 1 + ड.2)	8541.44	569.37
ड.1 लोहा एवं इस्पात	7930.78	297.53
ड.2 अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	610.66	271.84
ण. समस्त इंजीनियरिंग (ण.1 + ण.2)	3531.55	884.88
ण.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	1060.61	54.33
ण.2 अन्य	2470.94	830.55
त. मोटरयान, यान के कलपुर्जे और यातायात उपकरण	712.80	28.85
थ. रत्न एवं जेवर	805.20	104.16
द. विनिर्माण	955.45	255.11
ध. आधार संरचना क्षेत्र (क से घ)	30275.96	1041.18
क. यातायात (क.1 से क.6)	4562.00	206.17
क.1 पथ एवं पुल निर्माण	3643.90	206.17
क.2 बंदरगाह	1.00	0.00
क.3 अंतर्देशीय जलपथ	0.00	0.00
क.4 हवाईअड्डा	0.00	0.00
क.5 रेल पथ, सुरंग, वायडक्ट, पुल	663.65	0.00
क.6 शहरी सार्वजनिक यातायात (शहरी पथ यातायात के मामले में रोलिंग स्टॉक को छोड़कर)	253.45	0.00

उद्योग का नाम	संवितरण	
	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
ख. ऊर्जा (ख.1 से ख.6)	21081.00	657.55
ख.1 बिजली (उत्पादन)	12576.67	657.55
ख.1.1 केंद्रीय सरकार के उपक्रम	2450.74	188.00
ख.1.2 राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	3940.67	224.34
ख.1.3 निजी क्षेत्र	6185.26	245.21
ख.2 बिजली (संचारण)	176.71	0.00
ख.2.1 केंद्रीय सरकार के उपक्रम	0.00	0.00
ख.2.2 राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	176.71	0.00
ख.2.3 निजी क्षेत्र	0.00	0.00
ख.3 बिजली (वितरण)	8327.62	0.00
ख.3.1 केंद्रीय सरकार के उपक्रम	0.00	0.00
ख.3.2 राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	8327.62	0.00
ख.3.3 निजी क्षेत्र	0.00	0.00
ख.4 तेल पाईपलाइन	0.00	0.00
ख.5 तेल/गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा	0.00	0.00
ख.6 गैस पाईपलाइन	0.00	0.00
ग. जल एवं सफाई का प्रबंध (ग.1 से ग.6)	636.00	0.00
ग.1 टोस अपशिष्ट प्रबंध	635.00	0.00
ग.2 जल-आपूर्ति पाईपलाईन	0.00	0.00
ग.3 जलशोधन संयंत्र	1.00	0.00
ग.4 अपशिष्ट संग्रहण, शोधन एवं निपटान प्रणाली	0.00	0.00
ग.5 सिंचाई (बांध, नहर, तटबंध आदि)	0.00	0.00
ग.6 बाढ़ जल निकासी प्रणाली	0.00	0.00
घ. संचार (घ.1 से घ.2)	2258.02	102.30
घ.1 दूरसंचार (नियत नेटवर्क)	370.45	0.00
घ.2 दूरसंचार टॉवर	1887.57	102.30
ङ. सामाजिक एवं व्यावसायिक बुनियादी सुविधाएं (ङ.1 से ङ.9)	1738.94	75.16
ङ.1 शिक्षण संस्थाएं (पूँजी स्टॉक)	230.84	1.00
ङ.2 अस्पताल (पूँजी स्टॉक)	112.00	0.00
ङ.3 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों के बाहर स्थित तीन सितारे वाले वर्गीकृत होटल	227.67	0.00
ङ.4 औद्योगिक पार्क, एसइजेड पर्यटन सुविधा एवं कृषि बाजार के लिए सामान्य बुनियादी सुविधाएं	1153.45	74.16
ङ.5 उर्वरक (पूँजी निवेश)	0.00	0.00
ङ.6 बागान एवं कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए फसल कटाई के बाद कोल्ड स्टोरेज सहित भंडारणगत बुनियादी सुविधाएं	4.75	0.00
ङ.7 अंतिम बाजार	10.23	0.00
ङ.8 मिट्टी परीक्षण	0.00	0.00
ङ.9 शीत भंडारण की शृंखला	0.00	0.00
न. अन्य उद्योग	1342.72	6.58
समस्त उद्योग (क से न तक)	55642.58	4786.01

घ) आरिस्त का बकाया संविदागत परिपक्वता का खंडवार ब्योरा (₹ करोड़ में)

विवरण	1 दिन	2 से 7 दिन तक	8 से 14 दिन तक	15 से 28 दिन तक	29 दिन से 3 माह तक	3 माह से अधिक परंतु 6 माह तक	6 माह से अधिक परंतु 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक परंतु 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
जमा	888.80	8412.39	5239.21	5985.13	28024.60	23422.49	46134.04	43823.30	8998.64	43408.09	214336.70
सकल अग्रिम	1227.91	1657.47	2533.07	4773.54	21381.27	11416.47	9391.14	12864.15	13600.45	72966.75	151812.22
निवेश	21.17	11.77	436.65	942.44	3412.21	1410.32	1799.10	6684.76	14447.88	40064.32	69230.62
ऋण	343.16	1412.50	595.25	462.50	282.86	1191.79	68.55	1253.85	1442.11	3199.97	10252.54
विदेशी मुद्रा											
आरिस्तियां	1567.53	859.84	1061.85	2172.69	6544.92	4874.69	3465.33	3727.30	668.53	1578.56	26521.25
विदेशी मुद्रा											
देयताएं	712.57	1157.17	895.33	2540.84	4236.52	2668.33	3312.25	4895.14	1311.76	4792.13	26521.25

च) एनपीए की राशि (सकल)	:	10265.05 करोड़
• अवमानक	:	5259.89 करोड़
• संदिग्ध 1	:	1914.88 करोड़
• संदिग्ध 2	:	2484.20 करोड़
• संदिग्ध 3	:	496.34 करोड़
• हानि	:	109.74 करोड़
छ) शुद्ध एनपीए	:	6330.58 करोड़
ज) एनपीए अनुपात: -		
• सकल अग्रिम पर सकल एनपीए	:	6.76%
• शुद्ध अग्रिम पर शुद्ध एनपीए	:	4.30%
झ) एनपीए की घट-बढ़ (सकल)		
• प्रारंभिक शेष	:	6621.37 करोड़
• वृद्धि	:	7551.31 करोड़
• कमी	:	3907.63 करोड़
• अंत शेष	:	10265.05 करोड़
ट) अनर्जक निवेशों की राशि	:	194.77 करोड़
ठ) अनर्जक निवेशों हेतु धारित प्रावधानों की राशि	:	152.10 करोड़
ड) निवेश अवमूल्यन के प्रावधानों की घट-बढ़		
• प्रारंभिक शेष	:	280.53 करोड़
• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	:	86.43 करोड़
• बट्टे खाते डालना	:	शून्य
• विनिमय अंतराल	:	0.08 करोड़
• अतिरिक्त प्रावधानों को वापस खाते में लेना	:	147.95 करोड़
• अंत शेष	:	219.09 करोड़

Table DF - 3
Credit Risk: General Disclosures for All Banks

Qualitative Disclosure

a) Past Due and Impaired Accounts (for accounting purpose):

In terms of Bank's NPA Management Policy duly approved by the Board of Directors, an asset is treated as Past due/impaired asset where –

- i. Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
- ii. The account remains 'out of order' for a period of more than 90 days as given in para below, in respect of an overdraft/cash credit (OD/CC).
- iii. The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- iv. The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
- v. The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An account is considered out of order when

- i. The outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power; the account is treated as out of order.
- ii. The balance outstanding is less than the sanctioned limit/drawing power but there are no credits continuously for 90 days or the credits are not sufficient to cover the interest debited.

b) Bank's Credit Risk Management Policy:

Bank's Credit Risk Management practices are based on policy directives duly approved by the Board which, inter-alia, encompasses the following :

- i. Credit Risk acquisition – strategies & policies,
- ii. Credit approval processes.
- iii. Credit Risk monitoring processes.
- iv. Credit Risk control processes.

Board of Directors has over all responsibility for management of Credit risk and Risk Management Committee of the Board is responsible for setting up guidelines for Credit Risk Management and reporting, ensuring that Credit Risk Management processes conform to the policy, setting up prudential limit and its periodical review and ensuring robustness of risk modules. Credit Risk Management Committee is responsible to deal with issues relating to Credit policy and procedures and to analyze monitoring and control credit risk on bank wide basis.

Credit Risk Management Department of the Bank enforces and monitors compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Bank. They also lay down risk assessment system, monitor quality of loan portfolio, identify problems and correct deficiencies, develop MIS for the purpose including portfolio evaluation. Credit Risk Management Department is independent of Credit Processing & Credit Monitoring Departments.

Assessment of Credit Risk is done through rating of credit accounts. The bank has a system of rating all accounts (excepting those under schematic lending) having exposure of above Rs 25 lacs. Bank tracks rating migration and has developed internal default rates across rating. The mapping of default rates is also carried out with default rate of established rating agencies.

The bank makes all possible efforts to mitigate risks associated with credit accounts through suitable collaterals or guarantors wherever it is considered feasible and desirable. In addition to that, terms and conditions under which credit is sanctioned also go a long way to mitigate risks associated with credit. Regular monitoring and control of accounts also add to the risk mitigation. In order to mitigate risk, the Bank has taken necessary cover for eligible accounts from Export Credit Guarantee Corporation and Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises.

Quantitative disclosures

(All figures in ₹ in Crores)

Quantitative Disclosures (all amount in Rs. Cr)	Exposure	
	Fund Based	Non Fund Based
a) Total Gross Credit Exposure	151812.23	26830.59
b) Geographical Distribution of Exposure		
Domestic	137031.49	17139.94
Overseas	14780.74	9690.65
c) Industry type distribution of Exposures		

Industry Name	Exposure ('in Cr)	
	Funded	Non-Funded
A. Mining and Quarrying (A.1 + A.2)	421.02	121.70
A.1 Coal	107.84	104.17
A.2 Others	313.18	17.53
B. Food Processing (B.1 to B.5)	2903.74	417.20
B.1 Sugar	554.28	43.75
B.2 Edible Oils and Vanaspati	51.44	345.30
B.3 Tea	324.82	3.70
B.4 Coffee	0.00	0.00
B.5 Others	1973.20	24.45
C. Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco	4.55	23.54
Of which Tobacco and tobacco products	4.55	18.74
D. Textiles (a to f)	2036.60	80.66
a. Cotton	912.19	32.06
b. Jute	11.79	3.20
c. Handicraft/Khadi (Non Priority)	40.58	0.00
d. Silk	0.22	0.00
e. Woolen	0.00	0.00
f. Others	1071.82	45.40
Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	103.57	1.58
E. Leather and Leather products	56.27	0.85
F. Wood and Wood Products	332.88	0.00
G. Paper and Paper Products	230.39	15.08
H. Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	727.06	1032.47
I. Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.) (I.1 to I.4)	1162.62	87.06
I.1 Fertilizers	101.33	5.28
I.2 Drugs and Pharmaceuticals	653.21	15.00
I.3 Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	24.87	0.00
I.4 Others	383.21	66.78
J. Rubber, Plastic and their Products	135.30	28.45
K. Glass & Glassware	72.98	0.00
L. Cement and Cement Products	335.39	88.87
M. Basic Metal and Metal Products (M.1 + M.2)	8002.07	569.37
M.1 Iron and Steel	7494.94	297.53
M.2 Other Metal and Metal Products	507.13	271.84
N. All Engineering (N.1 + N.2)	3145.39	884.88
N.1 Electronics	919.82	54.33
N.2 Others	2225.57	830.55
O. Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	669.92	28.85
P. Gems and Jewellery	726.26	104.16
Q. Construction	846.58	255.11
S. Infrastructure (a to d)	27635.19	1041.18
a. Transport (a.1 to a.6)	4162.09	206.17
a.1 Roads and Bridges	3244.03	206.17
a.2 Ports	0.97	0.00
a.3 Inland Waterways	0.00	0.00
a.4 Airport	0.00	0.00
a.5 Railway Track, tunnels, viaducts, bridges	663.65	0.00
a.6 Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)	253.44	0.00

Industry Name	Exposure	
	Funded	Non-Funded
b. Energy (b.1 to b.6)	19259.50	657.55
b.1 Electricity (Generation)	10921.43	657.55
b.1.1 Central Govt PSUs	1850.08	188.00
b.1.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	3410.30	224.34
b.1.3 Private Sector	5661.05	245.21
b.2 Electricity (Transmission)	110.32	0.00
b.2.1 Central Govt PSUs	0.00	0.00
b.2.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	110.32	0.00
b.2.3 Private Sector	0.00	0.00
b.3 Electricity (Distribution)	8227.75	0.00
b.3.1 Central Govt PSUs	0.00	0.00
b.3.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	8227.75	0.00
b.3.3 Private Sector	0.00	0.00
b.4 Oil pipelines	0.00	0.00
b.5 Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility	0.00	0.00
b.6 Gas pipelines	0.00	0.00
c. Water and Sanitation (c.1 to c.6)	635.98	0.00
c.1 Solid Waste Management	635.00	0.00
c.2 Water supply pipelines	0.00	0.00
c.3 Water treatment plants	0.93	0.00
c.4 Sewage collection, treatment and disposal system	0.00	0.00
c.5 Irrigation (dams, channels, embankments etc)	0.00	0.00
c.6 Storm Water Drainage System	0.00	0.00
d. Communication (d.1 to d.2)	2058.49	102.30
d.1 Telecommunication (Fixed network)	370.45	0.00
d.2 Telecommunication towers	1688.04	102.30
e. Social and Commercial Infrastructure (e.1 to e.9)	1519.13	75.16
e.1 Education Institutions (capital stock)	230.84	1.00
e.2 Hospitals (capital stock)	104.90	0.00
e.3 Three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million	122.06	0.00
e.4 Common infrastructure for industrial parks, SEZ, tourism facilities and agriculture markets	1051.62	74.16
e.5 Fertilizer (Capital investment)	0.00	0.00
e.6 Post harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage	2.61	0.00
e.7 Terminal markets	7.10	0.00
e.8 Soil-testing laboratories	0.00	0.00
e.9 Cold Chain	0.00	0.00
T. Other Industries	1171.03	6.58
All Industries (A to T)	50615.24	4786.01

d) Residual contractual maturity breakdown of assets (₹ in Cr)

Particulars	1 Day	2 to 7 Days	8 to 14 Days	15 to 28 days	29 days and upto 3 months	Over 3 months and upto 6 months	Over 6 months and upto 1 year	Over 1 year and upto 3 years	Over 3 year and upto 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	888.80	8412.39	5239.21	5985.13	28024.60	23422.49	46134.04	43823.30	8998.64	43408.09	214336.70
Advance Gross	1227.91	1657.47	2533.07	4773.54	21381.27	11416.47	9391.14	12864.15	13600.45	72966.75	151812.22
Investment	21.17	11.77	436.65	942.44	3412.21	1410.32	1799.10	6684.76	14447.88	40064.32	69230.62
Borrowing	343.16	1412.50	595.25	462.50	282.86	1191.79	68.55	1253.85	1442.11	3199.97	10252.54
Foreign Currency											
-Asset	1567.53	859.84	1061.85	2172.69	6544.92	4874.69	3465.33	3727.30	668.53	1578.56	26521.25
Foreign Currency											
-Liability	712.57	1157.17	895.33	2540.84	4236.52	2668.33	3312.25	4895.14	1311.76	4792.13	26521.25

e) Amount of NPAs (Gross)	:	10265.05 Cr
• Substandard	:	5259.89 Cr
• Doubtful 1	:	1914.88 Cr
• Doubtful 2	:	2484.20 Cr
• Doubtful 3	:	496.34 Cr
• Loss	:	109.74 Cr
f) Net NPAs	:	6330.58 Cr
g) NPA Ratios		
• Gross NPAs to gross advances	:	6.76%
• Net NPAs to net advances	:	4.30%
h) Movement of NPAs (Gross)		
• Opening balance	:	6621.37 Cr
• Additions	:	7551.31 Cr
• Reductions	:	3907.63 Cr
• Closing balance	:	10265.05 Cr
i) Amount of Non-Performing Investments	:	194.77 Cr
j) Amount of provisions held for non-performing investments	:	152.10 Cr
k) Movement of provisions for depreciation on investments		
• Opening balance	:	280.53 Cr
• Provisions made during the period	:	86.43Cr
• Write-off	:	NIL
• Exchange Difference	:	0.08 Cr
• Write-back of excess provisions	:	147.95 Cr
• Closing balance	:	219.09 Cr

तालिका डीएफ - 4

ऋण जोखिम : मानक दृष्टिकोण के अधधीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :

निम्नलिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा किए गए ऋण श्रेणी-निर्धारण का उपयोग, मानक दृष्टिकोण के अधीन हमारे ऋण खातों के जोखिम भार-निर्धारण हेतु किया जाता है :

- 1) सीएआरई
- 2) सीआरआईएसआईएल
- 3) एफआईटीसीएच
- 4) आईसीआरए
- 5) बिक्रचर्क
- 6) एसएमईआरए

- श्रेणी-निर्धारक एजेंसियों ने कार्पोरेट एक्सपोजर का श्रेणी-निर्धारण किया है। उम्र उल्लिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक निर्गम की श्रेणी पर आधारित खातों का श्रेणी-निर्धारण करने में बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र आरबीआई/2014-15/1030 डीबीओडी.सं. बीपी.बीसी. 6/21.06.201/2014-15 दिनांक 1 जुलाई 2014 में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन किया है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :

मानक दृष्टिकोण में जोखिम को कम करने के बाद एक्सपोजर

1) 100% कम का जोखिम भार	-	₹97907.65 करोड़
2) 100% जोखिम भार	-	₹28052.04 करोड़
3) 100% से अधिक का जोखिम भार	-	₹18546.41 करोड़
4) कटौती	-	₹31375.94 करोड़
योग	-	₹175882.04 करोड़

Table DF - 4

Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardised Approach

Qualitative disclosure:

Credit rating accorded by the following credit rating agencies has been used in assigning risk weights to our credit accounts under standardized approach:

- 1) CARE
- 2) CRISIL
- 3) FITCH
- 4) ICRA
- 5) Brickwork
- 6) SMERA

- Rating agencies have rated corporate exposures. In assigning rating to accounts based on public issue rating given by the above mentioned rating agencies, bank has followed the guidelines of Reserve Bank of India communicated vide their Master circular RBI/2014-15/1030 DBOD.No.BP.BC.6 /21.06.201/2014-15 July 1, 2014.

Quantitative disclosure:

Exposure after risk mitigation in standardized approach:

1) Below 100% risk weight	-	₹ 97907.65 Cr.
2) 100% risk weight	-	₹28052.04 Cr.
3) More than 100% risk weight	-	₹18546.41 Cr.
4) Deduction	-	₹31375.94 Cr
Total	-	₹175882.04 Cr.

तालिका डीएफ - 5

ऋण जोखिम प्रशमन : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :

(अ) तुलन पत्र और उसके इतर के समायोजन का उपयोग जिस सीमा तक बैंक द्वारा किया जाता है उसका सूचक तथा उसके लिए नीति एवं प्रक्रिया

ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक - तुलन पत्र के समायोजन संबंधी

बैंक इस शर्त के अध्यक्षीन निवल ऋण एक्सपोजर के आधार पर पूंजी आवश्यकता की गणना करता है कि -

- बैंक के पास यह निष्कर्ष निकालने का एक सुनिश्चित विधिक आधार है कि चाहे काउंटर पार्टी दिवालिया अथवा शोधन अक्षम है अथवा नहीं, प्रत्येक संगत क्षेत्राधिकार में नेटिंग या ऑफसेटिंग करार प्रवर्तनीय है।
- बैंक किसी भी समय उसी काउंटरपार्टी के ऋण/अग्रिम एवं जमाराशियों को निर्धारित कर सकता है जो नेटिंग व्यवस्था के अध्यक्षीन है।
- बैंक निवल आधार पर संगत एक्सपोजर पर निगरानी रखता है और उनपर नियंत्रण करता है, ऋणों और अग्रिमों को एक्सपोजर के रूप में माना जाता है और जमाराशि को संपार्श्विक प्रतिभूत के रूप में माना जाता है।

ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक- गारंटी

- गारंटी को प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय एवं शर्तरहित होना चाहिए।
- प्रतिस्थापन व्यवस्था लागू की जाएगी। इस प्रकार काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भार वाली कंपनी द्वारा जारी गारंटी से पूंजी भार कम होगा क्योंकि काउंटरपार्टी एक्सपोजर के संरक्षित अंश में गारंटीकर्ता का जोखिम भार समनुदेशित है जबकि असंरक्षित अंश में मूल काउंटरपार्टी का जोखिम भार प्रतिधारित है।
- गारंटी के लिए परिचालन अपेक्षाएं अवश्य पूरी की जानी चाहिए।
- योग्य गारंटीकर्ताओं (काउंटर गारंटीकर्ताओं) की श्रेणी

निम्नलिखित संस्था द्वारा दिए गए ऋण संरक्षण को मान्यता दी जाएगी:

- सरकार, सरकारी कंपनी (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, एमबीडी, एससीजीसी और सीजीटीएसएमई) बैंक एवं काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भार वाले प्राथमिक व्यापारी;
 - 'ए' या उससे बेहतर रेटिंग वाली अन्य कंपनियां : इसमें मूल, सहायक एवं संबद्ध कंपनियों द्वारा दिया गया गारंटी कवर उस स्थिति में शामिल होगा, जब उनका जोखिम भार बाध्यताधारी से कम हो।
- v) संरक्षित अंश में संरक्षण प्रदाता का जोखिम भार समनुदेशित है।

(आ) संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंध के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया

यदि संपत्ति को बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो एक बैंकर के रूप में हम संपत्ति के उस बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हैं, जिसकी उम्मीद क्रेता से की जाती है। मूल्यांकन आस्ति मूल्यांकन पद्धति द्वारा किया जाता है, जो प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली मूर्त आस्तियों के बाजार मूल्य को ध्यान में रखती है।

विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के मूल्यांकन की पद्धति

(i) भूमि एवं भवन का मूल्यांकन

बैंक की चालू सूची में शामिल पंजीकृत मूल्यांककों द्वारा सभी भू-संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाए। भूमि का मूल्य अलग से लगाया जाएगा और नगरपालिका निकायों सहित सरकारी प्राधिकरणों द्वारा दर्ज मूल्यांकन से उसकी तुलना की जाएगी। उस भूमि पर किए गए निर्माण कार्य का मूल्यांकन अलग से किया जाएगा तथा उस संपत्ति का बीमा करने पर लगाए गए मूल्य से उसकी तुलना की जाएगी।

निम्नलिखित मदों को ध्यान में रखा जाएगा :

- निर्माण की प्रकृति
- भवन की आयु तथा उसकी विद्यमान मजबूती
- किराया से होने वाली आय
- निर्धारित /प्रदत्त कर की राशि
- भूमि एवं भवन का क्षेत्र
- निर्माण की लागत
- जगह का मूल्य

(ii) जंगम संपत्तियों का मूल्यांकन

दृष्टिबंधकित /गिरवी रखी गई आस्तियों का मूल्यांकन करते समय मूल्यांकन का आधार बीजक में दिए गए मूल्य या बाजार मूल्य को, इनमें से जो भी कम हो, ध्यान में रखा जाए।

(iii) शेयरों का मूल्यांकन :

बाजार मूल्य का परिकलन निम्न प्रकार से किया जाता है :

- शेयर का मौजूदा बाजार मूल्य
- पिछले 52 सप्ताह के दौरान प्रतिभूति के उच्चतम एवं निम्नतम मूल्यों में से जो भी कम हो उसका औसत। म्यूचुअल फंड के यूनिट के मामले में (अनुमोदित सूची में केवल मास्टर शेयरों को शामिल किया गया है) निवल आस्ति मूल्य (एनएवी)/पुनर्क्रय कीमत या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, को लिया जाए।

(iv) एल आई सी पॉलिसी का मूल्यांकन

पॉलिसी का वर्तमान समर्पण मूल्य

जो भी प्रतिभूति ली जाती हो, इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसे पर्याप्त रूप से प्रभारित किया गया है और सभी आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूरी की गई हैं ताकि आपात स्थिति पैदा होने पर उसे बिना किसी कठिनाई के वसूला जा सके। इसके अतिरिक्त अग्रिम के विद्यमान रहने तक प्रतिभूति पर लगातार निगरानी रखना जरूरी है।

(ग) बैंक द्वारा लिए जाने वाले प्रमुख संपार्श्विक निम्नलिखित हैं :

- (i) भूमि एवं भवन जैसी स्थावर संपत्तियों का साम्यिक बंधक/रजिस्ट्रीकृत बंधक
- (ii) संयंत्र एवं मशीनरी, फर्नीचर/जुड़नार जैसी जंगम आस्तियों का दृष्टिबंधन
- (iii) शेयरों/डिबेंचरों/ईक्विटियों/म्युचुअल फंड यूनिटों को गिरवी रखना
- (iv) एलआईसी पालिसी का समनुदेशन
- (v) बैंक की अपनी सावधि जमा रसीदों पर ग्रहणाधिकार
- (vi) एनएससी/केवीपी को गिरवी रखना

(घ) प्रमुख प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी एवं उनकी ऋण शोधक्षमता

सामान्यतः बैंक निम्नलिखित प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी लेने हेतु अनुरोध करता है :

- i) भागीदारों/गैर-पेशेवर निदेशकों/अन्य पक्षकारों की वैयक्तिक गारंटी
- ii) कार्पोरेट गारंटी
- iii) राज्य सरकार की गारंटी

बैंक अपने स्वविवेक से मूल/धारक कंपनी से उस स्थिति में गारंटी प्राप्त कर सकता है जब ऋण सुविधा उसी समूह के उधारकर्ता यूनिटों को प्रदान की जाती है।

जब वैयक्तिक गारंटी मांगी जाती है तो व्यक्ति की अनुमानित अर्थक्षमता के औचित्यपूर्ण अनुपात को ध्यान में रखा जाए।

(ङ) प्रशमन के भीतर ऋण जोखिम संकेंद्रण के बारे में सूचना :

ऋण जोखिम को कम करने हेतु एक्सपोजर को पूर्णतः या अंशतः नकदी, प्रतिभूति या उसी काउंटरपार्टी से जमाराशियों, किसी तृतीय पक्ष की गारंटी द्वारा केन्द्रीकृत किया जाता है।

बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण बाजार जोखिम उत्पन्न होता है, जिसे बिक्री संविदा, उपभोक्ता को वित्तपोषण, वापसी खरीद शर्त एवं त्रुटि करार के माध्यम से कम किया जाता है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण:

मानक दृष्टिकोण के अधीन मार्जिन को लागू करने के बाद योग्य वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कुल ₹23,150.90 करोड़ के एक्सपोजर को सुरक्षित किया गया।

तालिका डीएफ - 6

प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

लागू नहीं क्योंकि यूको बैंक के पास कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं है।

Table DF - 5

Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches

Qualitative disclosure:

(a) Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on and off balance sheet netting

Credit risk mitigation techniques- On Balance Sheet netting

The Bank computes capital requirements on the basis of net credit exposure subject to the conditions that the bank

- i) has a well founded legal basis for concluding that the netting or off setting agreement is enforceable in each relevant jurisdiction regardless of whether the counterparty is insolvent or bankrupt;
- ii) is able any time to determine loans/advances and deposits with the same counterparty that are subject to the netting arrangement;
- iii) monitors and controls the relevant exposures on a net basis; Loans and advances are treated as exposure and deposits are treated as collaterals.

Credit risk mitigation techniques- Guarantees

- i) Guarantees should be direct, explicit, irrevocable and unconditional.
- ii) Substitution approach will be applied. Thus guarantees issued by entities with lower risk weight than the counterparty will lead to reduce capital charge since the protected portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the guarantor, whereas the uncovered portion retain the risk weight of the underlying counterparty.
- iii) Operational requirement for guarantees must be met.
- iv) Range of eligible guarantors (counter guarantors) Credit protection given by the following entities will be recognized:
 - a) Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank, MBDs, SCGC and CGTSME), Banks and Primary dealers with a lower risk weights than the counter party;
 - b) Other entities rated AA- better. This would include guarantee covered provided by parent, subsidiary and affiliated companies when they have a lower risk weight than the obligor.
- v) Protected portion is assigned the risk weight of the protection provider.

(b) Policies and processes for collateral valuation and Management

As a banker we are concerned with market value of the property that can be expected from a buyer if the property is put to sale. So valuation is made by Asset Valuation Methodology which takes into consideration the market value of tangible assets taken as security.

Method of valuation of various types of securities:

(i) Valuation of land and building

All landed properties must be valued by Registered valuers who are in the current empanelled list of bank. The value of the land will be assessed separately and would be compared with valuation on record by Govt. Authorities including Municipal Bodies. Construction on the said land would be valued separately and compared with value of insurance taken to cover the said property.

The following points are taken into consideration:

- i) Nature of construction
- ii) Age of the building and its present strength
- iii) Rental yield
- iv) Tax amount assessed/paid
- v) Area of land and building
- vi) Cost of construction
- vii) Value of site

(ii) Valuation of Movable properties:

In valuation of hypothecated/pledged assets, basis of valuation is invoice price or market price whichever is lower.

(iii) Valuation of shares:

Market value is calculated as below:

- a) Current market price of the share
- b) Average of high and low prices of security during last 52 weeks whichever is lower. In case of units of mutual funds (only Master Share has been included in the approved list) Net Asset Value (NAV)/Repurchase price or the market price, whichever is less, has to be taken.

(iv) Valuation of LIC Policy:

Present surrender value of the policy.

Whatever security is obtained, care should be taken to see that it is adequately charged and all necessary legal formalities are completed so that it can be realized without any difficulty, whenever an emergency arises. Moreover, during the lifetime of an advance constant watch over the security is necessary.

(c) Main types of collateral taken by Bank are –

- i) Equitable Mortgage/ Registered Mortgage of immovable properties like land and building.
- ii) Hypothecation of movable fixed assets like plant & machinery furniture/fixtures.
- iii) Pledge of shares/debentures/equities/units of Mutual Funds
- iv) Assignment of LIC Policies
- v) Lien over Bank's own Fixed Deposit receipts
- vi) Pledge of NSCs/KVPs

(d) The main types of guarantor counterparty and their credit worthiness

Normally Bank insists on following types of guarantor counterparty-

- i) Personal guarantee of partners/non-professional directors/third parties,
- ii) Corporate Guarantee
- iii) Guarantees of State Government

The bank may also obtain guarantees at its discretion from parent/holding Company when credit facilities are extended to borrowing units in the same group.

When personal guarantees are warranted, they should bear reasonable proportion to the estimated worth of the person.

(e) Information about credit risk concentrations within the mitigation taken –

In order to mitigate the credit risks, exposures are collateralized in whole or in part by cash, securities, deposits from the same counterparty, guarantee of a third party.

Market risks arise from movements in market prices which are mitigated through sales contracts, consumer financing, buy back clause and deficiency agreement.

Quantitative disclosure:

Total exposure covered by eligible financial collaterals after application of haircut under standardized approach ₹28233.81 Cr.

Table DF - 6

Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach

Not Applicable as UCO Bank is not having any securitization exposure.

तालिका डीएफ - 7
क्रय-विक्रय बहियों में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण :

1. **उद्देश्य एवं नीतियां:**
निवेश और विदेशी मुद्रा लिखतों में बाजार जोखिम को सीमित करने हेतु। इसके लिए बैंक ने देशी और विदेशी शाखाओं हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां अपनाई हैं।
2. **कार्यनीति एवं प्रक्रिया:**
यह नीति एक्सपोजर पर विभिन्न सीमाओं का प्रावधान करती है। विदेश स्थित केन्द्रों के लिए अनुमोदित नीति के अनुसार विदेश स्थित केन्द्रों की स्थानीय एएलसीओ समिति कार्यनीति और प्रक्रिया पर ध्यान देती है।
3. **संबंधित जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन:**
निवेश से संबंधित निर्णय कार्पोरेट निवेश समिति द्वारा लिए जाते हैं। इस समिति में कार्यपालक निदेशक व फ्लैगशिप कार्पोरेट ऋण, मिड कार्पोरेट, वित्त एवं कोष शाखा, मुंबई के महाप्रबंधकगण शामिल हैं। विदेश स्थित केंद्रों पर केंद्रों के मुख्य कार्यपालकों के अधीन स्थानीय समिति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेती है। बैंक में कठोर कार्यात्मक अलगाव हेतु फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एवं बैक ऑफिस कार्यरत हैं। जोखिम प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय समग्र संविभाग के लिए मिड ऑफिस के रूप में कार्य करता है।
4. **जोखिम की रिपोर्टिंग और/या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप**
देशी एवं विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए बैंक ऋण का पूरा विवरण समय-समय पर प्रधान कार्यालय को भेजा जाता है। जोखिमों के मूल्यांकन के साथ तिमाही आधार पर रिपोर्टिंग भी की जाती है। बैंक द्वारा तय की गई विभिन्न विवेकपूर्ण एवं अन्य सीमाओं से किसी तरह के विचलन की सूचना भी आवश्यक अनुमोदन हेतु प्रधान कार्यालय को दी जाती है।
5. **जोखिमों से बचाव और/या उसे कम करने के लिए नीतियां एवं बचाव/कमी की अनवरत प्रभावकारिता पर निगरानी रखने हेतु कार्यनीति एवं प्रक्रियाएँ :**
बैंक की नीति है कि विदेशी मुद्रा में लगभग समान स्थिति बनाए रखी जाए। तथापि, संबंधित करेंसियों में दिनरात, रातभर जैसी विभिन्न सीमाओं तथा समग्र रूपों से बैंक के भारतीय रूपों में रातभर की मुक्त स्थिति सीमा का निर्धारण किया गया है और उसकी निगरानी समय-समय पर की जाने वाली रिपोर्टिंग के आधार पर की जाती है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :

(करोड़ ₹ में)

निम्नलिखित के लिए पूंजी की आवश्यकता	
ब्याज दर जोखिम	905.77
ईक्विटी स्थिति जोखिम	2.25
विदेशी मुद्रा जोखिम	70.43

TABLE DF - 7

Market Risk in Trading Book

Qualitative Disclosure:

1. Objective & Policies:

To limit the market risk in Investment and Forex instruments. For this the Bank adopted policies approved by the Board for Domestic as well as Overseas Branches.

2. Strategies and Processes:

Policy provides various limits on exposures. Local ALCO Committee of overseas centers takes care of strategies and processes as per approved policy for overseas centers.

3. Structure and organization of the relevant risk management function:

Investment decisions are taken by Corporate Investment Committee comprising of Executive Director, General Managers of Flagship Corporate Credit, Mid Corporate, Finance and Treasury Branch, Mumbai. At overseas centers local committee under Chief Executives of the centers takes decision as per guidelines approved by the Board. The Bank has front office, mid office and back office for strict functional segregation. Risk Management Department at Head Office performs the function of mid office for overall portfolio.

4. The scope and nature of risk reporting and/or measurement system:

Periodic Reporting of full details of Bank's exposure undertaken by the domestic and overseas branches are sent to Head Office. Quarterly reporting with evaluation of risks are also made. Any breaches from various prudential and other limits fixed by the Bank are also referred to H.O for necessary approval.

5. Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedge/s militants:

The Bank's policy is to maintain near square position in Forex. However various limits like daylight, overnight in respective currencies as well as overnight open position limit in Indian rupees for the Bank as a whole have been fixed and the same is monitored through periodic reporting.

Quantitative Disclosures:

(₹ in crore)

Capital requirements for :	
Interest Rate Risk	905.77
Equity Position Risk	70.43
Foreign Exchange Risk	2.25

तालिका डीएफ - 8

परिचालनगत जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने निम्नलिखित के लिए पद्धति, प्रक्रिया एवं निगरानी व्यवस्था कायम की है –

- सभी महत्वपूर्ण उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं और पद्धतियों में विद्यमान परिचालनगत जोखिमों की पहचान तथा मूल्यांकन
- परिचालनगत जोखिम प्रोफाइल तथा हानि के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण एक्सपोजर पर निगरानी रखना तथा वरिष्ठ प्रबंधन एवं निदेशक मंडल को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना
- महत्वपूर्ण परिचालनगत जोखिमों को नियंत्रित करने तथा कम करने हेतु नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणाली का निर्माण करना

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है –

- निदेशक मंडल
- निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (सीओआरएम)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष (ओआरएमसी)
- कारबार परिचालनगत जोखिम प्रबंधन (बीओआरएम)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ(ओआरएमएस)
- जोखिम प्रबंधन विभाग

निदेशक मंडल सभी उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों में परिचालनगत जोखिम के प्रबंध हेतु परिचालनगत जोखिम प्रबंध ढांचा और उसके कार्यान्वयन एवं नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणालियों का अनुमोदन करता है।

जोखिम की सूचना और/या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप

बैंक की स्थापित नीतियों एवं प्रक्रियाओं की पर्याप्तता के स्वतंत्र मूल्यांकन एवं अनुपालन हेतु निरंतर निगरानी के अंग के रूप में पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है। निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति लेखापरीक्षा कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र एवं आवधिकता सुनिश्चित करती है। निरीक्षण विभाग आंतरिक कार्य का विकास एवं पर्यवेक्षण करता है।

सभी वित्तीय विभागों/कारोबार इकाइयों को सूचित किया गया है कि वे आरएमडी को नई गतिविधियों, नई पहलों, उत्पादों एवं परिचालनगत परिवर्तनों के बारे में पूरी तरह अवगत कराएं ताकि किसी भी आरंभिक स्थिति में सभी संबंधित जोखिमों की पहचान की जा सके।

बैंक ने विभिन्न हानि इवेंट प्रकार एवं व्यवसाय श्रेणियों के अधीन (बासल-II के अनुसार) सुसंगत परिचालन जोखिम हानि आंकड़ों के संग्रहण का कार्य प्रारंभ किया है ताकि परिचालनगत जोखिम के कारण पूंजी आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक मॉडल का विकास किया जा सके।

परिचालनगत जोखिम पूंजी निर्धारण के लिए बैंक ने बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण का उपयोग किया है, जिसकी परिकल्पना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा “पूंजी पर्याप्तता एवं बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांत – नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे का कार्यान्वयन”, विषय पर उनके पत्र दिनांक 27 अप्रैल, 2007 में निहित है।

Table DF – 8
Operational Risk

Qualitative disclosure:

The Bank has put in place systems, processes and monitoring mechanism for -

- Identification and assessment of operational Risks inherent in all material products, activities, processes and systems,
- Monitoring operational risk profiles and material exposure to losses and reporting pertinent information to Senior Management and Board of Directors.
- Framing policies, processes and procedures to control and mitigate material operational risk.

The Organizational set up for operational risk management is as follows:

- The Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMCB)
- Committee for Operational Risk Management (CORM)
- Operational Risk Management Cell (ORMC)
- Business Operational Risk Managers (BORM)
- Operational Risk Management Specialists (ORMS)
- Risk Management Department

Board of Directors approves Operational Risk Management framework, implementation and policies, processes and procedures for managing operational risk in all products, activities, processes and systems.

Scope and nature of Risk Reporting and/or measurement system:

In order to provide independent assessment of adequacy of and compliance with, bank's established policies and procedures adequate internal audit coverage is in place as a part of ongoing monitoring. The Audit committee of the Board ensures the scope and frequency of the audit programme. The Inspection department develops and oversees the internal function.

All financial departments/business units have been informed to keep the RMD fully informed of new developments, initiatives, products and operational changes to identify all associated risks at an early stage.

The Bank has commenced collection of relevant operational risk loss data under different loss event types as also different business lines (as per Basel-II) to develop a model to estimate capital requirement on account of operational risk.

For operational risk capital assessment the Bank used Basic Indicator approach as envisaged by Reserve bank of India in their communication dated 27th April, 2007 on the subject "Prudential guidelines on capital adequacy and market discipline – Implementation of New Capital Adequacy Framework".

तालिका डीएफ - 9

बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने अपनी आस्ति देयता प्रबंध नीति तैयार की है जो बैंकिंग की बहियों में ब्याज दर जोखिम से संबंधित मुद्दों का निपटान करती है। बैंक चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि और साथ ही एक वर्ष की अवधि के लिए जोखिम पर अर्जन (ईएआर) के प्रयोजन एवं आकलन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज दर अस्थिरता के बारे में प्रत्येक माह विवरण तैयार करता है। बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन हेतु दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित अवधि का विवरण भी प्रत्येक महीने तैयार करता है और ईक्विटी में परिवर्तन का आकलन करता है। दोनों ही विवरणों की समीक्षा बैंक के निदेशक मंडल की आस्ति देयता प्रबंधन समिति/जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

1) 100 आधार अंक के निम्नगामी (ऊर्ध्वगामी) दर शॉक के लिए अर्जन में अनुमानित वृद्धि (ह्रास)	+ ₹ 418.10 करोड़
2) 100 आधार अंक के निम्नगामी (ऊर्ध्वगामी) दर शॉक के लिए आर्थिक मूल्य में अनुमानित वृद्धि (ह्रास)	+ 1.90 % जोखिम पूंजी

Table DF-9

Interest Rate Risk in the Banking Books (IRRBB)

Qualitative disclosure:

Bank has in place Asset Liability Management policy that addresses issues related to Interest rate risk in Banking Books. Bank draws every month statement of Interest Rate sensitivity in accordance with the guidelines given by Reserve Bank of India for the purpose and estimates of Earnings at Risk (EaR) for the remaining period of the current financial year and as well as over one year horizon. Bank also draws every month statement of modified duration in accordance with the guidelines given for this purpose by Reserve bank of India and estimates Equity Var. Both the statements are reviewed by Bank's Asset Liability Management Committee/ Risk management Committee of the Board.

Quantitative disclosure :

1)	Estimated increase (decline) in earnings for Downward (upward) rate shock of 100 basis point	+ ₹ 418.10 Cr.
2)	Estimated increase (decline) in economic value for Downward (upward) rate shock of 100 basis point	+ 1.90 % Risk Capital

तालिका डीएफ-10

काउंटरपार्टी ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजर का सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

i) डेरिवेटिव कारोबार में जोखिम प्रबंधन की संरचना एवं संगठन:

संरचनागत ढांचे में कारपोरेट स्तर पर निवेश स्कंध निहित है जो कार्यपालक निदेशकों और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अंततः निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। जोखिम प्रबंधन विभाग को, जब भी इस प्रकार के लेन-देन किए जाते हैं, उनके बारे में सूचित किया जाता है।

ii) जोखिम प्रबंधन, जोखिम रिपोर्टिंग एवं जोखिम निगरानी प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति:

क) बैंक द्वारा संपन्न किए जाने वाले ब्याज दर स्वाप (आईआरएस), बचाव एवं कारोबार के प्रयोजन से हैं। उत्पाद के रूप में डेरिवेटिव की पेशकश आरबीआई मानदंडों के अनुसार ग्राहक को भी की जाती है। ऐसे लेन-देन आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर बनाई गई बैंक नीतियों के अनुरूप संपन्न किए जाते हैं।

ख) ब्याज दर स्वाप संविदाओं की शेष अवधि की बेंचमार्क ब्याज दरों के उतार-चढ़ाव के अनुसार ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन में जोखिम की माप की जाती है। जोखिम को मापने के प्रयोजन से सभी ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन को शामिल किया जाता है। जोखिम आकलन करके प्राप्त रिपोर्टों को प्रतिदिन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यपालक निदेशकों तथा नियत अवधि में निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है। ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन की मार्क टू मार्केट स्थिति पर जोखिम की निगरानी आधारित की जाती है।

iii) जोखिम से बचाव और/या प्रशमन की नीतियां तथा बचावों/प्रशमनों की निरंतर सक्रिय प्रभावशीलता की निगरानी हेतु कार्यनीतियां एवं प्रक्रियाएं :

आईआरएस को वास्तविक ब्याज पर, जिसमें अस्तियां या देयताएं अंतर्निहित होती हैं, आकलित किया जाता है। नोशनल मूल राशि एवं बचाव की परिपक्वता राशि, सन्निहित आस्ति/देयता के मूल्य एवं परिपक्वता से अधिक नहीं होती है। जोखिम की निगरानी बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं के मार्क टू मार्केट आधार पर की जाती है तथा तदनुसार ही बचाव की प्रभावशीलता का निर्धारण किया जाता है। आईआरएस में प्रवेश के लिए संपार्श्विक की जरूरत नहीं है। पूंजीगत आवश्यकताओं का निर्धारण करने हेतु आईआरएस की नोशनल मूल राशि का गुणा प्रासंगिक परिवर्तन घटक एवं काउंटरपार्टी के संबंधित जोखिम भार से करके हिसाब में लिया जाता है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण:

काउंटरपार्टी ऋण जोखिम का एक्सपोजर:

₹ करोड़ में

विवरण	राशि
संविदाओं का कुल सकारात्मक मूल्य	0.00
नेटिंग लाभ	0.00
नेटेट चालू ऋण एक्सपोजर	0.00
धारित संपार्श्विक	0.00
शुद्ध डेरिवेटिव ऋण एक्सपोजर	0.00

₹ करोड़ में

मद	नोशनल राशि	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार चालू ऋण एक्सपोजर
क्रॉस सीसीवाई ब्याज दर स्वाप	0.00	0.00
अग्रगामी दर करार	0.00	0.00
एकल सीसीवाई ब्याज दर स्वाप	1262.98	2.25
भविष्य ब्याज दर	71.06	0.00
ऋण डिफाल्ट स्वाप	0.00	0.00
कुल	1334.04	2.25

Table DF-10

General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosures

i) The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors and Chairman & Managing Director and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

ii) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:

a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the bank formulated based on RBI guidelines.

b) The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and reports are placed to the CMD / ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.

(iii) Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:

IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined. Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.

Quantitative Disclosure:

Exposure of Counterparty Credit Risk:

Particulars	₹ in Cr	
	Amount	
Gross positive value of contracts	0.00	
Netting Benefits	0.00	
Netted current credit exposure	0.00	
Collateral held	0.00	
Net derivative credit exposure	0.00	

Item	Notional Amount	₹ in Cr
		Current Credit Exposure As on 31.03.2015
Cross CCY Interest Rate Swaps	0.00	0.00
Forward Rate Agreements	0.00	0.00
Single CCY Interest Rate Swaps	1262.98	2.25
Interest Rate Futures	71.06	0.00
Credit Default Swaps	0.00	0.00
Total	1334.04	2.25

तालिका डीएफ - 11

पूँजी की संरचना

भाग - II: 31 मार्च, 2017 से पूर्व उपयोग किया जानेवाला प्ररूप
(यानी बासेल- III नियमनकारी समायोजनों की संक्रमण अवधि के दौरान)

(₹ मिलियन में)

नियमनकारी समायोजनों के संक्रमण के दौरान उपयोग किया जानेवाला बासेल- III सामान्य प्रकटीकरण प्ररूप (यानी 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर, 2017 तक)	बासेल- III पूर्व उपचार के अधीन राशियाँ	संदर्भ
सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी : लिखत एवं आरक्षित निधियाँ		
1 सीधे जारी विशेषक साधारण शेयर पूँजी और संबंधित स्टॉक आधिक्य (शेयर प्रीमियम)	79,848	
2 प्रतिधारित उपार्जन	35,131	
3 संचित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियाँ)		
4 सीईटी 1 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी की गई पूँजी (केवल संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर प्रयोज्य)		
सार्वजनिक क्षेत्र के पूँजी प्रवेश 1 जनवरी 2018 तक संरक्षित		
5 सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टियों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूँजी (समूह सीईटी 1 में अनुमत राशि)		
सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी नियमनकारी समायोजनों से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी : नियमनकारी समायोजन	1,14,979	
7 विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन		
8 सुनाम (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
9 बंधक चुकौती अधिकारों के अलावा अमूर्त वस्तुएँ (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
10 आस्थगित कर आस्तियाँ	1,994	
11 नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि		
12 अपेक्षित हानियों के प्रावधानों में कमी		
13 बिद्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ		
14 उचित मूल्यांकित देयताओं पर स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ एवं हानियाँ		
15 निर्धारित-लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियाँ		
16 स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र पर पहले ही प्रदत्त पूँजी से अलग न किया गया हो)		
17 सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारिता		
18 बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
19 बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
20 बंधक चुकौती अधिकार (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
21 अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा, संबंधित कर देयता को छोड़कर)		

22	15% प्रारंभिक से अधिक राशि		
23	जिसमें से: वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
24	जिसमें से: बंधक चुकौती अधिकार		
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ		
26	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (26क + 26ख + 26ग + 26घ)		
26क	जिसमें से: असमेकित बीमा सहायकों की ईक्विटी पूँजी में निवेश		
26ख	जिसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय सहायकों की ईक्विटी पूँजी में निवेश		
26ग	जिसमें से: प्रधान रूप से स्वाधिकृत वित्तीय निकायों की ईक्विटी पूँजी में कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।		
26घ	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय		
	बासेल III पूर्व उपचार के अधीन राशियों के संबंध में सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू नियमनकारी समायोजन		
	जिसमें से: [समायोजन यदि कोई हो]		
	जिसमें से: [समायोजन यदि कोई हो]		
	जिसमें से: [समायोजन यदि कोई हो]		
27	कटौतियों को पूरा करने में अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 एवं टियर 2 के कारण सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू नियमनकारी समायोजन		
28	सामान्य ईक्विटी टियर 1 को कुल नियमनकारी समायोजन		
29	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी (सीआईआई)	112,985	
	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: लिखत		
30	सीधे जारी विशेषक अतिरिक्त टियर 1 लिखत के साथ संबंधित स्टॉक आधिक्य (31+32)		
31	जिसमें से: प्रयोज्य लेखांकन मानकों के तहत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थायी असंचयी अधिमानी शेयर)	-	
32	जिसमें से: प्रयोज्य लेखांकन मानकों के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (स्थायी ऋण लिखत)	2,660	
33	अतिरिक्त टियर 1 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी पूँजी लिखत		
34	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टी द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (एवं सीआईटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं है) समूह एटी1 में अनुमत राशि		
35	जिसमें से: चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत		
36	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी नियमनकारी समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: नियमनकारी समायोजन	2,660	
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश		
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता		
39	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
40	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (41क +41ख)		
41क	असमेकित बीमा सहायकों की अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में निवेश		
41ख	प्रधान रूप से स्वाधिकृत, वित्तीय निकायों की अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।		
	बासेल-III पूर्व उपचार के अधीन राशियों के संबंध में अतिरिक्त टियर 1 पर लागू नियमनकारी समायोजन	1,329	
	जिसमें से: [समायोजन यदि कोई हो उदाहरण डीटीए]		
	जिसमें से: [समायोजन यदि कोई हो, उदाहरण वर्तमान समायोजन जो टियर 1 से 50% पर काटे गए हैं]		
	जिसमें से: [समायोजन यदि कोई हो]		

42	कटौतियों को पूरा करने में अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू नियमनकारी समायोजन		
43	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी को कुल नियमनकारी समायोजन		1,329
44	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी (एटी1)		1,331
	44क पूँजी पर्याप्तता के लिए निर्धारित अतिरिक्त टियर 1 पूँजी		1,331
45	टियर 1 पूँजी (टी1 सीईटी 1 अ एटी1) (29 अ 44क)		114,316
	टियर 2 पूँजी: लिखत एवं प्रावधान		
46	सीधे जारी विशेषक अतिरिक्त टियर 2 लिखत के साथ संबंधित स्टॉक आधिक्य		
47	टियर 2 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी पूँजी लिखत		26,260
48	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टी द्वारा धारित टियर 2 लिखत(एवं सीईटीआई एवं एटी1 लिखत जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं है) समूह टियर 2 में अनुमत राशि		
49	<i>जिसमें से: चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत</i>		
50	प्रावधान		13,325
51	टियर 2 पूँजी नियमनकारी समायोजन से पूर्व		39,585
	टियर 2 पूँजी: नियमनकारी समायोजन		
52	स्वयं के टियर 2 लिखत में निवेश		138
53	टियर 2 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता		
54	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
55	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं (पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर)		
56	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (56क +56ख)		
	56क <i>जिसमें से:</i> प्रधान रूप से स्वाधिकृत, वित्तीय निकायों की टियर 2 पूँजी में कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।		
	बासेल-III पूर्व उपचार के अधीन राशियों के संबंध में टियर 2 पर लागू नियमनकारी समायोजन		
	<i>जिसमें से:</i> [समायोजन यदि कोई हो उदाहरण वर्तमान समायोजन जो टियर 2 से 50% पर काटे गए हैं]		
	<i>जिसमें से:</i> [समायोजन यदि कोई हो]		
57	टियर 2 पूँजी को कुल नियमनकारी समायोजन		
58	टियर 2 पूँजी (टी2)		39,447
58क	पूँजी पर्याप्तता के लिए निर्धारित टियर 2 पूँजी		39,447
58ख	टियर 2 के स्तर में ली गई अधिक अतिरिक्त टियर 1 पूँजी		-
	पूँजी		
58क	पूँजी पर्याप्तता हेतु स्वीकार्य कुल टियर 2 पूँजी (58क + 58ख)		39,447
59	कुल पूँजी (टीसीउ टी1 + टी2) (45 + 58ग)		153,763
	बासेल-III पूर्व उपचार के अधीन राशियों के संबंध में जोखिम भारत आस्तियाँ		
	<i>जिसमें से:</i> [समायोजन यदि कोई हो]		
	<i>जिसमें से:</i> (यदि कोई हो)		
60	कुल जोखिम भारत आस्तियाँ (60क + 60ख + 60ग)		1,263,804
60	<i>जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारत आस्तियाँ</i>		1,056,820
60क	<i>जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारत आस्तियाँ</i>		108,716
60ख	<i>जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारत आस्तियाँ</i>		98,268
60ग	<i>जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारत आस्तियाँ पूँजी अनुपात</i>		
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		8.94%
62	टियर1 (जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		9.05%
63	कुल पूँजी (जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		12.17%
64	संस्था विशिष्ट अतिरिक्त आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता के साथ पूँजी संरक्षण एवं प्रतिचक्रीय अतिरिक्त आवश्यकता, जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)		
65	<i>जिसमें से: पूँजी संरक्षण की अतिरिक्त आवश्यकता</i>		

66	जिसमें से: बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रीय अतिरिक्त आवश्यकता		
67	जिसमें से: जी-एसआईबी अतिरिक्त आवश्यकता		
राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बासेल III से भिन्न हो)			
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
71	राष्ट्रीय कुल पूँजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
कटौती के लिए प्रारंभिक से कम राशि (जोखिम भार-निर्धारण से पूर्व)			
72	अन्य वित्तीय निकायों की पूँजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश		
73	वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
74	बंधक चुकौती अधिकार (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
75	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
टियर 2 के प्रावधानों के शामिल होने पर प्रयोज्य अधिकतम सीमाएँ			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के योग्य प्रावधान (अधिकतम सीमा लागू होने से पूर्व)		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 के प्रावधानों को शामिल करने पर लागू अधिकतम सीमा		
78	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण आधारित दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने योग्य प्रावधान (अधिकतम सीमा लागू होने से पूर्व)		
79	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 के प्रावधानों को शामिल करने पर लागू अधिकतम सीमा		

Table DF - 11
Composition of Capital

Part II: Template to be used before March 31, 2017
(i.e. during the transition period of Basel III regulatory adjustments)

(₹ in million)

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)	Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
Common Equity Tier 1 capital: Instruments and reserves		
1 Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	79,848	
2 Retained earnings	35,131	
3 Accumulated other comprehensive income (and other reserves)		
4 <i>Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies¹)</i>		
Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018		
5 Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6 Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments		
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments	1,14,979	
7 Prudential valuation adjustments		
8 Goodwill (net of related tax liability)		
9 Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)		
10 Deferred tax assets	1,994	
11 Cash-flow hedge reserve		
12 Shortfall of provisions to expected losses		
13 Securitisation gain on sale		
14 Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities		
15 Defined-benefit pension fund net assets		
16 Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)		
17 Reciprocal cross-holdings in common equity		
18 Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)		
19 Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)		
20 Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)		
21 Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)		

22	Amount exceeding the 15% threshold		
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities		
24	of which: mortgage servicing rights		
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences		
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)		
	26a of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries		
	26b of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries		
	26c of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
	26d of which: Unamortised pension funds expenditures		
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment		
	of which: [ADJUSTMENT IF ANY]		
	of which: [ADJUSTMENT IF ANY]		
	of which: [ADJUSTMENT IF ANY]		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions		
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1		
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1) Additional Tier 1 capital: instruments	112,985	
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)		
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	2,660	
33	<i>Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1</i>		
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties amount allowed in group AT1		
35	<i>of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out</i>		
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments	2,660	
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments		
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)		
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)		
	41a Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		
	41b Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment of which: [ADJUSTMENT IF ANY e.g. DTAs] of which: [ADJUSTMENT IF ANY e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%] of which: [ADJUSTMENT IF ANY]	1,329	

42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	1,329	
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	1,331	
	44a Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy	1,331	
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)	114,316	
	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus		
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	26,260	
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)		
49	<i>of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out</i>		
50	Provisions	13,325	
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments Tier 2 capital: regulatory adjustments	39,585	
52	Investments in own Tier 2 instruments		
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	138	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)		
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b) 56b <i>of which:</i> Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
	Regulatory Adjustments applied to Tier 2 in respect of amounts Subject to Pre-Basel III Treatment		
	<i>of which:</i> [ADJUSTMENT IF ANY e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%]		
	<i>of which:</i> [ADJUSTMENT IF ANY]		
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital		
58	Tier 2 capital (T2)	39,447	
	58a Tier 2 capital reckoned for capital adequacy	39,447	
	58b Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital	-	
	58c Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)	39,447	
59	Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)	153,763	
	Risk Weighted Assets in respect of Amounts Subject to Pre- Basel III Treatment <i>of which:</i> [ADJUSTMENT IF ANY] <i>of which:</i> (If Any)		
60	Total Risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	1,263,804	
	60a <i>of which: total credit risk weighted assets</i>	1,056,820	
	60b <i>of which: total market risk weighted assets</i>	108,716	
	60c <i>of which: total operational risk weighted assets</i>	98,268	
	Capital Ratios		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.94%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	9.05%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	12.17%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)		
65	<i>of which: capital conservation buffer requirement</i>		

66	<i>of which: bank specific countercyclical buffer requirement</i>		
67	<i>of which: G-SIB buffer requirement</i>		
	National minima (if different from Basel III)		
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)		
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)		
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities		
73	Significant investments in the common stock of financial entities		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)		
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2		
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach		

तालिका डीएफ – 12

पूँजी की संरचना – समाधान की अपेक्षाएं

चरण - 1

		(₹ मिलियन में)	
		रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों में यथारूप तुलन-पत्र	रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार समेकन के विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र
क	पूँजी एवं देयताएं		
i	प्रदत्त पूँजी आरक्षित एवं अधिक निधि अल्प संख्य ब्याज कुल पूँजी	10755.92 114733.64 125489.55	
ii	जमाराशि जिसमें से : बैंक जमाराशि जिसमें से : ग्राहक जमाराशि जिसमें से : अन्य जमाराशि (कृपया उल्लेख करें)	41094.04 1732427.04	
iii	उधार जिसमें से: भा.रि. बैंक से जिसमें से: बैंकों से जिसमें से: अन्य एजेंसियों एवं संस्थाओं से जिसमें से: अन्य (भारत से बाहर) जिसमें से: पूँजीगत लिखत	15390.00 190939.47 24847.69 3098.24 48250.00	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	87787.07	
कुल		2459169.10	
ख	आस्तियां		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष अल्प सूचना और मांग पर और बैंक के पास शेष	82675.22 139014.47	
ii	निवेश : जिसमें से : सरकारी प्रतिभूति जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूति जिसमें से : शेयर जिसमें से : ऋणपत्र एवं बांड जिसमें से : सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम / सहायक जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युल फंड आदि)	573218.37 548.53 3052.59 45425.29 1845.10 64504.44	
iii	ऋण एवं अग्रिम जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	1473508.66	
iv	अचल आस्ति	11139.99	
v	अन्य आस्तियां जिसमें से : साख एवं अमूर्त आस्तियां जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियां जिसमें से : अन्य	3322.70 60913.75	
vi	समेकन पर साख		
vii	आय एवं व्यय खाते में नामे शेष		
कुल आस्तियां		2459169.10	

चरण - 1

		(₹मिलियन में)	
		रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों में यथारूप तुलन-पत्र	रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार समेकन के विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र
क	पूंजी एवं देयताएं		
i	प्रदत्त पूंजी जिसमें से : सीईटी 1 के लिए पात्र राशि जिसमें से : एटी 1 के लिए पात्र राशि आरक्षित एवं अधिक निधि अल्पसंख्य ब्याज कुल पूंजी	10755.92 10755.92 0.00 114733.64 125489.55	
ii	जमाराशि जिसमें से : बैंकों से जमाराशि जिसमें से : ग्राहक जमाराशि जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया उल्लेख करें)	410940.04 1732427.04	
iii	उधार जिसमें से : भा.रि. बैंक से जिसमें से : बैंकों से जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से जिसमें से : अन्य (कृपया उल्लेख करें) जिसमें से : पूंजीगत लिखत	15390.00 10939.47 24847.69 3098.24 48250.00	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान जिसमें से : साख से संबद्ध डीएलटी जिसमें से : अमूर्त आस्तियों से संबद्ध डीएलटी	87787.07	
	कुल	2459169.10	
ख	आस्तियां		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष अल्प सूचना और मांग पर और बैंक के पास शेष और बैंक के पास शेष	82675.22 139014.47	
ii	निवेश जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां जिसमें से : शेयर जिसमें से : ऋणा-पत्र एवं बांड जिसमें से : सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यम / सहायक जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि)	573218.37 548.53 3052.59 45425.29 1845.10 64504.44	
iii	ऋणा एवं अग्रिम जिसमें से : बैंकों को ऋणा एवं अग्रिम जिसमें से : ग्राहकों को ऋणा एवं अग्रिम	1473508.66	
iv	अचल आस्तियां	11139.99	
v	अन्य आस्तियां जिसमें से : साख और अमूर्त आस्तियां जिसमें से : साख अन्य अमूर्त आस्तियां (एमएसआर छोड़कर) आस्थगिक कर आस्तियां	60913.75 3322.70	
vi	समेकन पर साख		
vii	आय व व्यय खाते में नामे शेष		
	कुल आस्तियां	2459169.10	

सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं आरक्षित निधियां

		(₹मिलियन में)	
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक	चरण 2 में से विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र के पत्रों/संदर्भों पर आधारित स्रोत
1	सीधे निर्गत विशेषक सामान्य शेयर(और गैर संयुक्त पूंजी कंपनियों के लिए समकक्ष) पूंजी प्लस संबद्ध शेयर आधिक्य	10755.92	ड
2	प्रतिधारित आमदनी	35130.81	
3	संचित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियां)	69091.84	
4	सीईटी 1 से चरणबद्ध स्म से (केवल गैर संयुक्त उद्यम कंपनियों पर लागू) बाहर किए जाने के विषयाधीन प्रत्यक्ष निर्गत पूंजी		
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी एवं अन्य पक्षकारों (ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी		
6	विनियामक समायोजनी के पूर्व सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी	114978.58	
7	विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन	1993.60	
8	साख (संबद्ध कर दायित्व को घटाकर)		क-ग

Table DF – 12

Composition of Capital – Reconciliation Requirements**Step - 1**

		(₹ in million)	
		Balance sheet as in financial statements As on reporting date	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
A	Capital & Liabilities		
i	Paid-up Capital	10755.92	
	Reserves & Surplus	114733.64	
	Minority Interest		
	Total Capital	125489.55	
ii	Deposits		
	<i>of which:</i> Deposits from banks	410940.04	
	<i>of which:</i> Customer deposits	1732427.04	
	<i>of which:</i> Other deposits (pl. specify)		
iii	Borrowings		
	<i>of which:</i> From RBI	15390.00	
	<i>of which:</i> From banks	10939.47	
	<i>of which:</i> From other institutions & agencies	24847.69	
	<i>of which:</i> Others (Outside India)	3098.24	
	<i>of which:</i> Capital instruments	48250.00	
iv	Other liabilities & provisions	87787.07	
	Total	2459169.10	
B	Assets		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	82675.22	
	Balance with banks and money at call and short notice	139014.47	
ii	Investments:		
	<i>of which:</i> Government securities	573218.37	
	<i>of which:</i> Other approved securities	548.53	
	<i>of which:</i> Shares	3052.59	
	<i>of which:</i> Debentures & Bonds	45425.29	
	<i>of which:</i> Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	1845.10	
	<i>of which:</i> Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	64504.44	
iii	Loans and advances		
	<i>of which:</i> Loans and advances to banks		
	<i>of which:</i> Loans and advances to customers	1473508.66	
iv	Fixed assets	11139.99	
v	Other assets		
	<i>of which:</i> Goodwill and intangible assets		
	<i>of which:</i> Deferred tax assets	3322.70	
	<i>of which:</i> Others	60913.75	
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account		
	Total Assets	2459169.10	

		(₹ in million)	
		Balance sheet as in financial statements As on reporting date	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
A	Capital & Liabilities		
i	Paid-up Capital <i>of which:</i> Amount eligible for CET1 <i>of which:</i> Amount eligible for AT1 Reserves & Surplus Minority Interest Total Capital	10755.92 10755.92 0.00 114733.64 125489.55	
ii	Deposits <i>of which:</i> Deposits from banks <i>of which:</i> Customer deposits <i>of which:</i> Other deposits (pl. specify)	410940.04 1732427.04	
iii	Borrowings <i>of which:</i> From RBI <i>of which:</i> From banks <i>of which:</i> From other institutions & agencies <i>of which:</i> Others (pl. specify) <i>of which:</i> Capital instruments	15390.00 10939.47 24847.69 3098.24 48250.00	
iv	Other liabilities & provisions <i>of which:</i> DTLs related to goodwill <i>of which:</i> DTLs related to intangible assets	87787.07	
	Total	2459169.10	
B	Assets		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India Balance with banks and money at call and short notice	82675.22 139014.47	
ii	Investments <i>of which:</i> Government securities <i>of which:</i> Other approved securities <i>of which:</i> Shares <i>of which:</i> Debentures & Bonds <i>of which:</i> Subsidiaries / Joint Ventures / Associates <i>of which:</i> Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	573218.37 548.53 3052.59 45425.29 1845.10 64504.44	
iii	Loans and advances <i>of which:</i> Loans and advances to banks <i>of which:</i> Loans and advances to customers	1473508.66	
iv	Fixed assets	11139.99	
v	Other assets <i>of which:</i> Goodwill and intangible assets <i>Out of which:</i> Goodwill Other intangibles (excluding MSRs) Deferred tax assets	60913.75 3322.70	
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account		
	Total Assets	2459169.10	

Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

(₹in million)		
	Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference numbers/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1 Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	10755.92	e
2 Retained earnings	35130.81	
3 Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	69091.84	
4 Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)		
5 Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6 Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	114978.58	
7 Prudential valuation adjustments	1993.60	
8 Goodwill (net of related tax liability)		a-c

तालिका डीएफ - 13

नियमनकारी पूँजी लिखत की प्रमुख विशेषताएँ

नियमनकारी पूँजी लिखत की प्रमुख विशेषताओं का प्रकटीकरण ढाँचा

लिखत : इक्विटी शेयर	
1 जारीकर्ता	यूको बैंक
2 यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी. आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए01018
3 लिखत को शासित करनेवाले नियम <i>नियमनकारी उपचार</i>	प्रयोज्य भारतीय संविधि एवं नियमनकारी आवश्यकताएँ
4 संक्रामी बासेल III नियम	कॉमन इक्विटी टियर 1
5 पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	कॉमन इक्विटी टियर 1
6 एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7 लिखत का प्रकार	इक्विटी — कॉमन शेयर
8 नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	10,755.92
9 लिखत का सममूल्य	₹10/- प्रति कॉमन शेयर
10 लेखांकन वर्गीकरण	इक्विटी पूँजी
11 जारी करने की मूल तारीख	दिसंबर 1969 एवं उसके बाद की विविध तारीखें
12 स्थायी रूप से या तारीख पर	स्थायी
13 मूलभूत परिपक्वता तिथि	लागू नहीं
14 पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	लागू नहीं
15 वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16 परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
<i>कूपन/डिविडेंड</i>	डिविडेंड
17 नियत या चल डिविडेंड/कूपन	चल डिविडेंड
18 कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	लागू नहीं
19 डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	लागू नहीं
20 पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	पूर्णतया विवेकानुसार
21 प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	लागू नहीं
22 असंचयी या संचयी	असंचयी
23 परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	लागू नहीं
24 यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25 यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26 यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27 यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28 यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29 यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30 मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31 यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32 यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33 यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34 यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35 परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	सभी अन्य देनदारों के अधीनस्थ
36 गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37 यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत : प्रवर्तनकारी स्थायी ऋणलिखत ऋणकमरूपकवृत्त 9.50% शृंखला ।

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए09094
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम <i>नियमनकारी उपचार</i>	भारतीय विनियमन अधिनियम ,1949
4	संक्रामी बासेल क्षक्ष नियम	अतिरिक्त टियर 1
5	पश्च-संक्रामी बासेल क्षक्ष नियम	अतिरिक्त टियर 1
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	प्रवर्तनकारी स्थायी ऋण लिखत
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	1,050.00
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	31.03.2006
12	स्थायी ऋण से या तारीख पर	स्थायी
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	परिपक्वता नहीं
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	31.03.2016
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	<i>कूपन/डिविडेंड</i>	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	9.50%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	हाँ
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकानुसार
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा बैंक के जमाकर्ताओं, सामान्य देनदारों और अधीनस्थ ऋण के दावों के अधीनस्थ होगा
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: प्रवर्तनकारी स्थायी ऋणलिखत 9.35% शृंखला II

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए09102
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	भारतीय विनियमन अधिनियम,1949
	<i>नियमनकारी उपचार</i>	
4	संक्रामी बासेल III नियम	अतिरिक्त टियर 1
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	अतिरिक्त टियर 1
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	प्रवर्तनकारी स्थायी ऋण लिखत
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	1,610.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	01.06.2006
12	स्थायी ऋण से या तारीख पर	स्थायी
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	परिपक्वता नहीं
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	01.06.2016
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	<i>कूपन/डिविडेंड</i>	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	9.35%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	हाँ
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकानुसार
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें) इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा बैंक के जमाकर्ताओं, सामान्य देनदारों और अधीनस्थ ऋण के दावों के अधीनस्थ होगा
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड 9.35% शृंखला III

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए09136
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	<i>नियमनकारी उपचार</i>	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल II नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	2,240.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	22.12.2007
12	स्थायी स्म से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	22.12.2022
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	आबंटन की मान्य तारीख से 10वर्ष के अंत में सममूल्य पर (आरबीआई की पूर्व अनुमति से)
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	22.12.2017
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	लागू नहीं
	<i>कूपन/डिविडेंड</i>	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	0
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें) इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारी के दावों के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड 8.90% शृंखला IV

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए09177
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम <i>नियमनकारी उपचार</i>	आरबीआई
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि(सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	4,000.00
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	25.03.2010
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	25.03.2025
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	आबंटन की मान्य तारीख से 10वक? वर्ष के अंत में सममूल्य पर (आरबीआई की पूर्व अनुमति से)
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	25.03.2020
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों <i>कूपन/डिविडेंड</i>	लागू नहीं कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	8.90%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	रद्द
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर - II बांड 8.70% शृंखला I

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए09086
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	<i>नियमनकारी उपचार</i>	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	3,500.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	22.03.2006
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	22.03.2021
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	आबंटन की मान्य तारीख से 10वर्ष के अंत में सममूल्य पर (आरबीआई की पूर्व अनुमति से)
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	22.03.2016
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	<i>कूपन/डिविडेंड</i>	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	8.70%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड 9.28% शृंखला II

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए09110
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	<i>नियमनकारी उपचार</i>	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	3,500.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	03.07.2006
12	स्थायी स्म से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	03.07.2021
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग सममूल्य पर (आरबीआई की पूर्व अनुमति से)	आबंटन की मान्य तारीख से 10वर्ष के अंत में
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	03.07.2016
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	<i>कूपन/डिविडेंड</i>	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	9.28%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 9.25% शृंखला VIII

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए09128
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम <i>नियमनकारी उपचार</i>	आरबीआई
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि(सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	500.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	31.01.2005
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	30.04.2014
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो <i>कूपन/डिविडेंड</i>	लागू नहीं कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	7.25%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 7.50% शृंखला VI

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए09060
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	<i>नियमनकारी उपचार</i>	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि(सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	480.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	15.09.2005
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	15.04.2015
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	<i>कूपन/डिविडेंड</i>	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	7.50s
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा इक्विटी शेयरों की इक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 7.85% शृंखला VII

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए09078
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	<i>नियमनकारी उपचार</i>	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि(सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	800.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	15.02.2006
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	15.05.2015
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	<i>कूपन/डिविडेंड</i>	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	7.85%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 9.25% शृंखला VIII

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए09128
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	<i>नियमनकारी उपचार</i>	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि(सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	1,200.00
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	07.08.2006
12	स्थायी रू से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	07.04.2016
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	<i>कूपन/डिविडेंड</i>	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	9.25%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 9.50% शृंखला IX

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई 691ए09144
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	<i>नियमनकारी उपचार</i>	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	540.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	31.03.2008
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	30.04.2018
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकरिमक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	<i>कूपन/डिविडेंड</i>	
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	9.50s
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 9.75% शृंखला X

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या बिलूमबर्ग)	आईएननई691ए09151
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	<i>नियमनकारी उपचार</i>	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर - II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	1,760.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	22.12.2008
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	22.04.2019
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	<i>कूपन/डिविडेंड</i>	9.75%
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	लागू नहीं
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 8.92% शृंखला XI

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या बिलुमबर्ग)	आईएननई 691ए 09169
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	<i>नियमनकारी उपचार</i>	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	5,120.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	08.03.2010
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	08.03.2020
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	<i>कूपन/डिविडेंड</i>	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	8.92% m
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 9.00% शृंखला XII

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई 691ए09185
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम नियमनकारी उपचार	आरबीआई
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर-II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	7,000.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	28.12.2012
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	28.12.2022
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/डिविडेंड	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	9.00%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	रूट.
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

Table DF-13

Main Features of Regulatory Capital Instruments

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments		
INSTRUMENT: Equity Shares		
1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A01018
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian statutes and
	<i>Regulatory treatment</i>	Regulatory requirements
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Equity – common share
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	10,755.92
9	Par value of instrument	₹10/- per common share
10	Accounting classification	Equity Capital
11	Original date of issuance	December'1969 and various dates thereafter
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	Not Applicable
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Dividends
17	Fixed or floating dividend/coupon	Floating Dividend
18	Coupon rate and any related index	Not Applicable
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not Applicable
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Applicable
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Innovative Perpetual Debt Instruments 9.50% Series I

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09094
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Additional Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Innovative Perpetual Debt Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	1,050.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	31.03.2006
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	No maturity.
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	31.03.2016
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.50%
19	Existence of a dividend stopper	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partial Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinated to the claims of depositors, general creditors and subordinated debt of the bank.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Innovative Perpetual Debt Instruments 9.35% Series II

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09102
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act,1949
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Additional Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Innovative Perpetual Debt Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	1,610.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	01.06.2006
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	No maturity.
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	01.06.2016
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.35%
19	Existence of a dividend stopper	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partial Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinated to the claims of depositors, general creditors and subordinated debt of the bank.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds 9.35% Series III

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09136
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	2,240.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	22.12.2007
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	22.12.2022
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	At par at the end of 10th year from deemed date of allotment (with the prior permission of RBI)
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	22.12.2017
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	0
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds 8.90% Series IV

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09177
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	3,500.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	25.03.2010
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	25.03.2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	At par at the end of 10th year from deemed date of allotment (with the prior permission of RBI)
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	25.03.2020
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.90%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds 8.70% Series I

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09086
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	2,100.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	22.03.2006
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	22.03.2021
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	At par at the end of 10th year from deemed date of allotment (with the prior permission of RBI)
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	22.03.2016
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.70%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds 9.28% Series II

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09110
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	3,500.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	03.07.2006
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	03.07.2021
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	At par at the end of 10th year from deemed date of allotment (with the prior permission of RBI)
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	03.07.2016
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.28%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.25% Series VIII

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09052
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	500.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	07.08.2006
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	07.04.2016
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.25%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.50% Series IX

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09060
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	540.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	31.03.2008
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	30.04.2018
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.50%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.75% Series X

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09078
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	1,760.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	22.12.2008
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	22.04.2019
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.75%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 8.92% Series XI

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09169
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	5,120.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	08.03.2010
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	08.03.2020
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.92%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.00% Series XII

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09185
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	7,000.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	28.12.2012
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	28.12.2022
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.00%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

तालिका डीएफ - 14

नियमनकारी पूँजी आवश्यकताओं के पूर्ण नियम एवं शर्तें

क्र.सं.	लिखत	संपूर्ण नियम एवं शर्तें
1	ईक्विटी शेयर (आईएनई691ए01018)	साधारण शेयर: असंचयी
2	प्रवर्तनकारी स्थायी ऋण लिखत 9.50% शृंखला I (आईएनई691ए09094)	जारी प्रमात्रा: ₹150 करोड़, आबंटन की तारीख: 31.03.2006, प्रतिदान की तारीख: स्थायी, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख 31.03.2016. ब्याज दर और आवृत्ति: 9.50%, 31 मार्च एवं 30 सितंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
3	प्रवर्तनकारी स्थायी ऋण लिखत 9.35% शृंखला II (आईएनई691ए09102)	जारी प्रमात्रा: ₹230 करोड़, आबंटन की तारीख: 01.06.2006, प्रतिदान की तारीख: स्थायी, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख 01.06.2016. ब्याज दर और आवृत्ति: 9.35%, 1 जून एवं 01 दिसंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
4	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड 9.35% शृंखला III (आईएनई691ए09136)	जारी प्रमात्रा: ₹320 करोड़, आबंटन की तारीख: 22.12.2007, प्रतिदान की तारीख: 22.12.2022, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख 22.12.2017. ब्याज दर और आवृत्ति: 9.35%, 22 जून एवं 22 दिसंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
5	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड 8.90% शृंखला IV (आईएनई691ए09177)	जारी प्रमात्रा: ₹500 करोड़, आबंटन की तारीख: 25.03.2010, प्रतिदान की तारीख: 25.03.2025, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख 25.03.2020. ब्याज दर और आवृत्ति: 8.90%, 25 मार्च एवं 25 सितंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
6	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड 8.70% शृंखला I (आईएनई691ए09086)	जारी प्रमात्रा: ₹300 करोड़, आबंटन की तारीख: 22.03.2006, प्रतिदान की तारीख: 22.03.2021, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख 22.03.2016. ब्याज दर और आवृत्ति: 8.70%, 22 मार्च एवं 22 सितंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
7	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड 9.28% शृंखला II (आईएनई691ए09110)	जारी प्रमात्रा: ₹500 करोड़, आबंटन की तारीख: 03.07.2006, प्रतिदान की तारीख: 03.07.2021, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख 03.07.2016. ब्याज दर और आवृत्ति: 9.28%, 3 जुलाई एवं 3 जनवरी. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
8	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर -II बांड 7.25% शृंखला V (आईएनई691ए09052)	जारी प्रमात्रा: ₹250 करोड़, आबंटन की तारीख: 31.01.2005, प्रतिदान की तारीख: 30.04.2014, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख Not applicable . ब्याज दर और आवृत्ति: 7.25%, 31 मार्च. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।

9	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर-II बांड 7.50% शृंखला VI (आईएनई691ए09060)	जारी प्रमात्रा: ₹150 करोड़, आबंटन की तारीख: 15.09.2005, प्रतिदान की तारीख: 15.04.2015, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख: लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्ति:7.50%, 15 सितंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
10	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर-II बांड 7.85% शृंखला VII (आईएनई691ए09078)	जारी प्रमात्रा: ₹250 करोड़, आबंटन की तारीख: 15.02.2006, प्रतिदान की तारीख: 15.05.2015, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख : लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्ति:7.85%, 15 फरवरी एवं 15 अगस्त. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
11	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर -II बांड 9.25% शृंखला VIII (आईएनई691ए09128)	जारी प्रमात्रा: ₹250 करोड़, आबंटन की तारीख: 07.08.2006, प्रतिदान की तारीख: 07.04.2016, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख : लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्ति: 9.25%, 7 फरवरी एवं 7 अगस्त. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
12	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर -II बांड 9.50% शृंखला IX (आईएनई691ए09144)	जारी प्रमात्रा: ₹100 करोड़, आबंटन की तारीख: 31.03.2008, प्रतिदान की तारीख: 30.04.2018, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख : लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्ति:9.50%, 31 मार्च : 30 सितंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
13	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर -II बांड 9.75% शृंखला X (आईएनई691ए09151)	जारी प्रमात्रा: ₹ 275 करोड़, आबंटन की तारीख: 22.12.2008, प्रतिदान की तारीख: 22.04.2019, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख: लागू नहीं . ब्याज दर और आवृत्ति: 9.75%, 22 दिसंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
14	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर -II बांड 8.92% शृंखला XI (आईएनई691ए09169)	जारी प्रमात्रा: ₹800 करोड़, आबंटन की तारीख: 08.03.2010, प्रतिदान की तारीख: 08.03.2020, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख: लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्ति:8.92%, 8 मार्च. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
15	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर-II बांड 9.00% शृंखला XII (आईएनई691ए09185)	जारी प्रमात्रा: ₹1000 करोड़, आबंटन की तारीख: 28.12.2012, प्रतिदान की तारीख: 28.12.2022, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख: लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्ति:9.00%, 28 दिसंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।

Table DF - 14

Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

SI. No.	Instruments	Full Terms and Conditions
1	Equity Shares (INE691A01018)	Ordinary Shares, non-cumulative.
2	Innovative Perpetual Debt Instruments 9.50% Series I (INE691A09094)	Issue Size: ₹150 Crore, Date of Allotment: 31.03.2006, Date of Redemption: Perpetual, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date 31.03.2016. Rate of Interest and frequency:9.50% 31st March and 30th September. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
3	Innovative Perpetual Debt Instruments 9.35% Series II (INE691A09102)	Issue Size: ₹230 Crore, Date of Allotment: 01.06.2006, Date of Redemption: Perpetual, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date 01.06.2016. Rate of Interest and frequency:9.35%, 1st June and 01st December. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
4	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds 9.35% Series III (INE691A09136)	Issue Size: ₹320 Crore, Date of Allotment: 22.12.2007, Date of Redemption: 22.12.2022, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date 22.12.2017. Rate of Interest and frequency:9.35%, 22nd June and 22nd December. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
5	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds 8.90% Series IV (INE691A09177)	Issue Size: ₹500 Crore, Date of Allotment: 25.03.2010, Date of Redemption: 25.03.2025, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date 25.03.2020. Rate of Interest and frequency:8.90%, 25th March and 25th September. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
6	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds 8.70% Series I (INE691A09086)	Issue Size: ₹300 Crore, Date of Allotment: 22.03.2006, Date of Redemption: 22.03.2021, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date 22.03.2016. Rate of Interest and frequency:8.70%, 22nd March and 22nd September. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
7	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds 9.28% Series II (INE691A09110)	Issue Size: ₹500 Crore, Date of Allotment: 03.07.2006, Date of Redemption: 03.07.2021, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date 03.07.2016. Rate of Interest and frequency:9.28%, 3rd July and 3rd January. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
8	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.25% Series VIII (INE691A09128)	Issue Size: ₹250 Crore, Date of Allotment: 07.08.2006, Date of Redemption: 07.04.2016, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency:9.25%, 7th February & 7th August. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
9	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.50% Series IX (INE691A09144)	Issue Size: ₹100 Crore, Date of Allotment: 31.03.2008, Date of Redemption: 30.04.2018, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency:9.50%, 31st March & 30th September. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.

Sl. No.	Instruments	Full Terms and Conditions
10	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.75% Series X (INE691A09151)	Issue Size: ₹275 Crore, Date of Allotment: 22.12.2008, Date of Redemption: 22.04.2019, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency:9.75%, 22nd December. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
11	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 8.92% Series XI (INE691A09169)	Issue Size: ₹800 Crore, Date of Allotment: 08.03.2010, Date of Redemption: 08.03.2020, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency:8.92%, 8th March. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
12	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.00% Series XII (INE691A09185)	Issue Size: ₹1000 Crore, Date of Allotment: 28.12.2012, Date of Redemption: 28.12.2022, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency:9.00%, 28th December. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.

तालिका डीएफ - 15

पारिश्रमिक की प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू नहीं हैं।

Table DF - 15

Disclosure Requirements for Remuneration

Not applicable to Nationalised Banks.

यूको बैंक

फार्म "बी"

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700001

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरे एवं हस्ताक्षरित किए जाने हेतु)

12^{वीं} वार्षिक आम बैठक

दिनांक 29 जून, 2015

रजिस्ट्रीकृत फोलियो सं.
(यदि अमूर्तीकृत नहीं है)

डी. पी. पहचान सं.
ग्राहक की पहचान सं.
(यदि अमूर्तीकृत है)

मैं/हम, _____, निवासी _____, जिला _____, राज्य _____, जो यूको बैंक का/के शेयरधारक हूँ / हैं, एतद्वारा श्री/श्रीमती _____, निवासी _____, जिला _____, राज्य _____, को या उनकी अनुपस्थिति में श्री/श्रीमती _____, निवासी _____, जिला _____, राज्य _____ को सोमवार, दिनांक 29 जून, 2015 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेल्वेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता-700027 में या उसके बदले किसी अन्य स्थान पर आयोजित की जानेवाली यूको बैंक के शेयरधारकों की 12^{वीं} वार्षिक आम बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से मतदान करने हेतु अपना परोक्षी नियुक्त करता/करती/हूँ /करते हैं।

वर्ष 2015 के _____ की _____ तारीख को हस्ताक्षर किए गए

परोक्षी के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

₹ 1 /- का
रसीदी
टिकट

प्रथम नामित/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

परोक्षी फार्म हस्ताक्षरित करने और जमा करने हेतु अनुदेशः

- कोई परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक वहः
(क) किसी व्यक्ति शेयरधारक के मामले में उसके या उसके ऐसे अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं जिसे लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो;
(ख) संयुक्त धारक के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक या उसके ऐसे अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हो जिसे लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो;
(ग) किसी निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या उसके ऐसे अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हो जिसे लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो।
- कोई परोक्षी लिखत किसी ऐसे शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित समझी जाएगी जो किसी कारण से अपना नाम लिखने में अक्षम है यदि उसका चिह्न उसपर अंकित किया जाता है तथा उसे किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, बीमा रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूको बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाता है।
- परोक्षी फार्म और
(क) मुख्तारनामा या प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अधीन वह हस्ताक्षरित किया गया है, अथवा
(ख) मुख्तारनामा या प्राधिकार की एक ऐसी प्रति जो किसी नोटरी पब्लिक या दंडाधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, वित्त विभाग (शेयर अनुभाग) 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तृतीय तल, कोलकाता-700 001 के पास वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व यानी बुधवार, दिनांक 24 जून, 2015 के कार्य-समय की समाप्ति पर या उसके पहले जमा की जाए।
- कोई भी परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जबतक फार्म "बी" के अनुसार और सम्यक रूप से स्टांपित न हो।
- बैंक के पास जमा की गई परोक्षी लिखत अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगी।
- विकल्पतः दो अधिकारग्राहियों के पक्ष में प्रदान की गई परोक्षी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित किया जाएगा।
- जिस शेयरधारक ने परोक्षी लिखत निष्पादित की है वह उस वार्षिक आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबधित है।
- कोई भी ऐसा व्यक्ति सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि या परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो यूको बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है।

UCO Bank

Form "B"

Head Office : 10, B. T. M, Sarani Kolkata - 700 001

Proxy Form

(To be filled in and signed by the Shareholder)

12th Annual General Meeting

Dated June 29th, 2015

Regd. folio No.
(if not Dematerialised)

DP ID No.
Client ID No.
(if Dematerialised)

I/We _____ resident/s of _____ in the district of _____ in the state of _____ being a share holder/shareholders of UCO Bank, Kolkata hereby appoint Shri/ Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ or failing him, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ as my/or our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the **12th Annual General Meeting** of the shareholders of UCO Bank, to be held on Monday the 29th June 2015 at 11.00 A.M. at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700 027 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2015

₹ 1/-
Revenue
Stamp

Signature of Proxy

Name :

Signature of first named / sole Shareholder

Address :

Instructions for Signing the Proxy form:

- No instruments of proxy shall be valid unless,
 - In the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing;
 - In the case of joint holder, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing;
 - In the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing,
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto, and attested by a judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of UCO Bank.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of UCO Bank, Finance Dept. (Share Section), 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata-700 001 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of Wednesday, the 24th June, 2015.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is as per **Form "B"** and is duly stamped.
- An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of UCO Bank.

UCO BANK ELECTRONIC CLEARING SERVICES (ECS) – MANDATE FORM

Date :

M/s Karvy Computershare Private Limited
Unit : UCO BANK,
Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda Serilingampally,
Hyderabad – 500 032

Dear Sirs,

Re : ECS Mandate

With reference to above, I/We are pleased to exercise the option for Electronic Clearing Services (ECS) and furnish hereunder the particulars of bank account to receive payments through Electronic Clearing Services :

Folio Number									
Name of the Bank (Full Name)									
Name of the Branch									
Full address of the Bank									
9 digit code number appearing on the MICR Band of the cheque supplied by the Bank									
Account Type (Savings/Current/Cash Credit)									
Account Number (as appearing on the cheque book)									

(Please attach a photo copy of a cheque of your bank duly cancelled for ensuring accuracy of the bank name, branch and code number.)

I/We hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed because of incomplete or incorrect information, I/we would not hold the Company/ Registrar responsible. I/we agree to discharge the responsibility expected of me as a participant under the Scheme.

Folio No.	Name(s) of the Registered Holder	Signature of the First holder

यूको बैंक / UCO Bank
प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700001
Head Office : 10, B. T. M. Sarani Kolkata - 700 001

<p>उपस्थिति पर्ची / Attendance Slip (प्रवेश करते समय जमा करें) / (To be surrendered at the time of entry) दिनांक : सोमवार, 29 जून 2015, पूर्वाह्न 11.00 बजे स्थान : भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेल्वेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700 027 Date : Monday, 29th June, 2015 at 11.00 a.m. Venue : Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700 027</p>

मैं एतद्द्वारा बैंक की 12^{वीं} वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ।
 I hereby record my presence at the 12th Annual General Meeting of the Bank

शेयरधारक/परोक्षी/उपस्थित प्रतिनिधि का नाम Name of the Shareholder/Proxy/Representative present	पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी / ग्राहक पहचान संख्या Regd. Folio / DPID/Client ID No.	शेयरों की संख्या Number of Shares	हस्ताक्षर Signature

<p>प्रवेश पर्ची / Entry Pass (प्रवेश करते समय जमा करें) / (To be surrendered at the time of entry)</p>
--

सदस्य परोक्षी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) Name: (in BLOCK Letter) Member/Proxy	फोलियो / ग्राहक पहचान संख्या Folio / Client ID No.	शेयरों की संख्या Number of Shares	हस्ताक्षर Signature

<p>प्रवेश पर्ची / Entry Pass (मतदान करने के समय जमा करें) / (To be surrendered at the time of voting)</p>


सदस्य परोक्षी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) Name: (in BLOCK Letter) Member/Proxy	फोलियो / ग्राहक पहचान संख्या Folio / Client ID No.	शेयरों की संख्या Number of Shares	हस्ताक्षर Signature

दिनांक : 29 जून 2015
 Dated : 29th June 2015

शेयरधारकों/परोक्षी, प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि वे सभा-भवन में प्रवेश हेतु इस उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पर्ची पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें। प्रवेश पत्र वाले अंश को शेयरधारकों/परोक्षी/प्रतिनिधियों को वापस कर दिया जाएगा जिसे वे बैठक चलने तक अपने पास रखें। फिर भी आवश्यकता समझे जाने पर अतिरिक्त सत्यापन/जांच के उपरान्त प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में सभा-भवन के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लिकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पर्ची जारी नहीं किया जाएगी।
 Shareholders/Proxy representatives are requested to produce this Attendance Slip-cum-Entry Pass signed, for admission to meeting hall. The Entry Pass portion will be handed back to the shareholders/proxy/representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance Slip-cum-Entry Pass be issued at the entrance to the meeting hall.

बुक पोस्ट

Book Post



सुपुर्दगी नहीं होने पर, कृपया इस पते पर लौटा दें :

मेसर्स कार्वा कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.

(इकाई : यूको बैंक)

कार्वा सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गचीबावली,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरीलिंगमपल्ली,
हैदराबाद - 500 032

If undelivered, please return to :

M/s Karvy Computershare Private Limited

Unit : UCO BANK,

Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda, Serilingampally,
Hyderabad – 500 032

FORM A


1	Name of the Company	UCO BANK
2	Annual Financial Statement for the year ended	31 st March, 2015
3	Type of Audit observation	Emphasis of Matter
4	Frequency of observation	Not Applicable




(Charan Singh)
Executive Director



(J K Garg)
Executive Director



(Arun Kaul)
Chairman & Managing Director



(Salahuddin Ansari)
Chairman-Audit Committee



(P G Joshi)
General Manager & Chief Financial Officer



For A. KAYES & CO.
Kolkata
Chartered Accountants

Registration No.
011149E




For G. N. NANDI & CO.
Kolkata
Chartered Accountants

Registration No. 011149E

For A. SACHDEV & CO
Chartered Accountants

Registration No.
001307C




(CA AMRUL KAYES)

Partner

Membership No.
050363



(CA DR. B S KUNDU)

Partner

Membership No.051221



(CA DINESH SINGH)

Partner

Membership No.074977




For NIRUPAM & ASSOCIATES
Chartered Accountants

Registration No.
023575E

For O. P. GARG & CO
Chartered Accountants

Registration No.
001194N




(CA SUDHIR
CHANDRA BASU)

Partner

Membership No.
006197



(CA SALIL GUPTA)

Partner

Membership No. 097922

A. KAYES & CO.
Chartered Accountants,
231, Kamalalaya Centre
(2nd & 3rd Floor)
156A, Lenin Sarani,
Kolkata – 700 013

NIRUPAM & ASSOCIATES
Chartered Accountants,
Rashkhola Para,
Khardah,
Kolkata – 700 117

GUHA NANDI & CO.
Chartered Accountants,
Commerce House, 5th Floor,
Room 8D & E,
2A, Ganesh Chandra Avenue,
Kolkata – 700 013

O. P. GARG & CO.
Chartered Accountants,
40 A/D, Gandhi Nagar,
Jammu – 180 004
(J & K)

A. SACHDEV & CO.
Chartered Accountants,
27 (II), Gokhle Marg,
Lucknow – 226 001
(U.P.)

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
The President of India
Report On The Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of UCO BANK as at 31st March, 2015, which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2015, and Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 21 branches inclusive of one treasury branch audited by us and 1011 branches (including Service branches) audited by branch auditors and 4 foreign branches audited by overseas local auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 1989 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 7.51 per cent of advances, 27.04 per cent of deposits, 5.29 per cent of interest income and 31.81 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and to disclose the information as may be necessary to conform to forms 'A & B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.



4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of the bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

(i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2015 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

(ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

(iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

7. Emphasis of Matter

We draw attention to note No.11 in the Notes on Accounts (Schedule 18) disclosing partial compliance of the findings of Annual Financial Inspection of Reserve Bank of India (AFI 2014) in respect of four borrower accounts by way of making necessary provision without declaring those accounts as non-performing, and indicating the uncertainty of the outcome of Bank's representation before appropriate higher authority of RBI for reconsideration and dispensation in those cases. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. In our opinion, the Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949 and is in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:


(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.



- (b) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.
(c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10: In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

For **A. KAYES & CO.**
Chartered Accountants
Registration No. 311149E



(CA AMRUL KAYES)
Partner
Membership No. 050363

For **GUHA NANDI & CO.**
Chartered Accountants
Registration No. 302039E



(CA DR. B S KUNDU)
Partner
Membership No. 051221

For **A. SACHDEV & CO.**
Chartered Accountants
Registration No. 001307C



(CA DINESH SINGH)
Partner
Membership No. 074977

For **NIRUPAM & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
Registration No. 323575E



(CA SUDHIR CHANDRA BASU)
Partner
Membership No. 006197

For **O.P.GARG & CO.**
Chartered Accountants
Registration No. 001194N



(CA SALIL GUPTA)
Partner
Membership No. 097922

Place: Kolkata

Date: 12th May, 2015